

आपातकाल में गुजरात

नरेंद्र मोदी

आपातकाल
में
गुजरात

आपातकाल में गुजरात

नरेंद्र मोदी

अनुवाद

कैलाश मिश्र 'कात्यायन'



प्रभात प्रकाशन, दिल्ली

ISO 9001 : 2000 प्रकाशक

आपात्काल में आकाशवाणी

डिजाइन

रचित

आपात्काल में आकाशवाणी

प्रकाशक • प्रभात प्रकाशन

४/१९ आसफ अली रोड,

नई दिल्ली-११०००२

संस्करण • प्रथम, २००४

सर्वाधिकार • सुरक्षित

मूल्य • दो सौ रुपए

मुद्रक • नरुला प्रिंटेर्स, दिल्ली

AAPAATKAAL MEIN GUJARAT by Narendra Modi Rs. 200.00
Published by Prabhat Prakashan, 4/19 Asaf Ali Road, New Delhi-2
ISBN 81-7315-466-X

प्रस्तावना

आपातकालीन संघर्ष के विषय में काफी साहित्य प्रकाशित हो चुका है; किंतु इस संघर्ष का समग्र, प्रमाणबद्ध तथा अधिकृत इतिहास अब तक जनता के सामने नहीं आ सका। इसके कुछ कारण भी हैं।

अब तक प्रकाशित साहित्य का दो श्रेणियों में वर्गीकरण किया जा सकता है। एक आत्मनिवेदनपरक और दूसरा वस्तुनिष्ठ। आत्मनिवेदनपरक साहित्य की मर्यादाएँ समझ में आ सकती हैं। आत्मनिवेदन के द्वारा समग्र इतिहास संकलित होने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस अभियान में सिपाही या संचालक के नाते काम किए हुए सभी व्यक्तियों का आत्मनिवेदन प्रकाशित हो। यह अब तक हुआ नहीं और आगे भी होने की संभावना नहीं।

आपातस्थिति हटने के पश्चात् संघर्ष के विषय में वस्तुनिष्ठ साहित्य भी प्रचुर मात्रा में प्रकाशित हुआ है, किंतु इसके लेखकों के सम्मुख एक दुविधा थी। इस कालखंड में क्या-क्या हुआ, इसकी तीव्र जिज्ञासा जनमानस में थी और इस जिज्ञासा की पूर्ति करनेवाले लेख या पुस्तकें शीघ्रताशीघ्र मार्केट में आना वाणिज्यीय दृष्टि से आवश्यक था; किंतु इतनी शीघ्रता से प्रस्तुत विषय से संबंधित सभी तथ्य, आँकड़े तथा जानकारी प्राप्त करना किसी के भी लिए संभव नहीं था; क्योंकि इस कालखंड की महत्वपूर्ण काररवाइयों की तैयारी भूमिगत लोगों ने ही की थी। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके लेखन किया गया होता तो जन-जिज्ञासा तथा वाणिज्यीय दृष्टि से प्रकाशन-कार्य में अक्षम्य विलंब हो जाता, अतः जिस लेखक के पास लेखनकाल में जितनी जानकारी उपलब्ध थी, उसी का उपयोग उसमें किया यह उचित ही रहा, किंतु इस प्रक्रिया के कारण वस्तुनिष्ठ साहित्य के माध्यम से भी अब तक संघर्ष का समग्र इतिहास संकलित नहीं हो सका।

इस तरह के विषय का इतिहास कैसे लिखा जाए, यह भी एक समस्या है। भूमिगत जीवन तथा कार्य का कितना हिस्सा प्रकाशित किया जाय और कितना अप्रकाशित ही रखा जाय, यह तारतम्य का विषय है। एक बार स्वातंत्र्यवीर सावरकरजी से पूछा गया कि 'फ्रांस के किनारे समुद्र में कूदने का पराक्रम करते समय उन्होंने किस तरकीब का सहारा लिया था?' सावरकरजी ने कहा, 'इस प्रश्न का उत्तर देने से लाभ क्या होगा? क्या आप में से कोई इस जानकारी से प्रेरणा लेकर कुछ प्रत्यक्ष कार्य करने वाला है? और दूसरी बात, इसका क्या भरोसा है कि दूसरे किसी क्रांतिकारी को उसी तरकीब का उपयोग करने की ही आवश्यकता पड़ेगी?' यह भी सोचने का एक पहलू हो सकता है। यद्यपि यह सही है कि परिस्थितियों में अंतर है और निकट भविष्य में आपातस्थिति की पुनरावृत्ति नहीं होगी, ऐसा प्रतीत होता है।

इस तरह इतिहास कैसे लिखा जाय, इसका प्रमाणित नमूना (model) भी उपलब्ध नहीं है। भारत के क्रांतिकारियों की पहली पीढ़ी को प्रेरणा प्राप्त हुई थी अपने ऐतिहासिक महापुरुषों से तथा विदेशियों में से प्रमुख रूप से जोसेफ मैजिनी का जीवन-वृत्त उपलब्ध है। लेनिन, स्टालिन आदि भूमिगत कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं का भी जीवन-वृत्त प्रकाशित हुआ है। भारतीय क्रांतिकारियों के जीवन पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इस तरह के साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि भूमिगत कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्य तथा उनकी उपलब्धियों को प्रसिद्ध करना तो सरल है, किंतु स्वदेश में भूमिगत जीवन कैसे बिताया गया, उसमें किस-किस की सहायता किस तरह हुई, भूमिगत अवस्था में पारस्परिक line of communication किस तरह रखी गई आदि बातों का अधिकृत विवरण देना प्रायः खतरे से खाली नहीं माना जाता। यह संतुलन कायम रखते हुए इतिहास लिखना बड़ा कठिन कार्य है। हमारे लिए यह हर्ष का विषय है कि प्रस्तुत कृति में इस तरह का संतुलन भी रखा गया है और देने योग्य अधिकतम जानकारी देने का प्रयास भी किया गया है। अब तक प्रकाशित साहित्य में समयाभाव के कारण कितनी अपूर्णताएँ आ गईं, यह समझना कठिन नहीं है। उदाहरण के लिए— भारतीय लोकदल के सैकड़ों लोगों द्वारा उत्तर प्रदेश में श्रीमती गायत्री देवी के नेतृत्व में किया गया सत्याग्रह, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 'जय गुरुदेव' संप्रदाय के लोगों द्वारा किया गया सत्याग्रह, सर्वोदयवादी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रारंभिक स्थिति की द्विधा-मनःस्थिति का मुकाबला करते हुए निश्चय के साथ किया हुआ कार्य, विरोधी दलों के सदस्यों द्वारा संसद् का उपयोग करते हुए किया हुआ जन-जागरण, महाराष्ट्र

के कंधार क्षेत्र के 'शेतकरी कामगरी' पक्ष द्वारा किया हुआ अभियान, श्रमिक क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ तथा सी.पी.एम. की CITU द्वारा संघर्ष को दिया हुआ योगदान, श्री तारकुंडे के नेतृत्व में मानवीय अधिकार तथा नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निर्मित संस्था द्वारा हुआ कार्य, महिलाओं के क्षेत्र में 'राष्ट्र सेविका समिति' द्वारा प्रदत्त सहयोग, विद्यार्थी क्षेत्र में विद्यार्थी परिषद् द्वारा दिया गया नेतृत्व तथा दिशा-निर्देशन, 'आचार्य सम्मेलन' का विवरण तथा उस उपक्रम का तात्कालिक परिस्थितियों पर हुआ परिणाम, वकीलों, शिक्षा-शास्त्रियों, भूतपूर्व न्यायाधीशों तथा साहित्य-सेवियों आदि के प्रयत्न, कॉमनवेल्थ कॉन्फरेंस के समय प्रतिनिधियों को भारत की परिस्थितियों से अवगत कराने हेतु किए गए प्रयास, डी.एम.के. सरकार का अप्रत्यक्ष सहयोग, संघर्षकाल में जम्मू-कश्मीर की मनोवृत्ति, जेलों में बंदियों का हौसला बढ़ाने की दृष्टि से किए गए उपक्रम, पीड़ित परिवारों की सहायता करने की पद्धतियाँ, निर्वाचन की घोषणा से पूर्व जनता पार्टी की स्थापना के लिए किए गए प्रयास आदि कितने ही पहलू महत्वपूर्ण होते हुए भी अब तक अस्पष्ट हैं—यहाँ तक कि 'लोक संघर्ष समिति' के कार्य का सुसूत्र इतिहास भी अब तक प्रकाशित नहीं हुआ। संघर्षपूर्व में किसी भी अखिल भारतीय राजनीतिक दल की तुलना में जिस प्रादेशिक दल का योगदान अधिक शानदार रहा, उस अकाली दल को भी नव साहित्य में उचित स्थान प्राप्त नहीं हो सका। यह संपूर्ण संघर्ष जिस संगठन के आधार पर हो सका, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योगदान का विवरण भी उपलब्ध नहीं है। संघ की प्रसिद्धिपराड्मुखता तथा लेखकों के पास उसके कार्य की जानकारी का अभाव—ये दोनों कारण इस अपूर्णता के हो सकते हैं। इन सभी बातों का विचार किया जाय तो यह कहना पड़ेगा कि संघर्ष का समग्र, प्रमाणबद्ध तथा अधिकृत इतिहास अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है।

इस संघर्ष में गुजरात का स्थान वैशिष्ट्यपूर्ण है। एक तो यह बात पर्याप्त मात्रा में प्रस्तुत नहीं हुई कि गुजरात की 'नवनिर्माण समिति' ने आपातस्थिति के पूर्व ही इस संघर्ष का वास्तविक सूत्रपात कर दिया था। जब आपातस्थिति घोषित हुई, उस समय तीन राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें थीं, किंतु इनमें से गुजरात राज्य सरकार ने ही तानाशाही का खुलकर विरोध किया और संघर्षकारियों का साथ दिया। इस प्रदेश में उस समय साहित्य-निर्मिति आदि ऐसे कार्य हुए, जो अन्य प्रदेशों में करना संभव नहीं था। 'साधना' तथा 'भूमिपुत्र' ने देश के वृत्तपत्रीय इतिहास में एक नए गौरवशाली अध्याय का निर्माण किया। इस संघर्ष के अहिंसात्मक तंत्र में गुजरात प्रारंभ से ही प्रशिक्षित था, क्योंकि महात्माजी व सरदार पटेल की

यह भूमि रही है। अखिल भारतीय स्तर पर लोक संघर्ष समिति द्वारा जितने भी उपक्रम आयोजित किए गए उन सबका कार्यान्वयन गुजरात ने ठीक ढंग से किया। इस दृष्टि से संघर्ष की अखिल भारतीय पृष्ठभूमि पर इस प्रदेश के संघर्षकारियों की समग्र काररवाइयों का इतिहास सुसूत्र तथा प्रसंगबद्ध ढंग से लिखना एक कठिन कार्य था, किंतु यह कार्य इस कृति के लेखक ने संतोषजनक ढंग से किया है। इस तरह का लेखन किस ढंग से किया जाय, इसका नमूना ही लेखक ने प्रस्तुत किया है। इस दृष्टि से संघर्ष के इतिहास-लेखकों के लिए यह पुस्तक मार्गदर्शक सिद्ध होगी।

यह सत्य है कि केवल वाणिज्यीय दृष्टि से इसका मूल्य उतना नहीं हो सकता जितना प्रारंभिक काल में प्रकाशित हुई पुस्तकों का है, किंतु यह उद्देश्य भी इस प्रकाशन के पीछे नहीं है... उद्देश्य है, केवल 'समग्र सत्य' का दर्शन। उसकी पूर्ति इस पुस्तक द्वारा ठीक ढंग से हो रही है।

भारतवासियों का यह द्वितीय स्वातंत्र्य युद्ध कई दृष्टियों से अभूतपूर्व रहा है। उसका इतिहास भावी पीढ़ियों के लिए उपयुक्त एवं अनुकरणीय है। इस तरह के देशव्यापी संघर्ष का इतिहास यथाशीघ्र प्रकाशित हो, यह देश की आवश्यकता है।

दत्तोपंत ठेंगड़ी

—दत्तोपंत ठेंगड़ी

अनुक्रम

१. असंतोष से भड़की अग्निशिखा	१३
जन-चेतना के दर्शन	१६
विधानसभा विसर्जन	१८
गुजरात की तिहरी विजय	१९
इंदिरा को चौथी शिकस्त	२०
२. अनपेक्षित आघात और प्रतिकार का पुनरारंभ	२२
हड़ताल	२४
नई व्यवस्थाएँ	२५
३. प्रतिकार का प्रथम घोष	२७
जनता मोरचा जनता के साथ	२८
शहीदों की स्मृति में...	२८
४. प्रतिबंध और भूगर्भवास	३०
५. प्रथम भूमिगत बैठक	३४
६. राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह	३७
माहौल में गरमाहट	३७
७. मोरचा मंत्रिमंडल ने भी मोरचा सँभाला	४०
८. अगस्त से अक्तूबर	४४
९ अगस्त—क्रांति दिवस	४४
निडर पत्रकारिता का प्रतीक—'साधना'	४६
इमरजेंसी कैप्सूल	४६
नेता-मुक्ति ज्योति	४८
९. एक अनोखा द्वीप	५१

	संघ के प्रशिक्षण शिविर	५५
१०.	जनता अखबार	५७
११.	जन-जागृति के बढ़ते कदम	६०
	गुजरात के विधिवेत्ताओं का सम्मेलन	६५
	अखबारी स्वातंत्र्य सम्मेलन	६६
	जनता मोरचा सम्मेलन	६६
	नागरिक स्वातंत्र्य परिषद्	६८
	विराट् जनसभा	६९
	संविधान रक्षा परिषद्	७०
	रेडिकल ह्यूमेनिस्टों का सम्मेलन	७०
१२.	कार्यकारिणी बैठक से कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस तक	७२
	जनसंघ कार्यकारिणी समिति की बैठक	७३
	अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्	७६
	कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस	७७
	कॉन्फ्रेंस के सदस्यों का गुजरात प्रवास और गिरफ्तारियाँ	७८
	डॉ. स्वामी की कॉमनवेल्थ प्रतिनिधियों से मुलाकात	७९
१३.	सत्याग्रह की तैयारियाँ	८१
	सत्याग्रह प्रबंधन बैठक	८३
	गुजरात लोक संघर्ष समिति की तैयारियाँ	८३
	शादी तय हो गई है	८४
	साहित्य-सृजन अभियान	८५
	सत्याग्रह की आयोजना	८६
१४.	स्मरणीय सत्याग्रह पर्व	८८
	गुजरात में सत्याग्रह	९०
	सत्याग्रह का प्रचार	९५
	सत्याग्रह का विशेष प्रभाव	९६
१५.	गुजरात में रणबाँकुरों का संगम	९९
	पवनार की ओर...	१००
	प्रार्थना, पूजा और यज्ञ	१०२
	अटलजी को शुभेच्छा	१०३
	देश भर के रणबाँकुरों का मेजबान बना गुजरात	१०४

१६. एक और निशान—गुजरात	१०९
संघर्ष समिति के नए मंत्री	१११
बंगलौर में भी गुजरात की गूँज	११२
कांग्रेसियों की व्यूह-रचना	११३
१७. 'मीसा' का कोड़ा बरसा	११६
मर्मस्थलों पर आघात	१२०
१८. सलाखों के पीछे की मुक्ति-यात्रा	१२४
जेल में कैप्सूल	१३०
अत्याचार	१३२
भट्ट काका	१३५
श्री भेरूमल गेहाणी	१३७
१९. अविरत संघर्ष, अविराम प्रतिकार	१३९
२०. विदेशों में विरोध	१५४
२१. संघर्ष में बुद्धिजीवियों की भूमिका	१६८
गुजरात के बुद्धिजीवी	१७०
अखबारी संघर्ष	१७३
२२. परिवर्तन की अंतर्धारा	१७९
भूमिगत साहित्य	१८४
संपर्क तथा समाचार प्रसार	१८७
कुछ योजनाएँ	१९०
अनोखे अनुभव	१९५
समाज का प्रतिभाव	१९८
सफलता की दहलीज से	१९९

परिशिष्ट

१. जेलवासियों के नाम एक पत्र	२०४
२. संघर्ष : अंकों की दृष्टि से	२१०
३. संघर्ष घटनाक्रम	२१३
४. कुछ निजी बातें	२१९
५. आशीर्वचन	२२१

प्रकरण-१

असंतोष से भड़की अग्निशिखा

विगत दस वर्षों की राजनीति ने भारत की जनता को अनेक नए अनुभवों से परिचित कराया है। इस दौरान आँखों को चुभनेवाला व्यक्तिवाद फैला—वह भी प्रजा की इच्छा और अनुमति के नाम पर! बमुश्किल बत्तीस प्रतिशत जनमत पाकर अस्तित्व में आई कांग्रेसी सरकारें इस दौर में अधिकाधिक मदहोश बनीं। 'यावत् चन्द्र दिवाकरौ' देश पर शासन करने के लिए ही उनका निर्माण हुआ है—ऐसी उनकी भावना प्रबलतम होने लगी। ले-देकर बत्तीस प्रतिशत लोगों की ओर से मिले सहयोग एवं प्रोत्साहन को भी वे न सँभाल सके। जनता को उनके आचार-विचार में प्रतिपल बढ़ते जा रहे अविवेक का अनुभव होने लगा। जब कोई हम पर भरोसा करता है तो उस स्थिति में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। सेवा के इस मूल मंत्र को भी वे घोलकर पी गए।

स्पष्ट है कि यदि उन्होंने लोकमत द्वारा प्राप्त सत्ता का उपयोग सही अर्थों में समाज के दीन-हीन वर्ग के लिए किया होता तो इस देश की ऐसी दुर्दशा न हुई होती जैसी आज है। सत्तालोलुप एवं मदांध कांग्रेसियों ने निष्ठावान् गांधीवादियों को तो अपने से बहुत पहले ही दूर फेंक दिया था। अब तो कांग्रेस के अखाड़े में कुरसी की छीना-झपटी में कुशल बाहुबली ही बचे थे, जिन्होंने अपनी तमाम शक्ति स्वयं को सर्वसत्ताधीश बनाने के प्रयत्नों पर ही लगा रखी थी। नतीजतन बड़े-से-बड़े कांग्रेसी नेता से लेकर छोटे-से-छोटे कांग्रेसी कार्यकर्ता तक इस दूषण का संक्रमण फैलने लगा। सत्ता के शौक का संक्रमण भी पानी के बहाव की तरह ऊपर से नीचे की ओर आता है। कांग्रेस में भी प्रत्येक स्तर पर यह संक्रमण फैला।

परंतु राष्ट्र का दुर्भाग्य था कि इन सत्तालोलुप कांग्रेसी राजनीतिज्ञों की

सरकारों को नियंत्रित कर सके जैसे सबल प्रतिपक्ष की कमी थी। जैसे देखा जाए तो शक्तिशाली प्रतिपक्ष को विकसित ही नहीं होने दिया गया था; इसके अलावा शक्तिशाली और एकजुट प्रतिपक्ष स्वयं भी विकसित नहीं हो पाया था, बल्कि प्रतिपक्ष में नित नई दरारें पड़ती रही थीं।

इस तरह की स्वार्थ-प्रेरित राज्य व्यवस्था से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलना स्वाभाविक ही था। परिणामस्वरूप यह देश दिन-प्रतिदिन भ्रष्टाचार के दलदल में धँसने लगा। दूर-सुदूर स्थित गाँव के मुखिया से लेकर देश के बड़े-से-बड़े पदासीनों को भ्रष्टाचार भीचता चला गया, मानो भ्रष्टाचार प्रशासन का एक आवश्यक अंग बन गया था। कोई भी कागज या फाइल, जब तक उसे उचित मात्रा में वजनदार न बनाया जाए तब तक, आगे खिसकने का नाम न लेती। किसी मंत्री या अधिकारी से मिलने के पहले उनके चपरासी को 'चंदन' लगाना मानो एक सामान्य शिष्टाचार हो चला था। इन सभी कारणों से प्रशासन में सुशासन के प्रति उपेक्षा का भाव बढ़ता गया।

शासकों में भी प्रशासन स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक 'ओज' की कमी थी, क्योंकि वे भी राजनीतिक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए थे। भ्रष्ट तरीकों से स्वार्थ-सिद्धि, चुनावी राजनीति में भ्रष्ट तरीकों का सहारा, बहुजन हिताय के स्थान पर समाज के गिने-चुने कथित अग्रणियों को सँभाले रखने की दुर्वृत्ति—यह सबकुछ समाज के सुप्रतिष्ठित (?) लोगों द्वारा ही हो रहा था।

'यथा राजा तथा प्रजा' के अनुसार इन प्रशासकीय एवं राजनीतिक भ्रष्टाचारों का प्रभाव समाज पर पड़ना अवश्यभावी था और वैसा हुआ भी। समाज व्यवस्था में भ्रष्टाचार का संक्रमण सर्वाधिक भयानक रोग है। भ्रष्टाचार का प्रभाव समाज व्यवस्था की जड़ पर कुठाराघात के समान है। परंतु इस सामाजिक अधोगति में भी उन हित-साधकों को चिंता की कोई बात नजर नहीं आ रही थी; क्योंकि वे जानते थे कि निस्सत्त्व समाज पर शासन करना अधिक सरल होगा और इसीलिए भ्रष्टाचार के फैलने में उन्होंने अपना अधिक-से-अधिक योगदान दिया। भ्रष्टाचार के इस प्रसार से खुश होनेवालों की अपेक्षा चिंतित होनेवालों की संख्या का अधिक होना स्वाभाविक था। परंतु चिंतित होनेवाला वर्ग बहुसंख्यक होने के बावजूद लक्ष्यहीन, असंगठित एवं अपने आप में ही उलझा होने के कारण निस्सहाय अवस्था में सारे दुराचारों को सहकर भी मूकदर्शक बना रहा।

अपनी भ्रष्ट नीतियों में सराबोर सरकार को आम आदमी की जरूरतों की कोई परवाह ही नहीं रही, जिसकी वजह से सारे देश में महँगाई दिन दूनी रात

चौगुनी बढ़ रही थी। आसमान छूती महँगाई ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया था। 'गरीबी हटाओ' के सूत्रोच्चार से प्रभावित होकर अनेक आशाओं और अरमानों के साथ जिन्हें शासन की बांगडोर सौंपी गई थी, वही अब अपने उत्तरदायित्व से च्युत हो रहे थे।

गुजरात की आम जनता महँगाई के चंगुल में बुरी तरह फँसती जा रही थी। जमाखोरों पर कोई अंकुश नहीं रहा था। परिवार के प्रत्येक सदस्य को सुबह से शाम तक किसी-न-किसी लाइन में खड़े रहकर आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ता था और इसके बाद भी जरूरत की चीज बारी आने पर मिलेगी ही, इसका कोई भरोसा नहीं था।

एक ओर जहाँ आसमान को छूती महँगाई और आवश्यक चीजों के अभाव की स्थिति थी, वहीं दूसरी ओर जनता के पैसों पर मौज उड़ाते नेता अब लोगों की आँखों में खटकने लगे। वैसे भी यह सब अधिक दिनों तक सहन करना गुजरात की जनता की आदत में नहीं था। अतः इस दुःखदायी स्थिति के विरोध में जनता के आक्रोश का भड़क उठना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी।

इस प्रकार जनता की घोर परेशानियों से आँखें मूँदे वे अपनी राजनीतिक उठा-पटक में ही मगन थे। आंतरिक गुटबंदी के कारण एक सौ उनतालीस की सदस्यतावाली 'गुजरात विधानसभा कांग्रेस' को अपना नेता बाहर से लाना पड़ा। घनश्यामभाई ओझा के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस के भीतर असंतोष और भड़का। सरकारी तंत्र पर घनश्यामभाई की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। अपने साथियों का पूर्ण सहयोग भी उन्हें प्राप्त नहीं था। फिर भी, जैसे-तैसे कुछ समय तक वे गुजरात की गाड़ी को खींचते रहे।

उनके द्वारा लिये गए आधे-अधूरे, अपरिपक्व निर्णय प्रशासन की उलझनों और जनता की परेशानियों को बढ़ाते रहे। परिणामस्वरूप प्रजा का विरोध भीतर-ही-भीतर भड़कने लगा। तिस पर भी, जब जनता की कठिनाइयाँ अपने चरम बिंदु पर थीं, तभी सत्तालोलुप कांग्रेसी गुटों में खींचातानी शुरू हो गई। सत्ता को पाने की होड़ सन् १९७२ के जुलाई माह के प्रारंभ होते ही शुरू हो गई। यहाँ तक कि अब विधायकों की बोलियाँ लगने लगीं। कांग्रेस हाईकमान द्वारा मनोनीत घनश्यामभाई ओझा गुजरात कांग्रेस या उसकी सरकार को न सँभाल सके और अंततः ओझा सरकार का पतन हुआ।

इस घटना ने गुजरात की पीड़ित प्रजा के जले पर नमक छिड़कने का काम किया। अपना-अपना प्रधान मंडल बनाने के लिए गुजरात में कांग्रेसी गुटों द्वारा

पानी की तरह पैसा बहाया गया। दाँव-पेच में कुशल एवं राजनीतिक अस्थिरता के कर्ता के रूप में कुख्यात श्री चिमनभाई पटेल 'प्रपंचवटी' के नाटक के बाद सरकार बनाने में सफल हो गए। प्रशासनिक कुशलता होने के बावजूद उन्होंने जनता की भलाई के लिए कुछ भी नहीं किया और अपनी द्वेषयुक्त कुटिल राजनीति के फल आगे चलकर उन्हें चखने ही पड़े। फिर एक बार कांग्रेस के विभिन्न गुटों का आपसी संघर्ष और तेज होने लगा। पुनः एक बार जनजीवन और शासन के धुराधारकों के बीच की खाई और अधिक चौड़ी होने लगी।

इन परिस्थितियों के विरोध में समाज के छोटे-बड़े समूहों की ओर से अब 'सात्विक हरकतें' शुरू हो गईं। 'जो कुछ हो रहा है, उसमें हमारा समर्थन कदापि नहीं है—यह प्रदर्शित करनेवालों की संख्या बढ़ने लगी और यथोचित समय पर इन विचारों को जाहिर भी किया जाने लगा। अपने दुर्व्यवहारों के कारण गुजरात के सभी छोटे-बड़े कांग्रेसी नेताओं की टीका-टिप्पणियाँ बहुत आम हो गई थीं।'

गली-मुहल्लों की सभाओं में चीख-चीखकर नैतिक मूल्यों की बातें करनेवाले इन नेताओं के द्वारा ही नैतिक मूल्यों पर आघात हो रहे थे। जनतांत्रिक मूल्यों का क्षय उनके लिए एक खेल मात्र बन चुका था। आहिस्ता-आहिस्ता गुजरात की जनता इस अधोगति से बेचैन होने लगी। उसके आस-पास का वातावरण—चाहे वह राजनीतिक हो या सामाजिक—सत्ताधीशों द्वारा इतना कलुषित कर दिया गया था कि अब इन सत्ताधीशों के खिलाफ जनता खुलेआम अपना विरोध प्रदर्शित करने लगी और सन् १९७३ के अंत तक तो जनता की यह पीड़ा रोषाग्नि का रूप धारण करने लगी।

जन-चेतना के दर्शन

अपनी शांत प्रकृति के लिए प्रसिद्ध गुजरात इन सारी वतनफरोश घटनाओं का मूकदर्शक बना रहे, यह असंभव था। इसके अलावा गुजरात की इस जागृति की पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक कारण भी थे। गुजरात लोकतंत्रात्मक जागरूकता के प्रवर्तक रहे कई महापुरुषों की जन्म व कर्मभूमि रहा है; परिणामतः राष्ट्रीय आंदोलन एवं राष्ट्रीय नेताओं से गुजरात का नजदीकी रिश्ता रहा। इसीलिए स्वतंत्रता से पहले एवं स्वतंत्रता के बाद भी गुजरात हमेशा सक्रिय और जाग्रत् बना रहा। हर छोटी-बड़ी, राष्ट्रीय या सामाजिक समस्या के समाधान में गुजरात ने बढ़-चढ़कर योगदान दिया है।

इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए गुजरात में हलचल की शुरुआत

हुई। सन् १९७३ के दिसंबर माह के अंत में मोरबी के इंजीनियरिंग हॉस्टल में फूडबिल से संबंधित समस्याओं ने विद्यार्थियों को आंदोलन करने के लिए मजबूर किया। कुछ ही दिनों बाद, ४ जनवरी, १९७४ को इस आंदोलन का प्रभाव अहमदाबाद के एल.डी. इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल तक भी पहुँच गया। तत्कालीन शिक्षामंत्री श्रीमती आयशा बेगम शेख भी निष्क्रिय सरकार की ही प्रतिकृति थीं। उन्हें तो इस आंदोलन में जनसंघ का 'हाथ' नजर आया।

विद्यार्थी वर्ग अब पूरी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ मैदान में आ चुका था। भ्रष्टाचार के कारणों को हटाने की माँगें जैसे-जैसे बढ़ने लगीं वैसे-वैसे उन्हें नियंत्रित करने के लिए सरकारी जोर-जुल्म बढ़ते गए। जब यह प्रतीत हुआ कि भ्रष्टाचार का मूल कांग्रेस और उसके नेता हैं तो उन्हें दूर करने का विद्यार्थियों ने संकल्प किया। न केवल गुजरात अपितु संपूर्ण देश के राजनीतिक क्षितिज पर 'गुजरात का विद्यार्थी' चमक उठा।

अनेक अनुपूरक कारणों एवं असंतोष के कारण विनिर्माण आंदोलन क्रमशः प्रभावशाली बनता चला गया। विभिन्न कारणों से समाज के हर वर्ग का सहयोग इस आंदोलन को मिलता गया। कांग्रेस की आंतरिक कलह ने भी इस आंदोलन के प्रसार में पूरा योगदान दिया। अब यह केवल विद्यार्थी समुदाय का ही नहीं, बल्कि गुजरात की समग्र प्रजा का आंदोलन बन चुका था। सरकार के जुल्मों का जनता ने भी डटकर सामना करना शुरू कर दिया।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पच्चीस सालों के बाद एक बार फिर इतना प्रबल जनक्रोश भड़क रहा था, किंतु इस बार यह आक्रोश मदहोश कांग्रेस सरकार के खिलाफ था। प्रजाशक्ति की अवहेलना करनेवाले नेताओं को जनता ने अब पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया था। अतः कुछ एक कांग्रेसी नेता, जो तनिक दीर्घद्रष्टा थे, इस आंदोलन से चिंतित होने लगे।

आंदोलन का एक दुर्भाग्य यह भी था कि इसे उचित मार्गदर्शन देनेवाला कोई नेता या संगठन अब तक नहीं मिल पाया था। परिणामस्वरूप यह लड़ाई अनेक मोरचों में बँट गई। सरकारी दमन से परेशान होकर जनता की ओर से भी प्रतिहिंसा की वारदातें होने लगीं। जवाब में सरकार ने भी अपनी जिम्मेदारियाँ नजरअंदाज करते हुए एक कदम आगे बढ़कर पूर्णरूप से हिंसक स्वरूप अपना लिया। गुजरात के युवाओं को क्रूरतापूर्वक रौंद डालने के प्रयत्न करने में सरकार को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई।

आंदोलन को कुचल डालने की दमनकारी सरकारी कोशिशों के बावजूद

प्रजा ने अपनी माँगों को लेकर निरंतर संघर्ष जारी रखा। भ्रष्टाचार के प्रति गुजरात की प्रजा का आक्रोश देखकर श्री जयप्रकाश नारायण भी प्रभावित हुए बिना न रह सके। मूल्यों के जतन के आग्रह को लेकर शुरू हुए इस आंदोलन को जयप्रकाशजी का नैतिक समर्थन प्राप्त हुआ। वे गुजरात से प्रेरित होकर ही बिहार गए थे। परिणामस्वरूप इस आंदोलन के प्रभाव को देशव्यापी बनने से रोकने के लिए मजबूरन चिमनभाई पटेल को इस्तीफा देने की सूचना केंद्र सरकार को देनी पड़ी। इस सूचना के बाद भी गुजरात की प्रजा को लगातार संघर्ष करना पड़ा। कई युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। कई निर्दोष युवा महाकाल के मुख का ग्रास बन गए। गुजरात की धरती ने मानो चंडिका का रूप धारण कर लिया था। संपूर्ण गुजरात में एक रक्त क्रांति का निर्माण हुआ। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए और संभावित परिणामों से सचेत होकर अंततः चिमनभाई पटेल ने इस्तीफा दे दिया।

श्री चिमनभाई के त्यागपत्र से स्वतंत्रता-प्राप्ति के पच्चीस वर्षों बाद फिर एक बार प्रजा का अपनी शक्ति में विश्वास सुदृढ़ हुआ।

विधानसभा विसर्जन

जनता के इस आत्मविश्वास ने उसे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। चिमनभाई के त्यागपत्र मात्र से प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। प्रजा का अपने ही द्वारा चुने गए विधायकों के प्रति रोष अभी शेष था। आंदोलन का दूसरा लक्ष्य बनी गुजरात विधानसभा और विधानसभा विसर्जन की माँग ने जोर पकड़ा। एक पराजय से व्यथित एवं क्षुब्ध केंद्र सरकार दूसरी पराजय को झेलने के लिए कतई तैयार न थी, वह विधानसभा विसर्जन की माँग के समक्ष घुटने टेकने को बिलकुल सहमत नहीं थी। इसके अलावा, सरकार के झुकने से कांग्रेस के लिए कई खतरे उत्पन्न हो सकते थे, यह निश्चित था। परंतु जनता के बढ़ते जोश एवं आत्मविश्वास ने आंदोलन को और अधिक तीव्र किया। दूसरी ओर, सरकारी दमन भी क्रूरतम होता जा रहा था। नतीजतन, गुजरात को योग्य दिशा-दर्शन की जरूरत महसूस हुई; एक योग्य पथप्रदर्शक की आवश्यकता उत्पन्न हुई।

ऐसे समय में गुजरात को दिशा देने का जिम्मा श्री मोरारजीभाई ने लिया। उन्होंने विधानसभा के विसर्जन की माँग को सही ठहराते हुए माँग के समर्थन में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनके अनशन ने आंदोलन को बहुत शक्ति प्रदान की और प्रतिष्ठा भी दिलाई। अब सरकार के पास विधानसभा विसर्जन की माँग को मानने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा था। आखिरकार, केंद्र सरकार ने

गुजरात विधानसभा के विसर्जन की घोषणा की। इस प्रकार गुजरात की जनता ने लगातार दूसरी जीत हासिल की। इस विजय की नींव में करीबन सौ युवाओं की शहादत हुई थी।

गुजरात की प्रजा की ये दोनों विजय सारे देश के लिए दिशासूचक बनीं। इन जनांदोलनों की सफलता के परिणामस्वरूप आम नागरिक भी ऐसे आंदोलनों के प्रभावों से परिचित हुए। अन्य राज्यों में चल रहे ऐसे देश-हित के आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान करने के लिए जे.पी. पूर्णतः योग्य व्यक्ति थे और देश के सद्भाग्य ही थे कि उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार कर लिया।

‘गुजरात का अनुकरण’—ये शब्द उन दिनों देश की प्रजा के लिए प्रेरणा-स्रोत बन चुके थे; जबकि शासकों के लिए यही शब्द किसी दुःस्वप्न के समान थे—और इसीलिए वे बार-बार दोहराते रहते थे कि ‘गुजरात (की घटनाओं) का पुनरावर्तन नहीं होने दिया जाएगा।’ किंतु जे.पी. के नेतृत्व में हो रहा आंदोलन गुजरात की अपेक्षा कहीं अधिक सुव्यवस्थित ढंग से एवं मूल्यों को बनाए रखते हुए लक्ष्य-प्राप्ति हेतु प्रगति करने लगा। यह आंदोलन स्पष्ट रूप से गुजरात से मिली प्रेरणा का ही परिणाम था। बिहार में भी विधानसभा विसर्जन की माँग जोर पकड़ती जा रही थी और इसीलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने एक निवेदन में कहा था, ‘गुजरात विधानसभा के विसर्जन की माँग को स्वीकार कर मैंने एक गंभीर गलती की है।’

गुजरात की तिहरी विजय

मुख्यमंत्री के त्यागपत्र एवं विधानसभा विसर्जन के बाद गुजरात की जनता न्यायोचित चुनावों द्वारा जन-सत्ता की प्रतिष्ठा के लिए तत्पर थी। परंतु कांग्रेस सरकार उस चुनाव में संभावित हार का मुँह देखने को तैयार न थी। नवनिर्माण की विचारधारा के कमजोर होने तक कांग्रेस सरकार चुनाव टालना चाहती थी; परंतु जनता को यह स्वीकार्य नहीं था।

चुनाव की माँग जोर पकड़ती जा रही थी। उन्हीं दिनों ‘गुजरात संघर्ष समिति’ की स्थापना हुई। इस रचना के पार्श्व में आपसी मतभेदों को मिटाकर एकता स्थापित करने की भावना से किए गए श्री के.डी. देसाई एवं कुछ अन्य महानुभावों के प्रयत्न महत्वपूर्ण थे। गुजरात में सभी दलों ने एकजुट होकर चुनाव की माँग को प्रबल बनाते हुए केंद्र सरकार को संघर्ष के लिए ललकारा।

इन्हीं दिनों श्री मोरारजीभाई ने पुनः एक बार गुजरात के आंदोलन की

बागडोर सँभाली। उन्होंने चुनाव की माँग को लेकर दिल्ली में पुनः आमरण अनशन शुरू कर दिया। पराजय न स्वीकार करने का निर्णय लेकर बैठी जिद्दी केंद्र सरकार को एक बार फिर से जनता की आवाज के सम्मुख घुटने टेकने पड़े। केंद्र सरकार को गुजरात में विधानसभा के चुनावों की घोषणा करनी पड़ी। गुजरात की जनता की यह तीसरी विजय थी। व्यक्तिवादिता और लोकतंत्र के बीच के संघर्ष में लोकतंत्र का पक्षधर गुजरात अपनी तिहरी सफलता पर गर्व महसूस कर रहा था।

इन तीनों संघर्षों में जन-आंदोलनों को कुचल डालने के लिए सरकार ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया था। साम, दाम, दंड और भेद—सभी नीतियों का प्रयोग करने के बावजूद वह प्रजा के सम्मुख टिक न सकी। उनकी 'नई रोशनी' को गहरा दाग लग चुका था। कांग्रेसी सरकारें अपने ही पापों के दलदल में घिर चुकी थीं। गुजरात के चुनाव और अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका बिहार का आंदोलन, ये दो सबसे बड़ी चुनौतियाँ उनके सामने खड़ी थीं।

गुजरात के जन-आंदोलन ने बिखरे विपक्षी नेताओं को एक-दूसरे के निकट लाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया था। कांग्रेसी शासकों से तंग आ चुकी जनता भी अब किसी समर्थ विकल्प की खोज में थी। सन् १९७५ के मार्च की २२-२३ तारीख को बौद्धिकों की 'द्विदिवसीय राजनीतिक परिषद्' अहमदाबाद में आयोजित हुई। गुजरात के विपक्षी दल किस प्रकार एकजुट होकर चुनाव लड़ें, इसके बारे में परिषद् में विस्तृत चर्चाएँ हुईं और अंततः उसमें से सृजन हुआ 'लोक संघर्ष समिति' का।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से एक बात स्पष्ट हो चुकी थी कि विपक्षी दलों का एकजुट होना अनिवार्य है। गुजरात की जनता की सफलता विपक्ष को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने को कृत-संकल्प थी। जनसंघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी ने अपने जम्मू सम्मेलन में मोरचे की आवश्यकता को स्वीकार किया और शनैः-शनैः सभी पक्षों को 'जनता मोरचा' के ध्वज तले एकत्रित किया।

इंदिरा को चौथी शिकस्त

स्वतंत्रता के बाद पहली बार द्विध्रुवीय चुनाव लड़े जाने का श्रेय गुजरात को मिला। श्रीमती गांधी भी इस चुनौती को, उसकी गंभीरता को समझ गईं। यह चुनावी हार उनके राजनीतिक अस्तित्व को ही खतरे में डाल सकती है, यह समझना उनके लिए कठिन नहीं था। इसलिए गुजरात के चुनाव जीतने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगा दिया। दिन-रात एक करते हुए सौ से भी अधिक जनसभाओं को

संबोधित कर उन्होंने जनता को अपनी ओर खींचने का महाप्राण, किंतु असफल प्रयत्न किया। येन-केन-प्रकारेण गुजरात का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस द्वारा प्रयुक्त सारे प्रयत्न निष्फल रहे। 'गुजरात की बहू' की मोहिनी भी अपना कोई प्रभाव न दिखा सकी।

गुजरात की जनता ने अपनी मनोदशा की किसी को भनक तक न लगने दी और इंदिरा को लगातार चौथी शिकस्त देते हुए जनता मोरचा के गले में जयमाला पहना दी। इस प्रकार १२ जून, १९७५ के दिन भारतीय लोकतंत्र को एक नई दिशा मिली।

गुजरात के जन-आंदोलनों एवं आम नागरिकों के आक्रोश को कुचल डालने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी एवं उनके सहयोगियों ने अपने सभी उपायों को आजमा लिया, किंतु वे हर बार असफल रहे और जनता निरंतर जीत हासिल करती रही। इतनी निष्फलताएँ मानो कम हों, इस प्रकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय ने श्रीमती गांधी की डगमगाती स्थिति को एक और धक्का दिया। गुजरात के नतीजों और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय ने कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में तूफान मचा दिया। श्रीमती गांधी का सारा मायाजाल ध्वस्त हो गया।

सत्तालोलुप श्रीमती गांधी किसी भी प्रकार से सत्ता-त्याग के लिए तैयार नहीं थीं। अतः अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए वे और अधिक चिंतित हो उठीं। दूसरी ओर, राष्ट्रीय स्तर पर उनके त्यागपत्र की माँग जोर पकड़ने लगी। उनके सहयोगियों में भी इस माँग के बारे में सहमति बनने लगी। इन सभी विपदाओं से बचाव के लिए इंदिराजी को एक नए शस्त्र की आवश्यकता महसूस हुई और इस प्रकार इस भय-प्रेरित आवश्यकता ने आपातकाल के विचार को जन्म दिया। अनेक बातों से यह सिद्ध होता है कि आपातकाल का इरादा २६ जून से बहुत पहले बना लिया गया था और उसके लिए सारी तैयारियाँ भी पूरी कर ली गई थीं।

दिल्ली में भारत की आजादी को आहत करने की योजनाएँ बनाई जा रही थीं। उसी समय गुजरात में सही मायनों में लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने की तैयारी 'जनता मोरचा' द्वारा की जा रही थी। १९ जून को गुजरात में मोरचा सरकार ने श्री बाबूभाई पटेल के नेतृत्व में सत्ता की बागडोर सँभाली। परंतु केवल सात ही दिनों में गुजरात की मोरचा सरकार की स्थिति किसी अनाथ बालक जैसी हो गई। माता सदृश लोकतंत्र की कोख से जनमी 'मोरचा सरकार' की मातृशक्ति रूपी लोकतंत्र का आपातकाल के रेक्ष्मी पाश से गला घोंट दिया गया था।

□

प्रकरण-२

अनपेक्षित आघात और प्रतिकार का पुनरारंभ

गुजरात एक वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद विश्रान्ति ले रहा था। लोकनेता भी जनता सरकार बनने के बाद तनिक चैन की साँस ले रहे थे। तभी यकायक २५ जून, १९७५ की ग्रीष्मकालीन रात्रि के पिछले पहर गुजरात के नेताओं के टेलीफोन बज उठे। एक अनपेक्षित घटना घटित हुई थी। इतना कठोर कदम सरकार उठाएगी, इसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। रात भर दिल्ली से फोन पर संदेश आते रहे—

- ❖ जे.पी. गिरफ्तार...
- ❖ मोरारजीभाई को पकड़ लिया गया...
- ❖ नानाजी को ढूँढ़ा जा रहा है...
- ❖ संघ के कार्यालय को पुलिस ने घेर लिया...
- ❖ राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर पुलिस के छापे...
- ❖ सारे दिल्ली शहर में पुलिस की गाड़ियाँ घूम रही हैं...
- ❖ कहीं-कहीं पर सेना के वाहन भी दिखाई पड़ रहे हैं...
- ❖ अखबारों का भी संपर्क नहीं हो पा रहा...
- ❖ कहीं-कहीं पर टेलीफोन 'रिसीव' करने का काम पुलिस द्वारा ही किया जा रहा है...
- ❖ माजरा समझ से बाहर है...
- ❖ आप लोग अपने स्थान से हट जाएँ...
- ❖ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय को खाली कर दिया जाए...
- ❖ महत्वपूर्ण कागजात और फाइलें सुरक्षित स्थान पर भेज दी जाएँ...

❖ दिल्ली आर.एस.एस. कार्यालय से प्रमुख कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है...

❖ इन समाचारों से बंबई को अवगत करवाएँ...

दूसरा फोन—

❖ नागपुर की सूचना मिलते ही दिल्ली को अवगत करवाएँ...

❖ वस्तुस्थिति के स्पष्ट न होने तक गिरफ्तारी से बचें, सभी को सूचित करें...

❖ अटलजी, आडवाणीजी बंगलौर में हैं...

❖ तमिलनाडु सरकार की क्या स्थिति है...

❖ अनजाने फोन आने पर कोई जानकारी न दी जाए...

रेडियो से तानाशाह अपना प्रथम वायु-प्रवचन प्रसारित करवाएँ, उससे पहले तो अनेक संदेश और सूचनाएँ इस प्रकार दी जा चुकी थीं।

काँकरिया-मणीनगर क्षेत्र में स्थित आर.एस.एस. का आंचलिक कार्यालय सुबह होने तक चहल-पहल से धमक उठा था। संघ प्रचारक एवं प्रदेश जनसंघ के मंत्री श्री नाथाभाई झघड़ा रात भर संदेशों का आदान-प्रदान करते रहे। हम सभी कार्यालय को 'ठीक-ठाक' करने में व्यस्त हो गए।

सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख व्यक्तियों को सवेरे तक समाचार मिल चुके थे। स्थिति की गंभीरता की भनक सभी को लग चुकी थी। हालाँकि गुजरात में मोरचा सरकार के होने से अन्य राज्यों की तरह प्रत्यक्ष हमलों को झेलने की नौबत गुजरात में अभी नहीं आ पाई थी। गुजरात में उपलब्ध इस ढील के कारण आपातकाल की प्रथम रात्रि से ही अहमदाबाद समाचार संदेशों के आदान-प्रदान का अखिल भारतीय केंद्र बन गया।

प्रातःकाल से ही समग्र शहर में एवं गुजरात में इस घातक कृत्य के समाचार फैल चुके थे। सही समाचार को जानने की जिज्ञासावश अहमदाबाद में कांग्रेस भवन के कार्यालय पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। वातावरण अत्यंत उत्तेजनामय था। सारे अग्रगण्य राजनीतिज्ञ एवं पत्रकार वहाँ उपस्थित थे।

भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग आदेश के इंतजार में खड़े थे। सभी के मन में किसी अनहोनी का अंदेश था। तभी श्री वसंतभाई गजेंद्र गडकर बाहर निकले। हाथ में छोटा सा माइक्रोफोन था। उन्होंने सभी से शांति की अपील की। उपलब्ध सही समाचारों से सभी को अवगत कराया।

संघर्ष समिति की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इस बैठक में आपातकाल

के गुजरातव्यापी प्रतिकार का निर्णय किया गया। गुजरात भर में २६ व २७ जून को दो दिनों की हड़ताल का आदेश जारी किया गया। २६ को यथासंभव सभी गाँवों, शहरों में जनसभाओं का आयोजन कर आपातस्थिति के विरोध में प्रदर्शनों का निर्णय लिया गया। उसी दिन अहमदाबाद में भी शाम छह बजे जयप्रकाश चौक में सभा का आयोजन किया गया।

हड़ताल

आपातस्थिति के समाचार जैसे-जैसे फैलते गए जैसे-जैसे उसके विरोध का प्रभाव भी तीव्र होता गया। अहमदाबाद में बाजार खुलते ही बंद हो गए। विद्यार्थी स्कूल-कॉलेजों से बाहर आ गए। अहमदाबाद में उच्च न्यायालय सहित सभी कार्यालय बंद रहे। वकीलों ने आपातस्थिति का प्रतिकार करते हुए जुलूस निकाला और जनसभा का आयोजन कर इंदिरा के अलोकतांत्रिक आचरण की कड़ी भर्त्सना की।

तुरंत ही बड़ौदा शहर में एक 'जनता संघर्ष समिति' गठित की गई। २६ जून को संस्था कांग्रेस के श्री मनुभाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित एक जनसभा में लोकतंत्र के पुनः स्थापन के लिए मुकाबला करने का प्रण किया गया।

गुजरात के हर छोटे-बड़े गाँव में हड़ताल पूर्ण सफल रही। सूरत, वलसाड़, भरूच, वडोदरा, नडियाद, महेसाणा, भुज, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, भावनगर जैसे मुख्य शहरों में भी जनसभाएँ आयोजित की गईं।

अहमदाबाद में श्री बी.के. मजूमदार की अध्यक्षता में जयप्रकाश चौक में एक जनसभा आयोजित हुई। दिन भर के उत्तेजनापूर्ण वातावरण के पश्चात् इस सभा में विशाल जनसमूह एकत्र हुआ था। सारे दिन बाबूभाई जशभाई पटेल की गिरफ्तारी की अफवाहें उड़ती रही थीं। श्री वसंतभाई गजेन्द्र गडकर एवं श्री दिनेशभाई शाह ने सभा को संबोधित किया। अन्य राज्यों से प्राप्त समाचारों की जानकारी उन्होंने उपस्थित लोगों को दी। श्रीमती गांधी द्वारा भारत की प्रजा को दी गई चुनौती को स्वीकार करते हुए उसके शांतिपूर्ण प्रतिरोध के लिए उन्होंने जनता का आह्वान किया। गुजरात में 'मोरचे' की लोकतांत्रिक सरकार होने के कारण इस संघर्ष में देश का नेतृत्व करने की नैतिक जिम्मेदारी गुजरात के कंधों पर थी, अतः इस जिम्मेदारी को निभाने का निर्णय किया गया। श्री वसंतभाई ने 'नवनिर्माण' के रंग से सराबोर युवाओं से अपील करते हुए कहा, 'याद रहे, पथराव से वातावरण को कलुषित न किया जाए।' इस अपील का प्रभाव भी आश्चर्यजनक रहा। खाड़िया जैसे उग्र क्षेत्र

ने भी शांतिपूर्ण प्रतिकार का परिचय दिया। मर मिटने पर उतारू गुजरात की यह संयम शक्ति अप्रतिम थी।

अधिकांश राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार हो चुके थे। २६ जून की देर रात तक अनेक कोशिशों के बावजूद किसी राष्ट्रीय नेता का संपर्क न हो पाया था। 'गुजरात लोक संघर्ष समिति' और 'केंद्रीय लोक संघर्ष समिति' के बीच का संपर्क भी छिन्न-भिन्न हो गया था। गुजरात पर भी कब और कैसी आपत्ति आ जाए, इसका अनुमान लगाना कठिन हो गया था। देश की परिस्थिति को देखते हुए गुजरात तूफानी समुद्र के बीच स्थित द्वीप के समान बिलकुल अलग-थलग पड़ गया था। आपातस्थिति के प्रभाव को अधिकाधिक व्यापक बनाने के लिए सरकार की ओर से शुरू की गई कार्रवाइयों को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर किसी भी समय हमला हो सकता था।

गुजरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक श्री केशवरावजी देशमुख आपातकाल की घोषणा के समय जामनगर जिले के दौरे पर थे। वे भी अपने दौरे को बीच में ही रोककर अहमदाबाद वापस आ गए। संघ के कुछ प्रमुख कार्यकर्ता भी उपलब्ध जानकारी के सहारे वस्तुस्थिति का आकलन करने के लिए एकत्र हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिबंधित किया जाएगा, यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था।

नई व्यवस्थाएँ

संघ पर प्रतिबंध लगाए जाने के पहले ही संगठन की संपर्क-शृंखला को आयोजनबद्ध कर लेने का निर्णय किया गया। इस नई व्यवस्था से संबद्ध आवश्यक सूचनाओं को लेकर कार्यकर्ता प्रत्येक जिले में पहुँच गए। ३० जून से पहले ही प्रांत के प्रमुख स्थानों के बीच नई व्यवस्था का तंत्र बिछा लिया गया। संघ के कार्यालयों को गुप्त स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया। तभी ३० जून के दिन श्री बालासाहब देवरस की गिरफ्तारी का समाचार आया। अब संघ पर प्रतिबंध लगना निश्चित था।

२६ जून से ही भूमिगत हो चुके 'केंद्रीय लोक संघर्ष समिति' के मंत्री श्री नानाजी देशमुख एवं अन्य बचे हुए केंद्रीय नेता देश के सभी राज्यों से संपर्क करने को प्रयत्नशील थे। उन आरंभिक दिनों में दिल्ली में ही रहते हुए यह कार्य कर पाना बहुत ही कठिन था। दिल्ली में ही रहनेवाले भूमिगत नेताओं के लिए भी परस्पर संपर्क स्थापित कर पाना संभव न हो पाया था। अतः इस कार्य में गुजरात कितना उपयोगी सिद्ध हो सकता है, इन संभावनाओं को जाँचने के लिए दिल्ली से जनसंघ

के एक भूमिगत कार्यकर्ता श्री रामभाई गोडबोले अहमदाबाद आए। उनके पास दिल्ली के वातावरण की विस्तृत जानकारी थी। उन्होंने गुजरात के सभी अग्रगण्य नेताओं से मुलाकात कर बदली हुई परिस्थिति पर उनके साथ विचार-विमर्श किया। गुजरात की अनुकूल परिस्थितियों का इस लड़ाई में कितना उपयोग किया जा सकता है, इस बारे में भी सोचा गया। उनके आने से गुजरात के लिए दिल्ली में रह रहे नानाजी देशमुख के साथ संपर्क स्थापित कर पाना संभव हो सका।

बदली हुई परिस्थिति पर विचार करके नई व्यूह-रचना करने के लिए अहमदाबाद में गुजरात जनसंघ के प्रांत भर के कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में एक बात पर तो सभी एकमत थे कि श्रीमती गांधी गुजरात सरकार को पदच्युत करके सोते हुए साँप को जगाने का दुःसाहस कदापि नहीं करेंगी। दूसरा मंतव्य यह भी था कि श्रीमती गांधी मोरचा सरकार को पदच्युत करने की बजाय अपनी स्थिति मजबूत होने पर पक्षांतरण के हथकंडों के जरिए मोरचा सरकार को परास्त करना अधिक पसंद करेंगी। इन संभावनाओं के बावजूद आनेवाली किसी भी विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार रहने का निर्णय भी किया गया।

गुजरात के सामने अब दो प्रकार से आपातस्थिति का सामना करने की स्थिति आन पड़ी थी। सबसे पहले तो गुजरात को प्रतिकार शक्ति को निरंतर सचेतन बनाए रखना था; दूसरा कार्य था, देश के अन्य राज्यों में शुरू हुए भूमिगत आंदोलन एवं भूमिगत कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए रखते हुए देश के साथ संयोजन स्थापित करने का। प्रतिकार शक्ति को सचेतन बनाए रखने के कार्य में तो 'गुजरात लोक संघर्ष समिति' पर्याप्त रूप से सक्रिय थी, परंतु केंद्र एवं अन्य राज्यों से संबंध बनाए रखने के लिए नए सिरे से विशेष व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता थी। सभी राज्यों से संपर्क स्थापित कर जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए एक विशाल संगठन की आवश्यकता थी। आर.एस.एस. एवं जनसंघ के लिए यह कार्य अधिक आसान था। उन्होंने गुजरात में प्रतिकार के आयोजनों के साथ-साथ अन्य राज्यों से संपर्क स्थापित करने का कार्य भी अपने जिम्मे ले लिया।

प्रकरण-३

प्रतिकार का प्रथम घोष

आरंभिक उत्तेजना की अभिव्यक्ति हो चुकी थी और अब फूँक-फूँककर आगे बढ़ने का समय आ चुका था। 'केंद्रीय लोक संघर्ष समिति' द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के कार्यक्रम घोषित किए गए।

'गुजरात सर्वोदय मंडल' की एक बैठक अहमदाबाद में आयोजित हुई। इसमें श्रीमती गांधी के अलोकतांत्रिक तरीकों का विरोध किया गया तथा महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए अहिंसक तरीकों से गुजरात भर में व्यापक प्रतिकार एवं प्रजा को जाग्रत करने का निर्णय लिया गया।

चूँकि गुजरात में मोरचा सरकार होने के कारण सभाओं-रैलियों पर प्रतिबंध नहीं था। २९ जून की शाम को अहमदाबाद के राजभवन की ओर कूच का आयोजन किया गया। कु. मणी बहन पटेल एवं श्री भोगीभाई गांधी के नेतृत्व में आयोजित इस कूच में पाँच हजार नागरिकों ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि गुजरात के राज्यपाल श्री के.के. विश्वनाथन को एक आवेदन-पत्र दिया गया, जिसमें आपातकाल को शीघ्र निरस्त कर लोकतंत्र के पुनःस्थापन की माँग की गई थी। गुजरात की जनता की इस भावना को केंद्र सरकार तक पहुँचाने के लिए राज्यपाल महोदय से प्रार्थना भी की गई।

गुजरात के बुजुर्ग जनसेवक पूज्य रविशंकर महाराज ने श्रीमती गांधी को एक तार द्वारा अपनी मनोव्यथा से अवगत कराया। राष्ट्र एवं श्रीमती गांधी दोनों ही के हित के लिए लोकतंत्र की पुनः प्रतिष्ठा की उन्होंने माँग की। उनके अलावा भी गुजरात के कई जाने-माने व्यक्तियों ने अपना विरोध व्यक्त किया।

जनता मोरचा जनता के साथ

उन दिनों गुजरात सरकार पर खतरा मँडरा रहा था। सरकार का तनिक भी सिर उठाना उसके लिए आपत्तियों को न्योता देने के बराबर था। ऐसी विकट स्थिति में भी सरकार ने प्रतिकार शुरू करने का निश्चय किया। गुजरात सरकार ने 'मीसा' एवं जनसभाओं पर प्रतिबंध के केंद्र सरकार के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। प्रतिकार के पहले प्रयत्न के रूप में ३० जून को गुजरात जनता मोरचा विधानसभा पक्ष ने आपातकाल के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में शांतिपूर्ण तरीकों से प्रतिकार कर रही जनता का अभिवादन किया गया और लोकतंत्र की पुनःस्थापना के उद्देश्य से चल रही शांत एवं अहिंसक लड़ाई को अपने सक्रिय सहयोग की घोषणा की गई।

मोरचा सरकार के रहते वैसे तो आपातकाल के क्रूर प्रभावों से गुजरात के नागरिक बचे हुए थे। उनके नागरिक अधिकार भी अब तक सुरक्षित थे। किंतु रेडियो एवं टी.वी. पर दिन-रात चलनेवाला अपप्रचार सभी को खटकता था। इस अपप्रचार का विरोध करने के लिए 'लोक संघर्ष समिति' के कार्यकर्ताओं द्वारा आकाशवाणी के अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट एवं भुज केंद्रों के बाहर धरने दिए गए। इस कार्यक्रम में सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया। अहमदाबाद के आकाशवाणी केंद्र के सामने प्रतीकात्मक 'जनवाणी' पर से विशेष समाचार बुलेटिन पढ़ने के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

शहीदों की स्मृति में...

देश पर आन पड़े इस अप्राकृतिक संकट और गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन के शहीदों की शहादत के बीच एक रिश्ता था। जिन बुराइयों एवं अनाचारों का प्रतिकार करते हुए इन शहीदों ने कुरबानियाँ दी थीं, उन्हीं कारणों की ऐबपोशी के लिए आपातकाल का यह संकट खड़ा किया गया था। 'गुजरात लोक संघर्ष समिति' ने इसी से संबद्ध एक भावनात्मक कार्यक्रम का आह्वान किया। तय किया गया कि गुजरात की जनता नवनिर्माण के शहीदों के स्मारकों पर जाकर लोकतंत्र की पुनःस्थापना हेतु आपातकाल का प्रतिकार करने की प्रतिज्ञा लेगी।

गुजरात भर के गाँवों-शहरों में बने सौ से भी अधिक शहीद-स्मारकों पर जाकर गुजरात के हजारों नागरिकों ने शहीदों की शहादत को व्यर्थ न जाने देने की शपथ ली—'इस महान् राष्ट्र की स्वतंत्रता व अखंडता तथा प्रजा के मूलभूत गणतांत्रिक अधिकारों' की रक्षा हेतु आवश्यक तमाम बलिदान देने का प्रण भी किया गया।

प्रकरण-४

प्रतिबंध और भूगर्भवास

३० जून को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री बालासाहब देवरस की गिरफ्तारी से संघ पर प्रतिबंध लगना लगभग तय हो चुका था।

आनेवाली परिस्थितियों से निपटने की रणनीति तय करने के लिए गुजरात राज्य के करीब पचास प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक बैठक अहमदाबाद में हुई। इस बैठक में विशेष रूप से उपस्थित रहने के लिए संघ के क्षेत्र प्रचारक श्री लक्ष्मण रावजी इनामदार हवाई जहाज से नागपुर से अहमदाबाद आ गए। दिल्ली से आए भूमिगत नेता श्री रामभाऊ गोडबोले भी इस बैठक में उपस्थित थे।

अनेक विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। संघ पर प्रतिबंध लगने की स्थिति में गुजरात में भी खुलेआम काम करना संभव नहीं हो पाएगा। अतः इस स्थिति में गुजरात में भी भूमिगत रहते हुए या गिरफ्तारी से बचते हुए बाहर रहकर प्रमुख कार्यकर्ता कार्य करेंगे, यह निर्णय लिया गया।

भूमिगत अवस्था के दौरान प्रवास एवं मुलाकातों के स्थान, पत्राचार के पते व दूरभाष के उपयोग के स्थान अत्यंत सावधानी के साथ चुनने होते हैं। संघ के विशाल संगठन के कारण ये व्यवस्थाएँ अत्यंत सरलतापूर्वक उपलब्ध हो सकी थीं। जिला स्तरीय प्रमुख कार्यकर्ताओं के छद्म नाम एवं अन्य सारी व्यवस्थाएँ भी उसी दिन पूरी कर ली गई थीं।

नागपुर से आए वकील साहब लक्ष्मण रावजी इनामदार ने महाराष्ट्र एवं नागपुर के समाचार दिए। बदली हुई स्थितियों में गुजरात का केवल अपने बारे में सोचना उचित नहीं था। उसे देश के अन्य राज्यों के लिए किस प्रकार से अधिकाधिक उपयोगी किया जाए, इस बारे में भी सोचना था।

इसी सोच के तहत देश भर में स्थित चार संपर्क केंद्रों—अहमदाबाद, बंगलौर, बंबई एवं दिल्ली के मध्य संपर्क कड़ी के रूप में अहमदाबाद कार्य करेगा, यह निर्णय लिया गया। गुजरात के एक अल्प परिचित स्वयंसेवक श्री के. * को यह कार्यभार दिया गया। तय किया गया कि वे हर दस दिन के अंतराल पर हवाई रास्ते से इन केंद्रों के दौर करेंगे और वहाँ के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से निश्चित स्थानों पर मिलेंगे। इस कार्य में अत्यंत सावधानी एवं साहस की आवश्यकता थी। उनके साथ कई महत्वपूर्ण कागजात भी रहा करते थे। शुरू के कुछ दिनों तक हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था भी अधिक चौकस हुआ करती थी। इस स्थिति में साथ के गोपनीय कागजात पकड़े न जाएँ, इस बात की सावधानी भी उन्हें रखनी पड़ती थी।

अहमदाबाद में आयोजित इस बैठक में तय किया गया कि प्रतिबंध की घोषणा के तीसरे दिन अहमदाबाद में एक निश्चित स्थान पर प्रतिबंध पश्चात् की सारी जानकारी के साथ सभी विभाग प्रचारक (संघ की संरचनानुसार दो या तीन जिले जुड़कर एक विभाग बनता है) इकट्ठा होंगे। इस निर्णय के साथ सभी २ जुलाई की शाम अपने-अपने स्थान के लिए रवाना हुए।

सौराष्ट्र की स्थिति का जायजा लेने के लिए वकील साहब राजकोट के लिए रवाना हुए।

३ तारीख की शाम बंबई से श्री केशवरावजी देशमुख के लिए एक टेलीफोन संदेश आया—'श्री * आवश्यक सूचनाएँ लेकर सवेरे अहमदाबाद आ रहे हैं।' श्री देशमुखजी ४ जुलाई की सुबह इस आगंतुक संदेशवाहक के इंतजार में कार्यालय में बैठे थे। मैं और नाथाभाई झगड़ा नए ठिकाने की व्यवस्था करने के लिए बाहर गए हुए थे।

दोपहर के बारह बजे थे। हम दोनों यथोचित वैकल्पिक व्यवस्था कर स्कूटर से वापस लौटे। कार्यालय के पास पहुँचते ही हमने देखा कि वहाँ एक पुलिस वैन खड़ी है। दूर से ही देखने पर पता चला कि पुलिस वैन में संघ के प्रांत प्रचारक बैठे हैं। सारे कार्यालय को पुलिस ने घेर रखा था। संघ के कार्यालय में मरम्मत का काम चल रहा था। इस काम के लिए आए हुए मजदूर कार्यालय के बाहर खड़े दिखाई दिए। स्पष्ट था कि कार्यालय पर पुलिस ने कब्जा कर लिया था। इस स्थिति में हमारा वहाँ खड़ा रहना खतरे से खाली नहीं था। हमने स्कूटर की गति बढ़ा दी,

* तारकित नाम गोपनीय रखने की दृष्टि से पूरे नहीं दिए गए हैं।

अपनी गतिविधियों में व्यस्त होने के कारण पुलिस की निगाह हम पर नहीं पड़ी। सुरक्षित स्थान पर पहुँचने पर हमने अपना स्कूटर पास ही के एक परिचित के घर पर छुपा दिया। तत्पश्चात् ऑटो में बैठकर कुछ ही दिनों से परिचित श्री ब.प.* के घर पहुँचे। अब तक गुजरात में हो रही इन गिरफ्तारियों की कोई जानकारी हमारे पास नहीं थी।

हमने फोन पर पूछताछ की तो पता चला कि संघ एवं अन्य पच्चीस संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फोन द्वारा ही हमने गुजरात के हर जिले तक यह जानकारी पहुँचाई। शाम होने तक तो गुजरात के और भी कई मुख्य नगरों से संघ के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के समाचार आने लगे।

संघ के प्रांत प्रचारक श्री केशवरावजी देशमुख की गिरफ्तारी के समय उनके पास बंबई से श्री* द्वारा पहुँचाए गए गोपनीय कागजात भी होंगे, इस बात का स्मरण होते ही हमने उन गोपनीय कागजातों को निकलवाने की योजना बनाई।

मणीनगर की एक बहन को दोपहर का चाय-नाश्ता लेकर मणीनगर पुलिस स्टेशन में कैद श्री देशमुखजी से मिलने के लिए भेजा गया। उनके साथ के झोले में अखबार, पुस्तकें इत्यादि भी भेजे गए। उन बहन को वहाँ जाकर क्या करना है, इस बात की सूचना भी उन्हें दी गई। उन्होंने पुलिस की नजर बचाकर देशमुखजी के हैंडबैग में रखे सभी कागज निकालकर, अपने झोले के अखबार-पुस्तकों के बीच छुपाकर रख लिये और इस प्रकार आसानी से वे कागजात हम तक सुरक्षित पहुँच गए।

ये कागजात अत्यंत महत्वपूर्ण थे। गुजरात में भूमिगत गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक कुछ महत्वपूर्ण पत्रों के अलावा बंबई से श्री* के साथ आया संघ के सरसंघचालकजी द्वारा जेल जाने से पूर्व लिखा गया पत्र भी उन कागजातों में शामिल था। इस पत्र में श्री देवरसजी ने प्रतिकार के लिए स्वयंसेवकों का आह्वान किया था और संघ के सभी प्रचारकों के लिए भूमिगत रहते हुए आंदोलन की जिम्मेदारी सँभालने की सूचना भी दी गई थी।

शाम तक एक बात स्पष्ट हुई कि प्रतिबंधित संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को डी.आई.आर. के तहत गिरफ्तार किया गया था और उनकी जमानत हो सकती थी। गुजरात के सभी कार्यकर्ताओं ने जमानत पर रिहा होकर प्रतिकार का कार्य आगे बढ़ाने का निश्चय किया। अधिकांश कार्यकर्ता दो-तीन दिन में ही जमानत

* तारकित नाम गोपनीय रखने की दृष्टि से पूरे नहीं दिए गए हैं।

पर रिहा हो गए।

गुजरात में मोरचा शासन की स्थिति भी अब डगमगाती प्रतीत हो रही थी। अतः प्रचारकों को डी.आई.आर. के तहत गिरफ्तारी से भी अपने आपको बचाने की सूचना दी गई। मोरचा सरकार के कार्यकाल में ही, जिनके लिए डी.आई.आर. के तहत वारंट निकल चुके थे, वैसे संघ के करीब उनतीस प्रचारकों के साथ अन्य प्रचारकों ने भी भूमिगत हो जाना जरूरी समझा। अन्य कई ऐसे प्रचारक भी थे जिनके बारे में सरकार को जानकारी न होने से उनके वारंट नहीं निकले थे।

□

कठई हापसीस हाडर

मोरचा शासन के अंत में मोरचा शासन की स्थिति भी अब डगमगाती प्रतीत हो रही थी। अतः प्रचारकों को डी.आई.आर. के तहत गिरफ्तारी से भी अपने आपको बचाने की सूचना दी गई। मोरचा सरकार के कार्यकाल में ही, जिनके लिए डी.आई.आर. के तहत वारंट निकल चुके थे, वैसे संघ के करीब उनतीस प्रचारकों के साथ अन्य प्रचारकों ने भी भूमिगत हो जाना जरूरी समझा। अन्य कई ऐसे प्रचारक भी थे जिनके बारे में सरकार को जानकारी न होने से उनके वारंट नहीं निकले थे।

प्रकरण-५

प्रथम भूमिगत बैठक

पूर्व निर्धारित योजनानुसार प्रतिबंध लगने के तीसरे दिन ७ जुलाई की रात्रि को संघ के विभाग प्रचारकों की एक बैठक अहमदाबाद में हुई।

संघ में 'प्रचारक' शब्द सर्वविदित है। परंतु अन्य लोगों को इस बारे में अधिक जानकारी नहीं है। अपना घर, परिवार इत्यादि छोड़कर केवल संघ के ही कार्य में चौबीसों घंटे लगे रहनेवाले व्यक्ति को संघ की शब्दावली में 'प्रचारक' कहा जाता है। इन प्रचारकों का एक वर्ग संपूर्ण भारत में फैला हुआ है। भूमिगत अवस्था के दौरान प्रचारकों ने जो भूमिका निभाई एवं भूगर्भ प्रवृत्ति को जिस प्रकार उन्होंने आगे बढ़ाया उससे श्री मोरारजीभाई तक बहुत प्रभावित हुए थे। ऐसे समर्पित प्रचारकों की गुजरात में यह प्रथम बैठक थी।

मोरचा की लोकतांत्रिक सरकार होने के बावजूद गुजरात की पुलिस के मन-मस्तिष्क पर आपातकाल हावी हो चुका था। इसके अलावा, चूँकि संघ एक प्रतिबंधित संगठन था, अतः उसके कार्यकर्ताओं द्वारा बैठक किए जाने की स्थिति में उन्हें सात साल की सजा तक हो सकती थी। इन सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बैठक के आयोजन में पूरी सावधानी बरती गई।

दिन—७ जुलाई

समय—रात के साढ़े आठ बजे

स्थान—मणीनगर के एक कार्यकर्ता का घर।

घर के बाहरी किवाड़ बंद हैं। बाहरी कमरे की रोशनी भी बुझा दी गई है। बाहर आँगन के एक अँधेरे कोने में परिवार की ही एक बहन बैठी हुई हैं। आगंतुक दबी आवाज में अपना 'कोड वर्ड' बताते हैं। बहन उन्हें पिछले दरवाजे से भीतर जाने

का निर्देश देती हैं। निश्चित समय तक सभी लोग आ पहुँचते हैं। एकत्र हुए सभी डी.आई.आर. की वॉटेड लिस्ट में दर्ज संघ प्रचारक हैं। पुलिस एवं परिचितों की निगाह से बचने के लिए सभी ने आवश्यक वेश-परिवर्तन किया हुआ है। आवाज बाहर न जा सके, इसके लिए बंद खिड़की के पास रखा रेडियो ऑन कर दिया गया है। सभी सावधानियों को परख लेने व आश्वस्त हो जाने के बाद शुरू होती है बैठक...

ऐसे अवसरों पर सीमित समय में अधिक-से-अधिक काम निपटाना होता है। मीटिंग में एक के बाद एक गुजरात के सभी जिलों की जानकारी का आदान-प्रदान हुआ। गुजरात के प्रमुख नगरों में संघ के जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया गया था। संघ के प्रचारकों को ढूँढ़ा जा रहा था। प्रांत भर में संघ के बाईस कार्यालयों पर पुलिस ने छापे मारकर उन पर कब्जा कर लिया था। सारे प्रांत से प्रतिबंधित संस्थाओं के कुल एक सौ सड़सठ कार्यकर्ताओं को डी.आई.आर. के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनमें से एक सौ इकतालीस संघ के कार्यकर्ता थे।

अन्य प्रतिबंधित संस्थाओं में प्रमुख संस्थाएँ आनंद मार्ग, प्राडटिस्ट ब्लॉक और जमाअत-ए-इसलामी थीं। आनंद मार्ग के कार्यकर्ता अधिकांशतः हिम्मतनगर, सूरत, भुज और अहमदाबाद से; जबकि जमाअत-ए-इसलामी के कार्यकर्ता अहमदाबाद, वडोदरा एवं धोलका से पकड़े गए थे।

संघ के गिरफ्तार कार्यकर्ताओं में अहमदाबाद से प्रांत प्रचारक श्री केशवराव देशमुख, प्रांत कार्यवाह श्री रतिभाई शाह, नगर संघचालक डॉ. आर.के. शाह, प्रांत व्यवस्था प्रमुख श्री बचुभाई भगत; राजकोट से प्रांत संघचालक डॉ. पी.वी. दोशी, प्रांत शारीरिक प्रमुख श्री प्रवीणभाई मणियार, विभाग कार्यवाह श्री यशवंतभाई भट्ट; सूरत से विभाग कार्यवाह श्री चंपकभाई सुखडिया, वडोदरा से विभाग संघचालक श्री बाबूभाई ओझा, जिला कार्यवाह श्री शरदभाई भोसेकर के अलावा गुजरात भर से अन्य अनेक स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

कई स्थानों पर गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में ही कार्यालयों की तलाशी ली गई। महत्त्वपूर्ण फाइल इत्यादि दस्तावेजों को सरकार ने जाँच हेतु अदालत के सुपुर्द भी किया। ४ जुलाई को गिरफ्तार किए गए कई कार्यकर्ताओं को ७ जुलाई तक जमानत पर भी नहीं छोड़ा गया था। बाद में मिली जानकारी के अनुसार कई मामलों में तो पंद्रह दिनों तक जमानत की दरखास्त तक मंजूर नहीं की गई थी। वेरावल के एडवोकेट श्री किशोर कोटक की जमानत दरखास्त एक माह तक लंबित रखी गई थी। तब तक उन्हें जेल में ही रहना पड़ा था। इस प्रकार इस मीटिंग से कई तरह की जानकारी प्रांत-केंद्र को मिली।

इन बदले हालातों में काम किस प्रकार किया जाए, इस पर भी विचार-विमर्श हुआ। एक महत्त्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया कि संघ के सभी स्वयंसेवक 'लोक संघर्ष समिति' के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे तथा संघर्ष समिति के सभी कार्यों को सफल बनाने के लिए सक्रियतापूर्वक प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा इस बैठक में जो निर्णय लिये गए, वे थे—

- ✱ प्रतिबंध के बावजूद संघ को जीवंत बनाए रखने के लिए भिन्न-भिन्न नामों से खेल क्लब, भजन मंडलियाँ, सेवा मंडल इत्यादि की रचना कर संघ पद्धति के अनुसार दैनंदिन एकत्रीकरण के कार्यक्रम नए स्वरूप में जारी रखे जाएँ।
- ✱ नियमित रूप से लोगों से संपर्क कायम रखते हुए उन तक समाचारों को पहुँचाया जाए। स्वयंसेवकों का बरताव निडरतापूर्ण हो, ताकि संपूर्ण समाज को निडर बनाया जा सके।
- ✱ प्रति सप्ताह हर एक विभाग से एक कार्यकर्ता अपने विभाग की संघ एवं संघर्ष से संबंधित सूचनाएँ लेकर अहमदाबाद आए तथा लौटते समय केंद्र की ओर से दी जानेवाली सूचनाएँ एवं साहित्य अपने विभाग तक लेकर जाए।
- ✱ सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए स्थान अहमदाबाद के एक छोटे उद्योगपति श्री रू. * का कार्यालय होगा।
- ✱ संपर्क स्थान पर आनेवालों के लिए एक 'कोड वर्ड' तय किया गया। संघ के एक प्रचारक श्री महेंद्रभाई भट्ट उर्फ श्री बटुकभाई को इस संपर्क कार्यालय पर नियमित रूप से उपस्थित रहने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
- ✱ प्रत्येक विभाग-केंद्र में भी ऐसे गुप्त स्थान तय किए जाएँ, जहाँ जिले भर की सूचनाएँ एकत्रित की जा सकें।
- ✱ भूमिगत कार्यकर्ताओं एवं उन्हें सहायता करनेवाले अन्य कार्यकर्ताओं को छद्म नाम दिए गए।

इस प्रकार, अनेक छोटी-से-छोटी सतर्कतापूर्ण व्यवस्थाओं का प्रबंध कर मीटिंग का समापन किया गया। प्रथम भूमिगत बैठक निर्विघ्न संपन्न होने से सभी संतुष्ट थे। हालाँकि बाद में हम सभी इस प्रकार की बैठकों के अभ्यस्त हो गए थे।

□

* तारांकित नाम गोपनीय रखने की दृष्टि से पूरे नहीं दिए गए हैं।

प्रकरण-६

राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह

'केंद्रीय लोक संघर्ष समिति' की ओर से समिति के संयोजक श्री नानाजी देशमुख ने २५ जून की दिल्ली की ऐतिहासिक सभा में श्रीमती गांधी के त्यागपत्र की माँग के साथ २९ जून से राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया। परंतु उसी रात (२५ जून की रात) समग्र देश मानो एक बड़ी जेल में तब्दील हो गया था। परिणामतः व्यापक रूप से सामूहिक सत्याग्रह तो संभव न हो सके थे, पर कई प्रांतों में प्रतीकात्मक रूप से व्यक्तिगत सत्याग्रह नियमित तौर पर होते रहे। अन्य प्रांतों की तुलना में गुजरात की स्थिति भिन्न थी। 'गुजरात लोक संघर्ष समिति' ने सत्याग्रह के कार्यक्रम को प्रभावी रूप से अमल में लाने का निर्णय किया, जिसके अनुसार १५ से २६ जुलाई तक गुजरात के सभी जिला केंद्रों पर पाँच-पाँच कार्यकर्ताओं के गुट द्वारा दैनिक रूप से सत्याग्रह करने की योजना बनाई गई।

माहौल में गरमाहट

सत्याग्रह को व्यापक व प्रभावी बनाने के लिए गुजरात में कई सभा-रैलियों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के अमलीकरण में दक्षिण गुजरात अधिक सक्रिय रहा।

नवसारी में विद्यार्थी-कार्यकर्ता एकत्र होकर रोजाना गली-मोहल्लों में रैलियों का आयोजन करते थे। सूरत में ७ जुलाई को युवा मोरचा एवं 'लोक संघर्ष समिति' द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई। बारदोली में भी 'लोक संघर्ष समिति' द्वारा ५ जुलाई के दिन एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। सरदार पटेल की प्रतिमा के सम्मुख

इस रैली में लोगों ने शांतिपूर्ण प्रतिकार की शपथ ली। वडोदरा और नडियाद में भी विशाल सभाएँ आयोजित की गईं।

११ जुलाई को अहमदाबाद में करीब दो सौ पचास कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र की बंधनावस्था के प्रतीक के रूप में मुँह पर ताले के चिह्न के साथ मौन रैली निकाली। दूसरे दिन रास्तों पर चल रहे वाहनों पर संविधान के आमुख की प्रतियाँ चिपकाई गईं। इसके अलावा शाम को रूपाली थिएटर के पास एवं रायपुर चकला इलाके में सार्वजनिक रूप से संविधान के आमुख के पठन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। लाल दरवाजा के पास स्थित सरदार बाग में विद्यार्थियों द्वारा रैली निकाली गई। १५ जुलाई से शुरू होनेवाले सत्याग्रह की पूर्व रात्रि को सारे शहर में पंद्रह मिनट के घंटनाद का कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

इन सभी कार्यक्रमों की जानकारी सक्रिय कार्यकर्ताओं तक तो पहुँचाना आसान था; आम जनता तक भी यह जानकारी पहुँचाने के लिए संघ के स्वयंसेवकों द्वारा यथोचित प्रबंध किए जाते थे। प्रत्येक वॉर्ड के सूचनापट्ट पर हर नए समाचार एवं कार्यक्रमों की जानकारी नियमित रूप से लिखी जाती थी।

जनजागरण की इस प्रवृत्ति में सौराष्ट्र भी पीछे नहीं रहा। कच्छ क्षेत्र के रापर जैसे छोटे गाँव में भी काले झंडों के साथ बड़ी रैली निकाली गई। राजकोट में भी विशाल रैली एवं सभा का आयोजन किया गया। इन आयोजनों के उपरांत प्रतिदिन भिन्न-भिन्न स्थानों पर गुप्त बैठकों के द्वारा लोक-शिक्षा के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सावर कुंडला ने तो अपनी एक भूमिगत पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू कर दिया था। वडनगर जैसे छोटे से गाँव में डॉ. वसंत पारीख ने एक विशाल सभा को संबोधित किया।

इस प्रकार १५ जुलाई से आरंभ होनेवाले सत्याग्रह से पहले ही गुजरात के हर गाँव का माहौल उष्ण होने लगा था।

गुजरात में सभा-रैलियों पर प्रतिबंध न होने से सत्याग्रह को विशिष्ट शैली से करना आवश्यक जान पड़ा। यदि सेंसरशिप के कानून को भंग किया जाए, तभी सत्याग्रह लक्ष्य-सिद्धि में सफल हो सकता था। अतः गुजरात भर में सत्याग्रह की अभिव्यक्ति के लिए सेंसर न की गई पत्रिकाओं के सार्वजनिक पठन के कार्यक्रम व्यापक रूप से किए गए।

१५ जुलाई को गुजरात के सभी जिलों में सत्याग्रह कार्यक्रम एक साथ शुरू हुआ। अहमदाबाद में श्री नानशा ठाकोर, श्री देवजी भगत एवं श्री महेंद्र शाह के नेतृत्व में; वडोदरा में श्री हीरालाल पंड्या, श्री जशवंतसिंह चौहाण एवं श्री सुभाष

जगताप के नेतृत्व में हिम्मत नगर में श्री धीरूभाई देसाई के नेतृत्व में हजारों नागरिकों की उपस्थिति में सत्याग्रह किए गए। नवसारी में १७ जुलाई के दिन बहनों के एक दल ने सुश्री रतन बहन भगत के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। श्री वसंत गजेंद्र गडकर एवं श्रीमती विद्या बहन गजेंद्र गडकर ने इस अवसर पर उपस्थित रहकर सत्याग्रहियों को जेल के लिए विदा किया।

पारडी में आदिवासी कार्यकर्ता श्री मकनजी ने, पालनपुर में श्री अकबरभाई चावड़ा व श्री ईश्वरभाई मोदी ने गिरफ्तारियों को गले लगाया।

इस सत्याग्रह के लिए चार दिन से पंद्रह दिन तक की सजा सत्याग्रहियों को दी गई। वलसाड जिले का जिला कारागार तो सत्याग्रहियों से खचाखच भर गया था।

इस सत्याग्रह में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। बीस साल के विद्यार्थियों से लगाकर सूरत के सत्तर वर्षीय नेमा काका भी सत्याग्रह करनेवालों में शामिल थे। ग्यारह दिन चले इस सत्याग्रह में गुजरात भर के करीब चार सौ सत्याग्रहियों ने हिस्सा लिया।

सत्याग्रहियों को दंडित करने की प्रक्रिया में भी कई विषमताएँ थीं। कई स्थानों पर तो सत्याग्रहियों को 'अंडर ट्रायल' स्थिति में ही पंद्रह-पंद्रह दिनों तक जेल में रखा जाता था; कई जगहों पर उन्हें पंद्रह दिन से एक माह तक के कारावास की सजा दी गई थी। अहमदाबाद की अदालतों ने सत्याग्रह को लोकतंत्र का पूरक एवं अनिवार्य तत्त्व मानकर सत्याग्रहियों को मुक्त कर देने जैसे ऐतिहासिक फैसले भी दिए।

जेल से रिहा होकर आनेवाले सत्याग्रहियों का जनता द्वारा भव्य स्वागत किया जाता। सत्याग्रहियों को जेल के लिए विदा करना एवं उनके रिहा होकर लौटने पर उनका स्वागत करना—ये दोनों बातें प्रजा की निडरता का प्रमाण थीं।

□

प्रकरण-७

मोरचा मंत्रिमंडल ने भी मोरचा सँभाला

श्रीमती गांधी द्वारा थोपा गया आपातकाल २६ जुलाई को एक माह पूरा कर रहा था। इस दिन 'लोक संघर्ष समिति' एवं 'जनता मोरचा' के संयुक्त तत्त्वावधान में गुजरात भर में हड़ताल का आह्वान किया गया। स्वयं शासक दल द्वारा ही इस प्रकार की हड़ताल की घोषणा गुजरात की जनता के लिए एक नया अनुभव था।

२६ जुलाई से पहले ही इस गुजरातव्यापी हड़ताल के समाचार भूमिगत पत्रिकाओं एवं संदेशवाहकों द्वारा जन-जन तक पहुँच चुके थे। पुनः एक बार जनमानस में चेतना की लहर दौड़ गई थी। सभी राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कृत-संकल्प थे। भय और हताशा के भाव लुप्त हो चुके थे।

हड़ताल के दिन गुजरात के शहरों, नगरों, छोटे-छोटे गाँवों तक में बाजार, स्कूल-कॉलेज बंद रहे। अनेक जगहों पर विशाल रैलियाँ करके प्रजा ने आपातकाल का विरोध किया। अहमदाबाद में इस विरोध के समर्थन में एक विशाल 'जनता रैली' का आयोजन हुआ। इसका नेतृत्व जनता मोरचा के नेताओं एवं निर्दलीय कार्यकर्ताओं ने किया। शहर के राजमार्गों को रौंदती हुई इस रैली ने प्रशासन समेत सभी को यह अनुभूति करा दी कि लोगों पर से भय और निराशा की गिरफ्त अब ढीली हो रही थी।

इस रैली ने काँकरिया, फुटबॉल मैदान पर पहुँचकर जनसभा का रूप ले लिया। पचास-साठ हजार से भी अधिक के जनसमूह को जनता सरकार के नेता श्री बाबूभाई जशभाई पटेल ने सवा घंटे तक संबोधित किया था। अपने भाषण में श्री बाबूभाई ने निडरतापूर्वक आपातकाल का घोर विरोध करते हुए श्रीमती गांधी की

खिल्ली उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। नतीजा यह हुआ कि 'मोरारजी जेल में, बाबूभाई महल में' के सूत्रोच्चार करनेवाली जनता को अपने नेता की निडरता के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और संघर्ष के समय में भी निर्भीक नेतृत्व देने की उनकी क्षमता देखकर जनता स्वयं चैतन्यमयी हो उठी।

इस विशाल जनसभा में श्री बाबूभाई ने उपस्थित जन-समूह को संकल्प लेने हेतु आह्वान करते हुए अपने प्रवचन के दौरान ही एक लिखित संकल्प-पत्र का पठन किया और जन-समूह को खड़ा कर सभी से उस पत्र का पुनरोच्चार करवाया। संकल्प-पत्र में स्पष्ट घोषणा की गई थी कि—

'आज की इस जनता रैली में हिस्सा ले रहे हम, भारतीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के नागरिक, भारत के महामहिम राष्ट्रपतिजी से साग्रह माँग करते हैं कि देश से आपातकाल की स्थिति को तुरंत समाप्त किया जाए, हमारे मूलभूत अधिकार लौटाए जाएँ और देश में लोकतंत्र की पुनःस्थापना की जाए। इस माँग के स्वीकार हेतु शांत, संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक तरीकों से हर तरह का पुरुषार्थ करने का हम संकल्प करते हैं।'

इस दिन अहमदाबाद की तरह ही गुजरात के हर जिला मुख्यालय पर मोरचा सरकार के एक-एक मंत्री एवं लोक संघर्ष समिति के हर एक कार्यकर्ता ने विशाल सभाओं को संबोधित किया। खेड़ा में श्री शंकरभाई वाघेला एवं श्री हरीश पटेल; महेसाणा में श्री मोतीभाई चौधरी, श्री जयंतीभाई बारोट एवं श्री चंदुभाई रावल; जूनागढ़ में श्रीमती हेमा बहन आचार्य; भावनगर में श्री चंद्रकांतभाई दरु एवं श्री लल्लूभाई शेट; भरूच में श्री मकरंदभाई देसाई एवं श्री कनुभाई शाह; सूरत में श्री पोपटलाल व्यास; साबरकाँठा में श्री हरिसिंह चावड़ा एवं श्री दत्ताजी चिरंदास; पंचमहाल में श्री माणिकलाल गांधी एवं श्री आर.के. अमीन; कच्छ में श्री मोहनसिंह राठवा श्री लेखराज बचाणी तथा श्री शंकरसिंह वाघेला; राजकोट में श्री केशूभाई पटेल, श्री अरविंदभाई मणियार एवं श्री चिमनभाई शुक्ल; वलसाड़ में डॉ. केशवभाई पटेल तथा सुरेंद्र नगर में श्री नवलभाई शाह इत्यादि ने इन सभाओं को संबोधित किया था। इन सभाओं में गुजरात के करीब पाँच लाख नागरिकों ने संघर्ष के संकल्प-पत्र का उद्घोष किया था और बलिदान हेतु प्रतिज्ञाएँ भी लीं।

इन कार्यक्रमों की सफलता के लिए वयोवृद्ध गांधीवादी नेता आचार्य श्री कृपलानी ने भी अथक प्रयत्न किए थे। उन्होंने २५ जलाई को अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय के परिसर में विद्यार्थियों की एक रैली को संबोधित कर विद्यार्थियों को हड़ताल व जनता रैली को सफल बनाने हेतु जी-जान लगा देने के

लिए आह्वान किया।

‘केंद्रीय लोक संघर्ष समिति’ की ओर से सार्वजनिक स्थानों एवं राजमार्गों पर आपातकाल के खिलाफ नारे एवं समाचार लिखने के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का ऐलान किया गया। इस कार्यक्रम के तहत गुजरात में भी जगह-जगह पर बड़ी मात्रा में नारे लिखे गए। संघ के कार्यकर्ताओं ने गुजरात के छोटे-से-छोटे गाँव तक पहुँचकर आपातकाल के विरोध में नारे लिखे और महत्त्वपूर्ण समाचारों को लिखने के लिए ब्लैकबोर्ड भी बनाए।

गुजरात में नारे लिखने का यह कार्यक्रम इतने बड़े पैमाने पर हुआ था कि श्रीमती गांधी के आपातकाल की तरफदारी करनेवाले ‘ब्लिट्ज़’ साप्ताहिक ने नारों को लेकर गुजरात की मोरचा सरकार के खिलाफ हो-हल्ला मचाने का प्रयत्न किया। नारों से आवरित दीवारों की तसवीरें भी प्रकाशित कीं। एक ओर कुछ गुजराती अखबार एवं ‘करंट’, ‘न्यू एज’, ‘लिंक’, ‘पेट्रियट’ जैसे अंग्रेजी अखबार गुजरात के बारे में शोरगुल मचा रहे थे तो दूसरी ओर गुजरात के कांग्रेसी नेता जयरामभाई पटेल, जशवंत मेहता, माधवसिंह सोलंकी इत्यादि भी इस बारे में चीख-चिल्ला रहे थे।

गुजरात में उन्हीं दिनों प्रचार का एक अनोखा प्रयोग किया गया। संघ के कार्यकर्ताओं ने गुजरात से अन्य राज्यों में आने-जानेवाली ट्रेन और बसों का प्रचार माध्यम के रूप में उपयोग किया। इस कार्य के लिए संघ के ही एक कार्यकर्ता श्री सुरेश निवासकर के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाई गई। गुजरात से महाराष्ट्र की ओर जानेवाली सभी ट्रेनों-बसों, अहमदाबाद से हावड़ा की ओर जानेवाली ट्रेनों, साबरमती से चलनेवाली वाराणसी एक्सप्रेस, अहमदाबाद से दिल्ली की ओर जानेवाली ट्रेनों, सौराष्ट्र से दिल्ली के लिए जुड़नेवाले डिब्बों, अहमदाबाद से उदयपुर-आबू-इंदौर जानेवाली बसों इत्यादि को आपातकाल विरोधी हिंदी व अंग्रेजी पोस्टरों एवं पत्रिकाओं से इस टीम ने पाट दिया। ये बसें व ट्रेनें जहाँ-जहाँ होकर गुजरीं वहाँ-वहाँ अपना प्रभाव छोड़ती गईं।

इस प्रकार के प्रचार में खतरे भी यद्यपि बहुत थे। रेलवे में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त ‘रेलवे सुरक्षा दल’ के सशस्त्र सैनिकों की नजरें बचाकर यह कार्य करना होता था। आपातस्थिति के दौरान इन सैनिकों को चोरी रोकने के बहाने किसी पर भी गोली चलाने की छूट मिली हुई थी। अतः अत्यंत सतर्कतापूर्वक रेल यार्ड में, जहाँ ट्रेनें रख-रखाव के लिए खड़ी की जाती हैं, पहुँचकर इस काम को अंजाम दिया जाता था। कई बार तो कार्यकर्ता रेल कर्मचारी का वेश पहनकर

प्रकरण-८

अगस्त से अक्टूबर

३ अगस्त को गुजरात के संघर्ष कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आपातस्थिति के बाद की परिस्थितियों एवं विरोध कार्यक्रमों की सूचना एकत्रित कर आगामी कार्यक्रमों के बारे में सविस्तार आयोजन किया गया।

९ अगस्त—क्रांति दिवस

स्वातंत्र्य संग्राम की स्मृतियों से जुड़े ९ अगस्त के दिन अहमदाबाद में श्री वसंतभाई गजेंद्र गडकर एवं श्री भोगीलाल गांधी के नेतृत्व में आपातकाल के खिलाफ नारे लगाता हुआ एक विशाल जुलूस आकाशवाणी केंद्र के सामने आ पहुँचा। वहाँ पहुँचकर जुलूस ने एक बड़ी सभा का रूप ले लिया। संघर्ष समिति के नेताओं ने अपने भाषणों में स्वातंत्र्य संग्राम की स्मृतियों को दोहराते हुए इस दूसरे स्वातंत्र्य संग्राम में संपूर्ण योगदान देने के लिए लोगों से अपील की। उसी समय शिक्षकों की प्रतिकार समिति की ओर से प्रा. श्री बबाभाई पटेल, श्री कनूभाई जानी एवं श्री के.डी. देसाई इत्यादि के नेतृत्व में स्व. विनोद किनारीवाला के शहीद-स्मारक से निकली एक और रैली भी आकाशवाणी केंद्र के पास आ पहुँची।

आकाशवाणी केंद्र के सामने इन दोनों रैलियों के करीब दो हजार की संख्यावाले जन-समूह के सामने 'जनवाणी' का पठन किया गया। सेंसर न की गई पत्रिकाओं का पठन सरकार के आपातकालिक कानूनों के अनुसार दंडनीय कार्य होने से श्री वसंत गजेंद्र गडकर के नेतृत्ववाले एक सौ एक सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सत्याग्रहियों में श्रीमती सुभद्रा बहन गांधी तथा श्रीमती

विद्या बहन गजेंद्र गडकर सहित आठ महिलाएँ भी शामिल थीं।

क्रांति दिवस के दिन भारी वर्षा के बावजूद जनता मोरचा के नेताओं एवं गुजरात के मुख्यमंत्री श्री बाबूभाई पटेल के नेतृत्व में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उपस्थित प्रत्येक नागरिक ने स्वातंत्र्य संग्राम के शहीदों की शहादत को व्यर्थ न जाने देने की प्रतिज्ञा ली।

एक अन्य कार्यक्रम में नवनिर्माण आंदोलन के नेता एवं विद्यार्थी परिषद् के प्रदेश संगठक श्री चंद्रकांत शुक्ल के नेतृत्व में विद्यार्थियों के एक बड़े जुलूस ने संपूर्ण क्रांति की शपथ ली।

वडोदरा में भी अहमदाबाद की तरह ही आकाशवाणी भवन के सामने सत्याग्रह किया गया। राजकोट में भी 'जनवाणी' पत्रिका पढ़कर इक्कीस कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। कई जगहों पर बड़े-बड़े जुलूसों का आयोजन किया गया। अहमदाबाद की 'शिक्षक प्रतिकार समिति' ने जनशिक्षा की कक्षाएँ इत्यादि अनेक कार्यक्रम चलाए।

अहमदाबाद में संघर्ष समिति की बैठक में ९ से १५ अगस्त तक सप्ताह भर 'लोकतंत्र पुनःस्थापना सप्ताह' मनाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार गुजरात के हर एक गाँव में प्रतीकात्मक सत्याग्रह किए गए। जन-चेतना को जीवंत रखने के लिए मोरचा सरकार द्वारा ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना था, जिनमें अधिक-से-अधिक लोग हिस्सा ले सकें।

स्वतंत्रता के बाद पहली बार अहमदाबाद के भद्र के किले पर 'जनता ध्वज वंदन' का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों सहित राजनीतिक तथा सामाजिक नेताओं एवं हजारों की संख्या में आम जनता ने इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। परंपरानुसार प्रतिवर्ष १५ अगस्त की पूर्व संध्या को आकाशवाणी के प्रादेशिक केंद्रों द्वारा अपने-अपने राज्य के मुख्यमंत्री का वायु संदेश प्रसारित किया जाता है; परंतु इस बार गुजरात के मुख्यमंत्री को अपना वायु संदेश प्रसारण के पहले सेंसर करवाने के लिए कहा गया। इस शर्त के विरोध में श्री बाबूभाई ने प्रसारण का बहिष्कार किया।

ध्वजारोहण के कार्यक्रम में श्री बाबूभाई ने आपातस्थिति को धैर्यपूर्वक झेलने के लिए गुजरात की जनता का अभिवादन किया। गुजरात की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'भारत भर में चाहे कुछ हो जाए, परंतु गुजरात में कानून-व्यवस्था सरकार की सूझ-बूझ एवं प्रजा के सहयोग से कायम रखी जाएगी।'

निडर पत्रकारिता का प्रतीक—‘साधना’

२६ जून के बाद देश भर के समाचार-पत्र भी आपातकाल का शिकार बने थे। मनमाने ढंग से सेंसरशिप लादकर लोकतंत्र का गला घोटने में इंदिरा सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी; किंतु इस अत्याचार और अन्यायपूर्ण सेंसरशिप का कुछ साप्ताहिकों व समाचार-पत्रों ने भी डटकर विरोध किया था।

२६ जून के बाद देश के समाचार-पत्रों ने विपक्षी नेताओं की तसवीरों तो दूर, उनके नाम तक छापने बंद कर दिए थे। ऐसी विषम स्थिति में भी गुजरात की एक गुजराती साप्ताहिक पत्रिका ‘साधना’ ने एक विशेषांक प्रकाशित कर आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई थी। इस विशेषांक में ‘आपातकाल के बारे में पुनर्विचार किया जाए’ शीर्षक के अंतर्गत श्री वसंतभाई गजेंद्र गडकर के लेख के अलावा ‘साधना’ के संपादक श्री विष्णु पंड्या का लेख भी छपा था। इस लेख को उच्च न्यायालय में ‘रिट’ करने के बाद भी सेंसर करनेवाले रोक नहीं पाए थे। उस लेख को रद्द करने का सेंसर का आदेश सरकार को निरस्त करना पड़ा था।

उसी विशेषांक में जेल में कैद जयप्रकाशजी, मोरारजी, अटलजी एवं राजमाता विजयाराजे सिंधिया के फोटो भी छपे थे। उन परिस्थितियों में ऐसी सामग्री-युक्त पत्रिका सामयिक लोगों के लिए बड़े कौतूहल का विषय था। प्रकाशित होने के दस मिनट के भीतर ही ‘साधना’ की चालीस हजार प्रतियाँ बिक गई थीं। ‘साधना’ का यह साहसपूर्ण कदम देश भर में अपनी तरह की पहली कोशिश थी।

इमरजेंसी कैप्सूल

१७ अगस्त को नडियाद में एक अनोखे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपातकाल के नाम पर किए जा रहे काले कारनामों का विस्तृत विवरण, जेल में बंद किए गए प्रमुख नेताओं के बारे में जानकारी एवं देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़नेवाली श्रीमती इंदिरा गांधी के स्वेच्छाचारी स्वभाव को अनावरित करनेवाले लेखों की सामग्री से भरा एक कैप्सूल बनाया गया। इस कैप्सूल को सरदार पटेल की प्रतिमा के समक्ष गड्ढा खोदकर जमीन में दफन किया गया। हजारों की संख्या में नागरिकों ने इस कार्यक्रम में सोत्साह हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम के आयोजक श्री प्रवीणकांत शाह व श्री हरीश पटेल को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था।

गुजरात विधानसभा के वर्षाकालीन सत्र में खाड़िया के विधायक श्री अशोक भट्ट एवं राजकोट के विधायक श्री अरविंदभाई मणियार ने प्री-सेंसरशिप आदेश के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में

सेंसर अधिकारियों की ओर से संपादकों को भेजे गए सक्वूलर को सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों का हनन करनेवाला, सदन का अनादर करनेवाला एवं सदन के सदस्यों के क्रिया-कलापों में हस्तक्षेप करनेवाला दरशाया गया था। इसी सिलसिले में श्री अशोक भट्ट ने ८ अगस्त को एक और नोटिस भेजकर सेंसर अधिकारियों द्वारा खड़े किए गए अवरोधों के उदाहरण प्रस्तुत किए।

श्री भट्ट एवं श्री मणियार के नोटिसों पर सदन के अध्यक्ष महोदय ने विस्तृत रूप से अपनी निरीक्षा प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया कि सदन की काररवाई का विवरण यदि असत्य, विकृत, अपूर्ण या क्षोभकारक ढंग से प्रस्तुत किया गया हो तो वह विवरण सदन के अनादर के समान ही है। हालाँकि बाद में यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया था। इस प्रकार, सेंसरशिप को गुजरात विधानसभा ने भी चुनौती दी थी।

‘गुजरात लोक संघर्ष समिति’ ने २५ सितंबर तक ‘जन-जागरण सप्ताह’ मनाते हुए सत्याग्रह का ऐलान किया। यह सत्याग्रह सूरत, वडोदरा, राजकोट एवं अहमदाबाद इन चार केंद्रों पर किए जाने का निर्णय लिया गया। इन केंद्रों पर आस-पास के जिलों के कार्यकर्ता एकत्र होकर सत्याग्रह करते थे। सूरत में सेंसर प्राधिकरण के कार्यालय के सामने एवं आकाशवाणी केंद्रों के सामने ये सत्याग्रह किए जाते थे। उत्तर गुजरात में अतिवृष्टि होने के कारण अहमदाबाद केंद्र पर केवल अहमदाबाद के कार्यकर्ता ही सत्याग्रह में शामिल हो सके थे। अहमदाबाद के सत्याग्रह मुख्यतः श्री अमृतभाई कडीवाला की देख-रेख में हुए थे। सूरत के सत्याग्रह का संचालन श्री चंपकभाई सुखडिया ने किया था तथा राजकोट की व्यवस्था श्री प्रवीणभाई मणियार ने सँभाली थी।

इन सत्याग्रहों में हर केंद्र पर प्रतिदिन एक-एक जिले के कार्यकर्ता द्वारा सत्याग्रह किया जाता था। राजकोट केंद्र पर सत्याग्रह का प्रारंभ जामनगर जिले के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया, जबकि वडोदरा में वाघोडिया के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह का श्रीगणेश किया।

सत्याग्रह के अंतिम दिन २५ सितंबर को वडोदरा शहर के छिहत्तर भाई-बहनों ने वडोदरा केंद्र पर सत्याग्रह किया। श्री गोरधनभाई बेचरभाई के नेतृत्व में हुए इस सत्याग्रह में सत्याग्रहियों को जेल के लिए विदा करने हेतु विशाल जन-समूह एकत्र हुआ था। बारदोली के श्री लल्लूभाई खत्री, श्री ईश्वरभाई भावसार इत्यादि ने भी २२ सितंबर के दिन सत्याग्रह किए। राजकोट के सत्याग्रह में पाँच जिलों के सोलह स्थानों से आए हुए कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया था।

नेता-मुक्ति ज्योति

गांधी के गुजरात में लोकतंत्र की पुनःस्थापना हेतु किए जा रहे जन-जागृति के कार्यक्रमों में गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित किए गए 'लोकतंत्र ज्योति' के कार्यक्रम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गुजरात की अनेक तहसीलों में ज्योति लिये हुए युवा कार्यकर्ता कहीं पैदल तो कहीं साइकिलों पर निकल पड़े थे। २ अक्टूबर को प्रत्येक जिला केंद्र पर अपने-अपने जिले की 'ज्योति-यात्राओं' का भव्य स्वागत किया गया था।

जगह-जगह पर ज्योति-यात्राओं का समारोहपूर्वक स्वागत किया जाता, सभाओं का आयोजन होता, इन सभाओं में लोकतंत्र की रक्षा के लिए शपथ ली जाती और इसके बाद ज्योति-यात्रा आगे बढ़ जाती।

खेड़ा जिले में 'लोकतंत्र ज्योति' ने श्री हरीश पटेल के नेतृत्व में बासट साइकिल सवारों के साथ २६ सितंबर से २ अक्टूबर तक यात्रा की। नडियाद तहसील के नौ, पेटलाद तहसील के नौ, बोरस तहसील के आठ, मातर तहसील के दो, बालासिनोर तहसील के दो, ठासरा तहसील के सात, कपडवंज तहसील के सात, खंभात तहसील के छह—इस प्रकार कुल पचास गाँवों से गुजरते हुए इस ज्योति-यात्रा ने ४०७ कि.मी. की यात्रा की थी। यात्रा के दौरान जगह-जगह पर सभाओं एवं युवा बैठकों के कार्यक्रम भी संपन्न हुए थे।

साबरकाँठा जिले में ज्योति-यात्रा का कार्यक्रम दो हिस्सों में किया गया था। मोड़ासा अनुभाग तथा हिम्मतनगर अनुभाग—इन दो हिस्सों में निकली इस ज्योति-यात्रा में अस्सी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए थे। ये ज्योति-यात्राएँ जिले की सभी तहसीलों से होकर गुजरी थीं। जगह-जगह पर ज्योति-यात्रा का स्वागत हुआ। २ अक्टूबर को ज्योति-यात्रा के हिम्मतनगर पहुँचने पर मोरचा सरकार के मंत्री श्री रसिकचंद्र आचार्य द्वारा ज्योति-यात्रा का स्वागत किया गया और एक विशाल जनसभा भी आयोजित की गई थी।

महेसाणा जिले में ज्योति-यात्रा का कार्यक्रम व्यापक पैमाने पर किया गया था। हारीज, पाटण, चाणस्या, सिद्धपुर एवं कड़ी—इन पाँच स्थलों से ज्योति-यात्रा निकाली गई थी। इन ज्योति-यात्राओं में एक सौ तीस कार्यकर्ता शामिल हुए थे तथा जिले भर में १२०० कि.मी. की यात्रा तय कर २ अक्टूबर को भिन्न-भिन्न मार्गों से ये ज्योति-यात्राएँ महेसाणा पहुँची थीं। संघर्ष समिति के कार्यकर्ता श्री वसंत परीख ने इन ज्योति-यात्राओं का स्वागत किया था।

राजकोट जिले में ज्योति-यात्रा के आयोजन के अलावा राजकोट शहर में

एक 'नेता कुटीर' भी बनाई गई थी। जेलों में कैद राष्ट्र-नेताओं की तसवीरों सहित जेल का हू-ब-हू दृश्य प्रस्तुत करनेवाली यह कुटीर लोगों के विशेष आकर्षण का केंद्र थी। इस कुटीर को देखने के लिए करीब पाँच हजार नागरिक आए थे। मुख्यमंत्री श्री बाबूभाई तथा कृषिमंत्री श्री केशूभाई पटेल ने भी इस कुटीर को देखा था।

गुजरात में वनवासी जिले के नाम से प्रसिद्ध पंचमहाल जिला भी इस कार्यक्रम में पीछे नहीं रहा। दाहोद से बारह साइकिल-यात्री ज्योति लेकर निकले थे। रास्ते में स्थान-स्थान पर उनका स्वागत किया गया। लुणावाड़ा से अन्य चौतीस कार्यकर्ता ज्योति लेकर निकले थे। शहेरा के युवा भी उनके साथ शामिल हुए थे। तीसरी ज्योति-यात्रा हालोल से अठारह युवाओं के साथ निकली थी। ये तीनों ज्योति-यात्राएँ जन-जागृति करती हुई २ अक्टूबर को गोधरा पहुँची थीं और वहाँ पर मंत्री श्री माणेकलाल गांधी द्वारा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया था। स्वागतोपरांत उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। सुरेंद्र नगर जिले में भी लींबडी, हलवद एवं पाटडी से तीन अलग-अलग ज्योति-यात्राएँ तीस युवाओं के साथ सुरेंद्र नगर पहुँची थीं तथा वहाँ के विधायक श्री जुवानसिंह परमार व जनसंघ के विभागीय संगठक श्री नारसिंहभाई पढियार ने उनका स्वागत किया था।

बनासकाँटा जिले में साठ कार्यकर्ताओं ने ज्योति लेकर पाँच तहसीलों की यात्रा की थी, जिनका २ अक्टूबर को श्री अकबरभाई चावड़ा तथा श्री दत्ताजी चिरंदास ने स्वागत किया था।

सूरत जिले में ज्योति-यात्रा का कार्यक्रम २ से ८ अक्टूबर तक किया गया था। महाराष्ट्र की सीमा से लगी हुई नीझर तहसील के तहसील मुख्यालय से ज्योति-यात्रा आरंभ हुई थी और ४ अक्टूबर को सूरत में यात्रा का स्वागत किया गया था। इस ज्योति-यात्रा के आरंभ से पहले सूरत में श्री एस.के. पाटिल, श्री उमाशंकर जोशी एवं श्री यशवंत शुक्ल ने सभाओं को संबोधित किया था।

'नेता-मुक्ति ज्योति' या 'लोकतंत्र ज्योति' का यह कार्यक्रम अब तक हुए प्रतिकार अभियानों में सर्वाधिक व्यापक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में ग्रामीण जन-जागृति को प्रधानता दी गई थी। 'लोक संघर्ष समिति' में सक्रियता से प्रवृत्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने इस ज्योति-यात्रा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम किया था। गुजरात के पंचायत चुनावों पर भी इस ज्योति-यात्रा का प्रभाव पड़ा था। इस कार्यक्रम में गुजरात की एक सौ पच्चीस तहसीलों के करीब सभी मुख्य गाँवों को समाविष्ट कर लिया गया था।

२ अक्टूबर को 'केंद्रीय लोक संघर्ष समिति' की ओर से पोस्टर प्रचार के कार्यक्रम का ऐलान किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना था, अतः केंद्रीय समिति की ओर से ही एक बड़े से पोस्टर का ब्लॉक प्रत्येक प्रांत की संघर्ष समिति को भेजा गया था। इस पोस्टर में गांधीजी के चित्र के साथ एक सूत्र वाक्य 'असत्य, अन्याय और दमन के सामने झुकना कायरता है' लिखा हुआ था। इसके अलावा जे.पी. एवं गांधीजी की मुखमुद्राओंवाले 'बैज' भी प्रांतीय संघर्ष समितियों को भेजे गए थे, जिन पर एक नारा भी लिखा था—'निडर बनें, लोकतंत्र को कायम रखें'।

इस पोस्टर की बीस हजार प्रतियाँ तथा पाँच हजार बैज बनवाकर गुजरात भर में वितरित किए गए। २ अक्टूबर की सुबह संपूर्ण गुजरात में चिपके हुए एक समान पोस्टर एवं युवाओं के सीनों पर लगे एक समान बैज आपातकाल के चाहकों के लिए चिंता का विषय बन गए थे। उन्होंने इसे केंद्र सरकार की चापलूसी करने का मौका समझकर इस स्थिति के विरोध में संबंधित स्थानों पर खूब आवेदन भी कर दिए।

२ अक्टूबर—गांधी जयंती से ३१ अक्टूबर—सरदार पटेल जयंती तक की समयावधि में दो प्रभावी कार्यक्रम हुए। ये कार्यक्रम थे पद-यात्राओं के। सरदार पटेल की पुत्री कु. मणी बहन के आशीर्वाद लेकर श्री नारायणभाई देसाई के नेतृत्व में बारदोली से एक पदयात्रा एवं श्री महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में पोरबंदर से दूसरी पदयात्रा प्रारंभ हुई। इन दोनों पदयात्राओं का ३१ अक्टूबर को साबरमती में स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान जगह-जगह पर स्वागत सभाओं एवं गोष्ठियों के कार्यक्रम हुए। ये पदयात्राएँ उनको देखनेवालों के लिए भी निडरता की द्योतक सिद्ध हुईं। पदयात्राओं के अहमदाबाद पहुँचने पर भी जगह-जगह पर उनका स्वागत हुआ तथा जन-सम्मेलनों का आयोजन हुआ।

१४ अक्टूबर को जे.पी. की जयंती के अवसर पर जे.पी. के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का, गुजरात विद्यापीठ के कुलसचिव श्री धीरूभाई देसाई की उपस्थिति में, श्री ईश्वर पेटलीकर द्वारा उद्घाटन किया गया। इस प्रदर्शनी में उनकी तसवीरों के साथ-साथ उनके उद्धरणों को भी दरशाया गया था। बाद में इस प्रदर्शनी को गुजरात के अन्य स्थानों पर भी ले जाया गया। यह प्रदर्शनी बहुत लोकप्रिय हुई थी और हजारों की संख्या में लोगों ने इसे देखा और सराहा था।

□

प्रकरण-९

एक अनोखा द्वीप

संघ कार्यालय ही हम प्रचारकों के लिए निवास-स्थान हुआ करते हैं। ४ जुलाई को संघ पर प्रतिबंध लगाया गया और संघ के कार्यालयों पर सरकार ने कब्जा कर लिया। अतः मैं एवं संघ के प्रांत प्रचारक श्री केशवराव देशमुख दोनों श्री वसंतभाई गजेंद्र गडकर के ही घर पर रहा करते थे।

प्रातः उठकर टहलने जाना मेरे नित्यकर्म का अभिन्न अंग होने से टहलने के लिए मैं आंबावाड़ी (अहमदाबाद का एक इलाका) स्थित परिमल गार्डन में जाया करता था। उसी समय श्री प्रभुदास पटवारी (जो तमिलनाडु के राज्यपाल भी रह चुके हैं) भी वहाँ टहलने के लिए आया करते थे। उनसे मेरा घनिष्ठ परिचय जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही हुआ था। संघ की भूमिगत अवस्था के दौरान की व्यवस्थाओं के कारण मुझे देश के अधिकांश क्षेत्रों के समाचारों की जानकारी रहा करती थी। मैं नियमित रूप से श्री प्रभुदासभाई को उन जानकारियों से अवगत कराता रहता था। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हूँ, यह बात भी वे जानते थे।

जुलाई के अंतिम दिनों में, एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर आने का आमंत्रण दिया। ठीक साढ़े दस बजे मैं उनके घर पहुँचा। श्री प्रभुदासभाई मेरा ही इंतजार कर रहे थे। घर में उनके अलावा उस वक्त और कोई नहीं था। उन्होंने मुझे अपने करीब बैठाते हुए अत्यंत धीमी आवाज में बताया, 'दस मिनट में ही श्री जॉर्ज फर्नांडीज यहाँ आने वाले हैं। आप उनसे मिल सकें, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है।'

श्री जॉर्ज फर्नांडीज गुजरात में रहना चाहते हैं, इस बात की जानकारी मुझे थी। वडोदरा के श्री किरिटभाई भट्ट ने अहमदाबाद के अपने मित्र व राष्ट्रीय

स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता श्री नटवरभाई राजगुरु से मिलकर श्री जॉर्ज के अहमदाबाद में रहने की व्यवस्था संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा की जाए, ऐसी इच्छा व्यक्त की थी। श्री राजगुरु ने यह बात मुझे भी कही थी। हम लोग इस बारे में एक सुरक्षित स्थान का प्रबंध भी कर रहे थे। अतः मुझे लगा कि शायद रहने के प्रबंध के बारे में ही श्री जॉर्ज से इस मुलाकात का आयोजन किया गया होगा; किंतु बाद में पता चला कि उनके रहने के लिए अस्थायी व्यवस्था तो हो चुकी थी, इस मुलाकात का प्रयोजन तो कुछ और था।

हमारी बातें चल ही रही थीं कि पीले रंग की एक फिएट कार दरवाजे के पास आकर रुकी। उसमें से विशाल कायावाले, बिना इस्तरी का कुरता पहने, सिर पर हरे रंग का कपड़ा बाँधे, पट्टेदार छपाईवाली तहमत तथा कलाई पर सुनहरी चैनवाली घड़ी पहने, चेहरे पर बड़ी हुई दाढ़ी के साथ एक मुसलिम फकीर का वेश धारण किए हुए 'बाबा' के नाम से बुलाए जानेवाले जॉर्ज उतरकर भीतर आए।

उन दिनों संघर्ष से जुड़े साथियों से मिलना भी एक आनंददायक अवसर हुआ करता था। हम आपस में गले मिले तथा संघर्ष में डटकर लगे रहने के लिए हमने एक-दूसरे को शाबाशी भी दी।

मेरे पास गुजरात तथा अन्य प्रांतों की उपलब्ध जानकारी मैंने उन्हें दी। विशेषतः यह जानकर कि 'लोक संघर्ष समिति' के मंत्री श्री नानाजी देशमुख भी भूमिगत हैं और गिरफ्तार नहीं हुए हैं, वे बहुत प्रसन्न हुए। हमारी बातचीत के दौरान संघ के स्वयंसेवकों पर सरकार की धौंस अधिक होने के बारे में उन्होंने चिंता तथा खेद व्यक्त किया। उन्होंने बदली हुई परिस्थितियों में संघ की शक्तियों से रखी जानेवाली अपेक्षाओं के बारे में भी चर्चा की।

श्री जॉर्ज इस बारे में सहमत थे कि इंदिराजी कदापि अपनी जिद नहीं छोड़ेंगी। वे मानते थे कि सशस्त्र प्रतिकार ही आपातस्थिति का एकमात्र उपाय है। उनका कहना था कि संघ को भी राष्ट्र-हित के लिए अविलंब इस प्रकार की प्रवृत्ति आरंभ कर देनी चाहिए। किंतु भीषणतम स्थितियों में भी अपनी भूमिका के बारे में संघ निश्चित था। संघ किसी भी हिंसक आचरण के द्वारा परिवर्तन लाने के पक्ष में नहीं था। संघ को प्रजातांत्रिक तरीकों में पूरा विश्वास है, यह भी मैंने उन्हें बताया।

इस प्रसंग के बाद, मोरचा सरकार के रहने तक जॉर्ज अधिकतर गुजरात में ही रहे। यहाँ रहकर वे बंबई के अपने कुछ समाजवादी मित्रों की सहायता से केंद्र सरकार के आचरण के विरोध में पत्रिकाएँ प्रकाशित कर जनता तक उन्हें पहुँचाने में प्रवृत्त रहे।

हालाँकि श्री जॉर्ज की गुजरात में उपस्थिति तथा उनसे कौन, कहाँ, कब मिलता-जुलता है, इत्यादि बातों की गोपनीयता में जितनी सतर्कता होनी चाहिए उतनी नहीं बरती जाती थी। कई वर्गों में उनके बारे में खुलेआम चर्चाएँ होती थीं। इन बातों से प्रतीत होता है कि शायद मोरचा सरकार होने के कारण ही वे गिरफ्तारी से बच पाए थे।

'केंद्रीय लोक संघर्ष समिति' के मंत्री श्री नानाजी देशमुख को पकड़ पाने में सरकार असफल रही थी। नानाजी के खिलाफ श्रीमती गांधी नित्य जाल बुनती रहती थीं, किंतु नानाजी हाथ नहीं लगते थे। दूसरी ओर, नानाजी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलते-जुलते, भूमिगत आंदोलन की योजनाएँ बनाते रहते थे। आरंभ से ही वे दिल्ली में थे, फिर भी सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। अगस्त के प्रथम सप्ताह से वे देश के भिन्न-भिन्न राज्यों में जाकर कार्यकर्ताओं से मिला करते थे। इसी उपक्रम में राजस्थान और हरियाणा की मुलाकात के बाद वे गुजरात पहुँचे थे।

मुझ जैसा प्रचारक भी नानाजी को आसानी से पहचान न सके, वैसा उनका वेश-विन्यास था। धोती-कुरता पहने सफेद बालोंवाले नानाजी बिलकुल अलग लग रहे थे। यदि वे साइकिल पर बैठकर जा रहे हों तो कोई नहीं कह सकता था कि वे किसी सरकारी दफ्तर के साधारण से बाबू नहीं हैं। यह वेशभूषा परिस्थितिवश बनानी पड़ी थी।

वे गुजरात की खुली हवा में केवल तीन दिन तक रहे। इस अवधि में निर्धारित कार्यों को निपटाकर वे महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गए। गुजरात के इस दौर में वे अनेक लोगों से मिले। इन मुलाकातों के समय मुझे भी उनके साथ रहने का अवसर मिला।

श्री जॉर्ज के साथ मैं लगातार संपर्क में था, अतः उनकी भी मैंने नानाजी के साथ भेंट करवाई। जिनके नाम मात्र से श्रीमती गांधी व उनकी सरकार काँपती थी, जिन्हें खोजने के लिए देश भर की पुलिस जमीन-आसमान एक कर रही थी ऐसे इन दो संघर्ष पुरुषों का अगस्त के प्रथम सप्ताह में मिलन हुआ। इस मुलाकात में देश की तत्कालीन तथा भावी परिस्थितियों के बारे में दोनों ने आपस में विस्तृत विचार-विमर्श किया।

इस मुलाकात में एक बात और अधिक स्पष्ट हुई कि कैसी भी विषम स्थिति में भी 'लोक संघर्ष समिति' गांधीवादी तौर-तरीकों से ही प्रतिकार करने के पक्ष में थी। श्री नानाजी देशमुख की भी गांधीवाद में दृढ़ आस्था थी। जबकि श्री जॉर्ज किसी भी तरीके से आपातस्थिति के प्रणेताओं को उखाड़ फेंकने के पक्ष में थे।

गुजरात के कुछ विधायकों के साथ भी श्री नानाजी की मुलाकात की व्यवस्था गांधीनगर में की गई। विधायकों के साथ अपनी बातचीत में उन्होंने बताया कि गुजरात में मोरचा सरकार का बना रहना देश भर के नागरिकों में उम्मीद बनाए हुए है। संघर्ष के प्रभाव को और व्यापक बनाने के लिए मोरचा सरकार को लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में स्थापित कर लोगों के हितों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया। श्री नानाजी के पास देश भर की सारी जानकारी थी। कौन-कौन गिरफ्तार हुए हैं, किसे-किसे जेल में रखा गया है, यह विस्तृत जानकारी भी उन्होंने विधायकों को दी। इतने कम समय में उनके पास उपलब्ध इन छोटी-से-छोटी जानकारियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूमिगत अवस्था के दौरान की संपर्क-व्यवस्था कितनी दुरुस्त थी।

इसी दौरान सांसद श्री वीरेंद्र शाह भी अहमदाबाद में थे। उनके साथ भी एक मुलाकात रखी गई, जिसमें संघर्ष की भविष्य की व्यूह-रचनाओं एवं वर्तमान स्थितियों के बारे में विस्तृत चर्चा हुई।

संस्था कांग्रेस के श्री दिनेशभाई शाह से भी बदली हुई परिस्थिति में संघर्ष की भूमिका, गुजरात के राज्यसभा चुनाव, अन्य राज्यों में आंदोलन की स्थिति इत्यादि अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। मोरचा मंत्रिमंडल के श्री केशूभाई पटेल, एग्री इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्री हरिसिंहजी गोहिल तथा जनसंघ के मंत्री श्री वसंत गजेंद्र गडकर से भी श्री नानाजी की मुलाकातें हुईं। आर.एस.एस. के प्रांत प्रचारक श्री केशवरावजी देशमुख तथा क्षेत्र प्रचारक श्री वकील साहब (जो कि उन दिनों गुजरात के दौरे पर थे) से भी श्री नानाजी की भेंट हुई।

गुजरात का त्रिदिवसीय प्रवास सुरक्षित रूप से संपन्न करने के बाद अब उन्हें महाराष्ट्र के लिए विदा होना था। गुजरात में वे कैसे आए, वे कितने दिन रुकने वाले हैं तथा इसके बाद उन्हें कहाँ जाना है, ये तमाम बातें गुप्त रखी गई थीं।

उनकी महाराष्ट्र यात्रा के बारे में भी पूरी सावधानी बरती गई। उनका कार द्वारा बंबई जाना ठीक समझा गया। श्री शिवकुमार, जो कि एडवोकेट थे तथा श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव भी थे, दिल्ली से ही श्री नानाजी के साथ थे। अपनी पहचान छिपाए रखने हेतु उन्होंने अपनी बहुपरिचित मूँछें साफ करवा दी थीं। वे भी श्री नानाजी के साथ बंबई जाने वाले थे। यात्रा को गुप्त बनाए रखने के लिए सोचा गया कि यदि कोई बहन भी उनके साथ यात्रा में शामिल हो जाए तो प्रतीत होगा कि कोई परिवार यात्रा कर रहा है और किसी को कोई संदेह न होगा। इस कार्य के लिए श्रीमती विद्या बहन गजेंद्र गडकर की सहायता ली गई। इस प्रकार

श्री नानाजी सुरक्षित बंबई पहुँच गए। इस दौर के बाद संघर्ष काल में श्री नानाजी दोबारा गुजरात नहीं आ पाए।

संघ के प्रशिक्षण शिविर

संघ पर प्रतिबंध लगे अरसा हो चुका था। संघ का संगठन कार्य भी भिन्न-भिन्न स्वरूपों में जारी था; किंतु बदली हुई स्थितियों में लोकतंत्र के पुनःस्थापन के लिए निरंतर संघर्ष जारी रखना संघ की मुख्य जिम्मेदारी थी। इस कार्य के लिए कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण देना आवश्यक था। अतः प्रत्येक जिले से चुने हुए बीस-पच्चीस कार्यकर्ताओं के लिए उन्हीं के जिलों में पूर्ण दिवसीय कक्षाओं का आयोजन किया गया। गुजरात में हर तरह की स्वतंत्रता होने के बावजूद, चूँकि संघ एक प्रतिबंधित संस्था थी, इन कक्षाओं का आयोजन सतर्कतापूर्वक किया जाता था।

गुजरात में बीस स्थानों पर इन कक्षाओं का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने हेतु क्षेत्र प्रचारक श्री वकील साहब भी गुजरात आए। उन्हें महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश सरकार के 'मीसा वारंट' सूँघते फिर रहे थे। अतः उन्होंने अपना कुरता-धोती का नियमित परिधान छोड़कर पैंट-शर्ट का प्रचलित पहनावा अपना लिया था। संघर्ष के दौरान उन्हें 'भाई' छद्म नाम से जाना जाता था।

इन करीब बीस एकदिवसीय शिविरों में गुजरात के लगभग पाँच सौ चुनिंदा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। नई परिस्थिति में चुनौती का सामना करने के लिए संघ महत्तम कितना योगदान दे सकता है? कार्यकर्ताओं की भूमिका कैसी होनी चाहिए? आपातस्थिति से क्रुद्ध राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाओं, प्रतिभावान् व्यक्तियों इत्यादि से संपर्क करना, आपातस्थिति को लेकर असंतुष्ट कांग्रेस के ही नेताओं को खोज उनसे संपर्क स्थापित करना, प्रचार माध्यमों का समुचित उपयोग, गुजरात के कोने-कोने से लेकर देश के किसी भी हिस्से में चल रही गतिविधियों से सभी अवगत हो सकें—इस हेतु और सुदृढ़ भूमिगत संपर्क तंत्र कैसा हो इत्यादि अनेक मुद्दों पर इन शिविरों में चिंतन किया गया। इन शिविरों में श्री वकील साहब ने बलपूर्वक कहा कि 'यह धैर्य का युद्ध (war of nerves) है। जो कार्यकर्ता धैर्यपूर्वक अपने हिस्से आए कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे, वे अवश्य विजयी होंगे।'

अब तक, केंद्र की सूचनानुसार, गुजरात की पुलिस भी श्री वकील साहब के पीछे लग चुकी थी। अगस्त की अपनी इस गुजरात यात्रा में सत्ताईस दिनों तक गुजरात में रहे तथा श्री चंद्रकांत दरु, श्री भोगीलाल गांधी, श्री के.डी. देसाई, श्री

भाईदास भाई परीख व श्री वसंतभाई गजेंद्र गडकर इत्यादि कई नेताओं से मिले।

मोरचा सरकार की मौजूदगी तथा जन-जागृति के कार्यक्रमों से जाग्रत जनता—इन दोनों कारणों से गुजरात में लोकतांत्रिक मूल्यों का स्तर अपेक्षाकृत ऊँचा बना हुआ था, जिसके कारण अलोकतांत्रिक परिस्थितियों में डूबे राष्ट्र में गुजरात का स्थान एक द्वीप के समान था। संघर्ष के आरंभिक दिनों का भूमिगत संपर्क केंद्र गुजरात आगे चलकर देशव्यापी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अंग बना।

□

प्रकरण-१०

जनता अखबार

देश भर में अनेकानेक गतिविधियाँ चल रही थीं, परंतु सख्त सेंसरशिप के कारण इनकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुँच पा रही थी। अखबारों में सरकारी समाचारों के अलावा और कुछ भी नहीं छप रहा था। आकाशवाणी से लगातार सरकारी समाचार तथा विपक्षी नेताओं के बारे में भ्रामक प्रचार प्रसारित किया जा रहा था।

सही समाचार न मिल पाने के कारण हर व्यक्ति अपने आपको देश से अलग-थलग महसूस कर रहा था। इन हालातों में जनता की हिम्मत बनाए रखने के लिए उस तक सही समाचारों का पहुँचना अति आवश्यक था। अतः इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए 'गुजरात लोक संघर्ष समिति' ने तय किया कि वह एक भूमिगत पत्रिका का प्रकाशन शुरू करे। ३ जुलाई, १९७५ से 'जनता छापुं' (जनता अखबार) नामक इस भूमिगत पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। इसके संपादक लोक संघर्ष समिति, गुजरात के संयोजक श्री भोगीलाल गांधी थे। इस 'जनता अखबार' के प्रचार-प्रसार में श्री हसमुख पटेल व श्रीमती मंदाकिनी पटेल ने विशेष योगदान दिया।

आरंभ में 'जनता अखबार' में केवल सुनी-सुनाई खबरें ही छपती थीं। समाचार नियमित रूप से प्राप्त हो सकें, ऐसी कोई सुगठित व्यवस्था संघर्ष समिति के पास नहीं थी। गुजरात में मुक्त माहौल होने के बावजूद अपेक्षित मात्रा में समाचारों का संकलन नहीं हो पाता था। इन परिस्थितियों में 'जनता अखबार' को और अधिक समृद्ध करने के लिए समाचार-संकलन का काम संघ के कार्यकर्ताओं ने अपने जिम्मे ले लिया।

जुलाई के दूसरे सप्ताह तक देश के सभी जिला केंद्रों के मध्य भूमिगत संपर्क व्यवस्था स्थापित की जा चुकी थी। गुजरात में भी सभी तहसीलों से केंद्र तक समाचारों को पहुँचाने की व्यवस्था कर ली गई थी। अतः अब समाचारों का नियमित आदान-प्रदान हो सकता था।

‘जनता अखबार’ के लिए यह व्यवस्था बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। अब हर घटना से संबद्ध यथा तय समाचार ‘जनता अखबार’ के माध्यम से अविलंब लोगों तक पहुँचने लगे थे। देश भर के समाचारों को एकत्रित करने की यह व्यवस्था अत्यंत सुनियोजित एवं त्वरित थी। उदाहरणार्थ, १४ नवंबर की शाम को शुरू हुए देशव्यापी सत्याग्रह की विस्तृत जानकारी अखबार के संपादक श्री भोगीलाल गांधी ने १६ नवंबर को आयोजित जनता मोरचा के सम्मेलन में प्रस्तुत की थी। इस जानकारी में सत्याग्रह करनेवाले दल के नेताओं के नाम, सत्याग्रहियों की संख्या, सत्याग्रहियों को जेल के लिए विदा करने हेतु एकत्र हुए लोगों की संख्या, उनके मनोबल, पुलिस का आचरण इत्यादि तमाम छोटी-बड़ी बातों का उल्लेख था। इस बात से समाचार-संकलन व्यवस्था की कार्यक्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

‘जनता अखबार’ को समाचार-प्रचुर बनाने जितना ही आवश्यक कार्य था जन-जन तक उसे पहुँचाना। आरंभ में डाक द्वारा कई जगहों पर इस अखबार की प्रतियाँ भेजी गईं। दक्षिण गुजरात तथा सौराष्ट्र में कार्यकर्ताओं के द्वारा इस अखबार को पहुँचाने की व्यवस्था भी की गई। किंतु अखबार के व्यापक प्रचार के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं था। डाक द्वारा अखबार भेजने का कार्य खर्चीला और जोखिम भरा था। इसके अलावा ‘जनता अखबार’ अयोग्य हाथों में न पड़कर दूर-सुदूर स्थित लोकतंत्र को चाहनेवाले लोगों तक पहुँचे, इस बात को सुनिश्चित करना भी आवश्यक था। इस हेतु आवश्यक था कि अखबार वितरण का कार्य व्यक्तिगत तरीके से ही किया जाए। इस कार्य में संघ का व्यवस्था तंत्र बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। ‘जनता अखबार’ के वितरण की अधिकांश जिम्मेदारी संघ के कार्यकर्ताओं ने उठा ली। संघ के कार्यकर्ता दूर-दराज के गाँवों तक पहुँचकर सुयोग्य व्यक्तियों तक अखबार पहुँचाते थे।

इन प्रयत्नों से बहुत कम समय में ही ‘जनता अखबार’ समाचारों का एक विश्वसनीय माध्यम बन गया। लोग आतुरता से इस अखबार का इंतजार किया करते थे। इस प्रकार, कम-से-कम गुजरात में तो ‘जनता अखबार’ ने सेंसरशिप की बेड़ियों को चकनाचूर कर दिया था।

बावजूद इस सफलता के 'जनता अखबार' अधिक दिनों तक न चल सका। क्योंकि यह अखबार दस दिनों में एक या दो बार ही प्रकाशित हो पाता था। समाचारों की उपलब्धि, प्रचार-प्रसार के लिए आवश्यक व्यवस्था, विशाल वाचक समुदाय इत्यादि होने के बावजूद छपाई की समुचित व्यवस्था के अभाव में जनता सरकार के पतन के पहले ही अंततः 'जनता अखबार' बंद हो गया।

इसी दौरान 'साधना' पत्रिका ने भी सेंसरशिप की परवाह किए बिना हर तरह का समाचार बेधड़क छापना शुरू कर दिया था, जिससे लोगों को भी 'जनता अखबार' जैसे भूमिगत समाचार-पत्र की आवश्यकता अब कम जान पड़ती थी। 'साधना' के माध्यम से ही उन्हें अब हर समाचार मिल जाते थे।

हालाँकि 'साधना प्रकाशन मुद्रणालय' तथा 'धरती मुद्रणालय' जैसे प्रिंटिंग प्रेस में इतनी हिम्मत थी कि वे इस प्रकार के निर्भीक साहित्य को छाप सकें, किंतु ये दोनों प्रेस इतने मशहूर थे कि इनका उपयोग करना जान-बूझकर मुसीबत को आमंत्रण देने के समान था। अतः किसी कम जाने-माने प्रेस की आवश्यकता महसूस हुई। चूँकि मोरचा शासन था, इसलिए कुछ प्रेस मालिक इस कार्य के लिए तैयार भी हुए, किंतु कई बार इन मुद्रणालयों पर पुलिस के छापे पड़ जाते थे। अहमदाबाद में एक प्रेस पकड़ा गया तो वडोदरा में पुलिस के छापे के डर से एक प्रेस में अखबार के कंपोज किए हुए फरमे को बिखेर देना पड़ा था। इस प्रकार, मोरचा शासन होने पर भी छपाई की सुरक्षित व्यवस्था करना मुश्किल हो गया था।

कुछ समय बाद सूरत के कार्यकर्ता श्री चंपकभाई सुखड़िया की सहायता से सूरत में प्रिंटिंग प्रेस की व्यवस्था हो पाई थी। अन्य आपातकालीन प्रकाशनों में श्री प्रभुदासभाई के प्रयत्नों से 'जनता समाचार' तथा श्री विपिनभाई देसाई इत्यादि के प्रयत्नों से 'दांडियों' का प्रकाशन भी हो रहा था, किंतु उनका प्रसार-क्षेत्र सीमित था।

□

प्रकरण-११

जन-जागृति के बढ़ते कदम

गुजरात में आपातस्थिति के विरोध में कई कार्यक्रम हुए। प्रजा की ओर से भी पूरा सहयोग मिला। इनमें से करीब सभी कार्यक्रम 'लोक संघर्ष समिति' द्वारा किए गए। 'लोक संघर्ष समिति' के छत्र तले जनता मोरचा के सहयोगी दलों के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जे.पी. के समर्थक, निर्दलीय व्यक्तियों इत्यादि ने इन कार्यक्रमों को सफल बनाने में पूरा योगदान दिया। इसके अलावा और भी अनेक लोकतंत्र समर्थक संस्थाएँ सामने आईं। कि.म.लो.द. के समर्थन से टिकी हुई जनता सरकार के अनिश्चित भविष्य के बावजूद सभी ने बेझिझक होकर अपने-अपने तरीके से आपातस्थिति का विरोध किया।

उस समय गुजरात तो लोकतंत्र के द्वीप के समान था। पूरे राष्ट्र की निगाह गुजरात पर ही टिकी हुई थी; क्योंकि देश भर में जहाँ लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था, वहीं गुजरात में मोरचा सरकार ने लोकतंत्र के दीपक की लौ को बुझने से अब तक बचाए रखा था। इन्हीं कारणों से गुजरात अन्य प्रांतों के लोकतंत्र-प्रेमियों के मेल-मिलाप का, अपनी बात बे-खौफ प्रस्तुत करने का मंच बना हुआ था। अहमदाबाद ने निडर होकर इन लोकतंत्र-चहेतों का आतिथ्य किया। अहमदाबाद में आपातस्थिति को चुनौती देनेवाले कई सम्मेलन आयोजित हुए। देश के रणबाँकुरों को संगठित करने में गुजरात की भूमि ने विशेष योगदान दिया।

२९ जून को अहमदाबाद में हुई 'सर्वोदय मंडल' की बैठक के बाद ३० जून को 'गुजरात विधानसभा जनता पक्ष' तथा अन्य कई छोटी-बड़ी संस्थाओं ने आपातकाल-विरोधी प्रस्ताव पारित किए। विद्या नगर की 'सरदार पटेल यूनिवर्सिटी क्षेत्र अध्यापक मंडल' की १९ जुलाई, १९७५ की सामान्य सभा ने एक प्रस्ताव

पारित कर देश की तत्कालीन परिस्थिति के लिए खेद व्यक्त किया। इस सामान्य सभा ने गिरफ्तार नेताओं को बिना शर्त मुक्त करने तथा प्री-सेंसरशिप जैसे तानाशाही कानूनों को हटाकर लोकतांत्रिक तरीकों से काम-काज हो सके, वैसा माहौल बनाने के लिए सरकार से अनुरोध किया।

इसी तरह दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी से भी सेवानिवृत्त उपकुलपति श्री चंद्रवदन शाह के नेतृत्व में प्राध्यापकों तथा प्राचार्यों की ओर से एक निवेदन राष्ट्रपति को भेजा गया। इस निवेदन में दक्षिण गुजरात के अध्यापकों ने भारी दुःख प्रदर्शित करते हुए लिखा था—‘आंतरिक आपातस्थिति का बहाना बनाकर विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं की गिरफ्तारी, मनमाने ढंग से अखबारी स्वातंत्र्य पर अंकुश लगाना, कुछ कानूनों के बारे में अदालत के अधिकार-क्षेत्र को नकारना, नागरिकों के बीच भेद उत्पन्न करना, कानून की सर्वोपरिता के आदर्श को ताक पर रख देना तथा और भी इसी प्रकार के कई अलोकतांत्रिक व्यवहारों के द्वारा भारत के शासनकर्ताओं ने लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के प्रति जो अश्रद्धा व्यक्त की है, वह अत्यंत शोचनीय है। संविधान के अंतर्निहित भावों की होनेवाली अवहेलना हमारे लिए व्यग्रता का विषय है।’

गुजरात यूनिवर्सिटी के करीब पाँच सौ प्राध्यापकों व प्राचार्यों ने भी लोकतंत्र की पुनःस्थापना की माँग करनेवाला एक आवेदन अपने हस्ताक्षरों के साथ राष्ट्रपति को भेजा। इस कार्य में सर्वश्री बबाभाई पटेल, विष्णुभाई पंड्या, के.डी. देसाई, प्रवीण सेठ, नारायणभाई भंडारी इत्यादि प्राध्यापकों का विशेष योगदान रहा।

७ अक्टूबर को अहमदाबाद के पंकज विद्यालय में ‘गुजरात आचार्य मंडल’ द्वारा ‘राष्ट्रीय आपातकाल और हमारा धर्म’ विषय पर एक परिसंवाद आयोजित किया गया। इस परिसंवाद के अंत में ‘गुजरात आचार्य मंडल’ ने एक निवेदन जारी किया, जिसमें लिखा था—‘राष्ट्र में घोषित की गई आपातस्थिति से हम बहुत व्याकुल हैं। देश के वर्तमान माहौल को देखते हुए हमें वस्तुतः यह प्रतीत हो रहा है कि आपातस्थिति घोषित करने का कोई उपयुक्त कारण नहीं है।’

‘विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो लोकतंत्र की आत्मा है। यदि देश का साधारण-से-साधारण नागरिक उसे जो सच लगता है वह निडरतापूर्वक (बेशक, उत्तेजना या हिंसा को बढ़ावा न दे, उस लहजे में) कह न पाए तो लोकतंत्र कायम है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है?’

‘अतः हमारी चार माँगें हैं—

१. राष्ट्रीय नेताओं व कार्यकर्ताओं को मुक्त किया जाए।

२. अखबारों पर से सेंसरशिप हटा ली जाए।
३. नागरिकों के मूलभूत अधिकार लौटाए जाएँ।
४. आपातस्थिति समाप्त की जाए।

‘आशा है, देश के करोड़ों नागरिकों की अंतरात्मा की यह आवाज सरकार जल्द-से-जल्द सुनेगी और दुनिया को यह एहसास करवाएगी कि भारत में लोकतंत्र जिंदा है।’

‘गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन’ की १८ अक्टूबर, १९७५ को आयोजित बैठक में प्रसिद्ध विधिवेत्ता श्री चंद्रकांत दुरु ने श्री बी.बी. पटेल के सहयोग से आपातस्थिति तथा तत्संबंधित संविधान संशोधनों के विरोध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि सर्वानुमति से पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि ‘इस सभा की जानकारी के अनुसार, भारत के संविधान में जिन संशोधनों के बारे में सरकार सोच रही है, उनसे आम जनता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह सभा इन संशोधनों की सुसंगतता, योग्यता तथा औचित्य के बारे में अपने प्रतिभाव व्यक्त करने का अपना अधिकार सरकार द्वारा विधिवत् इन संशोधनों को विचार हेतु प्रस्तुत किए जाने तक स्थगित रखती है। फिर भी, एसोसिएशन दृढ़तापूर्वक यह मानता है कि ऐसे संशोधनों के बारे में राजनीतिक व अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों, कुशल वकीलों, संसदीय मामलों के विशेषज्ञों तथा विपक्षीय नेताओं की राय जाने बगैर संशोधन पारित करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कानून के लोकतंत्र-सम्मत अमलीकरण के लिए ऐसा होना अत्यंत आवश्यक है।

‘यह मंडल पुनः अपना मतव्य व्यक्त करता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि संविधान में किसी भी प्रकार के संशोधन से पहले प्रजा तत्संबंधित अपने अभिप्राय स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त कर सके। संबंधित लोगों से भी इस विषय में चर्चा होनी चाहिए।’

विधिविदों की तरह ही गुजरात के शिक्षाविदों ने भी लोकतंत्र पक्षी इस लड़ाई में अपना यथासंभव योगदान दिया था। गुजरात की प्राथमिक, माध्यमिक शालाओं के शिक्षक, प्राध्यापक व आचार्यों के संयुक्त प्रयासों से १ फरवरी, १९७६ के दिन अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल में आयोजित एक सम्मेलन में गुजरात भर के शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया था। इन शिक्षाविदों के सामूहिक प्रयत्नों से इस सम्मेलन में ‘विद्यागुर्जरी’ नामक संस्था गठित की गई। गुजरात विद्यापीठ के उपकुलपति श्री धीरूभाई देसाई की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में एडवोकेट श्री राम जेठमलानी तथा सर्वश्री पी.जी. मावलंकर,

बाबूभाई पटेल, दुर्गाताई भागवत, विष्णुभाई पंड्या, मनुभाई पंचोली, बी.के. मजूमदार, यशवंत शुक्ल, बबाभाई पटेल इत्यादि ने हिस्सा लिया था।

दुर्गाताई भागवत ने अपने वक्तव्य में कहा था, 'हम साहित्यकार हैं। हमारा राजनीति से कोई नाता नहीं है; किंतु देश में यदि कलाकार की कल्पना-शक्ति और लेखक की सृजन-शक्ति को कुंठित करनेवाला माहौल बन रहा हो तो हम मात्र दर्शक बनकर भी नहीं बैठ सकते। साहित्यज्ञ यदि निर्भीक होकर सत्य का अनुसरण करेंगे, तभी वे स्वत्व की रक्षा कर पाएँगे तथा आनेवाली चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। वर्तमान स्थिति से असहमत साहित्यकारों को चाहिए कि सरकार की ओर से मिले इनाम-इकराम वापस लौटाकर वे अपनी असहमति व्यक्त करें।'।

श्री मावलंकर ने अपने प्रवचन में अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा था, 'आज देश में बुद्धि के बल पर जीनेवालों की अपेक्षा बुद्धि को बेचकर जीनेवालों की संख्या बढ़ती जा रही है।'

इस सम्मेलन में पारित प्रस्ताव में भी आपातकाल को समाप्त कर लोकतंत्र की पुनः स्थापना की माँग की गई थी। 'विद्यागुर्जरी' ने प्रस्ताव पारित करने तक ही सीमित न रहकर लोक-जागृति के कार्यक्रमों के आयोजन की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किया था, जिसके पहले कार्यक्रम के अनुसार ७ फरवरी, १९७६ के दिन 'लोकतंत्र बचाओ' दिवस मनाया गया था।

शुरू में 'शिक्षक प्रतिकार समिति' के नाम से जानी जानेवाली 'विद्यागुर्जरी समिति' ने जन-शिक्षा के कई तरह के कार्यक्रम किए। कभी काली पट्टी बाँधकर, कभी मौन जुलूस निकालकर, कभी लाल रंग से क्रॉस किए हुए अखबारों को लपेटकर अहमदाबाद के नेहरू पुल के छोर पर खड़े रहकर और कभी लोगों का मनोरंजन करनेवाली उस समय की मशहूर 'असत्यनारायण की कथा' के कार्यक्रम कर उन्होंने आपातस्थिति के खिलाफ व्यापक जनमत खड़ा किया। २ अक्टूबर को नेहरू पुल के एक छोर पर किसी निपुण कथाकार की तरह श्री धनराज पंडित द्वारा सुनाई गई 'असत्यनारायण की कथा' ने लोगों को बहुत आकर्षित किया था। अनेक प्रकार के कड़े नियंत्रणों के बावजूद उनके द्वारा इस प्रकार की हलकी-फुलकी शैली में किया गया विरोध जन-सामान्य को निडरता का संदेश देने में सफल रहा था।

गोल-मोल संस्कृत भाषा में विरचित इस 'असत्यनारायण की कथा' के कुछ अंश इस प्रकार हैं—

'एकदा जम्बूद्वीपे भरतखण्डे इन्द्रप्रस्थ नगरी मध्ये तीनमूर्ति भवने एक

अतिक्रोधी, सत्ताक्षुधित, राजनीतिक धूर्तता क्षेत्रे प्रवीण इंदिरा गांधी नामधारी गंगास्वरूप महिला प्रतिवसति स्म ! ते मृत्युलोकस्य महादेवी इंदिरा मॉस्को नामधारी आधुनिक वैकुण्ठस्य कोसिजिन नामस्य नूतन विष्णुदेवस्य उपासना नित्य भक्तिभावपूर्वक करोति... ।'

'श्री बरुआ उवाच—'हे कालंजयी, दिग्विजयी, रिपुदलदमनकर्ता, स्वयं साक्षात् ज्योतिस्वरूप, देवलोकस्य अनन्तकालीन देदीप्यमान आत्मसंवर्धक समरश्रेष्ठ बहुबलधारी स्वयं सम्पूर्ण जगत् नियन्ता स्वामी ! (अर्थात् इंदिरा) गुर्जर भूमि मध्ये मत द्वारा सत्ता प्राप्ति युद्ध अतिहीन मार्गे दुर्दशापूर्ण स्थिति मध्ये पराजिता भवति ! अस्य कॉमरेडा: कलियुगे लोकमत नामधारी शस्त्र द्वारा दौर्बल्यपूर्ण मार्गे नष्टं भवेत् तथा अस्य जन्मतः शत्रूणां मोरारजी, अटल बिहारी एवं पीलू मोदी नामधारी प्रतिक्रियापंथी असुराणां राजनीतिक समर्थकाः विजयी भवन्ति... !' '

'परन्तु ये ये नर-नारी एवं कलियुगे नारायणी दुर्गासम प्रधानमंत्रीस्य विरोध करिष्यति ते ते नर-नारीय 'मीसा' नामधारी अति दुःखकारक नरक मध्ये नष्टं भवति !

'वर्तमान पत्रस्य लेखिनी 'प्रीसेंसरशिप' नामस्तु भय एवं दण्ड द्वारा मौना एवं मृता भवन्ति, दूरवाणी (टेलीफोन), नभोवाणी (रेडियो) एवं चित्रवाणी (टेलीविजन) नामस्य सर्वे प्रचार माध्यमाः परतन्त्र एवं इंदिरा आश्रित अस्ति। इंदिरा मृत्युलोके 'ऑर्डिनेंस साम्राज्यस्य महा-अधिष्ठात्रि' रूपेण शासन प्रारम्भिष्यती !

'अन्तिम विजय निश्चितरूपेण प्रजापक्षे अस्ति ! अतः स्वामी विवेकानन्द उवाच—'Awake, arise and wait not till the goal is reached.'—नामस्य जीवनसंजीवनी हृदयंगम कृत्वा गांधी, सुभाष एवं भगतसिंहस्य त्रिविध समन्वय मार्गे नूतन भारतस्य निर्माणार्थे वर्तमान करमध्ये स्वमस्तिष्क गृहीत्वा प्रवृत्तिशील भव !

'अतः असत्यनारायणस्य योजना ते द्वारा असफलं भविष्यति एवं असत्यनारायण कथा सत्यं न भविष्यति इति: । 'जनशक्ति विजय' नामस्य तृतीय अध्यायस्य मंगल प्रारम्भ द्वारा असत्यनारायण कथा समाप्त भवति !'

एक शोचनीय तथा देश भर के लिए आघातपूर्ण घटना को भी इस प्रकार व्यंग्यपूर्ण व हास्यप्रद शैली में प्रस्तुत कर जन-जागृति प्रचार में उसका उपयोग करने जैसी पद्धति भी उन दिनों उपयोग में लाई जाती थी ।

२७ जुलाई को 'गुजराती साहित्य परिषद्' की कार्यवाहक समिति ने एवं फरवरी में पोरबंदर में आयोजित गुजराती साहित्य परिषद् ने श्री यशवंत शुक्ल के

सहयोग से श्री गुलाबदास ब्रोकर द्वारा प्रस्तुत सेंसरशिप विरोधी यह प्रस्ताव पारित किया, 'लेखन, प्रकाशन तथा अभिव्यक्ति के माध्यमों पर लगाए गए सेंसरशिप व अन्य नियंत्रणों से प्रजा के संविधान-प्रदत्त मूलभूत अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उससे 'गुजराती साहित्य परिषद्' का यहाँ पोरबंदर में आयोजित अट्ठाईसवाँ अधिवेशन व्यथित और चिंतित है। अतः यह अधिवेशन सरकार से इन नियंत्रणों को समाप्त करने का अनुरोध करता है।'

उसी प्रकार 'समुत्कर्ष' नामक संस्था के संयोजक श्री कांतिभाई देसाई ने 'आपातस्थिति के प्रभाव' विषय पर आपातस्थिति के प्रतिकार में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करनेवाले नेताओं श्री नारायण देसाई व श्री सी.टी. दरु द्वारा व्याख्यानों के दो सफल कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में अहमदाबाद की जागरूक जनता ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

३० नवंबर को उपराष्ट्रपति श्री बी.डी. जत्ती के सूरत प्रवास के दौरान सूरत के नागरिकों ने श्री गोलंदाज, श्री चंपकभाई सुखडिया तथा विधायक श्री काशीराम राणा के नेतृत्व में उन्हें एक आवेदन-पत्र देकर आपातस्थिति समाप्त करने की माँग की।

१८ जनवरी को साबरमती आश्रम में पूज्य रविशंकर महाराज की अध्यक्षता में आपातस्थिति के प्रतिकार में लगे कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में श्री चंद्रकांत दरु, श्री चुनीभाई वैद्य तथा श्री विष्णुभाई पंड्या की उपस्थिति में आपातस्थिति का निडरतापूर्वक सामना करने के लिए आह्वान किया गया।

गुजरात के विधिवेत्ताओं का सम्मेलन

गुजरात में कुछ कानूनविदों द्वारा आपातस्थिति के समर्थन में कार्यक्रम देने के असफल प्रयत्न किए गए। तत्पश्चात् २८-२९ फरवरी को अहमदाबाद में गुजरात भर के विधिविदों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में आपातस्थिति का कड़ा विरोध किया गया तथा लोकतंत्र के पुनःस्थापन की आवश्यकता पर बल दिया गया, साथ ही अखबारों पर लादी गई सेंसरशिप की कठोर शब्दों में निंदा की गई थी। शुरू से ही सरकार की स्वेच्छाचारी नीतियों के विरोध में निरंतर संघर्ष कर रहे निडर सामयिक 'साधना' व 'भूमिपुत्र' के अभिवादन का प्रस्ताव युवा विधिविद् श्री महेंद्र आनंद ने श्री भास्कर तन्ना के सहयोग से सम्मेलन में प्रस्तुत किया था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ

था। इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित श्री नरेंद्रभाई नथवाणी ने भी विचार-स्वातंत्र्य हेतु लड़नेवाले ऐसे सामयिक पत्रों के महत्त्व पर अपनी राय प्रकट की थी।

अखबारी स्वातंत्र्य सम्मेलन

२४ सितंबर, १९७५ के दिन अहमदाबाद के हिमाभाई इंस्टीट्यूट में 'अखबारी सम्मेलन' के संयोजक श्री विष्णुभाई पंड्या द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। पत्रकार श्री प्रह्लादभाई ब्रह्मभट्ट की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में गुजरात के दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक सामयिकों के संपादकों, पत्रकारों ने हिस्सा लिया।

सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के दौरान प्री-सेंसरशिप के आदेश का पालन करते हुए भी होनेवाली असुविधाओं के बारे में दुःख व्यक्त किया गया। सम्मेलन ने अनुचित व मनमाने ढंग से लेखों को सेंसर करने के मुद्दे पर भी रोष व्यक्त किया।

इस सम्मेलन ने राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद को एक पत्र लिखकर अखबारी स्वतंत्रता के मूल्यों की रक्षा हेतु प्री-सेंसरशिप के आदेश को निरस्त करने की माँग की थी। सम्मेलन ने 'अखबारी संकलन समिति' की रचना की। इस समिति ने छोटे-बड़े अखबारों की उन हालातों में हुई दुर्दशा व उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इस बारे में अपने अवलोकन तथा उनके निवारण हेतु अपने सुझाव दिए थे। इस समिति में श्री विष्णुभाई पंड्या, श्री प्रह्लादभाई ब्रह्मभट्ट, श्री कीर्तिदेव देसाई (के.डी.), श्री प्रकाश शाह व श्री देवीप्रसाद रावल ने अपना योगदान दिया था।

जनता मोरचा सम्मेलन

दस हजार प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अहमदाबाद में प्रादेशिक जनता मोरचा का एक विशाल सम्मेलन १६ नवंबर, १९७५ रविवार के दिन आयोजित किया गया। श्री डी.के. मजूमदार की अध्यक्षता में आयोजित जनता मोरचा के इस प्रथम सम्मेलन में श्री नाना साहब गोरे, श्री एस.एम. जोशी, श्री शांतिभूषण तथा श्री मोहन धारिया जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने भी हिस्सा लिया था। सम्मेलन में भूमिगत कार्यकर्ता श्री कर्पूरी ठाकुर की उपस्थिति उनसे परिचित लोगों के लिए विशेष प्रसन्नता का विषय थी।

एक ओर जहाँ सारा देश एक बड़े कारागृह में तब्दील हो चुका था, वहीं

गुजरात की धरती से केंद्र की तानाशाही के खिलाफ आएदिन आवाजें बुलंद हो रही थीं।

इस सम्मेलन में गुजरात में सफलतापूर्वक कार्यरत जनता मोरचा सरकार तथा दिन-प्रतिदिन सशक्त हो रही मोरचा की सांस्थानिक इकाई को भारतीय राजनीति के विकास-क्रम में एक युग-प्रवर्तक अभीष्ट सीमा-चिह्न के समान माना गया। अधिनायकवादी कठोर व्यवहारों के कारण हताशा के कगार पर आ खड़ी राष्ट्रीय राजनीति के लिए यह सम्मेलन नया उल्लास, नई आशा व नई दिशा प्रदान करनेवाला सिद्ध हुआ।

जनता मोरचा के इस सम्मेलन में लोकतंत्र-विरोधी शक्तियों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ लेने के लिए प्रण किया गया। सम्मेलन में विभिन्न प्रस्ताव पारित कर लोकतंत्र के पुनःस्थापन हेतु आपातस्थिति को समाप्त करने, नेताओं को मुक्त करने, विभिन्न संस्थाओं पर से प्रतिबंध हटाने और प्री-सेंसरशिप के कानून को रद्द करने की माँग की गई थी। एक अन्य प्रस्ताव के द्वारा गुजरात के अनुभवों के आधार पर राष्ट्र-हित के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जनता मोरचा गठित करने का अनुरोध भी किया गया था।

सम्मेलन के दौरान खुलेआम वितरित की गई 'सत्याग्रह समाचार' नामक भूगर्भ पत्रिका ने लोगों को विशेष रूप से आकर्षित किया था। इसका एक कारण था पत्रिका वितरित करनेवालों की निर्भीकता तथा दूसरा कारण यह था कि १४ नवंबर से शुरू हुए देशव्यापी सत्याग्रह से संबद्ध हर प्रांत के समाचार उस पत्रिका में प्रकाशित किए गए थे। ब्लैक-आउट जैसी स्थिति में भी केवल चौबीस घंटों में ही लोगों तक इस प्रकार से समाचारों को पहुँचाने की यह भूमिगत व्यवस्था लोगों के लिए अचंभे का कारण थी।

गुजरात में आपातस्थिति का विरोध दिनोदिन तीव्र होता जा रहा था। कई छोटे-बड़े सम्मेलनों, सभाओं एवं रैलियों द्वारा इस विरोध का प्रदर्शन होता रहता था, जिसकी वजह से मोरचा सरकार के विरोधियों की दिल्ली-दौड़ भी बढ़ती जा रही थी। इस प्रकार गुजरात केंद्र के लिए परेशानी का कारण बन गया था। अतः केंद्र सरकार गुजरात का गला घोटने के लिए घात लगाए बैठी थी; किंतु गुजरात को किसी बात की परवाह न थी। गुजरात का मिजाज बयाँ करने के लिए ही शायद किसी शायर ने कहा होगा—

‘कहो न खुदा से लंगर उठा दे,
हम तूफाँ की जिद देखना चाहते हैं।’

गुजरात ने केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। गुजरात का जैसे अब अपने प्रांतीय सम्मेलनों से मन नहीं भर रहा था; अतः गुजरात की भूमि पर अब राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित होने लगे थे।

नागरिक स्वातंत्र्य परिषद्

अहमदाबाद की 'जनतांत्रिक नागरिक समिति' द्वारा नागरिक स्वातंत्र्य के विषय पर १२ अक्टूबर को अहमदाबाद में एक अखिल भारतीय परिषद् का आयोजन किया गया। आपातस्थिति के संदर्भ में यह एक ऐतिहासिक परिषद् थी।

जाने-माने चिंतक व सुप्रसिद्ध विधिशास्त्री श्री चंद्रकांत दरु एवं श्री वसंत गजेंद्र गडकर के विशेष प्रयत्नों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

इस परिषद् का उद्घाटन बंबई हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्री एम.सी. छागला ने किया था तथा अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जे.सी. शाह ने। इस सम्मेलन को श्री वी.एम. तारकुंडे, श्री मीनू मसानी, श्री एस.एम. जोशी तथा श्री मोहन धारिया जैसे न्यायतंत्र व राजनीति के समर्थ चिंतकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। देश भर से करीब चार सौ प्रतिनिधियों ने इस परिषद् में हिस्सा लिया था।

श्री छागला ने अपने वक्तव्य में राष्ट्र पर आ पड़ी आपदा को लेकर दुःख व्यक्त किया था तथा सरकार की तानाशाही पर कड़े शब्दों में प्रहार किया था। अपने भाषण में उन्होंने कहा था, 'विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा कोई षड्यंत्र नहीं किया गया था; दरअसल षड्यंत्र तो प्रधानमंत्री की ओर से ही किया गया है। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर देने के लिए, अखबारों पर सेंसरशिप लादने के लिए तथा जनता के मूलभूत अधिकारों को छीन लेने के लिए प्रधानमंत्री ने ही यह षड्यंत्र किया है।'

सत्याग्रह का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा था, 'सत्याग्रह कोई कानून-भंग नहीं है। 'सत्याग्रह' शब्द के निहितार्थ ही अहिंसा व सत्य हैं। विश्व के राजनीतिक शब्दकोश में यह शब्द महात्माजी की देन है; परंतु इस शब्द की प्रासंगिकता के लिए यदि गांधीजी के समय तक न जाया जाए तो भी अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि सत्याग्रह पूर्णतः विधिसम्मत है।' संविधान का हवाला देकर किए जानेवाले अलोकतांत्रिक व्यवहारों पर अपना रोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा था, 'तानाशाही का सर्वाधिक विकृत स्वरूप यदि कोई है तो वह है इस प्रकार की संवैधानिक तानाशाही। मेरे अनुसार, इंदिरा गांधी जो भी कर रही हैं वह संवैधानिक

रूप से सही है, ऐसा कहने या ऐसे भ्रम में रहने के बजाय संविधान को फेंक देना अधिक उचित होगा।'

इस परिषद् में सर्वश्री सोली सोराबजी, के.डी. देसाई, शांतिलाल शाह (प्रबंधक ट्रस्टी, जन्मभूमि) तथा विष्णुभाई पंड्या ने आपातस्थिति और प्री-सेंसरशिप कानून के खिलाफ प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिन्हें सर्वानुमति से पारित किया गया।

श्री एम.सी. छागला के ओजपूर्ण वक्तव्य ने सरकार को इतना बेचैन कर दिया था कि उस वक्तव्य को प्रकाशित होने से रोकने के लिए 'साधना' तथा 'भूमिपुत्र' पर सख्त सेंसरशिप लागू करने तथा अंक जब्ती के आदेश जारी कर दिए गए थे।

संघर्ष समिति से जुड़े संघ के कार्यकर्ताओं ने श्री छागला के वक्तव्य को देश के कोने-कोने तक पहुँचाने का निश्चय किया। परिणामतः श्री छागला के वक्तव्य की 'भूगर्भ पत्रिका' की लगभग एक लाख प्रतियाँ देश के विभिन्न हिस्सों में छापकर वितरित की गईं।

उसी सम्मेलन में अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देते हुए श्री जे.सी. शाह ने कहा, 'ध्येयनिष्ठ व सद्गुणी व्यक्तियों के बजाय अवसरवादी भ्रष्टाचारी राजनेताओं के हाथ देश की बागडोर पड़ जाए तो कैसे खतरे आ खड़े होते हैं, इस बात से अब हम परिचित हैं। भविष्य में इसके प्रति अब हमें सतर्क रहना चाहिए तथा जनतंत्र को प्रशासनिक शैली मात्र न मानकर उसे जीवन-शैली के रूप में भी स्वीकार करना चाहिए।'

सम्मेलन की अप्रतिम सफलता में श्री दुरु साहब के अलावा प्रसिद्ध विधिविद् श्री हरिभाई शाह, कामदार नेता श्री प्रसन्नदास पटवारी, श्री दशरथलाल ठाकुर, श्री अरुणभाई दिवेटिया, श्री प्रवीणभाई शाह, श्री जयंतीभाई पटेल तथा संघ के कुछ कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान रहा।

विराट जनसभा

१२ अक्टूबर को नागरिक स्वातंत्र्य परिषद् की समाप्ति के बाद 'गुजरात जनतंत्र समाज' की ओर से एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गई थी। सेंसरशिप के बावजूद इस सभा के बारे में घर-घर तक सूचना पहुँच गई थी तथा बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे। गुजरात में पहली बार ही राष्ट्रीय नेताओं की यह सार्वजनिक सभा आयोजित हुई थी। प्रतिकार के प्रारंभ से ही निडरतापूर्वक संघर्ष में लगे श्री वी.एम. तारकुंडे इस सभा का विशेष आकर्षण थे। श्री एस.एम. जोशी ने अपने वक्तव्य में जनता मोरचा

को विजयी बनानेवाली जनता का अभिवादन किया। इस सभा को श्री पुरुषोत्तम मावलंकर तथा श्री मोहन धारिया आदि ने संबोधित किया था।

इस सभा में 'जनतंत्र समाज' की ओर से श्री दरु ने अहमदाबाद की नवगठित कॉरपोरेशन से अनुरोध किया कि वह अपने कार्यकाल के सबसे पहले प्रस्ताव द्वारा ही खानपुर मैदान को 'जयप्रकाश चौक' नाम देने का निर्णय ले।

संविधान रक्षा परिषद्

संविधान में मनचाहे ढंग से संशोधन कर उसके मूलभूत ढाँचे को बदल डालने के कथित रूप से चल रहे प्रयत्नों के खिलाफ नई दिल्ली की बार काउंसिल द्वारा किए गए सख्त विरोध के अनुसरण के रूप में अहमदाबाद में भी १ जनवरी के दिन कानूनविदों द्वारा 'संविधान रक्षा परिषद्' का गठन किया गया।

संविधान में किए जानेवाले संशोधनों से मूलभूत नागरिक अधिकारों का हनन होगा तथा न्यायपालिका के सरकारी अनुभाग मात्र बनकर रह जाने से नागरिकों के न्यायाधिकार में कटौती होगी, ऐसा स्पष्ट अभिप्राय इस परिषद् में विभिन्न अग्रगण्य विधि विशेषज्ञों ने व्यक्त किया। इस परिषद् में बार एसोसिएशन के प्रमुख श्री राम जेठमलानी, 'सिटिजंस फॉर डेमोक्रेसी' के मंत्री श्री तारकुंडे, प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ श्री शांतिभूषण, श्री चंद्रकांत दरु इत्यादि ने नागरिकों से इस तथाकथित संविधान संशोधन के मायाजाल के प्रति सतर्क रहने की अपील की। इस परिषद् में श्री कृष्णकांत भी उपस्थित रहे थे। परिषद् में पारित एक प्रस्ताव में आपातस्थिति हटाने के पश्चात् ही स्वतंत्र माहौल में संविधान संशोधन की चर्चा करने पर जोर दिया गया था।

रेडिकल ह्यूमेनिस्टों का सम्मेलन

सत्तालीलुप राजनीति की खींचातानी से निर्लिप्त रहकर शिक्षा द्वारा मानव-मूल्यों का परिपोषण करने के पक्षधर रेडिकल ह्यूमेनिस्टों की संस्था का दूसरा द्वि-वार्षिक सम्मेलन अहमदाबाद में २६ से २८ दिसंबर के बीच आयोजित हुआ।

सम्मेलन के उद्घाटक श्री तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री, अध्यक्ष श्री जे.बी.एम. वाडिया तथा श्री तारकुंडे, श्री जी.डी. पारिख, श्री वी.पी. कार्णिक, श्री मणी बहन कारा, श्री दरु, प्रा. श्री ए.बी. शाह, प्रा. श्री सी.आर.एम. राजा, श्री आर.एल. निगम जैसे अग्रगण्य ह्यूमेनिस्टों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। इनके अलावा अंतरराष्ट्रीय ह्यूमेनिस्टों एवं एथिकल यूनियन के प्रो. पॉल कर्ट्ज भी विशेष रूप

से उपस्थित रहे थे। सम्मेलन को श्री जयप्रकाशजी व अन्य अग्रणियों द्वारा शुभेच्छा-संदेश भेजे गए थे।

आपातस्थिति और मूलभूत अधिकारों व स्वतंत्रता पर लादे गए नियंत्रणों के संदर्भ में यह सम्मेलन विशेष महत्त्व रखता था। तीन दिनों तक चले इस सम्मेलन के अंत में पारित एक प्रस्ताव में आपातस्थिति की घोषणा को अत्यंत दुःखद घटना बताया गया। इस प्रस्ताव में शीघ्रातिशीघ्र लोकसभा के चुनाव करवाने की माँग भी की गई थी।

गुजरात में इन सम्मेलनों से एक नए प्रकार का माहौल बना था। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शिक्षण संस्थाएँ व न्यायालय ऐसे किसी-न-किसी कार्यक्रम में व्यस्त रहते थे। 'नव-निर्माण आंदोलन' के समय सक्रिय रहनेवाले अध्यापक मंडल या अन्य मंडल चुप थे; किंतु युवा, प्राध्यापक, वकील इत्यादि बहुत सक्रिय थे। १३ मार्च, १९७६ से गुजरात में आपातस्थिति के पूर्ण अमलीकरण के बाद भी यह परंपरा बनी रही। 'विद्यागुर्जरी' ने उन दिनों में भी डॉ. अशोक मेहता के सार्वजनिक उद्बोधन का आयोजन किया था। दुर्गाताई भागवत ने सूरत यूनिवर्सिटी में प्राध्यापकों को संबोधित किया था।

इस प्रकार सभा-सम्मेलनों के द्वारा जन-जागृति का कार्य निरंतर चलता रहा।

□

प्रकरण-१२

कार्यकारिणी बैठक से कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस तक

भूमिगत नेताओं का अब गुजरात में आना-जाना अकसर होता रहता था। ये नेता सहजता से प्रजा व कार्यकर्ताओं के साथ रहकर विभिन्न गतिविधियाँ चलाते रहते थे। कई नेता तो गुजरात में ही पड़ाव डाले रहते थे; जबकि लोक संघर्ष समिति के ध्वज तले देशव्यापी भूमिगत आंदोलन चलानेवाले नेताओं से कभी-कभार ही एक सरसरी सी भेंट हो पाती थी। ऐसे ही एक सरसरे दौर पर संघ के अखिल भारतीय नेता श्री मोरोपंत पिंगले, संस्था कांग्रेस के श्री रवींद्र वर्मा, गांधी शांति प्रतिष्ठान के श्री राधाकृष्णन, जनसंघ के श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी व श्री सुंदर सिंह भंडारी, भारतीय मजदूर संघ के श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी इत्यादि नेता सितंबर-अक्तूबर माह के दौरान गुजरात आए थे।

उन दिनों सरकार के विरोध में व्यापक जन-आंदोलन खड़ा करने की मंत्रणा चल रही थी। तत्संबंधित संभावनाओं के बारे में पता लगाने के लिए ये नेता सारे देश का भ्रमण कर योजना को अंतिम स्वरूप देने के लिए प्रयत्नशील थे।

श्री रवींद्र वर्मा का एक पुत्र हरि, आपातस्थिति और श्री वर्मा के खिलाफ निकले वारंट के कारण घर पर रहते हुए शांतचित्त से अध्ययन करना मुश्किल हो जाने के कारण, अहमदाबाद के एक जाने-माने राजनीतिज्ञ के यहाँ रहकर अध्ययन कर रहा था। उस सिलसिले में वैसे भी श्री रवींद्र वर्मा कई बार अहमदाबाद आया करते थे।

श्री वर्मा अपने गुजरात प्रवास के दौरान 'सुरेश' छद्म नाम से जाने जाते थे। सामान्यतः खादी का कुरता-पाजामा पहननेवाले छोटी काठी व साँवली देहवाले श्री वर्मा अपनी पहचान छिपाने के लिए उन दिनों कभी-कभी सफारी सूट पहन लिया

करते थे। कभी-कभी गोगल्स भी लगा लिया करते थे। एकाध मुलाकात में जिनकी शक्तियों के बारे में सही अनुमान न किया जा सके वैसे अतिविनम्र स्वभाववाले वर्माजी से हमारा सितंबर माह में परिचय हुआ। गुजरात में संघ के प्रांत प्रचारक श्री केशवराव देशमुखजी के संपर्क स्थानों के पते तथा अन्य आवश्यक जानकारी उन्होंने गुजरात आने से पहले ही दिल्ली स्थित संघ के भूमिगत नेताओं के पास से प्राप्त कर ली थी। श्री वसंतभाई के माध्यम से उनसे मेरा पहला परिचय हुआ।

उनके साथ बातचीत के दौरान देश की स्थिति तथा आंदोलन से जुड़ी संभावनाओं के बारे में जानकारी मिली। संघ की संगठन व्यवस्था एवं संघ के द्वारा देश भर में की गई भूमिगत व्यवस्थाओं से वे अति प्रसन्न थे। श्री देशमुखजी से भी उन्होंने गुजरात के हालातों के बारे में जानकारी प्राप्त की। गुजरात सरकार की बरखास्तगी की संभावनाओं के बारे में पूर्वानुमान करते समय सरकार के जाने के बाद संघ कितनी ताकत से काम जारी रख पाएगा, इसके बारे में भी उनके साथ विचार-विमर्श हुआ।

श्री वर्मा अपनी गुजरात यात्रा के दौरान कई अग्रगण्य लोगों से मिले। जनता मोरचा के सहयोगी दलों के नेताओं एवं लोक संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं के अलावा सत्तारूढ़ कांग्रेस के ही कुछ असंतुष्ट नेताओं, जो कि आपातस्थिति को लेकर नाराज थे, से भी उनकी मुलाकातें हुईं।

जनसंघ कार्यकारिणी समिति की बैठक

आपातस्थिति के कारण जनसंघ के अधिकांश छोटे-बड़े कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल दिया गया था; किंतु कुछ नेता गिरफ्तारी से बचकर भूमिगत हो गए थे। इन परिस्थितियों में राष्ट्र की स्थिति के संबंध में विचार हेतु होनेवाली अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक संभव न हो सकी थी, क्योंकि बैठक आयोजित किए जाने पर रहे-सहे नेताओं के भी गिरफ्तार हो जाने का भय था। ऐसे में चूँकि गुजरात की स्थिति अपेक्षाकृत सुरक्षित थी, अतः १२ अक्टूबर के दिन अहमदाबाद में एक भूमिगत बैठक का आयोजन किया गया।

१२ अक्टूबर को बैठक आयोजित करने का एक विशेष प्रयोजन था। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए आनेवालों में से अधिकांश सदस्य भूमिगत गतिविधियों के संचालन में लगे हुए थे। उन सभी को धर दबोचने के लिए सरकार आकाश-पाताल एक कर रही थी। अन्य कुछ सदस्य ऐसे भी थे जिनके लिए वारंट तो नहीं निकले थे, किंतु वे अपनी गतिविधियों को लेकर बहुत चर्चित थे। इन दोनों प्रकार

के कार्यकर्ताओं के बैठक में एक साथ उपस्थित रहने पर कई खतरे खड़े हो सकते थे। इसके अलावा, जो नेता भूमिगत नहीं थे उन पर भी पुलिस की कड़ी निगरानी तो थी ही। उनकी हर एक गतिविधि की सूचना सरकार को मिलती रहती थी। दो-चार घंटों के लिए तो शायद पुलिस को अँधेरे में रखा जा सकता था, किंतु दो-चार दिनों तक ऐसा करने पर सरकार के सतर्क हो जाने से नई मुसीबतें पैदा होने की पूरी संभावना थी।

इन सभी कठिनाइयों पर गौर करते हुए गुजरात जनसंघ के नेताओं ने एक सटीक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार जिनके खिलाफ वारंट नहीं निकले थे, उन कार्यकर्ताओं को १२ अक्टूबर को अहमदाबाद में आयोजित होनेवाली 'अखिल हिंद नागरिक स्वातंत्र्य परिषद्' के आमंत्रण भेजे गए और ऐसा आभास कराया गया मानो वे इस परिषद् में शामिल होने के लिए अहमदाबाद आ रहे हों।

दूसरी ओर, जो भूमिगत कार्यकर्ता थे, वे यथासंभव दो दिन पहले ही अहमदाबाद पहुँच जाएँ, ऐसी सूचना दे दी गई। दिल्ली की ओर से अहमदाबाद आनेवाले को साबरमती स्टेशन पर तथा बंबई की तरफ से आनेवालों को मणीनगर स्टेशन पर उतरना था। आनेवाले नेता हालाँकि गुजरात के लिए सुपरिचित थे, फिर भी उनके द्वारा किए गए वेश-परिवर्तन के कारण संभव था कि उन्हें पहचाना न जा सके। अतः तय किया गया कि आनेवाले प्रत्येक भूमिगत कार्यकर्ता स्टेशन पर उतरने के बाद 'इलस्ट्रेटेड वीकली' पत्रिका का एक अंक अपने हाथ में लिये रहेंगे। इसके अलावा, यह भी तय किया गया कि स्टेशन पर अतिथियों के स्वागत के लिए उपस्थित रहनेवाले कार्यकर्ता अपने हाथ में सफेद रूमाल लिये रहेंगे, ताकि अतिथि भी उन्हें पहचान सकें। ये सूचनाएँ सभी कार्यकर्ताओं तक पहुँचा दी गई।

निश्चित कार्यक्रम के अनुसार देश भर से कार्यकर्ता अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। अतिथियों को स्टेशन से लाने के लिए बहुपरिचित कार्यकर्ताओं का जाना ठीक नहीं था, अतः कम परिचित कार्यकर्ता व बहनों का इस हेतु सहयोग लिया गया। १२ तारीख से पहले ही सर्वश्री सुंदर सिंह भंडारी, स्वामी, खुराना, धनराज ओझा, जगदीश प्रसाद माथुर, राजेन शर्मा इत्यादि कई भूमिगत नेता अहमदाबाद पहुँच गए और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ठहरा दिया गया।

उनके निवास-स्थानों के बारे में भी विशेष सावधानी बरती गई। एक निवास-स्थान पर अधिक-से-अधिक दो भूमिगत कार्यकर्ताओं को ठहराया गया, ताकि एक साथ कई कार्यकर्ताओं के पकड़े जाने के खतरे को टाला जा सके। जो

कार्यकर्ता भूमिगत नहीं थे उनकी निवास व्यवस्था में भी आवश्यकतानुसार सावधानी बरती गई।

बैठक के स्थान भी इस सावधानी के साथ तय किए गए कि आस-पास के लोगों को भी उसका पता न चल पाए। जो भूमिगत नहीं थे, उन कार्यकर्ताओं को सवेरे आधे घंटे के लिए एच.के. कॉलेज के सभागार में चल रही 'नागरिक परिषद्' में भेजा गया, ताकि देश भर से अहमदाबाद पहुँचे इंटेलिजेंस विभाग के लोग कार्यकर्ताओं को उपस्थित देख निश्चित हो जाएँ और संशय की कोई स्थिति उत्पन्न न हो। कुछ समय परिषद् में उपस्थित रहने के पश्चात् इन कार्यकर्ताओं को पूर्व नियत स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ से निकलकर तय किए हुए अलग-अलग घरों पर और वहाँ से बैठक स्थान पर पहुँचना था। भूमिगत कार्यकर्ताओं को ऐसे किसी दिखावे की प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता न होने से उन्हें बैठक के स्थान पर लाना अपेक्षाकृत अधिक सरल था। कार्यकर्ताओं को बैठक के लिए लाने का कार्य बिना किसी रुकावट के संपन्न हुआ।

इतनी सावधानी के बावजूद एक स्थान पर तीन घंटे से अधिक समय के लिए बैठक नहीं की जाती थी। बैठक का प्रातःकालीन सत्र एक स्थान पर होता था, तत्पश्चात् भोजनावकाश के समय सभी अपने-अपने निवास-स्थान पर जाते और उसके बाद बैठक का दूसरा सत्र किसी अन्य स्थान पर होता था। इस प्रकार बैठक का प्रत्येक सत्र अलग-अलग स्थानों पर करने की व्यवस्था की गई थी।

उन दिनों केंद्र सरकार दृढ़तापूर्वक यह मानती थी कि सारे भूमिगत नेता गुजरात में ही रहते हैं। परिणामस्वरूप गुजरात के सभी प्रवेश मार्गों पर कड़ी निगरानी रहती थी। इसके अलावा 'अखिल हिंद नागरिक स्वातंत्र्य परिषद्' में शामिल होने के लिए अन्य राज्यों से आए सदस्यों के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए हर राज्य से भेजे गए इंटेलिजेंस विभाग के लोग एवं केंद्रीय गुप्तचर सेवा के अधिकारी बड़ी संख्या में अहमदाबाद में पड़ाव डाले हुए थे। सरकार की इतनी पहरेदारी के बावजूद अहमदाबाद में, जिसमें तीस से भी अधिक राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल हुए हों वैसी, जनसंघ की कार्यकारिणी की भूमिगत बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

इस बैठक में दिवंगत नेता श्री कामराज एवं आपातकाल के कुठाराघातों को सहते हुए जेल में ही शहीद हो जानेवाले कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया गया। अन्य एक प्रस्ताव में आपातस्थिति के कारणों तथा उसके बाद की राजनीतिक स्थिति की समीक्षा की गई। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया

कि जनसंघ के सारे कार्यकर्ता लोक संघर्ष समिति के सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दें। संघ के कार्यकर्ताओं से यह भी अपील की गई कि वे सरकार द्वारा दी गई इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विजय प्राप्त होने तक संघर्ष में लगे रहें।

बैठक में सम्मिलित होने के लिए आए हुए डॉ. स्वामी ने भावनगर का भी प्रवास किया। मेरा एवं डॉ. स्वामी का कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यों के सिलसिले में भावनगर जाना हुआ था। उस प्रवास के दौरान भावनगर के कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में डॉ. स्वामी ने देश भर में चल रहे भूमिगत आंदोलन के प्रभावों के बारे में कई घटनाओं का उल्लेख करते हुए कार्यकर्ताओं से अपील की कि लोकतंत्र की जीत पर विश्वास रखते हुए वे बिना हताश हुए काम करते रहें।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्

जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में अहमदाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। विद्यार्थी परिषद् पर भी श्रीमती गांधी कोपायमान थीं। परिणामस्वरूप विद्यार्थी संगठन के भी कई छोटे-बड़े कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया गया था। फिर भी बहुत से विद्यार्थी गिरफ्तारी से बचते हुए भूमिगत हो गए थे। ये भूमिगत विद्यार्थी कार्यकर्ता राष्ट्रव्यापी आंदोलन के माध्यम से विद्यार्थियों में चेतना का प्रसार कर तथा उन्हें भयमुक्त कर संघर्ष के लिए संगठित करने के प्रयत्न किया करते थे। विद्यार्थी परिषद् के इन संघर्षरत कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी जनसंघ कार्यकारिणी की बैठक के समान ही पूरी सावधानी के साथ आयोजित की गई।

इस बैठक में देश के कोने-कोने से लगभग पचास कार्यकर्ता अहमदाबाद पहुँचे थे। विद्यार्थी संगठनों में गुप्तचर विभाग के लोगों की पहुँच होने की संभावना अधिक होती है, अतः बैठक की समाप्ति के बाद हर कार्यकर्ता को सकुशल वापस पहुँचाने तक की सारी जिम्मेदारी गुजरात ने ले रखी थी। इस भूमिगत बैठक का सारा प्रबंध विद्यार्थी परिषद् की गुजरात शाखा के कार्यकर्ताओं सर्वश्री नारायणभाई भंडारी, चंद्रकांत शुक्ल, नटवरभाई राजगुरु इत्यादि ने अपने जिम्मे ले लिया था।

इस बैठक में विद्यार्थियों को अधिकाधिक सक्रिय बनाने की योजनाएँ बनाई गईं; इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि विभिन्न विद्यार्थी समूह अपनी समस्याओं के खिलाफ निडरतापूर्वक आवाज उठा सकें, इस हेतु भी प्रयत्न किए जाएँ। संघर्ष के दौरान विद्यार्थियों द्वारा की जानेवाली गतिविधियों व आपातस्थिति

के नाम पर विद्यार्थियों पर हो रहे अत्याचारों की जानकारी देनेवाली भूगर्भ पत्रिकाएँ तैयार कर प्रत्येक कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच वितरित करने की योजना भी बनाई गई।

इसी दौरान केंद्रीय लोक संघर्ष समिति के राष्ट्रीय नेताओं की एक भूमिगत बैठक भी अहमदाबाद में आयोजित हुई थी।

कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस

अक्टूबर माह के अंत में कॉमनवेल्थ देशों के संसदीय प्रतिनिधियों का एक विशाल सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ था। लोकतंत्र के नाम पर नित्य नए अध्यादेश जारी कर अपने अस्तित्व को जबरन बनाए रखनेवाली तानाशाह केंद्र सरकार द्वारा दुनिया के सामने अपनी छवि को धूमिल होने से बचाए रखने के लिए हर प्रकार की मिथ्याचारी लीलाएँ किए जाने की पूरी संभावना थी। सभी जानते थे कि वह विपक्ष तथा जे.पी. को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी और ऐसा ही हुआ। श्रीमती गांधी की सरकार ने अपनी हर करतूत को सही ठहराने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को ही मंच बनाया। अपने आपको लोकतंत्र का सबसे बड़ा संरक्षक साबित करने के लिए नाना प्रकार के दिखावे उन्होंने किए।

विपक्षी दल इस प्रकार की संभावनाओं के बारे में पहले से ही आगाह थे। अतः सितंबर-अक्टूबर में अहमदाबाद में एकत्र हुए लोक संघर्ष समिति के नेताओं ने भी सरकार की ओर से आनेवाली मिथ्या प्रचार की बाढ़ के सच को सामने लाकर रोकने की योजना बनाई। इस योजना के अनुसार आपातस्थिति की राजनीतिक समीक्षा, सरकार द्वारा चलाया गया दमन चक्र, लोकतंत्र के प्रति विपक्षी दलों का दृष्टिकोण इत्यादि विषयों पर तथ्यात्मक जानकारी से युक्त छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ अंग्रेजी भाषा में छपवाकर उन्हें सरकार द्वारा झूठ का सहारा लिये जाने की स्थिति में विदेशी प्रतिनिधियों को वितरित करने का निर्णय लिया गया। इतनी बड़ी संख्या में प्रतिबंधित विषय-वस्तुवाली पुस्तिकाओं को तैयार करना भी एक कठिन और जोखिम का काम था। केंद्रीय लोक संघर्ष समिति की ओर से यह कार्य गुजरात के संघ के कार्यकर्ताओं को सौंपा गया। इन पुस्तिकाओं को छपवाकर उन्हें दिल्ली तक पहुँचाने की पूरी जिम्मेदारी हम पर थी।

इस प्रयोजन हेतु पाँच पुस्तिकाएँ तैयार की जानी थीं—

1. Indian Press Gagged
2. Facts (Nail Indira's Lies)

3. 20 Lies of Mrs. Anti Gandhi

4. 'When Disobedience to Law is a Duty'—Mahatma Gandhi

5. A Decade of Economic Chaos

जनसंघ के कार्यालय मंत्री श्री बचुभाई ठाकुर की सहायता से हमने इन पुस्तिकाओं को छपवाने का कार्य संपन्न किया। उन दिनों मोरचा सरकार होने के बावजूद भूगर्भ साहित्य की तलाश में प्रिंटिंग प्रेसों पर आएदिन छापे पड़ते ही रहते थे। इस स्थिति में भी गुजरात के कुछ प्रेस किसी भी आपत्ति को झेल लेने की हिम्मत के साथ इन पुस्तिकाओं की हजारों प्रतियों को छापने के लिए तैयार हो गए।

पुस्तिकाएँ तो छप गईं, किंतु इतनी सारी प्रतियों को दिल्ली तक पहुँचाना एक और कठिन काम था। इस समस्या से भी निपटा गया—संघ के साहसिक एवं चपल कार्यकर्ताओं में से कुछ को ट्रेन द्वारा दिल्ली भेजा गया। इन कार्यकर्ताओं के सामान के बीच छिपाकर पुस्तिकाओं को भी दिल्ली पहुँचा दिया गया। इन पुस्तिकाओं का उपयोग कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस के अलावा चंडीगढ़ में आयोजित हो रहे तत्कालीन शासक कांग्रेस के अधिवेशन में भी किया जाता था।

पुस्तिकाएँ सकुशल दिल्ली पहुँचाने के बाद कॉन्फ्रेंस में आए हुए प्रतिनिधियों तक उन्हें पहुँचाना था, जो कि सर्वाधिक कठिन कार्य था। सरकार पूरी तरह सतर्क थी। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे प्रतिनिधियों में बहुतायत शासक कांग्रेस के ही थे। इस कॉन्फ्रेंस में गुजरात विधानसभा के प्रतिनिधि के रूप में मोरचा के सहयोगी दल जनसंघ के कच्छ-मांडवी के विधायक श्री सुरेश मेहता को भेजा गया था। दिल्ली में इस आपातकाल-विरोधी साहित्य के वितरण का कार्य उन्हें सौंपा गया। उन्होंने हिम्मत से काम लेते हुए अत्यंत सावधानीपूर्वक लोक संघर्ष समिति द्वारा प्रकाशित सरकार के झूठे प्रचार का पर्दाफाश करनेवाले इस साहित्य को कॉन्फ्रेंस के सभी प्रतिनिधियों तक पहुँचा दिया। सरकार कुछ समझ पाए, उससे पहले ही यह काम निपटा दिया गया और सरकार हाथ मलती रह गई। इस प्रकार गुजरात में गढ़ी गई यह योजना पूरी तरह सफल हुई।

कॉन्फ्रेंस के सदस्यों का गुजरात प्रवास और गिरफ्तारियाँ

कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने आए प्रतिनिधियों के लिए भारत भ्रमण का आयोजन भी किया गया था। अतः लोक संघर्ष समिति द्वारा इन सदस्यों के प्रवास के हर निर्धारित स्थान पर भारत की लोकतंत्र चाहक जनता द्वारा चलाए

जा रहे आपातकाल-विरोधी प्रतिकार के प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाया गया। यह कार्यक्रम गुजरात में तो अपेक्षाकृत सरलतापूर्वक हुआ, किंतु अन्य राज्यों में इससे जुड़े लोक संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम के बाद बुरी तरह पीटा गया था।

भैया दूज के दिन अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर कॉन्फ्रेंस के सदस्यों के आगमन के समय संघ के कार्यकर्ताओं ने नारों एवं प्ले कार्ड के जरिए भारत सरकार की लोकतंत्र-विरोधी हरकतों के प्रति प्रजा की असहमति के प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाया। इसके लिए संघ के कार्यकर्ता हवाई अड्डे पर पहुँचे; किंतु हवाई जहाज के आने से पहले ही मोरचा सरकार द्वारा घोषित निर्देशों की अवहेलना करते हुए अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने सभी को गिरफ्तार कर लिया।

संघ के लगभग पैंतीस कार्यकर्ताओं के अलावा प्रदर्शन की रिपोर्टिंग के लिए आए हुए 'साधना' के संपादक श्री विष्णुभाई पंड्या, जो कि वहाँ उपस्थित सांसद श्री मावलंकरजी से बातचीत कर रहे थे, को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 'मोरचा' के सहयोगी दलों में इस घटना को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया हुई। हालाँकि बाद में सभी को रिहा कर दिया गया था, किंतु सरकार के इस मनमाने बरताव का कई लोगों ने विरोध किया। जनसंघ के श्री वसंतभाई ने भी मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर इस बारे में अपना विरोध प्रकट किया। श्री विष्णुभाई ने भी पत्र लिखा, जिसके प्रतिउत्तर में गृह सचिव ने लिखित रूप में क्षमा-याचना की तथा संघर्ष समिति की बैठक में भी इस घटना के प्रति खेद व्यक्त किया।

डॉ. स्वामी की कॉमनवेल्थ प्रतिनिधियों से मुलाकात

केंद्रीय लोक संघर्ष समिति द्वारा डॉ. स्वामी को एक विशेष कार्य सौंपा गया था। कॉमनवेल्थ के प्रतिनिधियों से मिलकर भारत में लोकतंत्र पर छाए संकट के बारे में उन्हें जानकारी देने तथा इस बारे में उनके दृष्टिकोण जानने, उनसे विचार-विमर्श करने का कार्य डॉ. स्वामी को करना था। इस कार्य के लिए डॉ. स्वामी ने गुजरात को चुना। चूँकि डॉ. स्वामी भूमिगत थे, अतः यह कार्य बहुत सावधानीपूर्वक करना था। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से 'R.S.S. and Emergency' विषय पर एक विस्तृत विवरण भी सभी प्रतिनिधियों को देना था। यह कार्य विधायक श्री अशोक भट्ट को सौंपा गया था।

डॉ. स्वामी की प्रतिनिधियों से मुलाकात हो सके, इस हेतु ये प्रतिनिधि जहाँ ठहरने वाले थे, उस 'कामा होटल' में ही एक कमरा पहले से आरक्षित करवा लिया

गया था। फलस्वरूप, इन प्रतिनिधियों से डॉ. स्वामी की गुप्त मुलाकात संभव हो सकी थी। उनके साथ श्री विष्णुभाई पंड्या भी थे। कई प्रतिनिधि डॉ. स्वामी की हिम्मत देख चकित थे। उन्होंने भारत की जनता के इस संघर्ष में अपनी नैतिक सहमति भी व्यक्त की थी। डॉ. स्वामी से बातचीत एवं प्रचार साहित्य को देखकर मॉरीशस के प्रतिनिधि ने तो कहा भी था कि 'गुजरात पहुँचने पर हमें लगा था कि हम स्वतंत्रता के द्वीप में आ पहुँचे हैं; किंतु आपने तो समूचे देश को स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए संघर्षरत द्वीप बना दिया है।'

□

प्रकरण-१३

सत्याग्रह की तैयारियाँ

'लोक संघर्ष समिति' के मंत्री पद का दायित्व सँभालनेवाले भूमिगत नेता श्री नानाजी देशमुख को गिरफ्तार करने में सरकार सफल हो गई थी। श्री नानाजी की गिरफ्तारी से संघर्ष के कार्यक्रम में कुछ हद तक रुकावट भी पड़ी थी। नानाजी ने भूमिगत अवस्था के दौरान ही देश भर का भ्रमण कर संघर्ष में लगे लोगों की शक्ति तथा स्थिति को समझ लिया था। सत्याग्रह की योजना के बारे में भी हर प्रांत के कार्यकर्ताओं से मिलकर, उनसे विस्तृत चर्चा कर उन्होंने सत्याग्रह की सफलता के संबंध में आकलन कर लिया था। इतने पूर्वाभ्यास के बाद वे सत्याग्रह को कार्यरूप दे सकें, इससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

उन हालात में एक दिन सवेरे-सवेरे ही श्री रवींद्र वर्मा अहमदाबाद आ पहुँचे। आते ही उन्होंने मेरे निवास-स्थान पर टेलीफोन किया। वे मुझे 'प्रकाश' के उपनाम से बुलाया करते थे। उन्होंने संघ के प्रांत प्रचारक श्री केशवराव देशमुख से मिलने की इच्छा प्रकट की। उनके टेलीफोन से प्रतीत हो रहा था कि वे किसी महत्वपूर्ण कार्य के सिलसिले में आए हैं। वे कुछ जल्दी में थे। श्री शंकरसिंह वाघेला एक घंटे में ही श्री रवींद्र वर्मा को लेकर हमसे मिलने आ पहुँचे।

श्री रवींद्र वर्मा उर्फ 'सुरेश' पहले की तुलना में बहुत बदले-बदले से लग रहे थे। सामान्यतः प्रसन्नचित्त रहनेवाले श्री वर्मा बहुत गंभीर दिखाई दे रहे थे। उन्होंने वेश-परिवर्तन भी काफी सावधानीपूर्वक कर रखा था। मुसलिम दाढ़ीवाले फैज कैप पहने श्री वर्मा का व्यक्तित्व बिलकुल अलग लग रहा था।

व्यथित भाव से श्री वर्मा ने श्री नानाजी की गिरफ्तारी का समाचार हमें दिया। इस गिरफ्तारी से संघर्ष की गति को लगे आघात के कारण वे बहुत उद्विग्न

दिखाई दे रहे थे। यह समाचार हमारे लिए भी नया था। नानाजी के साथ-साथ भूमिगत संपर्क केंद्रों के बारे जानकारी भी सरकार के हाथ लग जाने के बारे में उन्होंने अपना संदेह व्यक्त किया। हमें अब सभी को पुराने संपर्क केंद्रों का उपयोग न करने का संदेश यथाशीघ्र पहुँचाना था; नए सिरे से सारी व्यवस्थाएँ भी करनी थीं।

श्री वर्मा के चेहरे पर छाई चिंता का एक और भी कारण था, जिसका पता उनसे बातचीत के दौरान बाद में चला। नानाजी की गिरफ्तारी के बाद 'लोक संघर्ष समिति' के मंत्री पद का सारा दायित्व अब उनके जिम्मे था। देश भर के संघर्षरत कार्यकर्ताओं का नेतृत्व सँभालना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य था। इस यकायक आ पड़े दायित्व के बोझ से वे दबे हुए थे, ऐसा स्पष्ट रूप से लग रहा था। इस मुलाकात में उन्होंने आगे किए जानेवाले सत्याग्रह के बारे में हमसे विचार-विमर्श किया। बातचीत के बाद कुछ ही दिनों में सत्याग्रह के बारे में और अधिक विस्तृत चर्चा हेतु दोबारा गुजरात आने का निर्णय लेकर वे वहाँ से विदा हुए।

नानाजी के पकड़े जाने के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए हम दोबारा एकत्र हुए। अखिल भारतीय संपर्क के लिए नियत किए गए अहमदाबाद के संपर्क केंद्रों तक 'पुरानी व्यवस्था रद्द की गई है' के संदेश पहुँचा दिए गए। अब तक उपयोग में लाए जा रहे संपर्क केंद्रों पर भूमिगत गतिविधि से संबंधित कोई साहित्य या अन्य सामग्री छूट न जाए, इस हेतु पूरी सावधानी बरती गई।

हम लोगों ने तय किया कि नानाजी की गिरफ्तारी का समाचार किसी को भी न दिया जाए। नेताओं के एक के बाद एक गिरफ्तार होने की घटनाओं से निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, इस हेतु यह निर्णय लिया गया था। इस निर्णय का पालन देश भर में किया गया। किसी भी भूमिगत पत्रिका में नानाजी की गिरफ्तारी के समाचार नहीं छापे गए। छोटे-छोटे कार्यकर्ता भी नानाजी गुप्त रूप से कहीं रह रहे हैं, यह मानकर संघर्ष के कार्य में जुटे रहे।

नानाजी को गिरफ्तार करने के बावजूद उसका मनोवांछित प्रभाव न पड़ते देख सरकार को लोगों का मनोबल गिराने हेतु विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता महसूस हुई। अतः काफी दिनों बाद सरकार ने अखबारों तथा रेडियो के माध्यम से लोगों को गा-बजाकर नानाजी की गिरफ्तारी के समाचार देने शुरू किए। सरकार की इस हरकत के बाद ही भूमिगत पत्रिकाओं में इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

सत्याग्रह प्रबंधन बैठक

कुछ दिनों बाद श्री वर्मा दोबारा अहमदाबाद आए। विगत मुलाकात में जैसा कि तय किया गया था, हम लोगों को सत्याग्रह के बारे में सविस्तार बातचीत करनी थी। अतः संघ के एक कार्यकर्ता डॉ. वणीकर के निवास पर यह बैठक रखी गई। इसके लिए श्री वसंतभाई गजेंद्र गडकर, श्री रवींद्र वर्मा, गांधी शांति प्रतिष्ठान के श्री राधाकृष्णनजी, श्री केशवरावजी देशमुख और मैं—इस प्रकार कुल पाँच लोग एकत्र हुए।

मीटिंग में सत्याग्रह के लिए अनुकूल दिन, गुजरात में सत्याग्रह का स्वरूप, अधिक-से-अधिक कितनी तहसीलों में सत्याग्रह का वातावरण बनाया जा सकता है, सत्याग्रह के समाचार लोगों तक पहुँचाने के लिए विशेष भूमिगत पत्रिका, सत्याग्रह के दौरान ही गुजरात में होनेवाले चुनावों पर सत्याग्रह का प्रभाव, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा सत्याग्रह में शामिल होने की संभावनाएँ, सत्याग्रहियों की संभावित संख्या, मोरचा सरकार की ओर से सत्याग्रहियों के प्रति रवैये की संभावनाएँ इत्यादि अनेक विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

इसके अलावा गुजरात के पड़ोसी राज्य गुजरात को किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा हुई। सत्याग्रह की निश्चित तिथि घोषित किए जाने के बाद सरकार अधिक सख्त होकर सत्याग्रह से पहले ही कई लोगों को पकड़कर सत्याग्रह को विफल बनाने के प्रयत्न करेगी, इस बात की भी पूरी संभावना थी। सत्याग्रह और जन-जागृति के लिए बड़े पैमाने पर साहित्य तैयार कर उसका वितरण करना भी एक समस्या थी, क्योंकि सरकार द्वारा विभिन्न प्रेसों पर निगरानी रखा जाना निश्चित था। इन परिस्थितियों में महाराष्ट्र, राजस्थान व मध्य प्रदेश गुजरात के कैसे मददगार हों, इस बारे में भी इस बैठक में विचार किया गया।

गुजरात लोक संघर्ष समिति की तैयारियाँ

‘गुजरात लोक संघर्ष समिति’ के संयोजक श्री भोगीलाल गांधी समिति का संगठन-तंत्र और अधिक सुगठित बनाने में व्यस्त थे। गुजरात के प्रमुख केंद्रों पर इस बारे में विचार-विमर्श हेतु ७, ८ तथा ९ सितंबर को राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत इत्यादि सभी जिलों में कार्यकर्ताओं की बैठकें आयोजित की गईं। इन संगठन-बैठकों में सर्वश्री दिनेशभाई, आर.के. अमीन, शंकरसिंह वाघेला, ब्रह्मकुमार भट्ट तथा भोगीलाल गांधी जैसे नेताओं ने उपस्थित रहकर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया।

सत्याग्रह के दौरान ही गुजरात में चुनाव आयोजित होने थे, अतः अधिकांश राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का ध्यान चुनाव-प्रचार में लगा था। इन चुनावों को भी संघर्ष का ही एक हिस्सा मानकर मोरचा द्वारा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। सत्याग्रह का भी चुनावों जितना ही महत्त्व होने से श्री भोगीभाई और श्री वसंतभाई का सत्याग्रह के लिए विशेष आग्रह था।

सत्याग्रह की जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा संघ के स्वयंसेवकों पर था। प्रत्येक जिले में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सत्याग्रहियों के दल पहुँचे, संघर्ष समिति द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार ही अहिंसक सत्याग्रह कार्यक्रम हों, सत्याग्रह के बाद यदि सरकार की ओर से गलत चार्जशीट प्रस्तुत की जाती है तो उसका प्रत्युत्तर देने के लिए वकीलों की पैनल तैयार रखी जाए इत्यादि मामलों के बारे में परामर्श करने के लिए संघर्ष समिति के संयोजक श्री भोगीभाई गांधी संघ के प्रांत प्रचारक श्री केशवरावजी से भी मिले।

शादी तय हो गई है

सत्याग्रह की शुरुआत का दिन तथा उसका स्वरूप और अवधि तय करने के लिए अक्टूबर के अंत में लोक संघर्ष समिति की भूमिगत बैठक दिल्ली में आयोजित हुई। बहुत विचार-विमर्श के बाद तय किया गया कि १४ नवंबर से सत्याग्रह का प्रारंभ किया जाए। इस दिन का स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज के लिए विशेष महत्त्व रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों के जीवनपर्यंत पक्षधर रहे पं. नेहरू के इस जन्म-दिवस से ही उन्हीं की पुत्री श्रीमती गांधी के खिलाफ, उन्हीं मूल्यों के पुनःस्थापन हेतु इस महाव्यापक सत्याग्रह का प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।

पूरी सावधानी बरती गई कि इस निर्णय के बारे में जानकारी पहले से ही सरकार तक न पहुँच पाए, अन्यथा सत्याग्रह से पहले ही सरकार कई कार्यकर्ताओं को 'मीसा' कानून के तहत पकड़कर जेल में बंद कर सकती है। संघर्ष समिति की ओर से सभी प्रांत-केंद्रों को सूचना भेज दी गई कि ४ नवंबर को वे एक विशेष संदेश का इंतजार करें। सत्याग्रह के तय होने के बारे में संकेत वाक्य था, 'शादी तय हो गई है।'

मैं भी अहमदाबाद में एक टेलीफोन के पास बैठा दिल्ली के संदेश का इंतजार कर रहा था। सवेरे से जिस संदेश का सभी इंतजार कर रहे थे, वह संदेश देर रात को प्राप्त हुआ। आवश्यक संदेशों के आदान-प्रदान के बाद सूचना मिली, '१४ नवंबर को शादी तय हो गई है।'

साहित्य-सृजन अभियान

सत्याग्रह के प्रारंभ के बारे में सूचना मिलते ही संघ अपनी पूरी शक्ति के साथ संघर्ष समिति के नेतृत्व में होनेवाले सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयारियों में जुट गया। सत्याग्रह से पहले सत्याग्रह से संबंधित साहित्य, पत्रिकाएँ, पोस्टर इत्यादि बनाने के कार्य में सभी व्यस्त हो गए।

संघ के ही एक भूमिगत प्रचारक श्री किशनभैया 'राजस्थान लोक संघर्ष समिति' की ओर से साहित्य छपवाने के लिए राजस्थान से अहमदाबाद आए। उनके लिए दो लाख पत्रिकाएँ हिंदी में छपवाकर राजस्थान पहुँचाने का यह कार्य हमारे लिए काफी चुनौती भरा था। मैं और जनसंघ के संगठन मंत्री श्री नाथाभाई झण्डा इस कार्य के लिए योग्य प्रेस की तलाश में जुट गए। हिंदी भाषा में इतनी भारी मात्रा में साहित्य छाप सके, वैसा प्रेस गुजरात में मिलना कठिन था। इसके अलावा, यदि वैसा सुविधायुक्त प्रेस मिल भी जाता तो भी इस प्रकार के साहित्य को छापने के लिए उसे तैयार करना और भी कठिन था। प्रेस के सभी कर्मचारी विश्वसनीय हों तथा कार्य को पूरी तरह गुप्त तरीके से किया जाए, यह भी नितांत आवश्यक था। दो दिन लगातार खोजबीन करने के बाद एक प्रेस मालिक इस काम के लिए तैयार हुए। हमने राहत की साँस ली। सोचा, एक बार छपाई हो जाए, फिर आगे देखा जाएगा। पत्रिकाएँ छपने लगीं। दो लाख पत्रिकाओं का ढेर लग गया।

पत्रिकाएँ तैयार होने के बाद अहमदाबाद में चार अलग-अलग स्थानों पर उन्हें सावधानीपूर्वक रख दिया गया। अब इस साहित्य को कुशलतापूर्वक राजस्थान पहुँचाने के लिए श्री किशनभैया के साथ मिलकर एक योजना बनाई गई। राजस्थान के हर जिले से दो-दो कार्यकर्ताओं को अपने साथ खाली बिस्तरबंद लेकर अहमदाबाद पहुँचने की सूचनाएँ भेज दी गईं। सूचनानुसार वे कार्यकर्ता निश्चित दिन निश्चित स्थान पर आ पहुँचे। प्रत्येक कार्यकर्ता को उनके जिले के लिए आवश्यक मात्रा में साहित्य दिया गया। यह साहित्य उन्हें अपने साथ के खाली बिस्तरबंद में इस तरह रखना था कि बाहर से देखने पर कुछ भी पता न चल पाए। इसके बाद दो-दो के गुट में उन्हें रेल तथा बस के जरिए अलग-अलग रास्तों से अपने-अपने जिले में पहुँचना था। साथ-साथ जानेवाले दोनों कार्यकर्ताओं को परस्पर अपरिचितों-सा व्यवहार करते हुए भी एक-दूसरे का ध्यान रखना था। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि किसी एक कार्यकर्ता के पकड़े जाने पर दूसरा कार्यकर्ता तुरंत एक निश्चित स्थान पर उस बारे में सूचना पहुँचाएगा।

इस प्रकार हर तरह से सुरक्षा का समुचित प्रबंध करने के बाद सभी को

विदा किया गया। यह सद्भाग्य ही था कि दो प्रांतों के बीच इतने बड़े पैमाने पर हुई इस कवायद के दौरान किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई। १४ नवंबर से पहले ही राजस्थान के हर गाँव तक ढेर सारा साहित्य सकुशल पहुँच गया। जब इस साहित्य का वितरण किया गया तब ही राजस्थान पुलिस को इस बात का पता चल सका और उसने बौखलाकर राजस्थान के प्रिंटिंग प्रेसों पर धड़ाधड़ छापे मारने शुरू कर दिए।

महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के लिए भी सत्याग्रह साहित्य गुजरात में ही छपा गया। महाराष्ट्र के लिए सूत में व मध्य प्रदेश के लिए दाहोद-गोधरा में साहित्य छपा गया था। दाहोद-गोधरा में छपी पत्रिकाओं तथा पोस्टर्स को मध्य प्रदेश भेजना अपेक्षाकृत सरल था, किंतु सूत से बंबई तक साहित्य पहुँचाने के लिए राजस्थान की तरह ही विशेष सावधानी की आवश्यकता थी।

सूत में साहित्य छपवाने की सारी व्यवस्था संघ के विभाग प्रचारक श्री नरेंद्रभाई पंचासरा तथा श्री चंपकभाई सुखडिया ने की थी। इस साहित्य को कार्यकर्ताओं के साथ बंबई भेजने में काफी खतरा था। अतः रेल पार्सलों द्वारा इस कार्य को किए जाने का निर्णय लिया गया। इस कार्य के लिए सूत से पार्सल भेजनेवाली एक बनावटी कंपनी बनाई गई। इस कंपनी के लिए सेल्स टैक्स नंबरोंवाले लेटरपैड तैयार किए गए, बिल-बुक बनाई गई। उसी प्रकार बंबई में भी एक जाली कंपनी बनाई गई। इन दोनों संस्थानों ने आपस में जमकर व्यापार किया! इस प्रकार सारा साहित्य सूत से बंबई पहुँच गया। इस व्यवस्था की सरकार को भनक तक न लगी और सब काम आसानी से निपट गया।

गुजरात के लिए भी आवश्यक सत्याग्रह साहित्य तय किया गया। चार केंद्रों पर तैयार करके उसे गुजरात के गाँव-गाँव तक पहुँचा दिया गया। सत्याग्रह से संबंधित पोस्टर्स भी छपवाकर गुजरात भर में चिपकाए गए। १४ नवंबर से शुरू होनेवाले सत्याग्रह का प्रचार १० नवंबर से दीवारों पर नारे लिखकर शुरू किया गया। गुजरात के हर गाँव में संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा भित्तिपत्रक चिपकाए गए। इस काम को करनेवाले एलिसब्रिज, अहमदाबाद के संघ के स्वयंसेवक श्री प्रकाश मेहता व अन्य दो कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ लिया। पोरबंदर में भी इसी तरह तीन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर उन पर डी.आई.आर. के तहत काररवाई की गई।

सत्याग्रह की आयोजना

सत्याग्रह की घोषणा मात्र से सत्याग्रह हो जाए, इतनी आसान परिस्थितियाँ

उन दिनों नहीं थीं; और यह सत्याग्रह एक-दो दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे ढाई माह तक चलना था। अतः सत्याग्रह सफलतापूर्वक हो सके, इस हेतु विशेष प्रयत्न आवश्यक थे। यह तय किया गया कि जिला संघर्ष समितियों के मुख्य कार्यकर्ता सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से शामिल न होकर सहायक कार्यों, जैसे कि सत्याग्रहियों के दल बनाना, प्रचार-व्यवस्था सँभालना, गिरफ्तारियों के बाद जेलों में बंद सत्याग्रहियों से संपर्क बनाए रखना इत्यादि कार्यों का दायित्व सँभालेंगे। चूँकि विभिन्न जिलों के अधिकांश प्रमुख कार्यकर्ता किसी-न-किसी राजनीतिक दल से जुड़े थे और वे चुनावों के काम में लगे थे, अतः सत्याग्रह का यह सारा प्रबंध संघ के स्वयंसेवकों तथा प्रचारकों ने अपने जिम्मे ले लिया।

सत्याग्रह के लिए एक समान देशव्यापी व्यवस्था सोची गई थी। तदनुसार प्रत्येक जिले के सत्याग्रहियों को अपने-अपने जिला मुख्यालय पर सत्याग्रह करना था। इस सत्याग्रह के लिए छोटे-छोटे गाँवों से सत्याग्रहियों को तैयार कर जिला मुख्यालय तक लाना, वहाँ पर उनके भोजन-आवास की व्यवस्था करना, सत्याग्रहियों के जुलूस का मार्ग तय करना, पुलिस को नियमानुसार सूचित करना इत्यादि कई अन्य संबद्ध कार्य संघ के इन अप्रत्यक्ष सत्याग्रहियों की सहायता से ही हो सके थे।

गुजरात में मोरचा सरकार के रहते ये सारी व्यवस्थाएँ अन्य राज्यों की तुलना में अधिक आसानी से की जा सकीं; जबकि अन्य राज्यों में सत्याग्रह से संबंधित हर जानकारी को अंतिम क्षण तक गुप्त रखना पड़ता था। यदि किसी तरह से यह जानकारी समय से पहले ही पुलिस को मिल जाए और सत्याग्रह से पहले ही सत्याग्रहियों के दल को पकड़ लिया जाए तो उस स्थिति में सत्याग्रह के लिए एक दूसरा दल भी तैयार रखना पड़ता था। हालाँकि इन प्रतिकूलताओं से निपटने में भी उन राज्यों के संघ के स्वयंसेवकों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी।

गुजरात में १४ नवंबर से पहले ही सत्याग्रह के लिए आवश्यक सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई थीं।

□

प्रकरण-१४

स्मरणीय सत्याग्रह पर्व

संघर्ष समिति ने सत्याग्रह के प्रारंभ से पहले उस सत्याग्रह के उद्देश्यों के बारे में सरकार को सूचित करने का निर्णय लिया। लोक संघर्ष समिति के मंत्री श्री रवींद्र वर्मा ने इस हेतु ४ नवंबर, १९७५ को श्रीमती गांधी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने समग्र स्थिति का विस्तृत विश्लेषण करते हुए 'लोक संघर्ष समिति' को सत्याग्रह का रास्ता अपनाने के लिए उत्प्रेरित करनेवाले कारणों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा था—

'आपातस्थिति घोषित किए जाने को आज चार माह हो चुके हैं। हमें उम्मीद थी कि अंततः सद्बुद्धि की जीत होगी और आप अपना निर्णय वापस लेंगी, किंतु हमारी आशा गलत सिद्ध हुई। आज, जबकि हमारे लिए न्याय के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं तथा आम जनता कष्टसाध्य परिस्थितियों से घिर चुकी है और आहिस्ता-आहिस्ता उन्हें स्वातंत्र्य से वंचित किया जा रहा है, इस स्थिति में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन और उपदेशों का अनुसरण ही हमारे लिए एकमात्र मार्ग बचा है। गांधीजी ने हमें निडर बनने, असत्य और अन्याय के समक्ष न झुकने तथा दासता को अस्वीकार करने का संदेश दिया है। उन्होंने हमें लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की शिक्षा दी है एवं सत्याग्रह के द्वारा सच्चे समाज के लिए जूझना सिखाया है। हमारे पास वही एक मार्ग, वही एक शस्त्र है। दिन-प्रतिदिन क्षीण होकर अधिनायकत्व की ओर झुकती जा रही अपनी स्वतंत्रता को एवं जिस शासन-तंत्र में छोटे कर्मचारियों तथा दलितों का शोषण कर धनवान्, भ्रष्टाचारी व सत्ताधारी लोग आपस में सत्ता के लाभों की बंदरबाँट के द्वारा सत्ता को हथियाए बैठे हों, उस व्यवस्था-तंत्र को हम मूक बैठे नहीं देख सकते। अतः लोकतंत्र पर अधिनायक-

तंत्र के रंग को चढ़ने से रोकने के लिए तथा गरीब और पिछड़े लोग अपना विकास स्वयं कर सकें, वैसी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए शांतिमय अहिंसक सत्याग्रह के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है।

‘जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ६ मार्च के दिन लोक मोरचा संसद् भवन गया था, उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति हमारे इस सत्याग्रह का भी लक्ष्य है।

‘इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के बाद आपने जिस दुःस्थिति का निर्माण किया है, उसके निवारण के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप—

१. अदालत के निर्णय का सम्मान करें तथा लोकतांत्रिक रीति और परंपरा के अनुसार अपने पद का त्याग करें।
२. आपातस्थिति समाप्त करें।
३. प्रजा के मूलभूत अधिकारों को लौटाएँ।
४. आपातस्थिति के नाम पर जिन राजनीतिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है या सजा दी गई है, उन सभी को मुक्त करें।
५. उचित कानूनी प्रक्रिया तथा अदालत के आदेश के बिना किसी संगठन को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ जैसे प्रतिबंधित किए गए संगठनों के विरुद्ध यदि कोई प्रमाण है तो उनकी जाँच के लिए न्यायिक जाँच समिति नियुक्त करें।
६. २५ जून के बाद लागू किए गए वे सभी संविधान संशोधन एवं कानून, जिनके द्वारा न्यायपालिका को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया गया है तथा ‘सभी के लिए समान न्याय’ के सिद्धांत को ताक पर रखकर प्रधानमंत्री को अदालत के कार्यक्षेत्र से परे कर दिया गया है, निरस्त करें।
७. प्रेस की स्वतंत्रता लौटाएँ।

‘हम पुनः बताना चाहेंगे कि हमारा सत्याग्रह पूर्णतया शांतिमय व अहिंसक होगा। उस दिन राष्ट्र भर में उपवास तथा प्रार्थना के साथ सत्याग्रह का प्रारंभ होगा। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप भी उस दिन अपना संपूर्ण समय प्रार्थना तथा आत्मदर्शन में व्यतीत करें, ताकि हम जिस आशा और अभिलाषा से यह सत्याग्रह कर रहे हैं उसका सम्यक् ज्ञान आपको हो सके। हमारी वह अभिलाषा आप समझ सकें कि जिससे हजारों लोगों को झुकने के बजाय जूझने की प्रेरणा मिलेगी तथा लोकतंत्र, समाजवाद व लोगों के विरुद्ध होनेवाले षड्यंत्र-भागी बनने

के बजाय लोग कारावास को स्वीकार करना श्रेयस्कर मानेंगे।'

इस पत्र का सरकार की ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। अंततः इस पत्र के लिखे जाने के दस दिन बाद १४ नवंबर के उस ऐतिहासिक दिवस से सत्याग्रह प्रारंभ हुआ।

गुजरात में सत्याग्रह

सत्याग्रह से पहले ही गुजरात में सत्याग्रह का माहौल बनने लगा था। जगह-जगह पर होनेवाली सभाओं में सत्याग्रह हेतु लोगों का आह्वान किया गया। पत्रिकाओं, पोस्टर्स और भित्तिपत्रकों ने भी एक नई चेतना की लहर दौड़ाने में काफी मदद की थी। देश भर में भी इसी प्रकार का निर्भीक मानस बनेगा, ऐसी आशा बँधी। १४ नवंबर को पहले ही दल में सत्याग्रह करने के लिए युवाओं में होड़ लगने लगी।

१४ तारीख को गुजरात के सभी जिलों के जिला मुख्यालय गूँज उठे। जगह-जगह पर सत्याग्रहियों को विदा करने के लिए सभाएँ आयोजित हुईं और उनका सम्मान किया गया। अहमदाबाद में संघर्ष समिति के संयोजक श्री भोगीभाई के नेतृत्व में सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ। सत्याग्रहियों को विदा करने हेतु अहमदाबाद में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में संघ के गुजरात प्रांत बौद्धिक प्रमुख श्री विनायकराव वणीकर भी उपस्थित रहे थे।

अहमदाबाद के सुप्रसिद्ध माणेक चौक इलाके में सत्याग्रहियों के लिए आयोजित एक विदाई समारोह में हजारों की संख्या में नागरिक शामिल हुए थे। सत्याग्रहियों को फूलमालाएँ पहनाकर उन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी चाहना प्रकट की। विदाई-सभा में सर्वश्री इंदुभाई पटेल, सूर्यकांत पटेल तथा वसंतभाई गजेंद्र गडकर भी शामिल हुए थे।

इस समारोह के बाद सत्याग्रही एक विशाल रैली के साथ आकाशवाणी केंद्र के पास पहुँचे। वहाँ पर पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा को सूतमाला पहनाकर 'जनता बुलेटिन' का वाचन किया गया। इस प्रकार सरकारी कानून का सविनय भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने स्वेच्छापूर्वक गिरफ्तार होते हुए 'भारत माता की जय', 'तानाशाही मुर्दाबाद', 'लोकशाही जिंदाबाद' के नारों से सारा माहौल हिलाकर रख दिया।

अहमदाबाद जिले का सत्याग्रह धोलका में हुआ। वहाँ श्री कांतिभाई कापड़िया के नेतृत्व में आठ सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया। इन सत्याग्रहियों को अहमदाबाद

की साबरमती जेल में लाकर कैद किया गया।

साबरकाँटा जिले का सत्याग्रह हिम्मतनगर में श्री बल्लभभाई दोशी के नेतृत्व में हुआ। वहाँ सत्याग्रह करने से पहले जे.पी. के स्वास्थ्य-लाभ हेतु सामूहिक प्रार्थना की गई। एकत्र विशाल जन-समुदाय ने सत्याग्रहियों को जेल के लिए विदा किया।

महेसाणा में जिले के अलग-अलग सात गाँवों से आए हुए सत्याग्रहियों का नेतृत्व श्री श्यामाप्रसाद शास्त्री ने किया था। जिन गाँवों से ये सत्याग्रही आए थे, उन सभी गाँवों में उनके लिए विदाई समारोह आयोजित किए गए थे।

सत्याग्रह की खबर पाकर आबू में गुप्तवास कर रहे श्री कपिलदेव स्वामी नामक एक साधक अपनी साधना को छोड़कर जन-जागृति हेतु लोगों के बीच आ पहुँचे। भगवा वस्त्रधारी, इकहरे शरीर, मुंडित मस्तक, लंबी शिखा और नुकीली नाकवाले इन स्वामीजी की वाणी आग बरसाती थी।

बनासकाँटा जिले के पालनपुर में श्री भेरूप्रताप शास्त्री के नेतृत्व में आठ सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया था। कच्छ जिले में सत्याग्रह का आरंभ भुज से हुआ। अठहत्तर वर्षीय श्री नारायण गोस्वामी तथा श्री रतनसिंहभाई सेजपाल सहित कुल सात सत्याग्रहियों ने सविनय कानून भंग किया और गिरफ्तार हुए।

जामनगर जिले के दस सत्याग्रहियों ने श्री दिनेशकुमार व्यास के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। इन सत्याग्रहियों के विदाई समारोह में विशाल संख्या में लोग एकत्र हुए थे, जिनमें से अधिकांश विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थी थे।

राजकोट जिले का सत्याग्रह आकाशवाणी के राजकोट केंद्र के सामने किया गया। राजकोट के डॉ. पी.वी. दोशी (जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, गुजरात के प्रांत संघचालक रह चुके हैं) के नेतृत्व में पंद्रह सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया। वहाँ पर सत्याग्रहियों को विदाई देने के लिए नवनिर्वाचित मेयर श्री अरविंदभाई मणियार की अध्यक्षता में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था। राजकोट जिले के सभी सत्याग्रहियों को पहले पंद्रह दिनों तक 'अंडर ट्रायल' स्थिति में जेल में जान-बूझकर रखा जाता था और उसके बाद ही उन पर अदालती कार्रवाई की जाती थी।

जूनागढ़ जिले में कर्मठ कार्यकर्ता श्री भानूभाई शुक्ल के नेतृत्व में छह सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया। अमरेली में वहीं के दस सत्याग्रहियों ने श्री मगनभाई रणछोड़भाई के नेतृत्व में सत्याग्रह किया।

लिंबडी में सुरेंद्रनगर जिले के ग्यारह कार्यकर्ताओं ने श्री प्रभुदास परमार के

नेतृत्व में सत्याग्रह किया था। इस अवसर पर लिंगडो में ही आयोजित की गई एक विशाल जनसभा को श्री बलभद्रसिंह राणा तथा श्री दिलावरसिंह राणा ने संबोधित किया था।

भावनगर जिले के सत्याग्रहियों ने भावनगर में विधायक श्री मणीभाई गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह किया था।

खेड़ा जिले में नड़ियाद के प्रसिद्ध डॉक्टर श्री अरविंदभाई व्यास के नेतृत्व में बारह व्यक्तियों ने सत्याग्रह का प्रारंभ किया। वहाँ के सभी राजनीतिक अग्रणियों ने उन सत्याग्रहियों को सम्मानित करते हुए समाज से निडर बनने की अपील की।

जनजातीय व पिछड़ा माना जानेवाला पंचमहाल जिला भी पीछे न रहा। वहाँ गोधरा को सत्याग्रह का केंद्र बनाया गया। एडवोकेट श्री हर्षदभाई व्यास और श्री वासुदेवभाई के नेतृत्व में आठ सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया था।

वडोदरा जिले के सत्याग्रहियों ने वडोदरा आकाशवाणी केंद्र को अपना लक्ष्य बनाया। डॉ. भोगीभाई पटेल के नेतृत्व में बारह सत्याग्रही आकाशवाणी केंद्र के सामने 'जनवाणी' का वाचन करके सरकार के सेंसरशिप कानून का उल्लंघन कर गिरफ्तार हुए।

भरूच में श्री अजयभाई जोशी के नेतृत्व में छह कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया था। इन सत्याग्रहियों को अदालत ने सात दिन की कैद की सजा दी थी।

सूरत जिले का सत्याग्रह सूरत में हुआ। वहाँ के व्यापारी श्री इंद्रकांतभाई शाह ने बारह सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था।

वलसाड़ जिले में वलसाड़-पारडी के अग्रणी कृषक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं संघ के जिला संघचालक श्री बलवंतभाई के नेतृत्व में सत्याग्रह प्रारंभ किया गया।

सत्याग्रह आंदोलन के पहले ही दिन से केवल गांधीनगर जिले को छोड़कर गुजरात के सभी जिलों में अठारह स्थानों में सत्याग्रह किया गया, जिसमें कुल एक सौ सत्तर सत्याग्रहियों ने हिस्सा लिया। देश भर में इसी प्रकार के सत्याग्रह किए गए। देश के सभी राज्यों में हुए सत्याग्रहों के बारे में समाचार १५ नवंबर की दोपहर तक प्राप्त हो गए थे। इन समाचारों के प्रचार हेतु उसी दौरान आयोजित हुए जनता मोरचा के प्रथम प्रादेशिक सम्मेलन प्रसंग का उपयोग किया गया। 'सत्याग्रह समाचार' नामक पत्रिकाओं की दस हजार प्रतियाँ तैयार करवाकर उन्हें मोरचा सम्मेलन में दूर-सुदूर से आए हजारों कार्यकर्ताओं में वितरित कर दिया गया था।

अगले सप्ताह सत्याग्रह का दूसरा दौर शुरू किया गया। करीब-करीब सभी स्थानों पर २१ नवंबर को सत्याग्रह किए गए। अहमदाबाद में अध्यापक श्री जयंतीभाई पटेल, श्री सिद्धार्थ भट्ट, विद्यार्थी कार्यकर्ता श्री राजेंद्र दवे तथा श्री वरदराज पंडित के नेतृत्व में तेईस सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया। इसी प्रकार वडोदरा में ग्यारह, राजकोट में सोलह, नडियाद में ग्यारह, महेसाणा में चौदह, भावनगर में सात, जूनागढ़ में बीस, दाहोद में छह, पालनपुर में सात, जामनगर में तीन एवं सुरेंद्रनगर में चार सत्याग्रहियों ने अपनी माँगों के समर्थन में गिरफ्तारियाँ दीं।

२६ नवंबर को श्रीमती गांधी की तानाशाह सरकार के पाँच साल पूरे हो रहे थे। इस दिन गुजरात भर की बहनों ने सत्याग्रह में शामिल होने का निर्णय किया। अहमदाबाद के रायपुर इलाके से बहनों और भाइयों का एक दल सत्याग्रह के लिए निकला। इस दल में तैंतीस बहनें तथा इक्कीस पुरुष शामिल हुए थे।

अहमदाबाद के इस सत्याग्रह में खाड़िया इलाके के अच्छे-बुरे दिनों की साक्षी रह चुकीं पचहत्तर वर्षीया वृद्धा शारदा बहन भट्ट से लेकर पंद्रह-सत्रह साल की कन्याएँ तक शामिल हुई थीं। शामिल होनेवालों में संघ परिवार में रहकर पली-बढ़ीं कॉलेज की छात्रा उर्मिला बहन रावल, कई सालों से गुजरात के सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहनेवाली संघ परिवार की सुश्री शांता बहन गजेंद्र गडकर, कमला बहन पंचाल तथा विजु बहन तांबे भी थीं। इसी प्रकार और भी कई बहनें इस जंग में शामिल हुई थीं।

‘डंको वाग्यो लड़वैया शूरा जागजो रे,
माथु मेलो साचववा साची टेक ने रे!’

(डंका बाजे जागो रे हे रणबाँकुरो रे! शीश चढ़ाकर करवा दो सच की जीत रे!)

तथा—

‘हरि नो मारग छे शूरा नो,
नहीं कायर नूँ काम जोने!’

(प्रभु के पथ पर चलें सूरमा, नहीं कायर का यह काम रे!)

इत्यादि चेतना जाग्रत् करनेवाले गीतों के स्वरो के साथ इन सत्याग्रहियों के दल ने आकाशवाणी भवन पहुँचकर सत्याग्रह किया और उसके बाद ये सत्याग्रही बहनें स्वेच्छापूर्वक जेल गईं। २६ तारीख के दिन ही सूरत ने भी करिश्मा कर दिखाया। सूरत कॉरपोरेशन के लिए हाल ही में निर्वाचित श्री चंपकभाई सुखड़िया ने पंद्रह

बहनों सहित छत्तीस सत्याग्रहियों के साथ सत्याग्रह किया। इन सत्याग्रहियों को जेल के लिए विदा करने के लिए आयोजित समारोह में उपस्थित विशाल जन-समुदाय को सर्वश्री जयंतीभाई रेशमवाला, काशीराम राणा, विपिन देसाई, विद्यार्थी नेता सुरेंद्र वाणावाला तथा मंगलसेन चोपरा इत्यादि ने संबोधित किया था।

१४ नवंबर से प्रारंभ हुए इस 'सत्याग्रह पर्व' में २६ नवंबर तक सूरत में पंद्रह महिलाओं सहित सैंतालीस, वडोदरा में छह महिलाओं सहित छियालीस, पंचमहाल में पाँच महिलाओं सहित बाईस, नड्डियाद में उनसठ महिलाओं सहित बयासी, अहमदाबाद में सोलह, बनासकाँठा में उनचास, साबरकाँठा में बारह, महेसाणा में दस महिलाओं सहित तिरपन, कच्छ में उन्नीस, जामनगर में इक्कीस, राजकोट में अड़तालीस, जूनागढ़ में चौवालीस, अमरेली में ग्यारह, भावनगर में पाँच महिलाओं सहित सैंतीस तथा सुरेंद्रनगर में इक्कीस सत्याग्रहियों ने हिस्सा लिया था। इस प्रकार मात्र पंद्रह दिनों के अंदर अड़तालीस दलों में कुल छह सौ तेईस सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किए।

गुजरात के विद्यार्थियों ने भी इस पर्व को अपने तरीके से मनाया। अहमदाबाद के उन्नीस विद्यार्थियों ने ५ दिसंबर को वीर विनोद किनारीवाला के शहीद स्मारक के पास गुजरात यूनिवर्सिटी के सीनेट सदस्य श्री जगदीश बारोर तथा श्री भगीरथ देसाई के नेतृत्व में शपथ लेने के बाद सत्याग्रह-रैली का आयोजन किया। इस रैली में शामिल सत्याग्रहियों का एच.ए. कॉलेज, लॉ कॉलेज तथा जी.एल.एस. कॉलेज की छात्राओं ने कुंकुम तिलक व पुष्पमालाओं से स्वागत किया। सत्याग्रही विद्यार्थियों की इस रैली के गुजरात यूनिवर्सिटी के परिसर में पहुँचने पर श्री न.उ. राजगुरु, प्रा.जे.के. पटेल तथा श्री विष्णुभाई पंड्या ने सत्याग्रहियों का अभिवादन कर उन्हें शुभेच्छाएँ दी थीं। तत्पश्चात् सत्याग्रही विद्यार्थियों ने स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया था। इन सत्याग्रहियों की ओर से छात्र कार्यकर्ता व युवा वकील श्री अरुण ओझा ने मुकदमा लड़ा था।

इसी प्रकार से दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी, वडोदरा की एम.एस. यूनिवर्सिटी तथा विद्यानगर यूनिवर्सिटी के परिसर में भी छात्रों ने सत्याग्रह किए थे। भारत के गणतंत्र-दिवस २६ जनवरी को लोक संघर्ष समिति द्वारा घोषित देशव्यापी सत्याग्रह संपन्न हुआ। 'सत्याग्रह पर्व' के अंतिम दिन तक भारत के तीन सौ जिलों में लगातार सत्याग्रह होते रहे। इन ढाई महीनों के दौरान सत्याग्रहियों ने शासकों की नॉद हराम कर दी थी। देश भर में एक लाख से भी अधिक सत्याग्रहियों ने स्वैच्छिक रूप से कारावास को अपनाया था।

‘सत्याग्रह पर्व’ के अंतिम दिन गुजरात में विशेष तरीके से सत्याग्रह किया गया। गुजरात के सभी जिलों में सत्याग्रहियों का एक-एक दल अहमदाबाद पहुँचा। २६ जनवरी की दोपहर तीन बजे वसंत चौक में एकत्र हुए इन सत्याग्रहियों को विधायक श्री अशोक भट्ट ने संबोधित किया। तत्पश्चात् सर्वश्री चिमनभाई शुक्ल, शंकरसिंह वाघेला तथा विधायक भवानसिंह, गाभाजी ठाकोर व अशोक भट्ट के नेतृत्व में ये सत्याग्रही एक जुलूस के रूप में आकाशवाणी के अहमदाबाद केंद्र पर पहुँचे। ‘ये मस्ताने कहाँ चले?’, ‘इंदिरा की जेल में’, ‘लाल गुलामी छोड़कर बोलो—वंदे मातरम्’, ‘तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाएँ’ के नारों से आकाशवाणी भवन के आस-पास का क्षेत्र गूँज उठा। नारों की हुंकार के बाद सत्याग्रह पत्रिका का पठन कर गुजरात भर के करीबन तीन सौ पचास सत्याग्रहियों ने श्री चिमनभाई शुक्ल के नेतृत्व में गिरफ्तारी दी।

अहमदाबाद तथा वडोदरा में श्रमिक नेताओं के नेतृत्व में विशेष दलों ने सत्याग्रह किए। ‘अहमदाबाद डेटी यूनियन’ के तेरह श्रमिकों ने श्री जगदीश त्रिपाठी के नेतृत्व में सेंसर अधिकारी के कार्यालय के समक्ष सत्याग्रह किया। वडोदरा में भारतीय मजदूर संघ के नेता श्री केशवभाई ठक्कर के नेतृत्व में इक्यावन कामदारों ने सत्याग्रह करते हुए गरीबों की कथित रूप से हितरक्षक सरकार के मिथ्याचार का विरोध किया एवं लोकतंत्र के पुनःस्थापन की माँग की।

ढाई माह तक चले इस सत्याग्रह में गुजरात की एक सौ सड़सठ तहसीलों के एक सौ तिहत्तर दलों ने हिस्सा लिया, जिसमें दो सौ तिहत्तर महिलाओं सहित दो हजार तीन सौ पच्चीस सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह कर कारावास को स्वीकार किया।

(सत्याग्रह के ब्योरे के लिए देखें, परिशिष्ट-२)।

सत्याग्रह का प्रचार

कुछ गिने-चुने कार्यकर्ता सत्याग्रह कर जेल में बंद हो जाएँ, उतने भर से ही अपेक्षित कार्यसिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। जो सत्याग्रह जन-जन के हृदय को छू न जाए और जिसमें समाज के हर व्यक्ति का प्रत्यक्ष या परोक्ष योगदान न हो, उसको संपूर्ण नहीं माना जा सकता। अतः सत्याग्रह की सफलता के लिए उसके बारे में हर जानकारी का लोगों तक पहुँचना अति आवश्यक था। इसके लिए गुजरात में सत्याग्रह के दौरान सत्याग्रह के समाचार देनेवाली विशेष भूमिगत पत्रिका ‘सत्याग्रह समाचार’ प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। इस पत्रिका में गुजरात के अलावा देश भर के सत्याग्रहियों के समाचार भी दिए जाते थे। इस प्रकाशन के लिए हमें संघ

के कार्यकर्ताओं द्वारा देश भर में स्थापित किए गए भूमिगत व्यवस्था-तंत्र के माध्यम से समाचार मिलते रहते थे। श्री विष्णुभाई पंड्या इस भूमिगत पत्रिका के संपादन का दायित्व निभाते थे। भूमिगत पत्रिका की पांडुलिपि तैयार करने के बाद उसकी आठ प्रतियाँ बनाई जातीं। इन प्रतियों को गुजरात के भिन्न-भिन्न आठ स्थानों पर भेजकर उन स्थानों पर आस-पास के क्षेत्रों की आवश्यकतानुसार इन पत्रिकाओं को छापकर गाँव-गाँव तक उन्हें पहुँचाया जाता था। सत्याग्रह के दौरान 'सत्याग्रह समाचार' की एक लाख प्रतियाँ प्रति सप्ताह छपती थीं। 'सत्याग्रह समाचार' के अलावा 'जन-जागृति', 'जनता समाचार', 'लोक समाचार', 'तणखा' (चिनगारी), 'संघर्ष समाचार' इत्यादि शीर्षकों से भी भूमिगत पत्रिकाएँ प्रकाशित करके उन्हें गुजरात के घर-घर तक पहुँचाने के प्रयत्न किए जाते थे। ये पत्रिकाएँ गलत हाथों में न पड़ें, इसलिए संघ के स्वयंसेवक स्वयं देर रात को घर-घर जाकर पत्रिकाओं का वितरण करते थे। सत्याग्रह से संबद्ध समाचारों के प्रचार में सामयिक पत्रिका 'साधना' ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 'साधना' ही एकमात्र ऐसा सामयिक था जो कि सत्याग्रह के समाचार सत्याग्रह के अंत तक बराबर छापता रहा था। 'साधना' की पहुँच देश के हर राज्य, हर जेल तक थी, अतः उसका देवनागरी लिपि में प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। सत्याग्रह के स्थान व समय की जानकारी लोगों तक पहुँचाने के लिए भी विशेष प्रयत्न करने होते थे। इसके लिए गुजरात के कई शहरों में एक हजार से भी अधिक की संख्या में ब्लैक-बोर्ड लगवाए गए, जिन पर उन क्षेत्रों के स्वयंसेवकों द्वारा समाचार लिखे जाते थे। इसके अलावा विद्यार्थी स्वयंसेवकों को भी सूचनाएँ दी गईं कि वे अपनी-अपनी कक्षा के ब्लैक-बोर्ड पर संघर्ष के समाचार तथा कार्यक्रमों की सूचनाएँ नियमित रूप से लिखें। इस तरीके से बिना किसी खर्च और बिना किसी खतरे के साथ अत्यंत व्यापक प्रचार सरलतापूर्वक किया जा सका। मोरचा सरकार के गिरने के बाद भी इसी तरीके को उपयोग में लाया जाता रहा। इन छोटे-छोटे, किंतु अत्यंत प्रभावशाली प्रचार-साधनों की ओर सरकार की निगाह तक न पड़ सकी थी।

सत्याग्रह का विशेष प्रभाव

संघर्ष के प्रारंभ से लेकर परिवर्तन तक किए गए प्रतिकार के अनेक कार्यक्रमों में सत्याग्रह का विशेष महत्व रहा। अकर्मण्यतायुक्त सद्विचार अंततः नपुंसक ही सिद्ध होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं रहता; किंतु कर्म-निष्ठा युक्त सद्विचार भले ही कुछ समय तक दुर्विचारों को परास्त न कर सकें, पर उनका अपनी जगह

दृढ़तापूर्वक टिके रहना कालांतर में उन्हें ही विजयी बनाता है। सत्याग्रह के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हेतु मर-मिटने की मंशा रखनेवालों ने सिद्ध कर दिया कि उनका सद्बिचार सुष्ठु कामना मात्र नहीं, बल्कि एक सक्रिय सामर्थ्यवान् विचार है। वे कृत-संकल्प थे कि चाहे जैसी विषम परिस्थिति आए, वे अपने प्रभाव के द्वारा समाज को निर्भीक बनाकर ही रहेंगे। सत्याग्रह के दौरान ही कोई परिवर्तन हो जाएगा या कोई शुभ परिणाम प्राप्त हो सकेगा, यह आशा न तो सत्याग्रहियों को थी और न ही सत्याग्रह की आयोजक 'लोक संघर्ष समिति' को थी। सत्याग्रह में निहित यह था कि समाज के निडर सरफरोशों की सात्त्विक शक्ति का सरकार को परिचय प्राप्त हो और वैसा ही हुआ। समाज में यह आस्था प्रबल हुई कि किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में यदि मनुष्य चाहे तो अपने आदर्शों की रक्षा के हेतु दृढ़ रह सकता है।

गुजरात के सत्याग्रह की एक कमी का उल्लेख भी यहाँ करना चाहूँगा। दरअसल, यह कमी राजनीतिक दलों की क्षतिग्रस्त मानसिकता का परिणाम थी। शुरू में सत्याग्रह तथा चुनाव एक साथ होने से राजनीतिक कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से चुनाव कार्यों में ही व्यस्त रहे। किंतु चुनावों के समाप्त होने के बाद भी सत्याग्रह करीब पूरे एक माह तक चलता रहा था। इस अवधि में सत्याग्रह को भी अपना दायित्व मानते हुए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सत्याग्रह को भी उतना ही महत्त्व देना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। आगे चलकर परिवर्तन का कारण बननेवाले इस सत्याग्रह से गुजरात के राजनीतिक कार्यकर्ताओं तथा दलों ने अपना मुँह मोड़ लिया। इससे अधिक निंदनीय बात और क्या हो सकती है?

सत्याग्रह की सफलता में अन्य राज्यों के ही समान गुजरात में भी संघ ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया था। सत्याग्रहियों के दल बनाने से लेकर प्रचार कार्य सहित सभी कार्यों को संघ के स्वयंसेवकों ने बड़ी कुशलतापूर्वक अंजाम दिया था। हमारे राष्ट्र की चेतना जीवंत है, सक्रिय है तथा किसी भी प्रकार के अनिष्टों का वह डटकर सामना कर सकती है, यह इस घटना से सिद्ध हुआ और इसीलिए सत्याग्रह के दौरान ही 'लोक संघर्ष समिति' के मंत्री श्री रवींद्र वर्मा ने अपने पत्र में लिखा था—

'The Satyagrah has succeeded in increasing mass awareness, intensifying the will to resist, initiating our confidence, breaking through the fear of censorship and reaching millions of people with the message of resistance and Satyagrah.'

(यह सत्याग्रह जन-चेतना को सुदृढ़ करने, प्रतिकार के निर्णय को अधिक तीव्र बनाने, हमारे आत्मविश्वास को प्रबल बनाने तथा सेंसरशिप के खोखले भय को दूर करते हुए लाखों लोगों तक प्रतिकार और सत्य के आग्रह का संदेश पहुँचाने में सफल रहा है।)

सत्याग्रह के आयोजकों द्वारा किया गया सत्याग्रह का यह मूल्यांकन बिलकुल यथार्थ था।



गुजरात में रणबाँकुरों का संगम

सत्याग्रह के दौरान भी 'लोक संघर्ष समिति' के राष्ट्र स्तरीय नेताओं के गुजरात दौरे होते रहते थे। इन नेताओं ने देश भर में हो रहे सत्याग्रह से संबद्ध गतिविधियों की समीक्षा तथा सत्याग्रह के द्वितीय चरण के बारे में आयोजना हेतु गुजरात में एक बैठक का आयोजन किया। भूमिगत आंदोलन के प्रमुख नेता श्री दत्तोपंतजी ठेंगड़ी इस सिलसिले में दिसंबर के प्रथम सप्ताह में गुजरात आए। उनके इस प्रवास के और भी कई उद्देश्य थे। वे स्वयं 'भारतीय मजदूर संघ' के नेता थे, अतः अधिक-से-अधिक श्रमिक इस सत्याग्रह में अपना योगदान दें, इसलिए देश भर के श्रमिक नेताओं से वे मिलते रहते थे। गुजरात के इस प्रवास के दौरान भी वे वडोदरा और अहमदाबाद के श्रमिक नेताओं से मिले। अहमदाबाद में 'मजूर महाजन संघ' के अग्रणी श्री मनहरभाई शुक्ल, श्री शांतिलाल शाह तथा मोरचा सरकार के मंत्री श्री नवीनचंद्र बारोट से भी वे मिले।

उनकी इस मुलाकात में देशव्यापी सत्याग्रह के प्रभावों, सत्याग्रह की व्यापकता, प्रजा का जोश, सरकार का व्यवहार इत्यादि कई मुद्दों पर चर्चाएँ हुईं। उन दिनों समान विचारधारावाले मजदूर संगठन एक मंच पर एकत्र होकर कार्य करें, ऐसी एक सोच पनप रही थी। इसी संदर्भ में 'मजूर महाजन' इन संगठनों को एकजुट करने में क्या योगदान दे सकता है, इस बारे में भी विस्तृत चर्चा हुई। श्री ठेंगड़ीजी ने यह आग्रह भी किया कि देश भर में हो रहे सत्याग्रह में 'मजूर महाजन' को भी अपना सक्रिय सहयोग देना चाहिए।

विभिन्न मजदूर संगठनों में समन्वय के लिए प्रयत्नशील श्री ठेंगड़ीजी एक विशेष उद्देश्य से वडोदरा भी गए। उन्हीं दिनों 'हिंद मजदूर सभा' का एक

सम्मेलन वडोदरा में आयोजित होना था। इस सम्मेलन के नेताओं से संपर्क हो सके, इसीलिए वे वडोदरा में दो दिन तक रहे। उन्होंने 'हिंद मजदूर सभा' के नेताओं से मिलकर मजदूर संगठनों की एकता के मुद्दे पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। इस विचार-मंथन का प्रभाव 'हिंद मजदूर सभा' के सम्मेलन पर भी पड़ा तथा 'हिंद मजदूर सभा' के नेताओं ने इस दिशा में गंभीरतापूर्वक सोचना शुरू किया।

श्री दत्तोपंतजी के गुजरात प्रवास के और भी दो उद्देश्य थे। दिसंबर के अंत में विपक्षी सांसदों की एक बैठक अहमदाबाद में होनी थी। इस बैठक के समानांतर देश के भूमिगत नेताओं की भी एक बैठक करने का निर्णय 'लोक संघर्ष समिति' ने किया था। इस बैठक का आयोजन और तत्संबंधित प्रबंध करने के लिए वे गुजरात आए थे। गुजरात के संघ कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने विचार-विमर्श किया। 'लोक संघर्ष समिति' की अखिल भारतीय भूमिगत बैठक का प्रबंध करना एक बहुत बड़ा और जिम्मेदारी का कार्य था। उन्होंने केंद्रीय संघर्ष समिति की ओर से यह कार्य हमें सौंपा।

गुजरात प्रवास का उनका दूसरा उद्देश्य २५ दिसंबर को पवनार में श्री विनोबाजी की उपस्थिति में होनेवाले सम्मेलन के संबंध में था। केंद्रीय 'लोक संघर्ष समिति' की ओर से इस सम्मेलन में सम्मिलित होनेवाले प्रतिनिधियों को देश की वास्तविक परिस्थितियों से सुपरिचित करवाना था, ताकि पवनार सम्मेलन में लोकतंत्र के पक्ष में लिये जानेवाले निर्णयों में वे अपना योगदान दे सकें। इन प्रतिनिधियों को सुसज्जित करने का कार्य भी श्री ठेंगड़ीजी ने गुजरात के संघ कार्यकर्ताओं को सौंपा। साथ ही केंद्रीय लोक संघर्ष समिति की ओर से पवनार सम्मेलन में वितरित किए जाने हेतु बड़ी संख्या में भूमिगत साहित्य तैयार कर उसे पवनार तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी हमें ही निभानी थी। जो भूमिगत साहित्य सामग्री छपवानी थी, वह हमें देकर श्री दत्तोपंतजी गुजरात से दिल्ली के लिए विदा हुए। अब इन कार्यों को बहुत कम समय में निपटाने का दायित्व हमारे कंधों पर था।

पवनार की ओर***

संघ के जिम्मे आए इन दायित्वों के बारे में योजना बनाने के लिए अहमदाबाद के विभाग प्रचारक श्री भास्करराव दामले, प्रांत प्रचारक श्री देशमुखजी तथा मैं अहमदाबाद में एकत्र हुए। साहित्य छपकर तैयार था। विभिन्न प्रकार के भूमिगत साहित्य की लगभग पाँच हजार प्रतियाँ हमें पवनार पहुँचानी थीं। अनेक विषयों से

संबद्ध छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ बनाई गई थीं। इन पुस्तिकाओं में सरकारी दमन चक्र की घटनाओं, जेल में मरनेवाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी, उनके परिवारों की स्थिति, सरकार द्वारा विपक्ष तथा संघ के विरुद्ध किए गए अपप्रचार का प्रत्युत्तर, देशव्यापी सत्याग्रह की जानकारी इत्यादि विषयों पर जानकारी दी गई थी।

अहमदाबाद से पवनार तक लगभग छत्तीस घंटों की जोखिमपूर्ण यात्रा कर इस साहित्य को सकुशल पवनार पहुँचाना था। इसके अलावा पवनार के इस सम्मेलन की प्रासंगिकता व महत्त्व के बारे में भी कई प्रकार की चर्चाएँ हो रही थीं, जिसके कारण प्रजा और सरकार दोनों का ही ध्यान उस ओर लगा था। सम्मेलन के माहौल को अपने अनुकूल बनाने के लिए सरकार की ओर से सक्रिय प्रयत्न किए जा रहे थे, अतः वहाँ स्वाभाविक रूप से सरकारी साधनों की भरमार थी। उन सभी की आँखें बचाकर यह काम करना था, जिसके लिए साहस के साथ-साथ सतर्कता भी अत्यंत आवश्यक थी।

काफी सोच-विचार के बाद हम लोगों ने तय किया कि यदि किसी बहन को यह कार्य सौंपा जाए तो किसी को कोई संदेह न होगा और काम भी आसानी से निपट जाएगा। उस पर भी यदि किसी महाराष्ट्रियन बहन की सहायता मिल जाए तो और सुविधा होगी। हमने तय किया कि अहमदाबाद की तथा संघ परिवार की ही श्रीमती सुभगा बहन संजीवनभाई देवधर को पवनार भेजा जाए। सुभगा बहन से इस बारे में बात करने पर बिना किसी हिचकिचाहट के वे इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार करते हुए पवनार जाने के लिए सहमत हो गईं।

सुभगा बहन की सम्मति मिलने के बाद नागपुर के साथ संपर्क कर हमने उन्हें 'सामान' के साथ आनेवाली आगंतुक की पहचान इत्यादि की जानकारी भेज दी। सुभगा बहन को नागपुर से पहले स्थित अजनी स्टेशन पर सामान के साथ उतरने की सूचना दी गई। उनके स्वागत के लिए आनेवाले व्यक्ति को पहचानने के लिए कोड वर्ड भी उन्हें बता दिया गया। इसके अलावा उन्हें यह भी सूचना दी गई कि अहमदाबाद से नागपुर तक के मार्ग में सुरक्षा के प्रति वे सतर्क रहें। यात्रा के दौरान सुभगा बहन को भी पता न चल पाए। इस प्रकार से भिन्न-भिन्न कार्यकर्ताओं द्वारा डिब्बे में सुरक्षा की जाँच करवाते रहने की व्यवस्था भी की गई। जाँच के लिए डिब्बे में चढ़नेवाले कार्यकर्ता पर किसी को संदेह न हो पाए, इसके लिए कार्यकर्ताओं द्वारा कई प्रकार की तरकीबें आजमाई गईं। कोई कार्यकर्ता अखबार बेचनेवाले के रूप में एक-दो स्टेशन तक साथ रहता तो कोई पेन बेचनेवाले के रूप में पूरे डिब्बे को छान डालता।

अजनी स्टेशन पर सुभगा बहन के उतरते ही वहाँ पर पहले से उपस्थित एक परिवार ने उनका स्वागत किया। इस परिवार में छोटे-छोटे बच्चे भी शामिल थे। अतः कुल मिलाकर ऐसा नजारा बना कि मानो कोई गृहस्थ अपने परिवार सहित अपने किसी स्वजन को लेने के लिए आए हों। यह सारी प्रक्रिया इतने स्वाभाविक ढंग से हुई थी कि देखनेवाले को इसमें कुछ भी असामान्य प्रतीत न हो। इस प्रकार सुभगा बहन के साथ-साथ 'सामान' भी सकुशल नागपुर पहुँच गया। पवनार में साहित्य वितरण का सारा प्रबंध नागपुर के स्वयंसेवकों द्वारा किया गया।

सुभगा बहन नागपुर के लिए जिस दिन विदा हुई, वह दिन भी स्मरणीय था। उनकी हिम्मत प्रशंसनीय थी। रास्ते में गिरफ्तारी का भय, गिरफ्तारी के बाद छुटकारे की अनिश्चितता, पुलिस द्वारा कड़ी पूछताछ की संभावना इत्यादि खतरों के बावजूद उनके चेहरे पर डर का नामोनिशान न था, बल्कि उन्हें कर्तव्य निभाने का अवसर मिला, इस बात का असीम आनंद था उन्हें। उनके जाने से पहले मैं उनसे मिलने के लिए गया था। उनका जोश देखकर मुझे खुशी हुई। मैंने भी उनसे जोशपूर्ण बातें कीं; मेरे चेहरे पर हिम्मत के कृत्रिम भाव थे, किंतु हृदय में लगातार एक चिंता बनी हुई थी। एक महिला को शेर के दाँत गिनने के लिए भेजनेवालों में से एक मैं भी था। ईश्वर न करे, किंतु यदि कोई अनहोनी हो जाए तो उनके परिवार पर क्या कहर टूट पड़ेगा, इस बात की कल्पना मात्र से मेरा दिल दहला जा रहा था। साथ-ही-साथ मैं गौरव भी महसूस कर रहा था—संघ के कार्यकर्ताओं व संघ के संस्कारों के प्रति! संघ के एक आह्वान पर देश के लिए कुरबान हो जाने के लिए प्रतिपल तत्पर रहनेवाले ऐसे कई परिवार ही संघ की शक्ति रहे हैं। देश के लिए अपना सबकुछ न्योछावर कर देने के लिए आतुर हजारों ऐसे परिवार ही हमारी विजय का विश्वास थे।

प्रार्थना, पूजा और यज्ञ

७ दिसंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री बालासाहेब देवरसजी की जन्मतिथि थी। आपातकाल के आरंभ से ही वे यरवदा जेल में थे। अतः उनकी दीर्घायु की कामना हेतु देश भर में इस दिन हुए प्रार्थना व शुभेच्छा संदेश भेजने के कार्यक्रमों में गुजरात ने बहुत उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया था। सरकार के प्रतिबंधों के बावजूद दृढ़तापूर्वक टिके हुए तथा आपातस्थिति-विरोधी प्रतिकारों में अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे संघ के अस्तित्व का अहसास प्रजा व

सरकार के बीच बराबर बना रहे, यह भी इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य था।

दूसरी ओर, जे.पी. के स्वास्थ्य की चिंताजनक स्थिति लोगों के मन को व्यग्र किए हुए थी। दिन-प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा उनका स्वास्थ्य हम सभी को व्यग्र किए हुए था। अतः पूज्य रविशंकर महाराज के निर्देशानुसार उसी दिन जे.पी. की दीर्घायु के लिए भी गुजरात में जगह-जगह पर सार्वजनिक प्रार्थना-सभाओं का आयोजन किया गया था।

इस प्रकार ७ दिसंबर के दिन संघर्ष की आत्मा व संघर्ष की शक्ति के प्रतीक रूप दो महापुरुषों की दीर्घायु की कामना के लिए कई प्रार्थना-सभाओं के आयोजन हुए। गुजरात के करीब पंद्रह शहरों में सत्यनारायण पूजा के कार्यक्रम भी हुए। इन कार्यक्रमों में श्री जे.पी. एवं श्री देवरसजी की तसवीरों के सम्मुख जनता द्वारा संकल्प लिया गया कि—

‘अद्यतने शुभ दिने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य प्रतिषेधनिवृत्यर्थम्, लोकशाही पुनःस्थापनार्थं पूज्य बालासाहेबः पूज्य जे.पी. महोदयः पूज्य मोरारजीभाई प्रभृतीनां दीर्घायुः प्राप्त्यर्थम्, संपूर्ण विश्वस्य समुत्कर्षसिद्ध्यर्थं श्री सत्यनारायण पूजनं करिष्ये।’

इन कार्यक्रमों में करीब पंद्रह हजार नागरिक सम्मिलित हुए। सिद्धपुर, नडियाद इत्यादि स्थानों पर महारुद्र यज्ञ भी आयोजित किए गए। इसके अलावा गुजरात के हर गाँव में सार्वजनिक प्रार्थना-सभाएँ हुईं। संघ को प्राप्त जन सहयोग की व्यापकता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है!

श्री देवरसजी को उनकी जन्मतिथि के उपलक्ष्य में गुजरात के सात हजार नागरिकों ने पत्रों के माध्यम से भी अपनी शुभेच्छाएँ प्रेषित कीं। इस अवसर पर गुजरात में लोकतंत्र के लिए चल रहे संघर्ष व संघ की भूमिका के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से व्यापक जन-संपर्क कार्यक्रम भी किया गया। इसमें संघ के स्वयंसेवकों ने गुजरात के करीब चालीस हजार नागरिकों से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर उन्हें वास्तविकता से परिचित करवाया।

अटलजी को शुभेच्छा

२५ दिसंबर को श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि थी। जेल में रहने के कारण अटलजी की भी स्वास्थ्य-हानि हो रही थी। उनकी इस दौरान तीन बार तो शल्य-चिकित्सा की गई थी। कारागृह में बंद नेताओं में से अटलजी के स्वास्थ्य के समाचारों से प्रजा सर्वाधिक व्यथित थी। अतः उनके जन्मदिन पर भी गुजरात में जगह-जगह सार्वजनिक सभाओं और प्रार्थना-सभाओं के कार्यक्रम आयोजित किए

गए। गुजरात से हजारों की संख्या में शुभेच्छा संदेश उन्हें भेजे गए।

‘साधना’ पत्रिका ने ‘कारागार के उस ओर’ शीर्षक से अटलजी का जेल जाने के पहले दिया गया भाषण प्रकाशित किया। इस लेख में भाषण के आलेख की भूमिका के रूप में छापा गया कि यह अटलजी का अंतिम भाषण है। हालाँकि इस वाक्य का यह आशय था कि यह भाषण अटलजी ने जेल जाने से पहले तक दिए गए भाषणों में से अंतिम भाषण है, किंतु इस पंक्ति ने कई लोगों की संवेदना को झकझोर दिया। लोगों ने आकुलतापूर्वक इसके संपादक से स्पष्टीकरण माँगते हुए पूछा कि ‘इस भाषण को ‘अंतिम भाषण’ क्यों कहा गया?’

देश भर के रणबॉकुरों का मेजबान बना गुजरात

सन् १९७५ के अंतिम दिन गुजरात के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहे। २९ व ३० दिसंबर को लोकसभा व राज्यसभा के विपक्षी सांसदों की एक बैठक गांधीनगर में हुई। इस बैठक में तीन निर्दलीय सांसद—सर्वश्री उमाशंकर जोशी, कृष्णकांत तथा पुरुषोत्तम मावलंकर भी शामिल हुए थे।

इस बैठक की एक और विशेषता थी। इतने बड़े पैमाने पर होनेवाली इस बैठक के दौरान लोक संघर्ष समिति के भूमिगत नेता श्री रवींद्र वर्मा, डॉ. स्वामी, श्री दत्तोपंतजी व श्री सुंदरसिंह भंडारी भी गांधीनगर में उपस्थित थे। ये भूमिगत नेता बैठक के लिए आए हुए सांसदों से यथासंभव मिलते रहते थे। सांसदों की इस बैठक के लिए आवश्यक प्रबंध श्री इंदुभाई पटेल व श्री दिनेशभाई शाह द्वारा किए गए थे। जब कि, भूमिगत नेताओं के लिए सारा प्रबंध संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था।

दो दिन तक चली इस बैठक में कई ठोस निर्णय लिये गए। ५ जनवरी, १९७६ से प्रारंभ हो रहे संसद के सत्र के दौरान सभी विपक्षी ‘जनता मोरचा ब्लॉक’ के रूप में एक साथ अलग बैठेंगे, यह निर्णय भी इन्हीं निर्णयों में से एक था। साथ-ही-साथ सदन में विपक्षी दलों की भूमिका को किस प्रकार से प्रभावशाली बनाया जाए, इस बारे में भी इस बैठक में व्यूह-रचना की गई।

बैठक की समाप्ति पर उसमें सम्मिलित हुए श्री एन.जी. गोरे द्वारा इन निर्णयों की जानकारी पत्रकारों को दी गई। इस पत्रकार परिषद् में भूमिगत नेता श्री कर्पूरी ठाकुर ने भी साहस का परिचय देते हुए उपस्थित रहकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। श्री गोरे ने अपने निवेदन में कहा कि गुजरात में ‘जनता मोरचा’ की सफलता ने हमें संसद में भी ‘जनता ब्लॉक’ बनाने की प्रेरणा दी है। बैठक में यह

भी निर्णय किया गया था कि नवगठित 'जनता ब्लॉक' संसद् में अध्यक्ष के चुनाव में भी शामिल होगा।

२९-३० दिसंबर की सांसदों की इस बैठक के बाद ३१ तारीख को अहमदाबाद में लोक संघर्ष समिति की अखिल भारतीय बैठक भी आयोजित होनी थी, इस बात की बहुत कम लोगों को जानकारी थी। इस बैठक में संघर्ष समिति के करीब पैंतीस नेता पहली बार एक साथ गुजरात की भूमि पर एकत्र होने थे। बैठक में सम्मिलित होने के लिए आनेवाले लोक संघर्ष समिति के नेताओं में करीब आधे नेता ऐसे थे, जिनके नाम वारंट निकले हुए थे। शेष नेता ऐसे थे, जिनके लिए वारंट तो नहीं निकले थे, किंतु उनपर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। सांसदों की बैठक के तुरंत बाद ही इस बैठक के आयोजन का एक ही प्रयोजन था कि इस प्रकार से आसानी से सरकार की आँखों में धूल झोंकी जा सकती थी। जिन पर निगरानी रखी जा रही थी, उन नेताओं के गुजरात आगमन से सरकार को लगा कि वे सांसदों की बैठक में शामिल होने के लिए ही गुजरात जा रहे हैं।

इस बैठक के प्रबंध में अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता थी। जनसंघ के संगठन मंत्री श्री नाथालाल झण्डा के सहयोग से हमने इस हेतु एक योजना बना ली थी। तदनुसार २९-३० दिसंबर को आ पहुँचे सभी नेताओं को हमने ३० तारीख को रात होने तक विभिन्न कार्यकर्ताओं के घरों पर पहुँचा दिया था। इसके अलावा, कुछ नेताओं को गांधीनगर तथा कुछ को अहमदाबाद जनसंघ के कार्यालय में ठहराया गया। योजनानुसार दिन भर चलनेवाली इस बैठक में आने के बाद शाम तक सभी को एक साथ रहना था। ३१ दिसंबर को सभी भूमिगत नेताओं को तो आसानी से बैठक के स्थान तक पहुँचा दिया गया, किंतु जो नेता भूमिगत नहीं थे, निगरानी में थे उन्हें बैठक स्थल तक ले जाने के लिए अत्यंत सावधानी रखनी आवश्यक थी। श्री दिग्विजय नारायण सिंह जैसे लंबी-चौड़ी कद-काठीवाले नेताओं को तो छिपाकर लाना भी कठिन था।

इसके अलावा संघर्ष समिति के एक भूमिगत नेता ने एक और सूचना हमें दी थी, जिससे हमारे लिए परेशानी और बढ़ गई थी। यह सूचना भी हमारे लिए अनपेक्षित तथा कुछ हद तक आश्चर्यकारक थी। सूचना यह थी कि 'इस बैठक में शामिल होनेवाले कुछ व्यक्ति अत्यंत संदेहास्पद हैं। बहुत संभव है कि वे श्रीमती गांधी को प्रसन्न करने के लिए सरकार को सूचना पहुँचाते रहते हों। अतः उनके बैठक स्थल तक पहुँचने तक वे किसलिए और कहाँ जा रहे हैं, इस बारे में उन्हें कुछ न बताया जाए।' यह सूचना मिलते ही हमें महसूस हुआ कि जरा सी चूक होने

पर बहुत बड़ी आफत आ सकती है, जो कि गुजरात के माथे पर कलंक का टीका लगा सकती है।

परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए हमने अपनी योजना पर तत्काल पुनर्विचार किया। नई योजना बनाई गई। इस योजना से कोई मुसीबत नहीं पैदा होगी, इस बात से आश्वस्त होकर हमने उसे अमली जामा पहनाना शुरू किया।

अहमदाबाद शहर के पुराने केंद्रीय हिस्से की एक विशेषता है—उसमें बिछा पोलों (गलियों) का जाल। अहमदाबाद की इन पोलों के मकान परस्पर इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि यदि कोई चाहे तो शहर के इस पुराने हिस्से के एक छोर से प्रवेश कर, बिना मुख्य मार्ग पर आए, दूसरे छोर तक निकल सकता है। हमने तुरंत इन पोलों में रहनेवाले संघ के उन कार्यकर्ताओं की सूची बनाई, जिनके घर दो प्रवेश-द्वारवाले और दो अलग-अलग पोलों के बीच स्थित हों। योजनानुसार सभी परिचित नेताओं को पृथक्-पृथक् रूप से इन घरों तक पहुँचाया गया। कुछ समय तक उन्हें उन घरों में रोककर, बाद में दूसरी ओरवाले प्रवेश-द्वार पर खड़ी कारों में बैठाकर सभी को बैठक स्थल तक पहुँचा दिया गया। इस योजना के द्वारा नेताओं पर निगरानी रखनेवाले छद्म सहचरों को भीतर जानेवाले प्रवेश-द्वारों पर ही उलझाए रखते हुए नेताओं को उनकी निगरानी से निजात दिलवाने में सफलता प्राप्त हुई। सवेरे नौ बजे तक करीब सभी को बैठक स्थान पर पहुँचा देने के बाद ही हमने चैन की साँस ली।

अब केवल श्री जॉर्ज फर्नांडीज का आना ही शेष रह गया था। उन्हें लेने के लिए गए कार्यकर्ता को आने में कुछ विलंब हो गया था; किंतु तब तक उपस्थित नेताओं ने आपस में मशवरा कर हमें सूचना भेजी कि श्री जॉर्ज के आने पर उन्हें बैठक में न लाकर एक अलग कमरे में बैठाया जाए तथा उनके आगमन की सूचना बैठक में पहुँचाई जाए। हम तक यह सूचना पहुँचाने के तुरंत बाद ही श्री जॉर्ज आ पहुँचे। सूचनानुसार हमने उनके आगमन की खबर बैठक तक पहुँचाई। खबर पाते ही श्री रवींद्र वर्मा, श्री एस.एम. जोशी इत्यादि श्री जॉर्ज से मिलने के लिए स्वयं उनके पास पहुँचे। ऐसा इसलिए किया गया था कि उनमें से कुछ नेताओं का यह मानना था कि श्री जॉर्ज के बैठक में उपस्थित रहने पर उनके लिबास और उनके द्वारा बैठक को दी गई गोपनीय जानकारी की सूचना सभा में उपस्थित कुछ संभावित रूप से संदेहास्पद व्यक्तियों के माध्यम से सरकार तक पहुँचने की पूरी आशंका थी। कुछ बातचीत के बाद श्री जॉर्ज तुरंत वापस लौट गए। हालाँकि बैठक की समाप्ति के बाद सर्वश्री रवींद्र वर्मा, एस.एम. जोशी व दत्तोपंतजी टेंगड़ी को

लेकर मैं श्री जॉर्ज के निवास-स्थान पर गया और बैठक में दिन भर हुए विचार-विमर्श की पूरी जानकारी श्री जॉर्ज को दी।

बैठक के दौरान हिंसक व अहिंसक प्रतिकार पद्धति का मुद्दा विस्तृत रूप से चर्चित हुआ था। इस चर्चा में गांधीवादी मूल्यों के अनुसार ही प्रतिकार करने के संघर्ष समिति के स्पष्ट आग्रह तथा हिंसक तरीकों के प्रति संघर्ष समिति द्वारा व्यक्त की गई असहमति के बारे में भी उन्हें जानकारी दी गई।

संघर्ष समिति की दिन भर चली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। देशव्यापी सत्याग्रह के समाज, सरकार व जेलों में बंद बंधुओं पर पड़नेवाले प्रभावों के बारे में भी विचार किया गया। सत्याग्रह को शुरू हुए डेढ़ माह का समय बीत चुका था तथा सरकार की धारणा से कई गुना अधिक संख्या में सत्याग्रही जेल जाने के लिए तत्पर थे। सरकार को सत्याग्रह से संबद्ध इस जानकारी से पहुँचे आश्चर्याघात के समाचारों का भी इस बैठक में उल्लेख किया गया। समिति ने सत्याग्रह की प्रभावशीलता को लेकर संतोष व्यक्त किया।

इस बैठक में किए गए एक और महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार ५ जनवरी से प्रारंभ हो रहे संसद् सत्र के दौरान संसद् भवन के समक्ष सत्याग्रह किया जाना था। तय किया गया कि देश भर के सत्याग्रहियों के विभिन्न दल दिल्ली पहुँचकर सत्याग्रह करेंगे। किंतु बाद में इस निर्णय को बदल दिया गया था। इसके अलावा विदेशों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिथ्या प्रचार का प्रत्युत्तर देने के लिए डॉ. स्वामी को विदेश-यात्रा पर भेजने का निर्णय भी किया गया था; किंतु इस निर्णय को बैठक में सभी पर जाहिर नहीं किया गया था। श्री स्वामी जब तक सकुशल विदेश-यात्रा पर चले न जाएँ तब तक इस बात की किसी को कानोकान खबर न हो पाए, इस प्रयोजन से ऐसा किया गया था।

बैठक में तीन सदस्योंवाली एक समिति बनाई गई। संघर्ष समिति की ऐसी बैठकें बार-बार करना असंभव था, अतः इस समिति को संघर्ष समिति की ओर से सभी निर्णय करने के अधिकार दिए गए। इस समिति के तीन सदस्य थे—सर्वश्री रवींद्र वर्मा, दत्तोपंतजी ठेंगड़ी तथा एस.एम. जोशी। इस प्रकार गुजरात की भूमि पर देश-हित के लिए ऐसे कई निर्णय किए गए।

यद्यपि इन निर्णयों के किए जाने भर से हमारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। इन निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में १ व २ जनवरी, १९७६ को दो दिनों के लिए एक और महत्वपूर्ण भूमिगत बैठक अहमदाबाद में आयोजित की गई थी। यह बैठक जनसंघ के भूमिगत कार्यकर्ताओं की थी। इसके लिए हर प्रांत से जनसंघ के

दो-दो भूमिगत नेताओं को बुलाया गया था। इनके अलावा संघर्ष समिति की ३१ दिसंबर को आयोजित बैठक में शामिल हुए नेता भी इस बैठक में उपस्थित रहे थे। श्रीमती गांधी को नाकों चने चबवानेवाले करीब सत्तर प्रमुख संघर्षवीर दो दिन तक चली इस बैठक में सम्मिलित हुए थे। इस बैठक के आयोजन में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हुई थी, क्योंकि बैठक में शामिल होनेवाले सभी नेता विगत छह माह में इस प्रकार की अनेक भूमिगत बैठकों के अभ्यस्त हो चुके थे। अतः संभावित खतरों व आवश्यक सावधानियों से वे सुविदित थे। इस प्रकार उस एक सप्ताह की अवधि में गुजरात को सौ से भी अधिक संघर्षरत रणबाँकुरों की यजमानी का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

दिल्ली के भूतपूर्व मेयर श्री केदारनाथ साहनी भी अकसर गुजरात आया करते थे। वे मुख्यतः 'मीसा' के अंतर्गत गिरफ्तार हुए कार्यकर्ताओं के परिवारों की आर्थिक स्थिति की देखभाल किया करते थे। इस कार्य के लिए वे देश भर में लगातार भ्रमण करते रहते थे।

इस प्रकार तानाशाही के प्रतिकार से जुड़ी कई गतिविधियाँ गुजरात में होती रहती थीं। गुजरात में मोरचा सरकार होने के बावजूद केंद्र सरकार को किसी भी बात की भनक न पड़ सके, इस हेतु पूरी सतर्कता बरती जाती थी। यही कारण था कि गुजरात में किसी भी भूमिगत नेता को कभी भी किसी भी तरह की आपत्ति का सामना नहीं करना पड़ा था। किंतु एक बार श्री रवींद्र वर्मा अवश्य एक परेशानी में पड़ गए थे। उनके पुत्र हरि से मुझे इस बात की जानकारी मिली थी कि जनवरी में एक बार बंबई जाते समय वलसाड़ रेलवे स्टेशन पर उनकी पूछताछ हुई थी। सरकारी अधिकारियों को संदेह था कि वे रवींद्र वर्मा थे, किंतु श्री रवींद्र वर्मा ने बेझिझक इस बात से इनकार कर दिया। श्री वर्मा के निडरतापूर्ण व्यवहार से जाँच अधिकारियों ने असमंजस में पड़ते हुए उनकी बात को सही मानकर उन्हें छोड़ दिया था। परंतु श्री रवींद्र वर्मा संभावित आगामी खतरों के प्रति सतर्क होकर अगले ही स्टेशन पर ट्रेन से उतर गए थे और आगे की यात्रा उन्होंने एक ट्रक में बैठकर की थी। अन्य एक दुर्घटना श्री सुंदरसिंह भंडारी के साथ हुई। अहमदाबाद में हुई बैठक के बाद श्री भंडारी दिल्ली गए। दिल्ली में कुछ समय ठहरने के बाद जब वे पटना जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

□

प्रकरण-१६

एक और निशान—गुजरात

चार नगरपालिकाओं के चुनावों में मोरचा की प्रचंड विजय तथा आनेवाले जिला पंचायत चुनावों के पूर्व छोटे-छोटे गाँवों तक मोरचा का फैलाता जा रहा दायरा एवं गुजरात के प्रत्येक जिले में गूँज रहा सत्याग्रह का जयघोष गुजरात के कांग्रेसी नेताओं को बेचैन कर रहा था। नवनिर्माण आंदोलन के समय से ही गुजरात की प्रजा को सबक सिखाने के लिए उतावले हो रहे कांग्रेसियों ने गुजरात की मोरचा सरकार पर कीचड़ उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तमिलनाडु की तरह ही गुजरात सरकार को भी गिराने के लिए वे बेसब्र हुए जा रहे थे। चूँकि केंद्र सरकार यह जानती थी कि तमिलनाडु में अपनाए गए तौर-तरीकों को गुजरात में इस्तेमाल करना महँगा साबित हो सकता है, अतः केंद्र द्वारा गुजरात में दल-बदल प्रवृत्ति को उकसाने की नीति लागू करने के संकेत दिए गए और उस हेतु आवश्यक सारी सहायता गुजरात के कांग्रेसियों को मुहैया करवाने के वचन भी दिए गए। इन हालातों में लोक संघर्ष समिति तथा जनता मोरचा दल ने भी जन-जागृति के कार्यक्रमों के माध्यम से दल-बदल नीति के प्रति गुजरात की जनता की अरुचि जाहिर करने के प्रयत्न किए। इस सिलसिले में ११ जनवरी को आयोजित जनसंघ की कार्यकारिणी की बैठक में २६ जनवरी से ११ फरवरी तक 'जन-जागृति पखवाड़ा' मनाने का निर्णय किया गया। इस कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न जिला व तहसील केंद्रों पर करीब दो सौ सम्मेलन आयोजित कर गाँव-गाँव में सभाओं के आयोजन द्वारा लोक-जागृति का व्यापक अभियान चलाया गया। जनसंघ का यह कार्यक्रम बहुत सफल हुआ।

इसी प्रकार १५ फरवरी को अहमदाबाद में श्री नारायण देसाई की अध्यक्षता

में लोक संघर्ष समिति के सदस्यों व आमंत्रितों की एक मीटिंग हुई, जिसमें सत्याग्रह की समीक्षा की गई, आगामी कार्यक्रमों के बारे में विचार-विमर्श किया गया तथा सरकार गिराने की कांग्रेस की कोशिशों के खिलाफ व्यापक जन-संपर्क तथा जन-जागृति के कार्यक्रमों के आयोजनों का निर्णय किया गया। इसके अलावा श्री मोरारजीभाई के जन्म-दिवस २९ फरवरी को विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करने का निर्णय भी किया गया। गुजरात में जे.पी. स्वास्थ्य निधि अभियान भी व्यापक रूप से चलाया गया।

७ फरवरी के दिन 'लोकतंत्र बचाओ' दिवस मनाने का निर्णय हुआ। इस दिन गुजरात में जगह-जगह पर सभाओं व बैठकों का आयोजन कर कांग्रेसियों द्वारा रचे जा रहे षड्यंत्र के बारे में प्रजा को अवगत करवाया गया तथा हजारों की संख्या में तार, पत्र और प्रस्ताव भेजकर एवं रैलियों के द्वारा गुजरात के राज्यपाल से लोकतांत्रिक प्रणालियों के अनुरूप बरताव करने का अनुरोध किया गया।

जनवरी माह से ही गुजरात में विपरीत परिस्थितियाँ आकार लेने लगी थीं। कुदरत भी जैसे गुजरात की और अधिक परीक्षा लेना चाहती थी। शायद इसीलिए संघर्षरत मोरचा सरकार के मार्गदर्शकों में से एक तथा जो स्वयं भी आपातस्थिति की घोषणा से ही निरंतर संघर्ष में लगे थे, वे श्री वसंत गजेंद्र गडकर, १६ फरवरी को स्वर्ग सिधार गए। गुजरात के जनजीवन में से एक सेवाव्रती राजनीतिज्ञ की क्षति हो गई। श्री चिमनभाई शुक्ल ने अपने शोक संदेश में कहा था, 'लोकतंत्र की रक्षा के लिए हो रहे इस संघर्ष में जहाँ एक-एक सैनिक बहुमूल्य है, वहाँ एक सेनापति का ऐसे चल बसना हमारे लिए दुःखद व दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आपातस्थिति के कारण श्री वकील साहब जैसे उनके वर्षों पुराने मित्र भूमिगत होने से उनके अंतिम दर्शन तक न कर सके!' (वस्तुतः श्री वकील साहब भूमिगत होने के बावजूद श्री गजेंद्र गडकर के अंतिम दर्शनों के लिए आए थे, किंतु उनकी सुरक्षा हेतु इस बात को गुप्त रखा गया था।)

इन्हीं दिनों संघर्ष के प्रतिकूल और भी कई घटनाएँ घटित हुईं। एक के बाद एक नेता पकड़े जाने लगे। १२ फरवरी को 'लोक संघर्ष समिति' के मंत्री श्री रवींद्र वर्मा पकड़े गए तथा उनके साथ ही उनके सहयोग में लगे संघ के बंबई के कार्यकर्ता भी गिरफ्तार कर लिये गए। लोक संघर्ष समिति के लिए यह एक बहुत बड़ा आघात था। गुजरात के लिए भी यह बहुत कष्टकारी घटना थी, क्योंकि श्री वर्मा की कार्यशैली से गुजरात के संघर्षरत कार्यकर्ताओं का अच्छी तरह से तालमेल बैठ चुका था। श्री वर्मा का समन्वयकारी व्यक्तित्व गुजरात

मोरचा सरकार के सभी घटक दलों को संघर्ष व अन्य मुद्दों पर भी मार्गदर्शन देता रहा था।

संघर्ष समिति के नए मंत्री

श्री वर्मा की गिरफ्तारी के बाद अब संघर्ष समिति के लिए नए मंत्री की नियुक्ति के बारे में विचार-विमर्श शुरू हुआ। योग्यतम व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करना आवश्यक था, अतः संघर्ष समिति के नेताओं ने श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी को यह कार्यभार सौंपा। हालाँकि यह व्यवस्था अस्थायी थी, क्योंकि संघर्ष के प्रारंभ से ही श्री ठेंगड़ी भूमिगत रहते हुए आंदोलन के संचालन में अपना योगदान दे रहे थे और सरकार उन्हें भी गिरफ्तार करने के लिए प्रयत्नशील थी... तब समिति किसी भी कीमत पर दत्तोपंतजी को खोना नहीं चाहती थी।

मंत्री पद हेतु अन्य योग्यतम व्यक्ति के रूप में श्री नारायण देसाई के नाम के बारे में 'लोक संघर्ष समिति' के केंद्रीय नेताओं में आम सहमति थी। अतः श्री एस.एम. जोशी व श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी ने श्री नारायण देसाई के समक्ष यह प्रस्ताव रखने का निर्णय किया। उन्हीं दिनों, २ और ३ मार्च को सर्वोदय नेताओं का एक अखिल भारतीय कार्यक्रम गुजरात में भरूच के पास स्थित शुक्ल तीर्थ में हो रहा था। देश भर के प्रमुख सर्वोदयी कार्यकर्ता यहाँ एकत्र होकर तत्कालीन परिस्थितियों में जे.पी., विनोबाजी इत्यादि की भूमिकाओं के बारे में सविस्तार चर्चा कर रहे थे। श्री नारायण देसाई भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। अतः लोक संघर्ष समिति के दोनों नेता उनसे मिलने के लिए गुजरात पहुँचे। श्री ठेंगड़ी तथा श्री जोशी दोनों इस सम्मेलन में एक दिन के लिए शामिल भी हुए। सम्मेलन में कई विषयों पर अधिकृत जानकारी दोनों नेताओं को मिली। इसके अलावा इन नेताओं ने श्री नारायण देसाई से संघर्ष समिति के मंत्री पद के कार्यभार के संदर्भ में भी बातचीत की। किंतु श्री देसाई ने यह कार्य अधिक कठिन होने और इसके लिए भूमिगत होने की आवश्यकता को लेकर इस बारे में अपनी असमर्थता व्यक्त की तथा 'लोक संघर्ष समिति' के मंत्री पद का कार्यभार किसी और अधिक योग्य व्यक्ति को सौंपने की सलाह दी। श्री ठेंगड़ीजी से ही इस पद पर बने रहने के लिए उन्होंने भी आग्रह किया।

श्री नारायणभाई ने संघर्ष में सहायक हो सके, वैसे साहित्य के प्रकाशन के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की। उनके इस विचार के कारण ही गुजरात में हिंदी भाषा के साप्ताहिक 'यकीन' का उन्हीं के संपादकत्व में बारदोली से प्रकाशन आरंभ हुआ।

लोक संघर्ष समिति ने अब अपने मंत्री के बारे में पुनर्विचार करना शुरू किया। इस बार एक नई व्यवस्था सोची गई। इस व्यवस्था के अनुसार श्री दिग्विजय नारायण सिंह को, चूँकि उनके नाम कोई वॉरंट नहीं था, बाहरी कार्यों के लिए मंत्री बनाया गया तथा भूगर्भ आंदोलन के लिए विशेष मंत्री पद की जिम्मेदारी श्री दत्तोपंतजी को सौंपी गई। आगे चलकर यह महसूस किया गया कि यह व्यवस्था सर्वाधिक अनुकूल थी। सरकार का ध्यान अब केवल दिग्विजय नारायण सिंह की ओर केंद्रित था और उन्हें पकड़ने की कोई आवश्यकता सरकार को महसूस नहीं हो रही थी। दूसरी ओर संघर्ष का सारा काम श्री दत्तोपंतजी सँभाले हुए थे। कुछ दिनों बाद १३ मई को श्री जयप्रकाश ने संघर्ष समिति के पुनर्गठन की घोषणा की। तदनुसार श्री एस.एम. जोशी को समिति के अध्यक्ष पद का तथा सर्वश्री दत्तोपंत ठेंगड़ी, दिग्विजय नारायण सिंह एवं लोकनाथ जोशी को मंत्री पद का कार्यभार सौंपा गया। संघर्ष के अंत तक इन सभी ने 'लोक संघर्ष समिति' का नेतृत्व किया।

बंगलौर में भी गुजरात की गूँज

गुजरात में हितेंद्रभाई देसाई के नेतृत्व में एकजुट कांग्रेसी किसी भी कीमत पर सरकार गिराने को तत्पर थे। 'अब गिरे, तब गिरे' के अनिश्चिततापूर्ण माहौल में गुजरात सरकार काम कर रही थी कि तभी गुजरात में राज्यसभा के चुनाव आ खड़े हुए। गुजरात के जनता मोरचा पक्ष ने राज्यसभा की सदस्यता हेतु बंगलौर जेल में 'मीसावास' कर रहे जनसंघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री एल.के. आडवाणी का चुनाव कर केंद्र सरकार को और भी छेड़ दिया। बंगलौर के सत्ताधीशों ने भी आडवाणीजी को उम्मीदवारी पत्र भरने से रोकने के लिए तरह-तरह की तरकीबें आजमाईं।

गुजरात के तत्कालीन आवास मंत्री श्री मकरंदभाई देसाई को बंगलौर भेजा गया। उनके साथ बंबई के जनसंघ कार्यकर्ता श्री अमर जरीवाला भी थे। उन्होंने आडवाणीजी से संपर्क करने के प्रयत्न किए, किंतु वहाँ के गृहमंत्री ने श्री आडवाणी से जेल में मिलने की अनुमति देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। अतः न्यायालय के खुलते ही श्री देसाई ने प्रसिद्ध न्यायविद् श्री संतोष हेगड़े द्वारा याचिका दायर करवाकर चुनाव में उम्मीदवारी हेतु आवेदन करने के लिए श्री आडवाणी को पेरोल पर छोड़ने की दरखास्त की। कुछ दिनों में ही एक और याचिका दायर करवाकर चुनाव के संदर्भ में श्री आडवाणी से जेल में मुलाकात करने देने की अनुमति भी

माँगी गई। इस प्रकार यह पूरा मामला अदालत तक पहुँचा।

दूसरी ओर, श्री बाबूभाई ने दिल्ली में तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री श्री के. ब्रह्मानंद रेड्डी से मिलकर जनता मोरचा के प्रत्याशी श्री आडवाणी को चुनाव में हिस्सा लेने के लिए आवश्यक सारी सहायता उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने भी दायर याचिकाओं पर काररवाई करते हुए श्री आडवाणीजी को पेट्रोल पर छोड़ने की माँग को स्वीकार कर लिया। किंतु अब श्री आडवाणीजी ने उन तानाशाहों की चुनौती को स्वीकार करते हुए पेट्रोल पर मुक्त होने से स्वयं इनकार कर दिया। इस प्रकार इस कानूनी मुकाबले में भी सरकार की पराजय और श्री आडवाणी की नैतिक जीत हुई।

आडवाणीजी को ९ मार्च को पुलिस की हिरासत में हवाई जहाज द्वारा बंगलौर से अहमदाबाद लाया गया। उन्हें गांधीनगर के गेस्ट हाउस में ठहराया गया, जहाँ उनके चुनाव उम्मीदवारी-पत्र भरने से संबंधित औपचारिकताएँ पूर्ण की गईं। इस तरह गुजरात ने हर चुनौती का सामना करते हुए श्री आडवाणी को राज्यसभा के लिए चुनकर भेजा।

कांग्रेसियों की व्यूह-रचना

गुजरात सरकार के टूटने के बारे में कांग्रेसियों का विश्वास दिन-प्रतिदिन दृढ़ होता जा रहा था। सूरत के विधायक श्री शंभूभाई पटेल द्वारा किए गए दल-बदल से कांग्रेसियों की इस उम्मीद को और बल मिला। मोरचा सरकार इन कोशिशों में लगी थी कि गुजरात सरकार के पतन के बाद भी गुजरात में अमन-चैन कायम रहे, जबकि कांग्रेसियों की मंशा सरकार को पदभ्रष्ट करने के साथ-साथ उसे बदनाम करने की भी थी। दल-बदलुओं का सहारा लेकर ऐसा चित्र खड़ा किया गया कि मोरचा सरकार आपसी मतभेदों के कारण बिखर रही है। यह सरकार अलोकतांत्रिक आचरण कर रही है तथा हिंसा को बढ़ावा दे रही है, इत्यादि कुप्रचारों के द्वारा गुजरात सरकार को बदनाम करने के कांग्रेसियों के प्रयत्न दिन-प्रतिदिन जोर पकड़ने लगे। इन प्रयत्नों के अलावा 'सुरंग प्रकरण' से जुड़े विवाद को जोर-शोर से उछालकर गुजरात सरकार को सर्वाधिक बदनाम करने की कोशिश की गई। गुजरात के कुछ कांग्रेसियों व एक सांसद द्वारा 'सुरंग प्रकरण' की पूरी जानकारी केंद्र सरकार तथा सी.बी.आई. को दी गई थी।

गुजरात के कांग्रेसियों व केंद्र सरकार की योजना थी कि गुजरात सरकार के जिस दिन गिरने की संभावना हो, उसके दो दिन पहले ही 'सुरंग प्रकरण' से संबद्ध

लोगों व उनके नेता श्री जॉर्ज फर्नांडीज इत्यादि को माल-असबाब सहित पकड़ लिया जाए। ऐसा संभव होने की स्थिति में गुजरात सरकार के गिरते ही मोरचे को बदनाम करने का एक बहुत बड़ा कारण उन्हें मिल जाता। कुछ कारणों से वे अपनी इस योजना में सफल भी हुए, किंतु जॉर्ज फर्नांडीज उनके हाथ न लग सके। सुरंग की शक्ति से केंद्र सरकार जितनी चिंतित थी, उससे कहीं अधिक परेशान वह श्री जॉर्ज के हाथ न लगने से थी।

आखिरकार, कांग्रेसी अपनी योजना में सफल हुए। मोरचा के विधायकों में से किसी ने स्वार्थवश, किसी ने सत्तालोलुपतावश एवं कड़ियों ने सरकार के 'मीसा' जैसे हथियारों के भय से दल-बदल किया और लोकशाही के पतन का कारण बने। दिन-प्रतिदिन मोरचा के विधायकों की संख्या क्रमशः कम होती गई। अंततः १२ मार्च को विधानसभा में मोरचा सरकार अल्पमत में आ गई। मुख्यमंत्री श्री बाबूभाई पटेल ने अपनी ओर से मोरचा सरकार का इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। सरकार के इस्तीफा देते ही कांग्रेसियों ने 'सुरंग प्रकरण' के बारे में चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया।

सरकार का गिरना निश्चित होते ही इस नई स्थिति के बारे में विचार-विमर्श हेतु ११ मार्च के दिन 'लोक संघर्ष समिति' की एक बैठक श्री बी.के. मजूमदार के यहाँ आयोजित की गई। इस बैठक में 'गुजरात लोक संघर्ष समिति' के संयोजक श्री भोगीलाल गांधी अपने प्रतिकूल स्वास्थ्य के कारण उपस्थित नहीं हो सके थे। सरकार के गिरने के पश्चात् जेल जाने की संभावना तथा जेल में अपर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था की आशंका से वे सरकार के गिरने से पहले ही किसी अज्ञात स्थान पर चले गए थे।

इस बैठक में हम सभी सहयोगी नई परिस्थितियों के बारे में सोच-विचार कर रहे थे। कई विषयों पर चर्चा चल ही रही थी कि तभी जनसंघ के प्रदेश मंत्री श्री शंकरसिंह वाघेला वहाँ आ पहुँचे। वे गांधीनगर से आए थे, अतः उनके पास बहुत सी जानकारी थी। उन्होंने सरकार के पतन के समाचार दिए। हम सभी ने और कई मुद्दों पर भी बातचीत की। अब दोबारा मुलाकात होगी या नहीं, इस बारे में सभी के मन में संशय था। बैठक में उपस्थित सभी कार्यकर्ता कुछ समय बाद जेलों में होंगे, यह भी निश्चित था। अतः यह बैठक एक तरह से विदाई समारोह जैसी प्रतीत हो रही थी। अब हम एक-दूसरे को एक नए स्वतंत्र भारत में ही मिलेंगे— ऐसी दृढ़ शुभेच्छाएँ परस्पर व्यक्त की गईं।

संघर्ष समिति के मुझ जैसे सदस्य यह मानते थे कि जेल की बंदियों के

बजाय बाहर की खुली हवा में रहकर ही संघर्ष की लौ को जीवित रख पाएँगे। अतः बैठक में उपस्थित सभी ने हमारे लिए विशेष रूप से शुभेच्छाएँ व्यक्त कीं। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों में से कुछ को छोड़कर शेष सभी को जेल-गमन की तैयारी करनी थी। जबकि हम जैसे कुछ लोगों ने, जिन्होंने 'मीसा' को भी चुनौती देने की टान ली थी, उन्हें भूमिगत होने की योजना बनानी थी।

बैठक के तुरंत बाद श्री नाथालाल झंघड़ा, श्री शंकरसिंह वाघेला एवं मैं गांधीनगर पहुँचे। सरकार गिरने के बाद किसे क्या करना है, एक-दूसरे से मिलने के गुप्त स्थान इत्यादि के बारे में निर्णय किए गए। श्री मकरंदभाई देसाई को भी भूमिगत रहना है, यह भी तय किया गया। इस आयोजन के बाद रात को ही हम अहमदाबाद पहुँच गए।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक श्री देशमुखजी ने भी गुजरात प्रांत के कार्यकर्ताओं की एक आपातकालीन बैठक की और नई स्थितियों के बारे में आवश्यक निर्णय इस बैठक में कर लिये गए। सभी ने अपने-अपने मोरचे सँभाल लिये। हमारे भूमिगत जीवन का दूसरा दौर अब शुरू हो रहा था। हमें अपने सिर पर टँगी 'मीसा' की तलवार तले अब बिना चूके पूरी सावधानी के साथ काम करना था।

दूसरे दिन १२ मार्च को श्री बाबूभाई के इस्तीफे का समाचार मिला। लोकतंत्र के अनोखे द्वीप के समान खड़ा गुजरात भी अंततः तानाशाही की लहरों में खो गया। इतिहास के पन्नों में एक और काले पन्ने का इजाफा हुआ।

□

प्रकरण-१७

‘मीसा’ का कोड़ा बरसा

गुजरात की मोरचा सरकार ने इस्तीफा दे दिया। गुजरात शांत रहा। लोकतंत्र समर्थक जनमानस में इस दुर्घटना के प्रति धिक्कार की व्यापक प्रतिक्रिया के बावजूद कहीं कोई हिंसक वारदात नहीं हुई। जनजीवन सामान्य था। फिर भी गुजरात में गिरफ्तारियों का मनमाना दौर शुरू हो गया।

१३ मार्च की मध्य रात्रि से ही गुजरात में जगह-जगह गिरफ्तारियाँ होने लगीं। देश के अन्य राज्यों की तरह गुजरात में भी संघ, जनसंघ तथा विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं को लक्ष्य बनाया गया। इनके अलावा कुछ सर्वोदयी कार्यकर्ताओं को भी पकड़ा गया। रात भर गिरफ्तारियों के सामचार आते रहे। संघ के भूमिगत कार्यकर्ताओं को पकड़ने के लिए संघ के अन्य कई कार्यकर्ताओं के किवाड़ खटखटाए गए। अहमदाबाद की पुलिस संघ के एक भी कार्यकर्ता को नहीं पा सकी। सभी कार्यकर्ता सुरक्षित रहते हुए परिस्थिति पर नजर रखे हुए थे। संघ का एक भी कार्यकर्ता न पकड़े जाने से सरकार झुँझला उठी। अतः अब मनमाने तरीके से छापे मार-मारकर कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को डराने-धमकाने का सिलसिला शुरू हुआ। हम जैसे कार्यकर्ताओं को पकड़ने के लिए, जिनके नाम गिरफ्तारी आदेश नहीं थे, उनके घरों की तलाशियाँ ली गईं। एक कार्यकर्ता डॉ. विश्वनाथ वणीकर को तो घर की अलमारियाँ तक खोलने के लिए मजबूर किया गया, मानो भूमिगत कार्यकर्ता उन अलमारियों में छिपे बैठे हों! श्री कांतिभाई मोदी के घर पर रात को उनके सभी परिवारजनों को सोते से जगाकर पूछताछ की गई। उनके घर पर तो रेफ्रीजरेटर तक खोलकर देखे गए। श्री संजीवनभाई देवधर के घर अनाज भरे कोठारों में लकड़ियाँ खोंस-खोंसकर देखा गया कि कहीं कोई अनाज के बीच तो

नहीं छिपा है। श्री हरिश्चंद्र पंचाल शहर से बाहर थे। उनके नाम कोई वारंट भी नहीं था। उनकी पत्नी श्रीमती कमला बहन पंचाल घर में अकेली थीं, फिर भी रात के दो बजे पुलिस ने जबरदस्ती उनके घर में घुसकर छज्जे-कोने तक छान डाले और वह भी बिना महिला पुलिस की उपस्थिति के। घर के किसी पुरुष की अनुपस्थिति की परवाह तक न करते हुए बीस से पच्चीस पुरुष कर्मचारी एक घंटे तक घर को रौंदते रहे। संघ के भूमिगत कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्होंने कमला बहन पर सवालियों की बौछार कर दी। उसी प्रकार गोविंदराव गजेंद्र गडकर का घर भी खुलवाया गया। पुलिस शायद उन्हें गिरफ्तार करने आई है, यह सोच वे जेल जाने के लिए तैयारियाँ भी करने लगे; परंतु पता चला कि पुलिस ने तो किसी और की तलाश के लिए उनका घर खुलवाया है। उनके पूरे घर की तलाशी ली गई। संघ के एक और कार्यकर्ता श्री गोविंदराव सहस्रभोजनी को पकड़ने के लिए गई पुलिस ने इतनी ताकत से उनका हाथ खींचा कि उनका वह हाथ ही उखड़ गया। आधी रात को ही उन्हें हड्डी विशेषज्ञ के पास ले जाना पड़ा।

मोरचा सरकार के शासन काल में जिन्हें डी.आई.आर. के तहत गिरफ्तार किया गया था, उनपर भी अब मीसा (MISA) लागू कर दिया गया। राजकोट में संघ के प्रांत संघचालक डॉ. पी.वी. दोशी के साथ पुलिस ने अभद्र बरताव किया। उनके साथ एक पेशेवर अपराधी के सामन बरताव करने में पुलिस को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उन्हें जेल ले जाते समय आवश्यक सामान भी साथ नहीं लेने दिया था। उनकी कमीज का कॉलर पकड़कर घसीटते हुए उन्हें पुलिस वैन तक लाया गया और धक्के देकर वैन में चढ़ाया गया था। ऐसी घटनाएँ और भी कई स्थानों पर हुई थीं। राजकोट में पहली बार एक बहन कुमारी दर्शना पंड्या को भी गिरफ्तार किया गया था। कुमारी दर्शना गुजरात की प्रथम महिला-मीसावासी बनीं। इनका गुनाह केवल इतना भर था कि वे विद्यार्थी परिषद् की कार्यकर्त्री थीं तथा नवनिर्माण आंदोलन के दौरान वे आमरण अनशन पर बैठी थीं।

करीब एक सप्ताह तक प्रतिदिन संघ के कार्यकर्ताओं के यहाँ पुलिस के छापे पड़ते रहे। गुजरात में हर जगह पुलिस ने यह कार्रवाई जारी रखते हुए दहशत का साम्राज्य फैला रखा था। इतने कड़े परिश्रम के बावजूद पुलिस न तो भूमिगत कार्यकर्ताओं को पकड़ सकी और न ही उनके बारे में कोई जानकारी हासिल कर पाई।

संघर्ष के पहले दिन से ही दैनंदिन स्थितियों के बारे में सोच-विचार करने के लिए भूमिगत आंदोलन के संचालकों में से सर्वश्री केशवराव देशमुख, नानाभाई

झगड़ा, शंकरसिंह वाघेला, विष्णुभाई पंड्या तथा मैं नियमित रूप से मिलते रहते थे; किंतु सरकार के गिरने के दूसरे ही दिन श्री विष्णुभाई पंड्या को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भूमिगत रहते हुए अंत तक संघर्ष जारी रखने के पक्षधरों में से गिरफ्तार होनेवाले वे प्रथम व्यक्ति थे। श्री विष्णुभाई की अच्छी तरह पूछताछ की गई। हर नए गिरफ्तार होनेवाले से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे और ये प्रश्न भूमिगत कार्यकर्ताओं से संबंधित जानकारी के बारे में ही हुआ करते थे। घंटों पूछताछ की जाती, पर एक भी कार्यकर्ता जरा सी भी चूक नहीं करता था।

गिरफ्तार होने के बावजूद पकड़े गए कार्यकर्ताओं के मनोबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। श्री विष्णुभाई ने गिरफ्तार होते ही अपने व्यक्तिगत अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। चूँकि वे पी-एच.डी. कर रहे थे, अतः उन्होंने राज्यपाल को तार कर अपने लिए प्रथम दर्जे की माँग की। दूसरी ओर खंभान से पकड़े गए कार्यकर्ताओं ने हथकड़ियाँ पहनने से इनकार कर दिया। अहमदाबाद में गुनहगारों की तरह ही 'मीसा' में गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं की भी तसवीरें खींची जाती थीं। संघ के एक प्रमुख कार्यकर्ता डॉ. विनोद ने पुलिस स्टेशन में तसवीर खींचने की प्रथा के खिलाफ जंग छेड़ दी। सरकार की हर कोशिश के बावजूद उन्होंने तसवीर नहीं खिंचवाई। अंततः पुलिस को अपनी जिद छोड़नी पड़ी। अधिकतर कार्यकर्ताओं ने बगैर सर्च वारंट के पुलिस को घर में घुसने तक नहीं दिया। कई कार्यकर्ताओं ने 'मीसा' वारंट स्वयं देखे बगैर पुलिस वैन में बैठने से मना कर दिया और पुलिस को वारंट दिखाने के लिए मजबूर कर दिया। डीसा के हरिभाई प्रजापति जैसे संघ के कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने पुलिस की हिरासत में जाने की घटना को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करते हुए इसके बारे में पत्रिकाएँ बँटवाई और विशाल जन-समुदाय को एकत्रित कर सभी की उपस्थिति में अपनी गिरफ्तारी दी। इस प्रकार लोगों तक निडरतापूर्ण व्यवहार का संदेश पहुँचाया।

अचानक होनेवाली इन गिरफ्तारियों ने कई परिवारों को हताश भी किया था। जेल के दुःखों की चिंता से भी बढ़कर 'मीसा' की अनिश्चितकालीन कैद की कल्पना मात्र हिम्मती-से-हिम्मती परिवारों को डिगा देने के लिए पर्याप्त थी। अतः 'मीसा' के कोड़े से अपने आपको बचाने के लिए संघर्षरत राजनीतिक दलों से जुड़े कई लोगों ने अपने दलों से नाता तोड़ लेने जैसा हीनतापूर्ण रास्ता भी अपनाया। ऐसे कार्यकर्ताओं के इस्तीफों के सूचना-विज्ञापनों की उन दिनों के अखबारों में भरमार थी। कई कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे की एक प्रति पुलिस स्टेशन व दूसरी प्रति गिरफ्तारियों को प्रेरित करनेवाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भेजकर किसी भी तरह अपनी जान

बचाने के लज्जापूर्ण कार्य भी किए। हालाँकि अखबारों में प्रकाशित होनेवाली इस्तीफों की खबरों में से कई खबरें कांग्रेसियों द्वारा अपनी ओर से गलत प्रचार के लिए भी छपवाई जाती थीं। नवनिर्माण आंदोलन के समय नाटकीय रूप से उभरे कई कथित नेता अब बीस सूत्रीय कार्यक्रमों के पटरे गले में लटकाकर घूमने लगे थे। अब तक भीगी बिल्ली बनकर रहनेवाले कांग्रेसी अनाप-शनाप अर्जियाँ कर संघ के कार्यकर्ताओं को पकड़वाने के लिए दिन-रात परिश्रम करते रहते थे, जिसके कारण श्री दामुभाई पंचासरा जैसे कई कार्यकर्ताओं के लिए पुलिस स्टेशन में हाजिरी देना एक दैनिक क्रिया बन चुकी थी। उन्हें कभी पूछताछ के लिए बुलाया जाता तो कभी अपनी पहचान देने के लिए! इस प्रकार दहशत पैदा करने की कोशिशें लगातार होती रहती थीं।

सरकार गिरने के बहुत पहले ही स्वास्थ्य-लाभ हेतु गुजरात से बाहर जा चुके श्री भोगीलाल गांधी को पकड़ने के लिए उनके घर पर अकसर पुलिस के छापे पड़ते रहते थे। उनके घर पर रहनेवाले श्री हसमुख पटेल तथा कुमारी मंदाकिनी दवे पर प्रश्नों की बौछार की जाती। उन्हें धमकियाँ भी दी जाती थीं।

अखबार जगत् की ओर दृष्टि डालें तो सरकार 'साधना' साप्ताहिक पर संघर्ष के आरंभ से ही क्रुद्ध थी। विशेषतः बहुचर्चित व बहुत बिकनेवाली भूमिगत पुस्तक 'कटोकटी... इंदिरानी अने एडॉल्फ हिटलर नी'। 'साधना' प्रेस में ही छापी जा रही है, इस संदेह पर सौ से भी अधिक जवानों के पुलिस दल ने खमासा नामक उस इलाके को घेर लिया जहाँ 'साधना प्रकाशन मुद्रणालय' स्थित है। किंतु गहन खोजबीन के बावजूद कुछ भी उनके हाथ न लगा। 'साधना प्रकाशन मुद्रणालय' के मैनेजर श्री पन्नालाल बिलकुल स्वस्थ चित्त होकर उनके हर प्रश्न का उत्तर देते रहे। आपातकाल से संबंधित उस पुस्तक के बारे में घुमा-फिराकर हर तरह से उनसे पूछताछ की गई; लेकिन तीन घंटे की मशक्कत के बावजूद पुलिस उनसे कुछ न उगलवा सकी। सरकार हाथ मलती रही। इसी प्रकार एक और प्रिंटिंग प्रेस 'धरती मुद्रणालय' भी पुलिस के संदेह के घेरे में था। वहाँ पर भी काफी परिश्रम के बाद टिन की छत से सरकार-विरोधी आठ पन्नों की एक पुस्तिका पुलिस को मिल पाई। अब 'धरती मुद्रणालय' पर सरकार का सारा गुस्सा उतरना शुरू हुआ। प्रेस के मालिक श्री मणिकलाल डी. पटेल को डी.आई.आर. के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और प्रेस को सील कर दिया गया।

बारदोली की 'सुरुचि छापशाला' भी इस आतंक की गिरफ्त में आ गई। आपातस्थिति के दौरान यहाँ पर संघर्ष से संबंधित साहित्य छापा जाता था। इसके

अलावा 'यकीन' नामक हिंदी अखबार भी यहाँ से प्रकाशित होने लगा था। ये बातें सरकार को छेड़ने के लिए पर्याप्त थीं। अतः प्रिंटिंग व्यवसाय से जुड़े सर्वश्री मोहनभाई परीख, भाईदासभाई परीख तथा नारायणभाई देसाई पर भी डी.आई.आर. का फंदा डाल दिया गया।

मर्मस्थलों पर आघात

कई कोशिशों के बाद भी सरकारी तंत्र भूमिगत कार्यकर्ताओं को पकड़ने में सफल नहीं हो पाया था, फिर भी सफलता से वे अधिक दूर नहीं थे। गुजरात सरकार के गिरने के बाद के पहले ही सप्ताह में भूमिगत व्यवस्था-तंत्र से संबद्ध एक महत्वपूर्ण संपर्क व्यक्ति तक सरकारी पंजे पहुँच गए। सरकार की यह सफलता हमारे लिए आश्चर्यकारक एवं बाधाजनक सिद्ध हुई। हमारी भूमिगत योजना के एक सहयोगी स्वयंसेवक श्री नवीनभाई भावसार को गिरफ्तार कर लिया गया। श्री नवीनभाई के घर भूमिगत संघर्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पत्रों के डाक द्वारा पहुँचते ही पुलिस ने छापा मार दिया। हमारे इस भूमिगत संपर्क केंद्र के बारे में जानकारी पुलिस तक कैसे पहुँची, यह हमारे लिए आश्चर्य की बात थी। हमें इस बात की भी आशंका थी कि शायद इसी प्रकार से हमारे अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों व संपर्क केंद्रों की जानकारी भी सरकार को मिल चुकी होगी। श्री नवीनभाई रंगे हाथों पकड़े गए। उनके साथ ही श्री परींदु भगत (काकू), श्री गोविंदराव गजेंद्र गडकर तथा श्री विनोद गजेंद्र गडकर को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। सभी से कड़ी पूछताछ की गई। पत्रों पर भेजनेवाले का नाम लिखा था—'प्रकाश'। (भूमिगत अवस्था के दौरान 'प्रकाश' मेरा छद्म नाम था।) सरकार को इस नाम के धारक का भी पता चल गया। अब मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पकड़े गए सभी लोगों को कई तरह की धमकियाँ दी जाने लगीं। गजेंद्र गडकर परिवार के पिता-पुत्र की गिरफ्तारी की जानकारी तक उनके परिवारजनों को नहीं दी गई थी। कई तरकीबों के बाद भी इन लोगों से पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल पाई। अंततः श्री नवीनभाई पर डी.आई.आर. लगा दिया गया।

यहाँ हम लोगों ने अब गुजरात व देश भर के सभी भूगर्भ केंद्रों को अहमदाबाद से संपर्क समाप्त कर देने की सूचना पहुँचाना शुरू कर दिया। सरकार को अधिक जानकारी न मिल सके, इस उद्देश्य से करीब एक सप्ताह तक गुजरात के सभी संपर्कों को रोक लिया गया। इस अवधि में दोबारा एक नई भूमिगत संपर्क व्यवस्था बना ली गई।

इस आघात से अभी हम सँभल पाते कि उससे पहले ही एक और आघात हुआ। श्री नवीनभाई के घर छापा पड़ने के तुरंत बाद की मध्य रात्रि को एक और महत्वपूर्ण स्थान पर पुलिस ने छापा मार दिया। भाग्यवश पुलिस यहाँ पर किसी कार्यकर्ता को तो पकड़ नहीं सकी, किंतु उस घर से आपातकाल-विरोधी पुस्तिकाएँ हाथ लग गईं। उस घर के मालिक श्री गोविंदराव तांबे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। संघर्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पत्र भी श्रीमती विजु बहन तांबे के पास थे; किंतु पचास जवानों के पुलिस दल की आँख बचाते हुए उन्होंने उन पत्रों को ठिकाने लगा दिया था। इस प्रकार उन्होंने हमें एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया था। श्री तांबे से भी बहुत पूछताछ की गई। एक ही तरह के प्रश्न बार-बार दोहराए जाते—भूमिगत कार्यकर्ता कौन-कौन हैं? कहाँ हैं? ये पुस्तकें कहाँ से आईं? हम लोगों ने भी पूर्वानुमान से यह पहले ही तय कर लिया था कि अधिक पूछे जाने पर साहित्य के बारे में यह कह दिया जाए कि 'यह साहित्य या पुस्तकें स्वर्गीय श्री वसंतभाई गजेंद्र गडकर हमें दे गए थे' और कार्यकर्ताओं के बारे में पूछे जाने पर मीसा (MISA) के तहत पकड़े जा चुके कार्यकर्ताओं के नाम ही गिनवा दिए जाएँ, ताकि और कोई समस्या न खड़ी हो सके। सभी से एक समान उत्तर सुन-सुनकर पुलिस अफसर भी कसमसाकर रह जाते थे।

'कटोकटी' इंदिरा नी अने हिटलर नी' पुस्तक छापनेवाले प्रिंटिंग प्रेस को खोज निकालने को सरकार आतुर थी। श्री तांबे के घर से बरामद पुस्तकों के पुलिंदे को बाँधने के लिए 'झील ट्रेडर्स' नामक दुकान की बिल बुकों के रद्दी कागजों का उपयोग किया गया था, अतः पुलिस ने अहमदाबाद के रिलीफ रोड स्थित 'झील ट्रेडर्स' पर छापा मार दिया। जब वहाँ से कुछ न मिला तो 'झील ट्रेडर्स' जहाँ से अपनी बिल बुकें छपवाता था, उस प्रिंटिंग प्रेस की तलाशी लेने का पुलिस ने निर्णय किया। जाँच करने पर पता चला कि 'झील ट्रेडर्स' की बिल बुक 'साधना प्रकाशन मुद्रणालय' में छपा करती थीं (!) अतः पुलिस दल एक बार फिर 'साधना प्रकाशन मुद्रणालय' जा पहुँचा। किंतु इस बार भी वहाँ से कोई ठोस सबूत न मिल सका।

चारों ओर से गिरफ्तारियों के समाचार प्राप्त हो रहे थे। गिरफ्तारियाँ भी मनमाने ढंग से की जा रही थीं। जूनागढ़ के वरिष्ठ जनसंघी श्री नारसिंहभाई पट्टियार को गिरफ्तार करने के बाद भी जैसे सरकार को तृप्ति नहीं हुई थी। हाई स्कूल बोर्ड इम्तिहानों की तैयारी में लगे उनके सोलह वर्षीय पुत्र महेंद्र पट्टियार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वडोदरा के संघ के विभाग संघचालक श्री बाबूरावजी आटे को

उनकी अस्सी वर्ष की बुजुर्ग अवस्था के बावजूद गिरफ्तार किया गया। भरूच के एक कथाकार श्री गदाधर महाराज को भी गिरफ्तार किया गया। उनका जुर्म केवल इतना था कि एक ब्राह्मण होने के नाते उन्होंने नवनिर्माण आंदोलन के शहीदों की तर्पण विधि करवाई थी। गिरफ्तारियों के कोई निश्चित मापदंड नहीं थे। द्वेष-भाव तथा स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की परितुष्टि ही गिरफ्तारी का पर्याप्त कारण हुआ करती थी।

गुजरात सरकार के गिरने के एक ही माह के दौरान दो सौ पचहत्तर कार्यकर्ताओं पर मीसा लगाकर उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया। साबरमती, वडोदरा, भावनगर, राजकोट, जामनगर, भुज, सुरेंद्रनगर, पालनपुर एवं महेसाणा—गुजरात की इन नौ जेलों में मीसा कैदियों को रखा गया था। इन गिरफ्तार कैदियों में से अधिकतर संघ, जनसंघ, समाजवादी पक्ष व विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ता थे। हालाँकि मोरचा सरकार के किसी भी मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया था। सरकार ने इनमें से कुछ लोगों पर एक अलग तरकीब आजमाई थी। भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूभाई ज. पटेल, पूर्व मंत्री श्री केशूभाई पटेल, श्रीमती हेमाबहन आचार्य, राजकोट के मेयर श्री हरिसिंहजी गोहिल पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जाती थी। ये नेता जहाँ-जहाँ जाते वहाँ-वहाँ पुलिस की छह-सात मोटरों का काफिला बराबर इनका पीछा करता। उनकी हर गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखा जाता था। इन नेताओं से मिलनेवाले लोगों को बाद में बुलाकर उनकी पूछताछ की जाती, उन्हें धमकियाँ दी जाती थीं। इस प्रकार से लगातार भय का माहौल बनाए रखने के प्रयत्न होते रहते थे।

भूमिगत कार्यकर्ताओं की गतिविधियाँ भी शुरू-शुरू में बहुत मंद गति से चल रही थीं। उस समय तो अधिक-से-अधिक समाचारों को एकत्र कर पुलिस की कार्य-शैली को समझना हमारे लिए प्राथमिकता का विषय था। भूमिगत कार्यकर्ताओं को पकड़ने एवं सरकार-विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस किस दिशा में कार्य कर रही है—यह हमारी समझ में आते ही हमने भी अपनी कार्य-शैली तय कर ली। हमारी मुख्य कोशिश यह रहती कि पुलिस की व्यूह-रचना को भेदने के बजाय उससे बचते हुए काम निकाल लिया जाए।

सरकार के गिरने के कुछ ही दिनों में चारों ओर फैला भय का साम्राज्य, एक के बाद एक हो रहीं गिरफ्तारियाँ तथा अखबारों में 'सुरंग प्रकरण' को उछाले जाने जैसी घटनाएँ निस्तेज हो चुकी जनता की परेशानियों को और अधिक बढ़ा रही थीं तो दूसरी ओर बीते दिनों शेर की तरह दहाड़ लगानेवाले संघर्ष से जुड़े कुछ अवसरवादी राजनीतिक कार्यकर्ता अब गिरफ्तारी के भय से भीगी बिल्ली

बनकर हवावाला ब्लॉक (शासक कांग्रेस का कार्यालय) के चक्कर काट-काटकर इन हालातों में भी हम जैसों का मनोरंजन कर रहे थे। उनकी बेचारगी पर तरस खाने के अलावा और किया भी क्या जा सकता था! कल तक जो लोग हमसे बात करने को आतुर रहा करते थे वही अब टेलीफोन पर भी किसी भूमिगत कार्यकर्ता की आवाज सुनते ही काँपने लगते और बौखलाकर बिना बात किए ही रिसीवर रख देते थे। पेरोल पर छूटकर घर आनेवालों से पास-पड़ोस के लोग बात तक करने से कतराते थे।

इस प्रकार मानो सारा परिदृश्य ही बदल गया था; किंतु हम कृत-संकल्प थे, प्रणबद्ध थे कि 'लक्ष्य-प्राप्ति तक संघर्ष पथ पर हो अग्रसर...'। हमें पूर्ण आस्था थी कि—

'कर्मवीर के आगे पथ का हर पत्थर साधक बनता है।

दीवारें भी दिशा बनातीं मानव जब आगे बढ़ता है ॥'

और इसी श्रद्धा के बूते पर जेलों के भीतर-बाहर 'मीसा' की सदा तनी हुई तलवार के साए में काम करनेवाले और इस कार्य को करते-करते यदि पकड़े गए तो 'देखा जाएगा' की भावना रखनेवाले—सभी इस नई स्थिति से उत्पन्न चुनौती का सामना करने हेतु पुनः एक बार, बिना किसी दुष्परिणाम की परवाह किए, देश को दोबारा स्वतंत्र करवाने के ध्येय के साथ संघर्ष की राह पर आगे बढ़ चले।

□

प्रकरण-१८

सलाखों के पीछे की मुक्ति-यात्रा

एक डॉक्टर मित्र स्वयं ही कुछ समय से बीमार थे। आधी रात को 'डॉक्टर हैं क्या?' की आवाज सुनकर शायद कोई जरूरतमंद मरीज होगा, यह सोच अपनी कर्तव्यनिष्ठा से प्रेरित होकर, अस्वस्थ होने के बावजूद वे किवाड़ खोलकर बाहर आए। बस, फिर वे दोबारा भीतर नहीं जा सके! उन्हें वहाँ से सीधे थाने ले जाया गया। यही हादसा एक व्यापारी मित्र के साथ भी हुआ। उन्होंने सवरे अपनी दुकान खोली ही थी कि उन्हें संदेश मिला, 'एक आवश्यक कार्य हेतु कुछ समय के लिए आपको थाने पर बुलाया है।' तुरंत अपनी दुकान के किवाड़ बंद कर उन्होंने थाने की ओर प्रस्थान किया। उस दिन के गए वे साल भर बाद ही लौटकर आ पाए। डोंग जिले के एक कार्यकर्ता कहीं से अपने घर वापस लौट रहे थे कि रास्ते में ही उन्हें पकड़ लिया गया। घर के लोग यह समझते रहे कि शायद किसी कार्यवश वे कहीं रुक गए होंगे।

इस प्रकार की घटनाओं का उन दिनों जैसे एक सिलसिला-सा चल गया था। पुलिस कहीं से भी, किसी को भी पकड़ लेती थी और पकड़े जानेवाले को या उसके परिवारवालों को किसी भी प्रकार की सूचना देना या कारण बताना आवश्यक नहीं समझती थी। पकड़े जानेवालों को जेल ले जाने से पहले स्थानीय थाने पर ले जाया जाता था। उन्हें थाने पर आठ से दस घंटे तक रखा जाता था और वह भी बिना किसी सुविधा के। वडोदरा में तो पकड़े जानेवालों के साथ ऐसा बरताव किया गया जैसे कि वे पेशेवर अपराधी हों। इस कड़ी चेतावनी के साथ कि किसी को भी लघुशंका आदि के लिए भी अनुमति न दी जाए, सभी को सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया गया। अहमदाबाद में भी १३ मार्च को की गई गिरफ्तारियों के बाद

गायकवाड़ की हवेली स्थित जेल को सी.आर.पी.एफ. के जवानों ने घेर लिया था। १४ मार्च की शाम से ही विभिन्न जेलों में भीड़ बढ़ने लगी थी। अधिकतर कार्यकर्ता आपस में परिचित थे, अतः सभी को एक-दूसरे से मिलकर अपने पुराने संस्मरण ताजा करने का एक अनूठा अवसर प्राप्त हुआ था। यदा-कदा किसी कोने से उठते 'भारत माता की जय' के घोष व प्रतिघोष जेल की दीवारों को हिला देते, मानो स्वतंत्रता-संग्राम के परवानों का मेला लगा था! जो पहले भी जेल-यात्रा कर चुके थे, वे अपनी पुरानी यादें ताजा करने में लगे थे। और फिर, जेल तो जेल ही होती है, यहाँ भला व्यवस्था कैसी! एक-एक बैरक में पच्चीस से तीस और शायद उससे भी अधिक की संख्या में लोगों को ठूसा गया था। मच्छर और खटमल तो बेशुमार थे। उस साल मार्च से ही गरमी पड़ने लगी थी। शाम को बैरकों पर ताले लगा दिए जाते, जो दूसरे दिन सवेरे छह बजे ही खोले जाते थे। तब तक रात भर उस छोटे से कमरे में पच्चीस से तीस व्यक्तियों को एक-दूसरे से सटकर ही लेटना पड़ता था। सोने के लिए बिस्तर भी नहीं दिया जाता था। जो बड़े अपराधियों को दिया जाता था—चटाई, कंबल, नारियल की जटाओं भरा तकिया और एक चादर—वे ही हमें भी दिए गए थे। शुरू-शुरू में इनका उपयोग कर अपनी कमर सीधी कर लिया करते थे, सोना तो हो नहीं पाता था। शायद बैरक के मच्छर-खटमलों को उनके साथ रह रहे लोगों का सोना नागवार था।

पढ़ने-लिखने पर भी एक प्रकार से पाबंदी लगी हुई थी। कमरे में बिजली का केवल एक ही बल्ब लगा था और वह भी काफी ऊँचाई पर। उस क्षीण प्रकाश में पढ़ पाना तो बिलकुल असंभव था। भोजन की व्यवस्था भी बड़ी असहनीय थी और कैदियों को अल्युमिनियम की जो थाली और मग दिए जाते थे, वही बरतन राजनीतिक कैदियों को भी दिए गए थे। भोजन में सूखी और किरकिरी रोटियाँ, बिना मसाले की अधपकी सब्जी या दाल तथा सुबह के नाश्ते में काँजी और मुट्ठी भर चने दिए जाते थे। कोई कैदी लापता न हो जाए, इस हेतु नियमित रूप से 'गिनती' होती थी। गिनती करनेवाले हवलदार भी अनपढ़ों जैसे थे, गिनती करने में बिना चूके दस-बारह बार गलतियाँ करते थे। बैरक बंद होने और सुबह बैरक खुलने के समय नियमित रूप से यह कवायद होती थी। गिनती के समय सभी को दो-दो की जोड़ी बनाकर गिनती पूरी होने तक बैठना पड़ता था। शुरू के दिनों में तो पत्राचार पर भी रोक थी। और भी कई पाबंदियाँ थीं, जिनके कारण समय जानने के लिए घड़ी तक नहीं रखी जा सकती थी, न ही दाढ़ी बनाने का सामान रखा जा सकता था। तेल, साबुन, कपड़े सुखाने के लिए डोर इत्यादि अति सामान्य

आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी जेल के अधिकारी सहमत नहीं थे। अतः इन सुविधाओं को पाने के लिए भी गुजरात की लगभग सभी जेलों में इन कार्यकर्ताओं को 'भूख हड़ताल' करनी पड़ी थी।

पकड़े गए इन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को उनके क्षेत्र से दूर रखने के उद्देश्य से अहमदाबाद से गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं को वडोदरा, भावनगर, राजकोट तथा भुज की जेलों में भेज दिया गया। राजकोट के कार्यकर्ताओं को साबरमती जेल में, महेसाणा के कई कार्यकर्ताओं को पालनपुर जेल में, सूरत के कार्यकर्ताओं को साबरमती जेल में तथा पंचमहाल, भरूच व वलसाड़ जिले के कार्यकर्ताओं को वडोदरा जेल में रखा गया था।

आरंभ से ही जेलों में निश्चित व्यवस्था स्थापित करने के प्रयत्न किए गए, ताकि जेल-जीवन के समय का संघर्ष हेतु अधिकाधिक सदुपयोग किया जा सके। इस हेतु विभिन्न जेलों में कैद कार्यकर्ताओं में से एक-एक को प्रभारी बनाया गया। तदनुसार साबरमती जेल में राजकोट के श्री प्रवीणभाई मणियार, वडोदरा जेल में राजकोट के श्री चिमनभाई शुक्ल, भुज जेल में श्री सूर्यकांत आचार्य को, भावनगर जेल में पहले श्री विष्णुभाई पंड्या व बाद में भूमिगत कार्यकर्ता श्री शंकरसिंह वाघेला को गिरफ्तार कर लाए जाने पर उन्हें प्रभारी बनाया गया। राजकोट जेल में आरंभ में डॉ. आर.के. शाह को तथा बाद में गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ने पर श्री मंगलसेन चोपरा को भी प्रभारी बनाया गया।

जेल में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना, जेल के अधिकारियों से बातचीत करना, जेल के बाहर के भूमिगत कार्यकर्ताओं से संपर्क हेतु व्यवस्था बनाना, जेल व बाहरी दुनिया के बीच समाचारों के आदान-प्रदान की व्यवस्था करना इत्यादि जिम्मेदारियाँ इन लोगों के कंधों पर थीं। विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन-निष्पादन के अलावा जेल-प्रशासन से मुठभेड़ भी राजनीतिक कैदियों के लिए रोजमर्रा की बात हो गई थी। कई छोटी-बड़ी जायज माँगों के लिए संघर्ष करना पड़ता था।

जेलों में संघ के स्वयंसेवक बहुतायत में थे, अतः वहाँ होनेवाले सभी कार्यक्रमों में भी उनका विशेष योगदान हुआ करता था। कैद होने के बावजूद संघर्ष की चेतना को बनाए रखने की आवश्यकता को वे जानते थे। अतः कारावास को इन लोगों ने एक प्रकार के जे.टी.सी. (Jail Training Camp) में परिवर्तित कर दिया था। आएदिन नाना प्रकार के विषयों पर चर्चाओं के कार्यक्रम किए जाते। प्रातः साढ़े पाँच बजे प्रातः-स्मरण से शुरू होनेवाले कार्यक्रम रात साढ़े दस बजे तक

जोर-शोर से चलते रहते थे। इन कार्यक्रमों के स्वरूप भी कई प्रकार के होते थे, जैसे—शारीरिक व्यायामवाले खेल, खेल में रुचि न रखनेवालों के लिए लगातार दो-तीन घंटों तक घूमने का कार्यक्रम, सर्वांगीण शारीरिक विकास में रुचि रखनेवालों के लिए योगाभ्यास जैसे कार्यक्रम किए जाते। कभी-कभी खेलकूद की स्पर्धाएँ भी आयोजित की जाती थीं। स्पर्धाएँ कभी दो वार्डों के राजनीतिक कैदियों के बीच तो कभी राजनीतिक कैदी व अन्य सजायापता कैदियों के बीच होतीं।

आध्यात्मिक उन्नति में विशेष रुचि रखनेवाले कई साथी पूजा-पाठ और ध्यान-अभ्यास में समय व्यतीत करते थे। साबरमती जेल में श्री दिलावरसिंह राणा द्वारा संचालित किए जानेवाले 'गीता', 'रामायण' एवं 'महाभारत' के अध्यायों के सामूहिक पाठ तथा कई साथियों द्वारा किए जानेवाले जप-ध्यान आदि से जेल का तंग व कलुषित वातावरण भी सरलता व पवित्रता धारण कर लेता था।

जेल के संवेदनहीन माहौल में भी रसानुभूति को बनाए रखनेवाले कई रंगारंग कार्यक्रम भी किए जाते थे। कहीं पर गीतों की महफिलें हुईं, जिनमें हृदयों को छू लेनेवाले कोमल गीतों से लेकर जेल की दीवारों को हिला देनेवाले जोशपूर्ण देशभक्ति गीत गाए जाते तो कहीं पर श्री ब्रह्मकुमार भट्ट की शास्त्रीय संगीत की सभा ने कैदियों के हृदय को पुलकित किया और कहीं पर भक्तिरस से भरे भक्ति गीतों ने हृदय की व्याकुलता को कम किया।

हमारी भारतीय संस्कृति में उत्सवों-त्योहारों की वैसे भी कमी नहीं है। जेलवासी आएदिन उत्सव का कोई-न-कोई कारण ढूँढ़ ही निकालते थे। किसी साथी का जन्मदिन, किसी नेता का जन्मदिन, ऐतिहासिक तिथियाँ, विभिन्न महापुरुषों से संबंधित तिथियाँ इत्यादि की एक लंबी सूची तैयार कर तदनुसृत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। कई बार ऐसे कार्यक्रम अनेक लोगों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होते थे।

इन जेलों में विभिन्न विचारधाराओंवाले व्यक्तियों का संगम हुआ था, अतः एक-दूसरे की विचारधाराओं को समझने के सामूहिक प्रयत्न भी होते रहते थे। हर विचारधारा का पक्षधर अपना-अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता व अन्य साथियों के साथ प्रश्नोत्तरी के द्वारा अपनी बात को अधिक-से-अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न भी करता। ऐसे मुक्त संवादों से कई आपसी मतभेद दूर हुए और इस प्रकार हासिल हुई वैचारिक अनुरूपता से सभी एक-दूसरे के और निकट आए।

जेल-जीवन की एक विशेषता है, यहाँ कृत्रिमता लंबे समय तक नहीं टिक सकती। जेल तो किसी एक्स-रे मशीन के समान होती है, जहाँ कुछ ही समय में

व्यक्ति की वास्तविकता स्वयं ही प्रकट होने लगती है। इन जेलों में भी छोटे समझे जानेवाले कई लोगों का बड़प्पन तथा बड़े कहलानेवाले कई लोगों की मर्यादाएँ उजागर हुईं।

जेलों में दोपहर के भोजन के बाद बाहरी दुनिया से प्राप्त विभिन्न समाचारों को आधिकारिक तौर पर बताने का कार्यक्रम हुआ करता था। इस कार्यक्रम में हर मीसाबंदी निश्चित रूप से उपस्थित रहकर अपनी जिज्ञासा की पूर्ति करने का प्रयत्न करता था। शुरुआती दौर में भोजन के मामले में अकसर शिकायतें और भिड़ंत हुआ करती थी, अतः बाद में राजनीतिक कैदियों के लिए अलग भोजनशाला की व्यवस्था की गई थी। इस भोजनशाला की व्यवस्था भी राजनीतिक कैदी स्वयं ही सँभालते थे। साबरमती जेल की भोजनशाला के संचालक श्री जयसिंह राव अकोलकर की प्रशंसा तो आज भी कई लोग करते हैं। भावनगर में मंगलदास माहेश्वरी, प्रेमजीभाई चौहाण, मितभाषी युवक महेंद्र मशरू, रतिभाई मसालावाला तथा प्रभुदास राणिंगा ने यह व्यवस्था सँभाली थी।

जेल में रहनेवाले भिन्न-भिन्न विचारधाराओं से संबद्ध होने से उनके बीच होनेवाली चर्चाएँ कई बार उत्तेजना की चरम सीमा तक पहुँच जाती थीं, किंतु फिर भी उनके बीच के भाईचारे तक यह आँच नहीं पहुँच पाती थी। संघ के कार्यकर्ताओं को मुसलमानों का दुश्मन सिद्ध करने की लगातार कोशिश करनेवाली कांग्रेसी गतिविधियों का यहाँ भंडा फूट गया। संघ के कार्यकर्ताओं का आचरण देख साथी मुसलिम कार्यकर्ताओं को हकीकत का एहसास हो गया। नमाज के समय संघ के कार्यकर्ता श्रद्धापूर्वक उनके साथ सहयोग करते थे। रमजान के महीने में रात को दो बजे उठकर अपने सभी मुसलिम साथियों के लिए खुद भोजन बनाते थे। वडोदरा जेल में श्री शंकरसिंह वाघेला ने जमाअत-ए-इसलामी के कार्यकर्ताओं से उर्दू भी सीखी थी। जमाअत के कार्यकर्ता भी जेलों में होनेवाले सभी कार्यक्रमों में शामिल होते थे।

जेलों के समाचार हमें नियमित मिलते रहते थे और बाहर से भी समाचार जेलों के भीतर पहुँचते रहते थे। यह आदान-प्रदान जेल-प्रशासन की आँख बचाकर करना पड़ता था। इस काम के लिए कई तरीके अपनाए जाते थे। इन सभी तरीकों का उल्लेख यहाँ अनावश्यक है; किंतु यह व्यवस्था इतनी सटीक थी कि एक बार लंदन से बी.बी.सी. के प्रवक्ता श्री रत्नाकर भारतीय द्वारा भारत की एक जेल में कैद उनके एक मित्र को भूमिगत व्यवस्था-तंत्र के माध्यम से भेजा गया पत्र उनके मित्र तक सकुशल पहुँचा और केवल चार ही दिनों में उस पत्र का जवाबी पत्र लंदन

स्थित श्री रत्नाकर तक भी पहुँच गया था। किसी भी सूचना को हम गुजरात की किसी भी जेल में चौबीस घंटे से भी कम समय में पहुँचा सकते थे। जेलों की नवीनतम तथा संपूर्ण जानकारी भी हमारे पास हमेशा उपलब्ध रहती थी। रोज के कार्यक्रमों की सूची, हर कार्यकर्ता की व्यक्तिगत मनःस्थिति, किस बैठक में कितने कार्यकर्ता हैं, हर कार्यकर्ता की जेल के बाहर के लोगों से क्या अपेक्षाएँ हैं, कितने कार्यकर्ता पेरोल पर हैं इत्यादि हर तरह की जानकारी हमारे पास रहा करती थी। यह जानकारी इतनी यथातथ्य होती थी कि यदि कोई इन जानकारियों के कागजातों के साथ पकड़ा जाए तो उसपर जेल तोड़ने की कोशिश का आरोप बड़ी आसानी से साबित किया जा सकता था।

इस जानकारी में जेल का पूरा नक्शा, जेल में तैनात सिपाहियों व अधिकारियों की संख्या, उनके नित्यकर्म, उनकी विचारधारा इत्यादि सब जानकारी जेल के भीतर के हमारे कुछ सतर्क साथी हमें भेजते रहते थे। इसके अलावा जेलों में बंद कार्यकर्ताओं का बाहर चल रहे भूमिगत आंदोलन में भी सहयोग लिया जाता था। 'जनसत्ता' अखबार में प्रत्येक शुक्रवार को प्रकाशित होनेवाले स्तंभ 'समय ना हस्ताक्षर' के लिए आलेख भावनगर जेल में कैद श्री विष्णुभाई पंड्या ही लिखकर भेजा करते थे। यह स्तंभ 'राहुल' के छद्म नाम से प्रकाशित होता था। केंद्रीय लोक संघर्ष समिति को भेजे जानेवाले ब्योरों का कच्चा आलेख जेल के कुछ साथियों को भेजा जाता था, जो उसका अंग्रेजी अनुवाद कर उसे प्रेषण योग्य रूप देकर पुनः बाहर भेज देते थे। भूमिगत साहित्य हेतु आवश्यक सामग्री भी जेलों से मिलती रहती थी। 'साधना' में छपी संविधान संशोधन से संबंधित पूरी लेखमाला श्री चंद्रकांत दरु ने कारावास से ही लिखकर भेजी थी। डॉ. स्वामी के व्यक्तित्व के बारे में एक पुस्तक प्रकाशित करने का विचार किया गया था। इस हेतु आवश्यक सारी जानकारी वडोदरा जेल में श्री विष्णुभाई पंड्या को पहुँचा दी गई। एक ही दिन में इस पुस्तक की पांडुलिपि तैयार होकर बाहर आ गई, जिसे अगले चार दिनों के भीतर ही छापकर गुजरात भर में बँटवा दिया गया था। जेल में बंद सहयोगी नियमित रूप से बी.बी.सी. के समाचार सुन सकें, इस प्रकार की व्यवस्था भी की गई थी।

जेलवासियों की एक विशेष मनःस्थिति होती है। जेल की चहारदीवारी में कैद हर व्यक्ति को हर समय किसी नए समाचार को जानने की उत्कंठा बनी रहती है। वस्तुतः बाहर से आनेवाले समाचार ही जेलवासियों के मनोबल को पोषण देते रहते हैं। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी हमें नियमित रूप से जेलों के भीतर समाचार पहुँचाने होते थे। किसी नए समाचार के न होने की स्थिति में भी 'आज

कोई समाचार नहीं है' का संदेश हमें जेलों तक पहुँचाना ही पड़ता था। कई प्रकार का भूमिगत साहित्य भी जेलों के भीतर बड़ी मात्रा में पहुँचाया जाता था। विदेश से प्रकाशित होनेवाला 'सत्यवाणी' तथा दुनिया भर के जिन-जिन अखबारों में आपातस्थिति के खिलाफ आलेख छपते, उन आलेखों की फोटोकॉपी विदेश स्थित हमारे सहयोगी हमें पहुँचा दिया करते थे। उन सामग्रियों की आवश्यकतानुसार प्रतियाँ बनवाकर उन्हें हम जेलों तक पहुँचाते। इसके अलावा गुजरात की भूमिगत पत्रिकाएँ तथा आपातकाल के खिलाफ लिखनेवाले गुजराती प्रकाशन 'साधना', 'भूमिपुत्र', 'साधना' (मराठी में) इत्यादि भी जेलों के भीतर पहुँचाए जाते थे। महाराष्ट्र की सुप्रसिद्ध यरवदा जेल से तो एक भूमिगत अखबार का नियमित रूप से प्रकाशन भी हुआ करता था।

जेल में कैप्सूल

जेलों में भी 'लोकतंत्र के लिए संघर्ष' की मूल भावना की लगातार अभिव्यक्ति होती रहती थी। इसी सिलसिले में साबरमती जेल में कैद कुछ सहयोगियों ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। जेल में ही आपातकाल का कलुषित इतिहास लिखकर जेल में कैद मीसाबंदियों की सूची के साथ सारी सामग्री, लंबे समय तक सुरक्षित रह सके इस प्रकार, काँच के मर्तबान में रखकर, इस कैप्सूल को जेल की ही जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर गाड़ देने की योजना बनाई गई। योजना सफलतापूर्वक संपन्न भी हुई। इस बात की जानकारी बहुत कम राजनीतिक कैदियों को थी; किंतु किसी के धोखा देने पर यह जानकारी जेल-प्रशासन तक पहुँच गई। बस, फिर तो पूछना ही क्या! जेल के सिपाहियों एवं अधिकारियों का एक बड़ा दल आ पहुँचा।

अधिकारियों ने प्राप्त जानकारी के आधार पर जमीन खोदकर मर्तबान बाहर निकाला। खोजबीन शुरू हुई। मर्तबान के भीतर की सामग्री की लिखावटें पहचान ली गईं और कुल दस मीसाबंदियों को जेल-बदली की सजा दी गई। श्री चकुभाई डोडिया को भुज, रतनलाल गुप्ता को जामनगर, कनुभाई पुनानर को महेसाणा, डॉ. छतसाणी को पालनपुर, नरेंद्र तिवारी को जूनागढ़, अंबुभाई बारदानवाला को भावनगर, मंगलसेन चोपरा को राजकोट और डॉ. संघवी को सुरेंद्रनगर की जेलों में भेज दिया गया।

जेलों में और भी कई कार्यक्रम होते रहते थे, जैसे—संघर्ष के समर्थन में उपवास करना, संविधान संशोधन के विरोध में सरकार को आवेदन भेजना, हर जेल

की वस्तुस्थिति की जानकारी विनोबाजी को भेजना इत्यादि।

२५ जून, १९७६ को आपातकाल को एक साल पूरा हो रहा था। एक साल पहले जिस समय पर आपातस्थिति लागू करने का निर्णय किया गया था, उसी समय अर्थात् २५ जून की मध्य रात्रि को इस आपातस्थिति के प्रति नैतिक विरोध व्यक्त करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रात के ठीक बारह बजे गुजरात की सभी जेलें एक साथ आपातस्थिति-विरोधी नारों से गूँज उठीं। अचानक उठी इस सिंह गर्जना से जेल के अधिकारी थर्रा उठे। तुरंत सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई।

इन विपरीत हालातों में भी कई साथी अपने विनोदपूर्ण स्वभाव से जेल के विषादपूर्ण माहौल को हलका-फुलका बनाए रखते थे। साबरमती जेल में कैद तखुभा नामक एक सहयोगी के कारनामों की बातें तो बाहर जब हम लोगों तक पहुँचतीं तब हम भी ठहाके लगाए बिना नहीं रह पाते थे। अपने आपको एक कुशल ज्योतिषी बतानेवाले एक सहयोगी ने एक बार कुछ परचियाँ बनाईं। जेल के अन्य सहयोगियों से उन्होंने एक-एक परची उठाने के लिए कहा। उनके अनुसार उस परची में लिखी तारीख को ही उसे उठानेवाले की जेल से रिहाई होगी। सभी ने एक-एक परची उठा ली। एक साथी ने अपनी परची में लिखा पाया—'जून १९७८'। उनके तो होश उड़ गए। वे दिन भर मुँह लटकाए इधर-उधर बैठे रहे। बाद में उन ज्योतिषी महोदय ने बताया कि 'यह तो एक दिल्लगी मात्र थी, इसे कोई दिल से न लगाए!'।

एक दिन सवेरे स्नान करते समय एक साथी ने, गुसलखाने से कुछ दूरी पर खड़ा जेल का एक पहरेदार सुन सके, इस प्रकार से, अपने उस रात के स्वप्न का वर्णन करना शुरू किया, 'आऽहा-हा-हाऽ...जैसे हजारों लोगों की भीड़ जेल तोड़ने के लिए बढ़ी चली आ रही थी...जेल तोड़ दी गई...बहुत हंगामा हुआ...सभी छूटकर भाग निकले।' यह बात जेल के अधिकारियों तक पहुँच गई। बस, जेलर ने उन्हें बुलवा लिया और पूछताछ शुरू हो गई, 'जेल तोड़ने के लिए कौन आ रहा है? कितने लोग हैं? कौन-कौन हैं? कब आ रहे हैं? जानकारी कैसे मिली?' इत्यादि अनगिनत प्रश्न पूछे गए और उन्हें हर प्रश्न का एक ही उत्तर मिला कि 'यह तो स्वप्न था।' फिर भी पहरेदारों की संख्या बढ़ा दी गई और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।

सरकार का इस प्रकार डरते रहना इस बात का प्रमाण था कि असत्य चाहे जितना स्थायी प्रतीत हो रहा हो, किंतु भीतर से तो वह भंगुर ही होता है।

अत्याचार

गुजरात की जेलों में अन्य प्रांत की जेलों के समान कैदियों पर लाठियाँ भले ही न चलाई गई हों, परंतु यहाँ पर भी अन्य तरीकों से अत्याचार होते ही रहते थे। जाने-माने विधिवेत्ता श्री चंद्रकांत दरु को जामनगर की जेल में एकांतवास में रखा गया था। उन्हें प्राथमिक सुविधाएँ तक नहीं दी गई थीं। इस जेल में राजनीतिक कैदियों से भी कड़ा परिश्रम करवाया जाता था। गुजरात की जेलों में मीसा के आरोप में कैद विद्यार्थियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया गया था। सभी विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र भरने दिया गया। कई विद्यार्थियों ने जेल के माहौल में भी दिन-रात, जब समय मिला, पढ़ाई कर परीक्षा के लिए तैयारी की और परीक्षा का समय आते ही सरकार ने उन्हें परीक्षा के लिए पेरोल देने से इनकार कर दिया। सरस्वती के इन आराधकों का विद्यार्थी-जीवन का एक साल भारत माता के चरणों में समर्पित हो गया। जामनगर जेल में ही 'साधना' के प्रेस-मैनेजर श्री पन्नालाल का स्वास्थ्य इतना बिगड़ा कि वे मरणासन्न अवस्था में आ पहुँचे, फिर भी उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा नहीं दी गई। बड़ी मुश्किल से जब उनके लिए पेरोल की व्यवस्था की गई और उन्हें अहमदाबाद लाकर उनका इलाज करवाया गया तब वे बच सके। पीलिया के रोग ने तो मानो जेलों को अपना घर ही बना लिया था। वडोदरा जेल में इस रोग का शिकार हुए कई सहयोगियों का जेल-प्रशासन द्वारा करवाया गया उपचार उन्हें रोगमुक्त करने के बजाय उनके स्वास्थ्य को और बिगाड़नेवाला सिद्ध हुआ। साबरमती जेल में तो दो कार्यकर्ताओं—श्री हरिवदन भट्ट और श्री भेरूमल की मृत्यु ही हो गई थी। श्री बी.के. मजूमदार को सूरत की जेल में अकेला रखा गया। उन्हें प्रथम दर्जे की कोई सुविधा नहीं दी गई। स्वास्थ्य अत्यंत खराब होने के बाद ही उन्हें पेरोल पर छोड़ा गया था।

कई ऐसे कार्यकर्ता भी थे, जिनका कोई-न-कोई परिजन उनपर लगे मीसा के आरोप का आघात न झेल पाने के कारण अपनी जान तक खो बैठा था। अहमदाबाद के संघ के एक कार्यकर्ता श्री देवेंद्रभाई शाह को पहले ही दौरे की गिरफ्तारियों में मीसा के तहत पकड़ लिया गया था। परिवार में कमानेवाले वे एकमात्र सदस्य थे। वृद्ध माता-पिता सहित उनका बहुत बड़ा परिवार था। श्री शाह कपड़े की मिल में नौकरी कर अपना घर चलाते थे, अतः उनके पास जमा-पूँजी होने का तो प्रश्न ही नहीं था। कमाऊ बेटे के जेल में होने के कारण घर की स्थिति शोचनीय हो रही थी। इसके बावजूद उनके पिता में गजब की त्याग-भावना थी! बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके घर पैसे पहुँचाए गए तो उन्होंने पैसे को लेने से

इनकार कर दिया। घर के हर सदस्य ने कहा, 'इन पैसों को किसी जरूरतमंद परिवार तक पहुँचा दीजिए।' परिवार के कर्णधार की रिहाई के लिए सभी चिंतित थे। पुलिसवाले पेरोल पर छोड़ने के लिए तीन सौ रुपयों की घूस माँग रहे थे। रुपए कहाँ से लाएँ, क्यों दिए जाएँ? ऐसी अनेक चिंताओं ने देवेन्द्रभाई के पिता के तन और मन को क्षीण कर दिया। परिणामतः उन्होंने अपनी मानसिक स्थिरता खो दी। वे दिन-रात अपने बेटे का ही नाम लिया करते थे। किंतु डॉक्टरी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद बेटे को पेरोल नहीं मिल सकी। मिलती भी कैसे, पुलिस की जेबें जो गरम नहीं हुई थीं। आखिरकार, बूढ़े बाप ने अपने बेटे का नाम रटते-रटते ही अपना शरीर छोड़ दिया। बेटे को पिता के पंचतत्त्व में विलीन होने की दुःखद खबर दी गई। मृत पिता के अंतिम संस्कार हेतु बेटे को पेरोल पर छोड़ा गया। सरकार को पेरोल की शायद यही कीमत चाहिए थी।

जमाअत-ए-इसलामी के एक कार्यकर्ता बंदी थे। उनकी पत्नी को रक्तचाप की बीमारी थी। पत्नी की दिन-ब-दिन बिगड़ती तबीयत के समाचार वडोदरा जेल में उनके पास आते रहते थे। वे किसी प्रकार से पेरोल मंजूर करवाने में सफल तो हुए, किंतु शर्त यह रखी गई कि पाँच हजार रुपए नकद जमा करवाएँ। एक छोटा सा कार्यकर्ता इतनी बड़ी रकम कहाँ से जुटा पाता! सभी सहयोगियों ने मिल-जुलकर इस रकम की व्यवस्था की। पाँच हजार रुपए जमा करवाने के बाद ही वे पेरोल पर जा सके। उनका सौभाग्य था कि वे पत्नी से मिल सके थे। उन्होंने खुदा का शुक्रिया अदा किया।

भरूच के संघ के एक बंदी कार्यकर्ता को उनकी इकलौती बहन की बीमारी का समाचार मिला। माँ-बाप विहीन उस बहन के लिए तो जेल में बंद उसका भाई ही सर्वस्व था। भाई के जेल जाने के कारण लगे आघात को बहन सह न पाई थी। डॉक्टरी प्रमाण-पत्रों के साथ भाई ने पेरोल के लिए आवेदन किया। सरकार को कई बार रिमाइंडर लिखे। घर के पड़ोसी गांधीनगर तक चक्कर लगा-लगाकर सरकार के बहरे कानों में मानवता की दुहाई देते हुए दया की गुहार लगा आए। जेल में भाई बेचैन हुआ जा रहा था। बहन की चिंता और पेरोल के इंतजार में वह दिन-रात जला जा रहा था, तभी एक दिन उसे तार मिला—'बहन स्वर्गवासी हो गई।' जेल का समूचा वातावरण मानो ठहर-सा गया था। आस-पास उपस्थित लोगों की आँखों से भी आँसू टपक पड़े। दूसरे दिन ही घाव पर नमक छिड़कनेवाला एक और पत्र प्राप्त हुआ—पेरोल के लिए सरकार का अनुमति-पत्र। किंतु इस पत्र के मिलने से पहले ही बहन की चिता की राख तक ठंडी पड़ चुकी थी।

जेल के माहौल को हमेशा स्पंदित किए रहनेवाले एक मित्र को एक दिन सवेरे-सवेरे तार मिला। उस तार में उन्हें पेरोल के लिए अनुमति दी गई थी। जिसने कभी पेरोल की माँग ही नहीं की थी, उसे पेरोल का मिलना सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। कई तरह के अनुमान लगाते हुए वे जेल से बाहर आए। बाहर निकलते ही उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी को दिल का दौरा पड़ा है। वे सीधे अस्पताल पहुँचे। बेसुध पत्नी को देखा। असमय जर्जरित हो चुका पत्नी का स्वास्थ्य मीसा द्वारा फैलाई गई बरबादी का प्रत्यक्ष प्रमाण था। पत्नी की बीमारी तो ठीक नहीं हुई, पर पेरोल की अवधि समाप्ति के करीब आ गई, अतः डॉक्टरी प्रमाण-पत्र लेकर वे स्वयं ही गांधीनगर पहुँचे। कभी भी पेरोल न माँगनेवाले उस सहयोगी ने पत्नी की देखभाल हेतु पेरोल की अवधि बढ़ाने के लिए करबद्ध प्रार्थना की। बदले में उन्हें मिला जवाब आघातजनक था, 'मीसा में अगर इतनी आसानी से पेरोल मिलने लगेगा तो मीसा को मानेगा कौन?' मानो मानवता पूरी तरह से अदृश्य हो चुकी थी। जवाब देनेवाला अधिकारी आपातस्थिति के नशे में इतना धुत था कि वह अपना मानव धर्म ही भूल गया था। पेरोल की अवधि नहीं बढ़ी। जिसे सुख-दुःख में साथ देने का कभी वचन दिया था, उस अर्धांगिनी को डॉक्टरों और भगवान् के भरोसे छोड़कर लोकतंत्र की साधना हेतु वे जेल वापस आ गए। पर इस बार जेल और अस्पताल के बीच की छोटी सी दूरी उन्हें हजारों मील लंबी प्रतीत हो रही थी। अगर वे चाहते तो अनीति के सम्मुख घुटने टेककर जेल से रिहा भी हो सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया।

संघ के प्रांत संघचालक डॉ. पी.वी. दोशी शुरू से ही साबरमती जेल में थे। वे पेरोल के लिए याचना करने के पक्ष में नहीं थे। परंतु अचानक ही उनकी पुत्री की शल्यक्रिया किए जाने की नौबत आ पड़ी। अब घर जाना आवश्यक था। परिजनों ने पेरोल के लिए आवेदन कर दिया था। साथियों के बहुत समझाने के बाद वे पेरोल पर जाने के लिए सहमत हुए। पेरोल मंजूर हो गई, किंतु मनुष्यता खो बैठे मदांध अधिकारी शरारत किए बिना कैसे रह सकते थे! पेरोल इस शर्त पर दी गई कि वे राजकोट में प्रवेश नहीं करेंगे। कितनी अजीब शर्त थी! बेटी की शल्यक्रिया के कारणों से मिली पेरोल इस शर्त पर दी गई थी कि जिस जगह शल्यक्रिया होनी थी, उस जगह वे नहीं जा सकते। इससे बड़ी मानसिक यातना और भला क्या हो सकती है!

संघ के राजकोट के एक कार्यकर्ता श्री प्रवीण मणियार को जेल में शारीरिक कसरत के लिए खेले जानेवाले खेलों के दौरान ही पैर में चोट लग गई। शल्यक्रिया

करवाने की स्थिति पैदा हो गई थी। अतः पेरोल के लिए आवेदन किया गया। पेरोल दी गई, किंतु इस शर्त पर कि वे सौराष्ट्र के सात जिलों में प्रवेश नहीं करेंगे। यह भी नहीं सोचा गया कि इस स्थिति में किसी के लिए भी अपने घर से दूर रहना कितना कष्टदायी होगा! या शायद यही सोचकर शर्त रखी गई थी।

साबरमती जेल में कैद एकमात्र स्त्री मीसा कैदी कुमारी मंदाकिनी दवे को अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए भी हमेशा संघर्ष करते रहना पड़ा था। निकृष्ट अपराध करनेवाली अभद्र स्त्री कैदियों के साथ ही उन्हें रखा गया था। भारत की और जेलों में राजनीतिक कैदी बहनों को दिन में एक बार सामूहिक प्रवचनों के कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति दी जाती थी, जबकि मंदा बहन को इतनी छूट भी नहीं दी गई थी। राजनीतिक कैदियों को सुनवाई के लिए अदालत ले जाते समय या अस्पताल ले जाते समय हथकड़ियाँ पहनाने को लेकर आए दिन संघर्ष होते रहते थे। जेल अधिकारी हर बार हथकड़ियाँ पहनाने की जिद करते थे और राजनीतिक कार्यकर्ता हर बार इस बात का विरोध करते तथा अपनी बात मनवाकर रहते थे। हर जेल की यही स्थिति थी। 'सुरंग प्रकरण' में पकड़े गए और जिनपर आगे चलकर मीसा लगा दिया गया था, उन सभी कैदियों को जेल के अन्य कैदियों से अलग रखा जाता था। उनकी आपस में मुलाकात भी नहीं होने दी जाती थी। देश की किसी भी जेल में वैसा नहीं किया गया था, जैसा निकृष्ट कार्य गुजरात की जेलों में सरकार द्वारा किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी कार्यकर्ता पकड़े गए, उन सभी को अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं से अलग रखा गया और उनपर सख्ती भी विशेष रूप से की गई।

संघ के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने का सरकार का यह हथकंडा भी असफल रहा। गुजरात भर से दो चरणों में पकड़े गए पाँच सौ उनतीस राजनीतिक कार्यकर्ताओं की (गिरफ्तारियों का विवरण 'परिशिष्ट-२' में दिया गया है) एक वर्ष तक चली सामूहिक तपस्या का इतिहास ही अनोखा है। यहाँ पर उन दो शहीदों की बात बताए बिना कदाचित् इस पुस्तक का प्रयोजन सिद्ध न हो सकेगा। वे शहीद हैं—श्री हरिवदनभाई भट्ट और श्री भेरूमल गोहाणी।

भट्ट काका

सूरत के जाने-माने वरिष्ठ जनसंघी कार्यकर्ता श्री हरिवदनभाई भट्ट, जिन्हें लोग सम्मानपूर्वक 'भट्ट काका' कहते थे, को १३ मार्च को गिरफ्तार कर साबरमती जेल लाया गया। उन दिनों उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अपने जीवन के साठ

साल पूरे कर चुके भट्ट काका को रोग-शय्या से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पिछले कई सालों से उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था; किंतु सालों तक मूल्यों के जतन हेतु संघर्षरत रहे भट्ट काका निवृत्त हो चुके हैं, यह बात सरकार मानने को तैयार नहीं थी और इसीलिए पुलिस के रजिस्टर में अब तक उनका नाम लिखा हुआ था।

जीवन की उत्तरावस्था में भक्ति-भाव में मग्न भट्ट काका नित्य तापी नदी के किनारे होम-हवन में अपना समय बिताते थे और अब तो उनका स्वास्थ्य भी लड़खड़ा गया था। किंतु मीसा के तहत की गई गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ा-चढ़ाकर कांग्रेसियों की चापलूसी करने में लगे निर्दयी अधिकारियों को भला इन सब बातों की परवाह क्यों होती! उन्हें तो इतना ही मतलब था कि भट्ट काका की गिरफ्तारी से मीसा के मामलों की संख्या में एक अंक की बढ़त हो रही थी। साबरमती जेल में भट्ट काका का स्वास्थ्य दिन-प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। सूरत के रांदेर इलाके के आत्मनिष्ठ और दृढ़ मनोबलवाले भट्ट काका शरीर से थक चुके थे। जेल में कठिनाइयाँ भी अनेक थीं। बीमार भट्ट काका की देखभाल करनेवाला भी कोई नहीं था। वे पीलिया रोग के शिकार हो गए। कुछ ही दिनों में वे मौत के करीब पहुँच गए। सरकार ने अब अपनी ओर से उन्हें पेरोल देने की इच्छा जाहिर की, किंतु उन्होंने पेरोल लेने से इनकार कर दिया। अतः उन्हें सघन चिकित्सा के लिए अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भेज दिया गया।

सिविल अस्पताल में भी वही रवैया था। वहाँ कोफेपोशा (Conservation of & Preservation of Foreign Exchange) के तहत पकड़े गए हट्टे-कट्टे तस्कर की तो मेहमाननवाजी की जाती थी, किंतु मीसा के एक राजनीतिक कैदी, जो कि मृत्यु-शय्या पर पड़े थे, को आवश्यक दवाइयाँ भी नहीं दी गईं। पीलिया के इलाज के लिए उपलब्ध विशेष इंजेक्शन उन्हें नहीं दिए गए थे, यहाँ तक कि शरीर को क्षीण होने से बचाने हेतु आवश्यक ग्लूकोज सेलाइन भी उन्हें नहीं दिया गया था।

रोग-शय्या पर पड़े एक स्वातंत्र्य सेनानी को यह स्थिति ब्रिटिश सल्तनत की दासता से भी अधिक व्यथाकारी प्रतीत हो रही थी। सबसे अधिक दुःख तो इस बात का है कि देह छोड़ने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती सुशीलाजी से मिलना चाहा था, किंतु उनकी इस अंतिम इच्छा की तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया था। केवल एक बीमार राजनीतिक कैदी, जो कि उसी अस्पताल में इलाज करवा रहा था, ने मानवता के नाते जेल में कैद सूरत के विधायक श्री काशीराम राणा को

पत्र लिखा था। पर यह पत्र भी जेल में ही कहीं फँसकर रह गया और भट्ट काका के देहांत के बाद ही वह पत्र श्री राणा तक पहुँच पाया था। अंततः कई मनोव्यथाओं से पीड़ित होकर १३ अप्रैल को संघर्ष की जिम्मेदारी अपने साथियों पर छोड़कर भट्ट काका इस दुनिया से हमेशा के लिए कूच कर गए।

श्री भेरूमल गोहाणी

श्री भेरूमल गोहाणी जूनागढ़ जिले के बाँटवा गाँव के एक छोटे से व्यापारी थे। देश के बाँटवारे के समय वे अपनी जन्मभूमि सिंध को छोड़कर माँ भारती की गोद में ही शेष जीवन व्यतीत करने की पवित्र भावना के साथ गुजरात आए और बाँटवा जैसे छोटे से गाँव में बस गए थे। छोटी उम्र से ही संघ के सक्रिय कार्यकर्ता रहे, मिलनसार प्रकृतिवाले श्री गोहाणी कठोर परिश्रमी थे। लंबा-चौड़ा शरीर, सिर पर छोटे-छोटे बाल, भरावदार और नुकीली मूँछोंवाले एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी श्री गोहाणीजी को बहुत दिनों से मधुमेह और रक्तचाप की बीमारी थी। ११ जुलाई के तड़के चार बजे उन्हें 'आपसे एक जरूरी काम है' कहकर थाने ले जाया गया। थाने पहुँचते ही सूचना दी गई कि उन्हें मीसा के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। उनका गुनाह केवल इतना था कि संघ को प्रतिबंधित घोषित किए जाने से पहले वे बाँटवा में संघ नगर कार्यवाह थे। थाने से ही उन्हें जूनागढ़ भेज दिया गया। जूनागढ़ में उन्हें मीसा का आरोप-पत्र दिया गया और वहाँ से उन्हें साबरमती जेल भेज दिया गया। मधुमेह और रक्तचाप के शिकार भेरूमलजी का स्वास्थ्य यहाँ और खराब हो गया। इलाज के लिए उन्हें सिविल अस्पताल में भरती किया गया, उस अस्पताल में जहाँ भेरूमलजी जैसे मरीजों के लिए उचित उपचार की कोई व्यवस्था नहीं थी।

उनकी हालत गंभीर होते ही डॉक्टरों ने उन्हें वापस जेल भेज दिया। जेल के दरवाजे तक पहुँचते-पहुँचते उन्हें बेतहाशा उल्टियाँ होने लगीं। जेल के अधिकारियों ने फौरन गृह विभाग को टेलीफोन कर तत्क्षण पंद्रह दिनों के लिए पेट्रोल की सिफारिश की। गृह विभाग ने ५ से २० अगस्त, १९७६ तक की पेट्रोल मंजूर कर दी। बीमार भेरूमलजी को जेल के दरवाजे पर ही पेट्रोल की सूचना दे दी गई। वार्डर से कहकर उनका सामान भी तुरंत बाहर मँगवा लिया गया और बाहर से ही उन्हें उसी हालत में घर जाने के लिए कह दिया गया। जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने के चक्कर में मानवता को पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया था। इस गंभीर अवस्था में बिना किसी सहारे के भेरूमलजी जैसे-तैसे बाँटवा वापस लौटे। बाँटवा पहुँचते

ही उन्हें तुरंत जूनागढ़ अस्पताल में भरती कराया गया; किंतु तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। अतः ३० अगस्त को उन्हें पुनः अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भरती किया गया। यहाँ पता चला कि उनके गुरदे काम नहीं कर रहे हैं। गुरदे साफ करवाने के लिए प्रति सप्ताह तीन सौ रुपयों की आवश्यकता थी। छोटे व्यापारी का कमजोर माली हालतवाला परिवार भला इतने रुपए कहाँ से लाता! आपातकालीन अत्याचारों का शिकार हुए श्री भेरूमलजी का २९ सितंबर को छियालीस वर्ष की उम्र में ही निधन हो गया।

जीवनादर्शों के हेतु जीवनपर्यंत जूझनेवाले एक और साथी का नाम इस दूसरे दौर के स्वातंत्र्य-संग्राम के शहीदों की सूची में जुड़ गया।

‘धन्य धन्य है उन्हें, जो भारत पे
अपना तन-मन-धन दे चुके;
भारत के लिए बेचैन हुए,
भारत के लिए बलिदान हुए।’



प्रकरण-१९

अविरत संघर्ष, अविराम प्रतिकार

मोरचा सरकार को गिराना और उसके बाद मीसा का दुरुपयोग कर आतंक का माहौल खड़ा करना—इन हरकतों से उठे हिचकोलों को भी गुजरात झेल गया। महीने भर में ही संघर्ष के लिए गुजरात पुनः तैयार हो गया। मोरचा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूभाई ज. पटेल एवं अन्य मंत्री स्थान-स्थान पर जाकर कार्यकर्ताओं तथा प्रजा तक निडर रहने का संदेश पहुँचाते। बड़ी-बड़ी सभाओं पर तो सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा था, परंतु छोटे-छोटे सम्मेलनों पर प्रतिबंध नहीं था। अतः छोटी-छोटी समूह-बैठकों के आयोजनों के द्वारा चेतना का पुनः संचार किया गया।

सरकार गिरने के तुरंत बाद ही राजकोट के प्रसिद्ध कॉनोट हॉल में श्री केशुभाई पटेल के नेतृत्व में मोरचा कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन को सर्वश्री बाबूभाई पटेल, दिनेश शाह, ब्रह्मकुमार भट्ट इत्यादि का मार्गदर्शन भी मिला। गिरफ्तारियों के अंधड़ के बीच ऐसे सम्मेलन का आयोजन करना गुजरात की निर्भीकता का ही प्रमाण है।

श्रीमती हेमा बहन आचार्य एवं विद्या बहन गजेंद्र गडकर महिला सम्मेलनों में जा-जाकर बहनों में चेतना जगाया करती थीं। हर मीसाबंदी के परिवार से मिलकर उसकी बहनों को एक स्वजन के समान आश्वासन देतीं, उनका हौसला बढ़ातीं। यह भरोसा कि उनके बलिदान कदापि व्यर्थ नहीं होंगे, इन परिवारों के अंतर्मन में एक नई शक्ति का संचार कर जाता। हेमा बहन दोहरी जिम्मेदारी निभा रही थीं। उनके पति श्री सूर्यकांतभाई को पहले ही मीसा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। अतः घर और बाहर दोनों मोरचों को उन्हें ही सँभालना पड़ता था।

गुजरात के स्थानीय निकायों के चुनावों में चुने गए सभी सदस्यों का एक

सम्मेलन १६ जून को श्री बाबूभाई की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इसमें श्री बाबूभाई ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि स्थानीय निकायों की किसी संस्था पर हमारे शासन के होने या न होने का उतना महत्त्व नहीं है, सबसे अधिक महत्त्व तो इस बात का है कि इन संस्थाओं में न्याय और नैतिकतापूर्ण आचरण का स्तर बना रहना चाहिए और हमें इसी बात का खयाल रखना है।

आपातकाल की घोषणा की पहली वार्षिक तिथि २६ जून, १९७६ के दिन अहमदाबाद में आयोजित 'गुजरात जनता मोरचा' के एक विशाल जन-सम्मेलन ने आपातकाल के खिलाफ लड़ते रहने के अपने दृढ़ संकल्प का पुनः एक बार परिचय करवाया। इस सम्मेलन से उठनेवाली जन-चेतना की लहरें गुजरात को मौन नहीं रहने देंगी, इस भय से प्रशासन सम्मेलन से पूर्व ही इसके आयोजन को रोकने के लिए सक्रिय हो गया था। पुलिस की गाड़ियाँ गली-गली घूमकर सभाओं पर लगे प्रतिबंध की लाउडस्पीकरों द्वारा घोषणा करने लगी थीं। अखबारों को सूचनाएँ दे दी गई थीं कि वे सम्मेलन के बारे में कोई समाचार न छापें। शहर की गली-गली में लगे सूचना-पट्टों के पास पहरेदारों को बैठा दिया गया था, ताकि कोई उन सूचना-पट्टों पर कोई संदेश न लिख सके। बावजूद इन सारी कोशिशों के, गुजरात के कोने-कोने से मर मिटने का प्रण ले चुके कार्यकर्ताओं के दल-के-दल अहमदाबाद के सरदार कांग्रेस भवन के परिसर में आ पहुँचे थे। परिसर के बाहर मानो कोई बहुत बड़ी जंग लड़नी हो, पुलिस का इतना भारी जमावड़ा लगा दिया गया था।

इस सम्मेलन में श्री कृपलानी, महिंदर कौर एवं हाल ही में जेल से मुक्त हुए श्री अशोक मेहता भी आ पहुँचे। इनके अलावा सर्वश्री बाबूभाई पटेल, आर.के. अमीन, मनुभाई पटेल तथा ब्रह्मकुमार भट्ट इत्यादि ने भी इस विशाल जन-सम्मेलन को संबोधित किया था। सम्मेलन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूभाई के नेतृत्व में जनता मोरचा के विधायक, सांसद तथा गुजरात मोरचा की प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य एक रैली के रूप में राजभवन की ओर निकल पड़े। उन्हें बीच में ही रोक लिया गया। हजारों नागरिकों के जयघोष के बीच बासठ नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी।

इस कार्यक्रम की सफलता के समाचार भूमिगत संपर्क केंद्रों के माध्यम से गाँव-गाँव तक पहुँच गए थे। इसके अलावा आपातकाल और तानाशाही के विरोध में पोस्टर्स लगाने के कार्यक्रम के आयोजन के बारे में भी राज्य भर में सूचना पहुँचा दी गई थी। गुजरात के हर छोटे-बड़े गाँव में उसी रात दीवारों पर पोस्टर्स चिपका दिए गए। २६ जून को काले दिवस के मौके पर श्री जयप्रकाशजी ने भारत के

नागरिकों के लिए एक संदेश भेजा था। उसकी पचास हजार से भी अधिक प्रतियाँ छपवाकर गुजरात के नागरिकों तक पहुँचा दी गई थीं। २५ जून की रात्रि को, पुलिस की कड़ी निगरानी होने के बावजूद, गुजरात के भूमिगत कार्यकर्ता इस कार्य को बड़े पैमाने पर संपन्न करने में सफल रहे। हालाँकि ऐसे कामों में थोड़ी-बहुत हानि तो सहनी ही होती है। महेसाणा, राजकोट और पोरबंदर के नौ कार्यकर्ता पोस्टर्स चिपकाते समय पकड़े गए। राजकोट व पोरबंदर के कार्यकर्ताओं को पंद्रह दिन के रिमांड के दौरान जमकर पीटा गया। पोरबंदर के पंद्रह वर्षीय एक कार्यकर्ता श्री प्रदीप कारिया को उनकी नाबालिग अवस्था के बावजूद चौदह दिन के रिमांड के दौरान उनसे मिलने के लिए आए उनके पिताजी से भी नहीं मिलने दिया गया। उन्हें अपने घर से अपना भोजन मँगवाने की अनुमति भी नहीं दी गई थी। किंतु पंद्रह वर्षीय प्रदीप हिम्मत के साथ चौदह दिनों तक आपातकाल के उन कालदूतों के अत्याचार सहता रहा, पर न ही उसने माफी माँगी और न ही पोस्टर्स के बारे में कोई जानकारी दी। उन्हीं के एक और साथी श्री वीरजीभाई परमार के साथ भी अत्याचार किया गया। वीरजीभाई को तो पुलिस नहीं पकड़ सकी, परंतु उनके बड़े भाई के साथ उन्हीं के घर के पास, मोहल्ले के लोगों के सामने ही, मारपीट की गई। हर दो-तीन घंटे के अंतराल पर पुलिस उनके घर आ धमकती और सारे घर की तलाशी ली जाती। गिरफ्तार किए गए एक और कार्यकर्ता श्री जमनभाई कारिया को इतना पीटा गया कि वे अपने दोनों कानों की श्रवण-शक्ति हमेशा के लिए खो बैठे।

पोस्टर चिपकाते हुए पकड़े गए बीस वर्षीय युवक शशिकांत जोशी को पुलिस थाने ले जा रही थी कि तभी वह दर्जन भर सिपाहियों को चकमा देकर भाग निकला। पुलिस ने बौखलाकर उसके पिता श्री वेलजीभाई को गिरफ्तार कर लिया। उनसे रिश्वत के रूप में घी के डिब्बों और रुपयों की माँग की गई। मजबूर होकर शशिकांत को पुलिस के सामने उपस्थित होना पड़ा। पुलिस तो पहले से ही चिढ़ी हुई थी। अतः शशिकांत की शरणागति से पुलिस को तो जैसे कोई बड़ा शिकार ही हाथ लग गया हो—उसके पैरों के तलवों को तोड़ दिया गया। उसके जबड़ों पर पुलिस इस तरह बरसी कि सारा मुँह लहलुहान हो गया। टूटे हुए तलवे और जबड़ों ने शशिकांत को जीवन भर के लिए अपाहिज बना दिया।

राजकोट से संघ के एक कार्यकर्ता श्री हरीशभाई नायक को भी गिरफ्तार किया गया था। बिना किसी ठोस प्रमाण के पोस्टर्स के वितरण के जुर्म में उन्हें पंद्रह दिन के रिमांड के लिए भेज दिया गया। एक गुनहगार की तरह उन्हें हथकड़ियाँ पहनाकर, रस्सों से बाँधकर ले जाया गया। रिमांड के दौरान दिन-रात उनपर जुल्म

किए गए। फिर भी उनसे कोई जानकारी हासिल न होने पर उनके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

धंधुका का एक नौजवान था झीणाभाई। कभी संघ की शाखा पर गया होगा, किंतु उसे संघ के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। संघ के कार्यकर्ताओं से उसकी जान-पहचान अवश्य थी। गरीब परिवार के इस युवक का संघ के अहमदाबाद विभाग प्रचारक श्री अनंतरावजी काले के प्रति विशेष आदर था। श्री काले भूमिगत हैं, यह पता चलते ही उसने उनसे किसी भी सहायता हेतु अपनी तत्परता जताई। झीणाभाई को अपने निजी कार्य हेतु अकसर ही अहमदाबाद जाना पड़ता था। अतः उससे संदेशों के आदान-प्रदान में सहायता करने के लिए कहा गया। झीणाभाई पूरी सेवा-भावना से और बहुत सावधानीपूर्वक यह जिम्मेदारी निभाता था। एक दिन किसी कारणवश अहमदाबाद के मणिक चौक इलाके में एक नींबू बेचनेवाले के साथ उसकी तकरार हो गई। बात पुलिस तक पहुँची। पुलिस ने आकर अस्त-व्यस्त कपड़े, पहने तंगहाल हुलियावाले झीणाभाई को पकड़ लिया। भरे बाजार में ही पुलिस ने उसे मारना शुरू कर दिया। 'बदमाश', 'जेबकतरा', 'लफंगा' जैसे कई उपनाम उसे दिए गए। उसके झोले और उसकी जेबों की तलाशी ली गई। दुर्भाग्यवश उसके पास से एक चिट्ठी व 'मुक्तवाणी' पत्रिका के कुछ अंक बरामद हुए। बस, पुलिस को तो जैसे तस्करी का बड़ा भारी सामान मिल गया। झीणाभाई को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। पुलिस के हर प्रश्न का झीणाभाई के पास एक ही उत्तर था, 'बस में मुझे कागज की एक थैली मिली थी, जिसमें पाँच रुपए का एक नोट था, इसीलिए मैंने उसे उठा लिया था। इसके अलावा यह सब क्या है, मैं कुछ नहीं जानता। मैं पढ़ा-लिखा भी नहीं हूँ।' पर भला पुलिस इतनी आसानी से कहाँ माननेवाली थी। शुरू हो गया वही थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट का सिलसिला। बहुत मारा गया झीणाभाई को। मारते-मारते पुलिस भी थक गई, परंतु झीणाभाई टस से मस न हुआ। पुलिस के अत्याचार पर झीणाभाई की सहन-शक्ति की जीत हुई। पुलिस को भी आखिरकार मानना ही पड़ा कि वह निर्दोष है। देर रात को उसे छोड़ दिया गया। पुलिस द्वारा दी गई शारीरिक यातनाओं के कारण झीणाभाई का शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। परंतु धंधुका तक इस घटना की जानकारी का पहुँचना बहुत जरूरी है, यह सोचकर वह मन को मजबूत कर, शरीर में बची हुई सारी ताकत को एकत्र कर, एक ट्रक में बैठकर रात को ही धंधुका पहुँचा। पूरी बात बताई और उसके बाद कर्तव्य-पूर्ति हुई जानकर ही उसने अपने शरीर को अपनी व्यथा व्यक्त करने की अनुमति

दी। उसका शरीर शिथिल पड़ने लगा, वह बेहोश हो गया। शरीर में हो रही असहनीय पीड़ा के कारण वह कराह रहा था। उसी समय उसे अस्पताल में भरती करवाया गया। उसने यदि चाहा होता तो अपने आपको बचाने के लिए वह, जो कुछ भी उसे पता था, पुलिस को बता सकता था; किंतु नहीं, आर्थिक रूप से वह अवश्य तंगहाल था, परंतु नैतिकता के मामले में वह किसी से भी कम नहीं था।

झीणाभाई उस स्वतंत्रता-प्रिय मानसिकता का मूर्त रूप था, जिसे राजनीति की गहनताओं के बारे में भले ही अधिक जानकारी न हो, पर उसे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सहायक और रोचक बातों की पहचान अवश्य थी। लोकतंत्र पर कुठाराघात से उसे जो दुःख पहुँचा था, वह उसके लिए पुलिस की मारपीट से कहीं अधिक कष्टदायक था और इसीलिए वह उन असहनीय यातनाओं को भी सहन कर गया था।

महेसाणा से श्री शंकरसिंह वाघेला के छोटे भाई कनुसिंह वाघेला एवं संघ के एक और कार्यकर्ता श्रीकांत कारदरे को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें गिरफ्तार करनेवाले पुलिस कर्मचारी को इस बहादुरीपूर्ण कारनामे के लिए बख्शीश दी गई थी। इन दोनों को रिमांड पर लेकर बहुत पीटा गया था। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद श्रीकांत के निवास-स्थान की तलाशी ली गई। पुलिस को एक डायरी हाथ लगी, जिसमें कुछ मीटिंगों के बारे में नोट्स, कुछ पकड़े गए कार्यकर्ताओं के पते इत्यादि जानकारी थी। श्रीकांत से इस बारे में पूछने पर उसने कहा कि 'यह सारी जानकारी पुरानी है।' कई बार घुमा-फिराकर पूछने पर भी पुलिस को हर बार यही उत्तर मिला। नतीजतन इस बारे में पुलिस आगे कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। दरअसल, डायरी के पन्नों पर जरूर सन् १९७१ के साल की तारीखें छपी थीं, पर उन पन्नों पर लिखी बातें हाल ही की थीं!

ऐसे अनेक अत्याचारों के बावजूद संघ के कार्यकर्ताओं ने साहस और दृढ़ता का परिचय देते हुए २६ जून को आयोजन के अनुसार ही विरोध-प्रदर्शन किया। उस दिन गुजरात की जेलों में भी उपवास और, इस दूसरे दौर के स्वातंत्र्य-संग्राम के शहीदों को, श्रद्धांजलि देने जैसे कार्यक्रम मीसाबंदी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए।

मोरचा के बढ़ रहे प्रभाव तथा जनता के निडरतापूर्ण आचरण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से दिल्ली के कांग्रेसियों के दल गुजरात के चक्कर लगाने लगे। मोरचा के सफल कार्यक्रमों से खीझकर केंद्र सरकार ने गिरफ्तारियाँ बढ़ाने के आदेश दिए। २४ जून को श्री दरु की गिरफ्तारी के साथ गिरफ्तारियों का नया

सिलसिला शुरू हो गया। जुलाई के दूसरे सप्ताह तक मीसा के आरोपियों की संख्या पाँच सौ का अंक पार कर गई। मीसा का यह दौर पहले दौर से अधिक तीव्र था। दूसरी श्रेणी के भी कई कार्यकर्ता पकड़े जा चुके थे। भूमिगत कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहकर महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहे कई कार्यकर्ता गिरफ्तार हो चुके थे। एक तरह से पुनः एक बार नया भूमिगत व्यवस्था-तंत्र बनाने की नौबत आ गई थी। फिर भी इस बार का आक्रमण हमारे लिए उतना घातक नहीं था। पच्चीस दिनों में ही परिस्थिति फिर से हमारे नियंत्रण में आ चुकी थी। किंतु इस बार गुजरात की चेतना को अखंड प्रज्वलित बनाए रखनेवाली संस्था 'साधना' पर भारी विपत्ति आ पड़ी थी। उसके कंपोजिटर से लेकर ट्रस्टियों तक—सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था।

सरकार तोड़ने में माहिर कांग्रेसी गुजरात को वैकल्पिक सरकार नहीं दे पाए थे। अतः गुजरात के लोक हितों का खयाल कर मोरचा ने एक अप्रत्यक्ष मंत्रिमंडल का गठन किया। यह मंत्रिमंडल समय-समय पर एकत्र होकर गुजरात की समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श करता और महामहिम राज्यपाल को उन समस्याओं के बारे में उचित कार्रवाई हेतु अपने अभिप्राय भेजा करता था।

मोरचा सरकार के समय किए गए निर्णयानुसार गुजरात में सौ जन-सभाओं के आयोजन का लक्ष्य मूरा करने के उद्देश्य से श्री बाबूभाई जन-सभाओं का आयोजन कर गुजरात की जनता को संबोधित करते रहते थे। वे पूरी तरह से निडरता के संदेशवाहक बन चुके थे। अतः कांग्रेसी अब उनकी गिरफ्तारी की माँग को लेकर शोर मचाने लगे थे।

९ अगस्त के दिन अहमदाबाद में शहीद वीर विनोद किनारीवाला के स्मारक पर क्रांति दिवस मनाया जाना था, तभी सरकार ने इस आयोजन पर प्रतिबंध घोषित कर श्री बाबूभाई और उनके साथ के इक्यावन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से छियालीस कार्यकर्ताओं को डी.आई.आर. के तहत तथा बाबूभाई और शेष चार कार्यकर्ताओं को मीसा के तहत जेल में बंद कर दिया गया। लगातार हो रही गिरफ्तारियों के कारण गुजरात की जेलें भी भर चुकी थीं। साबरमती जेल में तो इतने कैदी हो गए थे कि उनको रखने के लिए तंबू तानने पड़े थे। कई राजनीतिक कैदियों को भी तंबू में रहना पड़ा था।

'साधना' के बंद हो जाने के कारण संघर्ष के समाचार लोगों तक पहुँचाने के लिए गुजरात में अब नियमित रूप से प्रकाशित होनेवाली एक भूमिगत पत्रिका की आवश्यकता महसूस हुई। अतः तुरंत ही 'मुक्तवाणी' नामक भूमिगत पत्रिका

का प्रकाशन शुरू किया गया। 'खबरदार' के छद्म नाम से 'मुक्तवाणी' के संपादकत्व का जिम्मा मैंने ले लिया। अब गुजरात के लोगों के लिए 'मुक्तवाणी' ही सच्चे समाचार जानने का एकमात्र माध्यम थी।

जनता मोरचा द्वारा १५ से ३० अगस्त तक अहमदाबाद से दांडी तक की 'संघर्ष-कूच' का आयोजन किया गया। छह सौ सत्तर किलोमीटर लंबी इस कूच का नेतृत्व सरदार पटेल की पुत्री कुमारी मणी बहन पटेल ने किया था। अहमदाबाद के 'सरदार पटेल भवन' से प्रारंभ हुई इस कूच के रास्ते में जगह-जगह से लोग कूच में शामिल होते और इन सबको डी.आई.आर. के तहत पकड़ लिया जाता। चूँकि कुमारी मणी बहन की गिरफ्तारी के परिणाम क्या हो सकते हैं, इस बात को सरकार भली-भाँति समझती थी, अतः उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। कूच के मार्ग में, पुलिस की मौजूदगी के बावजूद, लोग भारी संख्या में बेखौफ उपस्थित रहते और कूच का स्वागत करते। इस लंबी कूच के दौरान मार्ग में छप्पन स्थानों पर प्रतीकात्मक सत्याग्रह किए गए, जिसमें हिस्सा लेनेवाले छियानबे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस 'संघर्ष-कूच' ने मार्ग में स्थित नौ जिलों में एक नया जोश पैदा किया। रास्ते भर पूर्णतः अहिंसक रही इस कूच को बदनाम करने की नीयत से कूच के अंतिम दिन पुलिस ने अपना असली रूप उजागर किया। वलसाड़ में जहाँ से होकर इस कूच को गुजरना था, वहाँ एक मोहल्ले में बैठे कुछ लोगों को हिंसा के लिए उकसाने के आशय से पुलिस ने उनपर लाठियाँ बरसाईं। परंतु जहाँ से होकर एक बार पूज्य बापू गुजरे थे, उस पथ पर बसनेवाले भला हिंसक कैसे हो सकते थे! कुमारी मणी बेन बिना किसी रुकावट के दांडी तक पहुँचीं।

राजकोट में विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं ने अनेक प्रकार से कार्यक्रम आयोजित किए। जन-जागृति के साथ-साथ उन्होंने संघर्ष-प्रवृत्ति भी जारी रखी थी। राज्यपाल श्री के.के. विश्वनाथन के राजकोट दौरे के समय राजकोट विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं ने उन्हें एक आवेदन-पत्र देकर गुजरात में मीसा के तहत पकड़े गए विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को तुरंत रिहा करने की माँग की। इस आवेदन-पत्र पर सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के करीब ढाई हजार विद्यार्थियों ने हस्ताक्षर किए थे।

'रैडिकल ह्यूमनिस्ट' तथा 'जनतंत्र समाज' द्वारा संयुक्त रूप से अक्टूबर माह के तीन रविवारों को चौवालीसवें संविधान संशोधन के बारे में चर्चा-सभाओं का आयोजन किया। सर्वश्री उमाशंकर जोशी, दिनेश शुक्ल, मावलंकर, के.डी. देसाई जैसे विद्वज्जनों ने उपस्थित रहकर इन सभाओं का मार्गदर्शन किया।

२१ नवंबर को गुजरात के युवाओं का एक अनोखा सम्मेलन अहमदाबाद में आयोजित हुआ। इसमें जेलों से हाल ही में रिहा हुए श्री पीलू मोदी एवं श्री बाबूभाई पटेल को भी आमंत्रित किया गया था। किंतु २१ नवंबर की सुबह होते ही इस सम्मेलन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके आयोजकों ने तुरंत सरकार से एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर बारेजड़ी नामक इलाके में सम्मेलन करने का निर्णय किया। सम्मेलन में शामिल होने के लिए आनेवाले युवाओं को पुलिस तक पहुँचने से पहले ही बारेजड़ी पहुँचने की गुप्त सूचना मिल जाती। धीरे-धीरे यह सूचना ऐसी फैली कि सम्मेलन प्रारंभ होने के समय तक पाँच सौ से भी अधिक युवा बारेजड़ी पहुँच गए थे।

सर्वश्री बाबूभाई, पीलू मोदी तथा के.डी. देसाई भी पुलिस की नजर बचाकर बारेजड़ी पहुँच गए। वहाँ एकत्र हुए युवाओं में एक अनोखा उत्साह झलक रहा था। श्री बाबूभाई तथा श्री पीलू मोदी ने युवाओं की सभा को संबोधित किया। युवाओं के इस सम्मेलन में, संघर्षरत युवाओं का प्रतिनिधि होने के नाते, मेरे द्वारा भेजे गए संदेश को भी पढ़ा गया तथा सैकड़ों की संख्या में पुलिस की उपस्थिति के बावजूद संघ के कार्यकर्ता श्री प्रफुल्ल रावल तथा श्री बिपिनभाई शाह ने इस संदेश की प्रतियाँ उपस्थित युवाओं में वितरित कीं। यह संदेश युवाओं को विद्रोह करने का आह्वान करता था—

‘युवाओ !

‘आप भारत माता के लाडले हैं, भावी भारत के आशा-अंकुर हैं। विश्वविजयी भारत माता की संतानो ! जरा सोचिए कि आज हमें किस ओर धकेला जा रहा है ? आपका भविष्य क्या होगा ? और इस बात के प्रति इस समय जाग्रत् न हुए तो कल आपको किसका और किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, यह भी आपको सोच लेना होगा।

‘आप भावी भारत के कर्णधार हैं, क्योंकि आज का युवा आनेवाले कल के समाज का, इस देश का नेता है...तो फिर आज की समस्याओं का निवारण कर राष्ट्र को तेजोमय बनाने की जिम्मेदारी किसकी है ? उत्तर स्पष्ट है—आपकी।

‘आज छल-छद्मों के द्वारा देश को गूँगा बना दिया गया है। कल भी इसी लाचारी का सामना करना पड़ेगा, किसे ?...आप ही को ! आज की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अनैतिकता, भ्रष्टाचार और पराकाष्ठा को पार कर चुका दमन कल किसे परेशान करेगा ?...आपको ! आज लोकतंत्र को कुचलकर जिस प्रकार तानाशाही का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है, कल उसी मार्ग पर भेड़-बकरियों के समान चलने को

कौन बाध्य होगा?...आप! आज देश में चल रहे इस दूसरे दौर के स्वातंत्र्य-संग्राम में यदि आपने अपना आवश्यक योगदान नहीं दिया तो आनेवाले समय में लिखा जानेवाला इतिहास किसे कोसेगा?...आपको ही! स्वतंत्रता के लिए फना हो जानेवाले शहीदों के लहू के कतरों की कीमत समझने में असमर्थ रहनेवालों की सूची में इतिहासकार किसका नाम लिखेंगे?...आपका!

‘युवाओ! मत भूलो कि आपकी भूमिका इतिहास को लिखनेवाले या इतिहास को पढ़नेवाले की नहीं है, आपकी भूमिका है—इतिहास-निर्माता की। कालपुरुष अपने काल-पट पर निरंतर भविष्य के इतिहास के अक्षरों को अंकित करता रहता है, और वर्तमान ही भविष्य का इतिहास है। इस समय वह क्या लिखेगा, यह निर्भर करता है आप पर।

‘इस देश का इतिहास केवल स्याही व कलम से लिखा गया एक घटनाक्रम मात्र होगा या भारतीय तरुणों के लहू तथा सतियों के सिंदूर की लालिमा एवं बहनों के रक्षासूत्रों की पवित्रता के ओज से रचा गया एक अध्याय होगा? यह कौन तय करेगा?...आप!

‘लोकतंत्र की विजय और तानाशाही की पराजय के बीच एक कदम मात्र का अंतर रह गया है। इस कदम को आगे बढ़ाकर विजयश्री को चूमने का दायित्व किसका है?...आपका!

‘आज एक अबला की भाँति बेबस होकर खड़ी भारत माता के बंदी बेटे-बेटियों को मुक्त करवाने का पवित्र दायित्व किसका है?...आपका! इतने बड़े कर्तव्य, इतनी बड़ी चुनौती, इतने व्यापक और कठोर अत्याचारों, इतनी सारी परेशानियों और लाचारियों के बीच धिरे होने के बावजूद भारत माता के युवा सपूतो! आनेवाले समय को सुवर्णकाल बनानेवाले कलाकार भी आप ही हैं!

‘आपको संधान कैसे करना है, यह आप तय कर लें। विरोधी को पहचानकर उचित शस्त्र तो उठाना ही होगा। युवाओ! यदि आप आगे नहीं आएँगे तो भारतीय क्रांति दिशाभ्रष्ट हो जाएगी। यदि आपने चुनौती को स्वीकार नहीं किया तो आनेवाला कल आपको युवा मानने से इनकार कर देगा, क्योंकि सच्चा युवा तो युगों-युगों से जुल्मों से लड़ता आया है। युवा ने कभी भी अत्याचार-अन्याय के सामने घुटने नहीं टेके हैं, रुका नहीं है, थका नहीं है।

‘तो फिर वह आज क्यों मौन है? यौवन की समयसिद्ध उज्ज्वल परंपरा में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने का ऐतिहासिक अवसर आपके द्वार खटखटा रहा है। उठिए! जागिए! और भारत माता को स्वतंत्र करने के इस दूसरे दौर के संग्राम में

अपने आपको समर्पित कर दीजिए।

‘दोस्तो! हम सभी आजादी के बाद की पैदाइश हैं। आइए, हम भी जता दें कि गुलामी में दम तोड़ना हमें मंजूर नहीं, दम लगाकर गुलामी तोड़ना हम भी जानते हैं। यही यौवन है!

आपका

युवा भूमिगत साथी’

इस सम्मेलन के समापन के पहले ही पुलिस ने यहाँ की धारा १४४ की घोषणा कर श्री विनोद गाडीत, निमेष भट्ट इत्यादि करीबन सौ युवाओं को पकड़ लिया।

सरकार दावे पर दावे करती जा रही थी कि सभी जगह सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त किया जा रहा है, दूसरी ओर गुजरात में गिरफ्तारियों का सिलसिला बरकरार था। ‘गुजरात संघर्ष समिति’ के संयोजक श्री भोगीलाल गांधी अपनी अस्वस्थता के कारण बंबई में किसी गुप्त स्थान पर आराम कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें भी खोजकर डी.आई.आर. के तहत गिरफ्तार कर लिया और अहमदाबाद की अदालत में पेश कर दिया। शुरू से ही संघर्ष से जुड़े श्री राजेंद्र दवे, कुमारी मंदाकिनी दवे, हसमुख पटेल और अतुल शाह को डी.आई.आर. के अंतर्गत पकड़ लिया तथा बाद में उनपर मीसा लागू कर दिया गया था। यदा-कदा भूमिगत कार्यकर्ता भी पुलिस के हाथ पड़ जाते थे। उनसे कई प्रकार की पूछताछ की जाती और उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता था।

इन विकट परिस्थितियों में भी संघ के कार्यकर्ताओं को संघर्ष में टिके रहने के लिए आवश्यक शक्ति मिलती रहे, इस उद्देश्य से हर तहसील में पंद्रह से बीस कार्यकर्ताओं की सहभागितावाले दो से चार दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जाता था। इन शिविरों में चुने हुए कार्यकर्ताओं को प्रवेश दिया जाता था। भूमिगत कार्यकर्ता भी उपस्थित होकर बदले हालातों में संघर्ष को अधिकाधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए, इस बारे में मार्गदर्शन देते रहते थे। इन शिविरों को आयोजित करने का हमारा तरीका भी निराला था। गुजरात में जहाँ कहीं भी, जिस किसी भी सेवा संस्था के सेवा-कार्यक्रम चल रहे होते, उन कार्यक्रमों में संघ के कार्यकर्ता वॉलंटियर्स बनकर शामिल हो जाया करते थे। यहाँ पर ये वॉलंटियर्स उस संस्था के सेवा कार्य में योगदान देते-देते गुप्त रूप से संघर्ष के बारे में भी विचार-विमर्श किया करते थे। कम जाने-माने भूमिगत कार्यकर्ता भी इन वॉलंटियर्स से मिलते रहते थे। महेसाणा जिले के जामला गाँव में विश्व हिंदू परिषद् द्वारा एक

नेत्र यज्ञ का आयोजन किया गया था। संघ के लगभग चालीस कार्यकर्ताओं ने सात दिनों तक इस नेत्र यज्ञ में योगदान दिया और साथ ही उन्होंने राष्ट्र यज्ञ में अपने आपको बलिदान कर देने की योजनाएँ भी बनाईं। संघ के महेसाणा विभाग के सहप्रचारक श्री खोड़ाभाई पटेल उर्फ श्री लालजीभाई पंचाल, श्री अरुणभाई शाह उर्फ श्री विजय पटेल भूमिगत होते हुए भी इन लोगों के साथ रहे और उनका मार्गदर्शन किया। खेरालु तहसील के सुदासणा गाँव में हुए नेत्र यज्ञ में भी संघ के लगभग बीस कार्यकर्ता शामिल हो गए थे। ऐसे प्रशिक्षण शिविर गुजरात भर में कहीं-न-कहीं निरंतर चलते रहते थे। उत्तर गुजरात के लगभग बीस चुने हुए विद्यार्थी कार्यकर्ताओं के लिए आबू में सात दिवसीय एक कैंप भी आयोजित किया गया था। इस कैंप में संघ के प्रांत प्रचारक के साथ ही मैंने भी सहचिंतन में हिस्सा लिया था। अहमदाबाद के बीस कार्यकर्ताओं के एक दल ने सौराष्ट्र की साइकिल यात्रा की। मार्ग में कई छोटे-छोटे स्थानों पर आपातकाल के अत्याचारों की जानकारी को लोगों तक पहुँचाते हुए यह दल जहाँ कहीं भी विश्राम के लिए रुकता, वहाँ कोई-न-कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता पहुँच जाता और दल के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चाएँ कर इस चलती-फिरती संघर्षशाला का मार्गदर्शन करता। दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से होनेवाले भिन्न-भिन्न सर्वेक्षणों में शामिल होकर श्री हिमांशु भट्ट के नेतृत्व में दक्षिण गुजरात के स्वयंसेवकों ने कई गाँवों में संपर्क अभियान चलाया। नाम विश्वविद्यालय का और काम संघर्ष का।

धार्मिक स्थलों, ट्रेन के डिब्बों, बड़े-बड़े शहरों के टूरिस्ट कोच—हर उपयुक्त स्थान पर हमारे कार्यकर्ता संघर्ष के समाचार लेकर गाइड के वेश में पहुँच जाते। हालाँकि यात्री किसी भी पत्रिका को छूने तक से हिचकिचाते थे; अतः हमारा संघर्ष-गाइड उनसे दबे स्वरों में 'संक्षिप्त समाचार बुलेटिन' कहता, पत्रिका पकड़ता और चलता बनता था। मीसा में फँसे लोगों के परिजनों को एक-दूसरे के निकट लाने और संघर्ष में टिके रहने को उनमें हौसला बना रहे, इस हेतु भी कई प्रयत्न किए जाते थे। अहमदाबाद में 'राष्ट्र सेविका समिति' की बहनों ने श्रीमती शांता बहन गजेंद्र गडकर के नेतृत्व में बहनों के लिए गुजरात के विशेष आहार 'ऊँधिया' के भोजन समारोह का आयोजन किया। साबरमती आश्रम में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में मीसा का शिकार हुए परिवारों की लगभग दो सौ पचास बहनों ने हिस्सा लिया। इस प्रतीकात्मक आयोजन ने इन परिवारों में एक नए उत्साह का संचार किया।

उन्हीं दिनों महेसाणा जिले के ऊँझा गाँव में कड़वा पारीदार समुदाय की

कुलदेवी उमिया माता के दर्शनों के लिए दूर-सुदूर बसनेवाले कड़वा पारीदार हजारों की संख्या में आने वाले थे। इन लोगों के लिए बहुत विशाल पैमाने पर आवास आदि की व्यवस्था की जानी थी। हम सभी तो ऐसे अवसरों के इंतजार में ही रहते थे। व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने जिम्मे ले ली। फिर तो व्यवस्था भी हुई और संघर्ष के बारे में चर्चा-विचारणाएँ भी हुईं। जितने बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएँ की गई थीं उतने ही बड़े पैमाने पर संघर्ष के समाचारों के प्रसार के भी प्रयत्न किए गए। इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो रहे थे, अतः पुलिस दल भी काफी बड़ी संख्या में तैनात किया गया था। सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत सख्त थी। दूसरी ओर हमारे साथी भी इस भारी जन-समुदाय के हृदय में संघर्ष के बीज बोने के लिए कृत-संकल्प थे। अतः एक योजना बनाई गई—‘उमिया माता का संदेश’ शीर्षकवाली तथा उमिया माता की तसवीर छपी संदेश-पत्रिका की हजारों प्रतियाँ वहीं पर छापी गईं। दर्शनवाले दिन बड़ी सावधानी से आयोजन के जरिए लगभग दो सौ बाल स्वयंसेवकों ने पुलिस के कड़े पहरे के बावजूद, उन्हें भनक लगने से पहले ही, केवल पंद्रह मिनटों में ही उन हजारों पत्रिकाओं को वितरित कर दिया। यहाँ तक कि पुलिस के जवानों को भी बच्चों ने ये पत्रिकाएँ दे दी थीं। पर वे पढ़ते और सावधान होते, उससे पहले ही पत्रिका वितरण का कार्य संपन्न हो चुका था। इस पत्रिका में ललकार की गई थी—

‘हे सुपुत्रो! तुम कड़वा पारीदार, आदि काल से मुझे मातृस्वरूप मानते रहे हो और मेरा पूजन करते आए हो। फिर भी आज तुम कुप्रशासन के दास बन गए हो, कदम-कदम पर तुम्हारा अपमान हो रहा है! मेरे पुत्रों की यह दशा! कहाँ है तुम्हारा आर्यतेज? क्या तुम सभी कायर, दुर्बल और निर्वीर्य बन चुके हो? हे आर्यपुत्रो! पिछली करीब एक दशाब्दी से सरकार की कुटिल दृष्टि तुम सभी पर है। आज तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है, लिखने का अधिकार छीना जा चुका है। जिह्वा से सत्य वचन निकलते ही तुम्हें मीसा की भेंट मिल जाती है। भेड़ों के बीच रहकर आत्मगौरव खो चुके हे सिंह-पुत्रो! क्या तुम अपनी सिंह गर्जना भूल चुके हो? सिंह केसरी सरदार का संदेश भी क्या तुम्हें याद नहीं? अंग्रेजी सल्तनत को नाकों चने चबवानेवाले उस लौह पुरुष की राह को छोड़कर तुमने अपने घुटने टेक दिए हैं! मेरी इस पवित्र भूमि ऊँझा के ही मेरे चार पुत्र मीसा के चंगुल में फँसे हैं और तुम सभी प्रमाद में मग्न हो!

‘तुम्हारी कर्तव्यनिष्ठा आज कसौटी पर चढ़ी है। तुम्हें इस कसौटी पर खरा उतरना है। इसीलिए आज तुम्हें निमित्त बनने का वरदान दे रही हूँ। एकजुट होकर

कर्तव्य को निभाओ—विजयश्री की जयमाला तुम्हारे ही गले को सुशोभित करेगी।'

इस संदेश का असर हुआ। गुजरात और गुजरात के बाहर—हर जगह यह विश्वास बना कि हजारों की संख्या में उपस्थित पुलिस के बीच भी पत्रिका बाँटकर लड़ने की शक्ति को साबित कर चुके रणबाँकुरे एक-न-एक दिन तो सच की जीत करवाकर ही मानेंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस कार्य को पूर्ण करने के लिए कार्यकर्ताओं का योगदान लिया गया था। पकड़े जाने पर हर प्रकार के अत्याचार भुगतने को ये कार्यकर्ता मानसिक रूप से तो तैयार थे ही, किंतु 'उमिया माता' के नाम ने रक्षा की और पुलिस भी दुविधा में पड़ गई। कोई भी नहीं पकड़ा गया। सभी सकुशल अपने-अपने ठिकानों पर पहुँच गए। परंतु अगले दिन से ही मेले की सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई। सी.आई.डी. का दल आ पहुँचा। चारों ओर भगदड़ मची हुई थी। कहीं वह पत्रिका किसी के पास दिखाई दे जाती तो पूछताछ होती। पर बाहर से आए किसी दर्शनार्थी से भला क्या जानकारी मिलती! पुलिस की भौंहे चढ़ जातीं, बड़ा अफसर छोटे पुलिसवाले को डाँटता और फिर दोनों अपने-अपने हाथ मलते। मेले में ही योजना को मार्गदर्शन देने के लिए छद्मवेश में उपस्थित भूमिगत कार्यकर्ता पुलिस की बेचारगी देखकर अपना मनोरंजन किया करते थे।

संविधान संशोधन के विषय पर होनेवाले परिसंवादों पर सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिबंध नहीं था। अतः गुजरात में जगह-जगह पर ऐसे परिसंवादों का आयोजन किया गया। हालाँकि इस हेतु योग्य वक्ताओं का बड़ा अभाव था, क्योंकि अच्छे वक्ताओं में से अधिकतर जेलों में बंद थे। जो बाहर थे, उनमें से कई कारावास के डर से चुप्पी साधे बैठे थे। कई वक्ता भूमिगत भी थे। भूमिगत संघर्ष प्रवृत्ति से जुड़े नेताओं को खुलकर सामने न आने की हिदायत थी। अतः सर्वश्री के.डी. देसाई, एच.एम. पटेल, उमाशंकर जोशी, मावलंकर, चंद्रकांत शाह जैसे सीमित संख्या में उपलब्ध विद्वान् वक्ताओं की सहायता से कई परिसंवाद आयोजित किए गए।

श्री तारकुंडे के प्रयत्नों से आकार लेनेवाले पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी (पी.वी.सी.एल.) की अक्टूबर के अंत में दिल्ली में होनेवाली प्रथम परिषद् में शामिल होने के लिए गुजरात से सर्वश्री उमाशंकर जोशी, एम.डी. भट्ट तथा चिमनभाई सेठ दिल्ली पहुँचे। गुजरात में भी पी.वी.सी.एल. की रचना के संदर्भ में १४ नवंबर को श्री उमाशंकर जोशी की अध्यक्षता में एक सभा हुई। इस कार्यक्रम में राजनीतिक तथा गैर-राजनीतिक क्षेत्रों के करीब सत्तर कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

श्री एम.डी. भट्ट तथा 'जनतंत्र समाज' के श्री दशरथभाई ठाकुर के सह-संयोजकत्व में गुजरात में एक एडहोक कमेटी की रचना की गई, जिसने आगे चलकर पी.वी.सी.एल. की ओर से श्री सी.के. दफ्तरी, श्री सी.एम. छागला इत्यादि द्वारा 'जेल-मुक्ति अभियान' के बारे में जारी किए गए निवेदन पर गुजरात के करीब पाँच सौ प्रतिष्ठित समाज-सेवी एवं अग्रणी नागरिकों के हस्ताक्षर एकत्रित करने का अभियान चलाया था।

सत्याग्रह के बाद संघर्ष के इस दूसरे दौर में प्रजा के प्रशिक्षण और उसमें निर्भीक व्यवहार के प्रोत्साहन—इन दो बातों पर ही विशेष जोर दिया गया था। इन मुद्दों पर अधिक-से-अधिक खुलकर मत-प्रदर्शन हो, यह आवश्यक था। इस हेतु लोक संघर्ष के व्यापक कार्य को विभिन्न तरीकों से अमल में लाया गया। उदाहरणार्थ, जेल से मुक्त हुए श्री पीलू मोदी का अनेक स्थानों पर स्वागत किया गया। गोधरा में ऐसे ही एक स्वागत समारोह के कारण संघ के तीन कार्यकर्ताओं पर मीसा लगा दिया गया था। कइयों पर डी.आई.आर. के मामले दर्ज किए गए, फिर भी ये कार्यक्रम होते रहे। अंततः पुलिस थककर बैठ गई और अधिकाधिक लोग इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगे।

जेलों में बंद कार्यकर्ता भी जनहित के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। ३१ अगस्त के दिन गुजरात सरकार के भूतपूर्व मंत्री सर्वश्री पोपटभाई व्यास, केशुभाई पटेल, मोतीभाई चौधरी, भाईलाल भाई कॉण्ट्रेक्टर तथा शंकरभाई वाघेला ने महामहिम राज्यपाल को एक आवेदन-पत्र भेजकर बढ़ती हुई महँगाई तथा तेल व वनस्पति घी के अभाव की स्थिति से निपटने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने की माँग की।

४ सितंबर को जेल में कैद विधायकों ने राज्यपाल को एक आवेदन-पत्र भेजकर गुजरात में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने को लेकर अपना विरोध प्रकट किया और शीघ्रातिशीघ्र जनतांत्रिक सरकार के गठन का आग्रह किया। मीसा की आड़ लेकर गुजरात की चार महानगरपालिकाओं को भंग करने की कांग्रेसियों की कुचेष्टाओं का राजकोट के कॉर्पोरेटों ने विरोध किया। श्रीमती हेमा बहन आचार्य के नेतृत्व में राजकोट के करीब बीस कॉर्पोरेटों ने राज्यपाल महोदय से मिलकर अलोकतांत्रिक तरीकों को रोकने के लिए उनसे अनुरोध किया। ९ दिसंबर को 'अहमदाबाद शहर जनसंघ' का एक विशाल सम्मेलन हेमा बहन आचार्य की देख-रेख में आयोजित हुआ। संघ पर प्रतिबंध लगा हुआ था। निडर होने के बावजूद संघ को अपने सभी कार्यक्रम प्रच्छन्न तरीकों से करने पड़ते थे। अहमदाबाद शहर के प्रमुख कार्यकर्ता यदि बड़ी संख्या में सम्मेलन में उपस्थित हों, तभी एक नई चेतना

का संचार हो पाना संभव था। इसके लिए अहमदाबाद कैंटोनमेंट स्थित 'कैप हनुमान् मंदिर' के सामने के खुले मैदान में एक पतंग-स्पर्धा का आयोजन किया गया। इसमें संघ के तीन सौ से भी अधिक कार्यकर्ता अपनी-अपनी पतंगें लेकर आपातकाल की पतंग काटने के लिए एकत्र हुए। चार घंटों तक यह कार्यक्रम चला। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ही सरकार को यह पता चल पाया था कि संघ के प्रतिबंधित होने के बावजूद आवश्यकता पड़ने पर उसके कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में और बिना किसी को कानोकान खबर हुए एकत्र हो सकते हैं।

जेलों के अंदर—रक्षाबंधन हो या दीपावली, जन्माष्टमी हो या विजयादशमी—जेलवासियों के परिजनों की भीड़ लग जाती थी। किसी मेले जैसा दृश्य खड़ा हो जाया करता था। इस भीड़ में उपस्थित हर व्यक्ति का रिश्ता संघर्ष से था, अतः हर किसी के दिल में निरंतर एक ज्वाला-सी जलती रहती थी। संघर्ष पथ के सहप्रवासी इन साथी-परिवारों की हिम्मत ही जेल की चहारदीवारियों में घिरे सहयोगियों का मनोबल दृढ़ बनाए रख सकती है, यह बात हम भली-भाँति जानते थे। अतः इन एकत्र हुए परिजनों के बीच कुछ खास कार्यकर्ताओं को हम भेजा करते थे। ये कार्यकर्ता इन परिवारों को छोटे-छोटे दलों में एकत्र कर हिम्मत, श्रद्धा और विश्वास का संचार करनेवाली अपनी बातों के द्वारा उन सभी में नवचेतना जगानेवाला एक उत्साहपूर्ण माहौल बना देते थे। जेल में कैद अपने परिजन से मिलने का इंतजार कर रहे इन लोगों में—जेल के ही द्वार पर—चेतना का सिंचन करने की हमारी इस योजना के बारे में सरकार को कभी भी भनक तक नहीं लग सकी।

गुजरात सरकार गिरने के बाद शुरू हुए भूमिगत अभियान का ही यह एक हिस्सा था। ये सारी योजनाएँ भूमिगत होकर बनती थीं, किंतु उन पर अमल खुलेआम होता था। योजना बनानेवाले भूमिगत थे, किंतु इन योजनाओं को अमली जामा पहनानेवाले हजारों कार्यकर्ता सीना ताने खुलेआम घूम रहे थे। विभिन्न स्वरूपों में हो रहे अनेक सार्वजनिक कार्यक्रमों के अलावा कुछ ऐसे कार्यक्रम भी थे जिनका कार्यान्वयन भी संघर्ष की समाप्ति तक भूमिगत तरीके से ही किया गया। इन कार्यक्रमों के बारे में आगे जानकारी दी गई है।

□

प्रकरण-२०

विदेशों में विरोध

भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए विदेशों में भी कई प्रयत्न हो रहे थे। विदेशों में हो रही इन प्रवृत्तियों से गुजरात का संबंध शुरू से ही रहा था। आपातकाल का शुरुआती दौर अपेक्षाकृत कम जटिल था; इसके अलावा, विदेशों में रहते हुए भी आपातस्थिति के खिलाफ चल रहे संघर्ष में अपना योगदान देनेवाले अनिवासी भारतीय परिवारों में गुजराती परिवारों की संख्या विशेष थी। डॉ. स्वामी की विदेश-यात्रा से वहाँ की संघर्ष प्रवृत्ति को और भी बल मिला था। इस आंदोलन से उठ रहा विश्वव्यापी प्रभाव संघर्ष के लिए बहुत पूरक सिद्ध हो रहा था। गुजराती परिवारों के सर्वाधिक योगदान को देखते हुए यह अति आवश्यक हो गया था कि गुजरात का कोई प्रतिनिधि विदेश जाए और उनसे मिले। गुजरात सरकार के गिरने से पहले ही इस बारे में योजना बना ली गई थी। श्री मकरंदभाई देसाई को गिरफ्तारी से बचते हुए विदेश पहुँचना था। वह मोरचा सरकार के मंत्री रहने के अलावा जनसंघ के एक अच्छे कार्यकर्ता भी थे। केंद्रीय नेताओं की ओर से उन्हें संदेश मिलते ही उन्होंने इस आह्वान को स्वीकार कर लिया। आदेश यह था कि गुजरात सरकार के गिरने की स्थिति में ही वे विदेश जाएँगे। जैसा कि सभी को अंदेशा था, सरकार के पतन की स्थिति आ पहुँची थी। इस पूरे आयोजन की जानकारी गुजरात के कुछ गिने-चुने कार्यकर्ताओं के साथ-साथ मकरंदभाई की पत्नी को भी थी। अतः सरकार के गिरते ही तुरंत मकरंदभाई ने अपने घर टेलीफोन किया और केवल इतना कहा कि 'योजना के अनुसार मैं जा रहा हूँ।' उन्हें श्रीमती नीला बहन का निर्भीक स्वर में प्रत्युत्तर मिला, 'ओके, वेस्ट ऑफ लक!'

देश-हित के लिए काम करते हुए कई बार वैयक्तिक भावनाओं को कितनी

कठोरता से कुचलना पड़ता है! नेताओं द्वारा बनाई गई योजना को लक्ष्य तक पहुँचाने और खुद पर रखे गए विश्वास पर खरा उतरने को तत्पर एक आदर्श कार्यकर्ता का कितना आदर्श उदाहरण थे वे! अपने माता-पिता के लिए हृदय में परम श्रद्धा होने के बावजूद मकरंदभाई ने विदेश जाने की बात उन्हें भी नहीं बताई थी। विदा होने की वेला पर भी अपनी अर्द्धांगिनी तक से मिलने से उन्होंने अपने आपको संयत कर लिया था। कल को क्या होगा, कौन जानता था? विदेश जाने के बाद कौन जाने कब वापसी होगी? परिवार पर क्या गुजरेगी? इनमें से किसी भी प्रश्न को उन्होंने अपना मनोबल डिगाने की अनुमति नहीं दी थी। अरे, सारा कुछ कुरबान हो जाए, किसे परवाह है! बस, इसी दृढ़ निर्णय के साथ केवल तन पर पहने कपड़ों के साथ वे गांधी नगर से ही बंबई पहुँचे। हम सभी साथियों ने उन्हें विदाई दी। बंबई में संघ के भूमिगत नेता श्री माधवरावजी मुळे, श्री मोरोपंतजी पिंगळे एवं श्री लक्ष्मणरावजी इनामदार से आवश्यक विचार-विमर्श कर वे लंदन पहुँच गए।

श्री मकरंदभाई की पत्नी श्रीमती नीला बहन की हिम्मत भी सराहनीय थी। आनेवाले संकटों का अंदाजा उन्हें भी था। जीवनसाथी से दोबारा कब मिलना होगा—नहीं पता था। परिवार की सारी जिम्मेदारी उन्हें अकेले ही निभानी थी। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद विदाई के क्षणों में उनका व्यवहार भारत के भव्य भूतकाल का ही स्मरण करा रहा था। बारहवीं या पंद्रहवीं शताब्दी की कोई क्षत्राणी समरांगण में संग्राम हेतु जा रहे अपने योद्धा पति को अपने हाथों से तलवार देकर हँसते हुए जिस प्रकार विदा करती थी, बिलकुल उसी अंदाज में आज एक आधुनिक गुजरातन नवयौवना, परिवर्तन के लिए आरंभ हुए समर्पण-यज्ञ की बलिवेदी की ओर जा रहे, अपने सुहाग को शुभकामनाएँ देते हुए हँसते हुए विदा कर रही थी—विजय के विश्वास के साथ।

२६ अप्रैल को लंदन में आयोजित 'फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इंटरनेशनल' की प्रथम अंतरराष्ट्रीय परिषद् में श्री मकरंदभाई ने विशेष अतिथि का पद ग्रहण कर विदेश में भारतीयों को संगठित करने का श्रीगणेश किया। सम्मेलन में एफ.आई.एस.आई. के महामंत्री पद के लिए उनका चयन किया गया।

विदेश में चल रही गतिविधियों में, स्वाभाविक रूप से, खर्च भी अपेक्षाकृत अधिक हो रहा था। अनेक प्रकार की गतिविधियों को एक साथ चलाते समय आर्थिक समस्याएँ तो आनी ही थीं, किंतु केन्या में रहनेवाले भारतीयों ने कभी भी धन की कमी को संघर्ष की राह का रोड़ा नहीं बनने दिया। केन्या एवं नैरोबी में

बसनेवाले गुजराती परिवार भी लोकतंत्र की रक्षा हेतु हो रहे इस युद्ध के लिए भामाशाह की भूमिका अदा करने लगे। सर्वश्री चुनीभाई हरिया, अश्विन मांकड, मणिकभाई रुगाणी, तनसुख पोटा इत्यादि कई मित्रों ने केन्या, नैरोबी में नवजागृति की ज्योति जलाने के साथ ही आर्थिक सहायता की भी झड़ी सी लगा दी थी।

विदेशों से चल रहे संघर्ष आंदोलन का केंद्र लंदन था। नवसारी के श्री रमणभाई खत्री, जो कि लंदन में रहकर अपना घड़ीसाजी का व्यवसाय चला रहे थे, का घर इस आंदोलन का संपर्क केंद्र बन चुका था। लंदन के प्रमुख अखबार भी संघर्ष समाचारों को जानने के लिए श्री रमणभाई से संपर्क करते। उनके परिवार का हर सदस्य इस संघर्ष में अपना योगदान दे रहा था। रमणभाई का एक युवा और साहसिक पुत्र लंदन में आयोजित होनेवाले भारत से संबंधित हर कार्यक्रम में पहुँच जाया करता था। यहाँ तक कि भारत से आए कांग्रेसी मंत्रियों द्वारा लंदन के अग्रणी नागरिकों के साथ की जानेवाली भेंट-मुलाकातों में भी वह बिना आमंत्रण के ही पहुँच जाता और आपातकाल की पोल खोलनेवाले सवालियों की बौछार कर देता। बेचारे कांग्रेसी नेताओं के हाथों के तोते उड़ जाते।

अश्विन के साथ एक और कार्यकर्ता श्री भूपेंद्रभाई भी कंधे-से-कंधा मिलाकर काम करते थे। उनपर अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी होने के बावजूद संघर्ष कार्य के लिए वे सदा तत्पर रहते। श्री भूपेंद्रभाई की बेटी कल्पना बहन भी अपनी ओर से हर प्रकार की सहायता करने को हमेशा तैयार रहती थी।

लंदन में भी अकसर छोटे-बड़े प्रदर्शनों, जैसे आंदोलनात्मक कार्यक्रमों, द्वारा भारत पर आन पड़ी आपत्ति की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करने के प्रयत्न किए गए। इन आंदोलनात्मक कार्यक्रमों के संचालन की सारी जिम्मेदारी मूलतः गुजरात के खेड़ा जिले के तथा सालों से लंदन में स्थायी हुए श्री जयंतीभाई पटेल ने निभाई थी। विदेश में ही जिनका जन्म हुआ था तथा अब तक जिन्होंने अपनी मातृभूमि के दर्शन तक न किए थे वैसे एक भारतीय शरद शाह ने लगातार एक साल तक इस संघर्ष अभियान में अपना योगदान दिया। युगांडा से आकर लंदन में स्थायी रूप से बसे सर्वश्री गिरीशभाई पटेल, जे.सी. पटेल, हसमुख पटेल इत्यादि भी अपना योगदान देने को हमेशा तत्पर रहे। एक संदेश मिलते ही श्री हसमुख पटेल तथा श्री जे.सी. पटेल ने श्री मकरंदभाई की विदेश-यात्रा के लिए टिकटों की व्यवस्था कर दी थी।

बी.बी.सी., लंदन के हिंदी प्रसारणों के माध्यम से नाम कमानेवाले श्री रत्नाकर भारतीय की पत्नी श्रीमती पूर्णिमा बहन, जो कि भावनगर के गुजराती

परिवार से थीं, ने संघर्षरत देशभक्तों के स्वागत-सत्कार में कभी कोई कमी नहीं आने दी थी।

लेस्टर में रहनेवाले गुजराती बंधु श्री कोटेचा बड़े ही भावुक सज्जन थे। वे संघर्ष में अपना अधिक-से-अधिक योगदान देने को सदा तत्पर रहा करते थे। शुरू-शुरू में अपनी व्यस्तता के कारण वे अधिक समय नहीं दे पाते थे, जिस बात का उन्हें बहुत खेद रहा करता था। अतः उन्होंने रात्रिकालीन एक नौकरी खोज ली। वे रात को नौकरी करते और दिन में संघर्ष के कार्य में हाथ बँटाते। रात-दिन काम करने से होनेवाली परेशानियों की उन्होंने कभी परवाह नहीं की। बस अपने अभियान में वे अविराम लगे रहे।

श्री मकरंदभाई के संपादकत्व में पहले अमेरिका से और बाद में अमेरिका से एक अंग्रेजी पाक्षिक 'सत्यवाणी' का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। लंदन निवासी एक गुजराती ने अपने नए प्रिंटिंग प्रेस का उद्घाटन 'सत्यवाणी' का प्रथम अंक छापकर किया।

'सत्यवाणी' के लिए समाचार सामग्री भारत से भेजी जाती थी। उसी प्रकार से 'सत्यवाणी' की सैकड़ों प्रतियाँ भारत पहुँच जाया करती थीं। इसके अलावा, दुनिया भर के जिस किसी भी अखबार में भारतीय संघर्ष से संबद्ध समाचार छपते, उन समाचारों की फोटो प्रतियाँ भी भारत को उपलब्ध करवा दी जाती थीं। दुनिया के सभी अखबारों को मँगवाना तो संभव नहीं था, अतः एक विशेष योजना बनाई गई। लंदन में रहनेवाले भारतीय परिवारों के बच्चों को लंदन के एक-एक पुस्तकालय में जाने का काम सौंप दिया गया। उन्हें नियमित रूप से अपने जिम्मे सौंपे गए पुस्तकालय पहुँचकर वहाँ उपलब्ध हर समाचार-पत्र को देखना होता था। जहाँ कहीं भी भारत से संबंधित समाचार उन्हें दिखाई देते, वे तुरंत पुस्तकालय में उपलब्ध फोटो स्टेट सुविधा (जिस प्रकार हमारे यहाँ के रेलवे स्टेशनों पर वजन मशीनें होती हैं, उसी प्रकार लंदन के पुस्तकालयों में फोटो स्टेट मशीनें होती हैं, जिनमें निश्चित कीमत का सिक्का डालकर आवश्यक लेख की फोटो स्टेट प्रति प्राप्त की जा सकती है।) का उपयोग कर उसकी प्रति निकलवा लेते। इन प्रतियों को एकत्र कर भारत भिजवा दिया जाता था। भारत में इस साहित्य की आवश्यकतानुसार प्रतियाँ बनवाकर यथा-संबंधित व्यक्तियों तक उन्हें पहुँचा दिया जाता था। विदेशों में बसे गुजरातियों का संघर्ष के प्रति उत्साह दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, अतः उनपर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए भारत से कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा दो गुजराती अग्रणियों—श्री हितेंद्रभाई देसाई तथा श्री जयसुखलाल हाथी को इंग्लैंड

भेजा गया। श्री देसाई को वहाँ की कई संस्थाओं द्वारा साझे मंच पर आमंत्रित किया गया, जिसमें श्री मकरंदभाई देसाई तथा श्री हितेंद्रभाई देसाई को संघर्ष के पक्ष-विपक्ष में अपना वक्तव्य देना था; किंतु हितेंद्रभाई इसके लिए हिम्मत नहीं जुटा सके। हितुभाई और श्री हाथी ने अपने लिए अलग से कार्यक्रमों का आयोजन करवाया; परंतु इन कार्यक्रमों में भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, बल्कि कई बार तो उनकी फजीहत ही हुई। अतः कुछ समय बाद उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रमों में जाना ही छोड़ दिया। बुलंद हौसले के साथ लंदन पहुँचे बेचारे हितेंद्रभाई को अपनी शेष इंग्लैंड-यात्रा के दौरान बहुधा भूमिगत ही रहना पड़ा।

कुछ दिनों बाद श्री मकरंदभाई ने अमेरिका को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। अब 'सत्यवाणी' का प्रकाशन अमेरिका से होने लगा। अहमदाबाद के खाड़िया के मेहता परिवार ने (सर्वश्री महेश मेहता, सुभाष मेहता, रागिणी बहन इत्यादि) अमेरिका में मकरंदभाई की यजमानी की। न्यूजर्सी स्थित महेशभाई का निवास-स्थान विदेश में चल रहे संघर्ष अभियान का एक और केंद्र बन गया। अमेरिका में रहनेवाले पारसी सज्जन डॉ. फारूक प्रेसवाला ने भारतीय जेलों में कैद नागरिकों पर होनेवाले जुल्मों की विस्तृत जानकारी 'संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संघ' के समक्ष प्रस्तुत की। इस जानकारी में जुल्म का शिकार हुए नागरिक का नाम, उम्र, जिस जेल में उसपर जुल्म हुए थे उस जेल का या थाने का पता, जुल्म की तारीख और जुल्म के तरीकों इत्यादि का विस्तृत ब्योरा दिया गया था। भूमिगत संपर्क व्यवस्था के माध्यम से ही यह सारी जानकारी अमेरिका भेजी गई थी और यह जानकारी इतनी सटीक थी कि उसे झुठलाने के लिए सरकार की कोई बहानेबाजी नहीं चल सकती थी।

श्री महेश मेहता का परिवार अमेरिका में चल रहे संघर्ष कार्य में सदा आगे रहा था। उस परिवार के साथ ही रहनेवाली एक बहन अंजलि पंड्या स्वयं एक सर्जनात्मक प्रतिभावाली व्यक्तित्व थीं, अतः 'सत्यवाणी' के प्रकाशन में उनका विशेष योगदान हुआ करता था। अंजलि बहन भी मूलतः खाड़िया की ही थीं। वे बहुत संवेदनशील थीं। घर से दूर होने के बावजूद निडर होकर इस दूसरे दौर के स्वातंत्र्य-संग्राम में वे अपना सक्रिय योगदान दे रही थीं; फिर भी असंतुष्टि का एक भाव सदा उनके मन को कचोटता रहता था, क्योंकि अब तक लक्ष्य-प्राप्ति जो नहीं हुई थी—देश की पीठ में अपनों द्वारा ही घोंपा गया खंजर अभी ज्यों-का-त्यों था। अतः एक मासूम बच्चे की भाँति ईश्वर से रुष्ट होकर उन्होंने एक प्रण ले लिया— 'जब तक बेड़ियाँ नहीं हटेंगी, मैं भोजन में चावल नहीं लूँगी!' अपने सबसे प्रिय

भोजन का उन्होंने त्याग कर दिया। कोई कुछ खाना छोड़ दे या शुरू कर दे, इस बात का कोई महत्त्व नहीं है, महत्त्व है ऐसे प्रण के भीतर निहित भावना का—ऐसी भावना, जिसे भारतीय संस्कृति को जाननेवाला ही समझ सकता है।

अहमदाबाद के वतनी तथा न्यूयॉर्क स्टेट के जाने-माने डॉक्टर मुकुंदभाई मोदी ने अपनी कमाई से अधिक महत्त्व संघर्ष में अपने योगदान को दिया। छोटे-बड़े हर कार्यक्रम में वे बिना विलंब उपस्थित रहते।

श्री मुकुंदभाई ने संघर्ष में सक्रिय रहने के साथ-ही-साथ अमेरिका में चल रही इस संघर्ष प्रवृत्ति के लिए भामाशाह की भूमिका भी अदा की। उन्होंने संघर्ष के लिए अपनी ओर से एक लाख रुपयों की सहायता की थी। विदेश में रहनेवाले भारतीयों में 'फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इंटरनेशनल' का नाम इतना प्रचलित हो चुका था कि बोस्टन के कुछ युवाओं ने स्वयं ही अमेरिका में इस संस्था की शाखा शुरू कर दी। अमेरिका में बड़ी संख्या में बसे गुजराती परिवारों में से सभी ने अपना-अपना योगदान दिया था। डॉ. हसमुख शाह तथा सर्वश्री अशोक झवेरी, कला झवेरी, मधु उपाध्याय अमेरिका में एफ.आई.एस.आई. का कार्यालय सँभाला करते तो प्राणजीवन पटेल, महेश शाह, जयंत शाह इत्यादि कई गुजराती बंधुओं ने इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। श्री बाबूभाई ज. पटेल के शिकागो निवासी सुपुत्र किरीट पटेल एवं वडोदरा के श्री चंद्रकांत मेहता के सुपुत्र ने भी संघर्ष में अपना सहयोग दिया था।

अन्य देशों में बसनेवाले गुजराती भी पीछे नहीं रहे थे। हांगकांग के श्री अनिल पोथ एफ.आई.एस.आई. के उपाध्यक्ष का कार्यभार सँभालते रहे। तांझानिया के श्री बाबूभाई पटेल का योगदान भी उल्लेखनीय रहा था। इस प्रकार भारत के इस क्रांतिकारी संघर्ष में विदेशों में बसे सभी भारतीयों ने सक्रियतापूर्वक अपनी भूमिका निभाई थी। दूर रहने के बावजूद भारत माता की सेवा कर सभी कृतार्थ हुए थे।

□

भूमिगत हो सबसे पहले विदेश पहुँचनेवाले भूमिगत नेता का नैरोबी से मेरे नाम भेजा सांकेतिक पत्र

१३०

पूज्य ~~...~~ जी सादर-व्यरण-स्पर्श।
आशा है आप सभी समुदाय सानंद होंगे।
आपका मेरे पत्रके जल्दो पत्र पाकर मैं बहुत
सन्तान का प्रकाशन पुनः प्रारंभ हुआ यह
पानकर यह सभी को प्रसन्नता हुई। आशा है
आका प्रेषण सक्षम होकर जल्दो पत्रके
के पत्रपर प्रारंभ हो जायेगा। उक्त कृतक
जो पुराने दिनांकमें है मैं नहीं लेगा अथवा
उसकी व्यवस्था भी करता हूँ। बगैरे यह
कृपया फिर है। ताकि जैसी व्यवस्था यहाँ
कर सकेगे।

इहाँके प्रमुख समाचार पत्रों
में उल्लेख कुछ समाचार उपलब्ध हैं।
आपके नामने आप-बाहेरों तो बड़े आसक्त
हैं।

जो समाचार पत्रों में समाचारों को
पाठ पहुंचाये यह कोष पत्र-पत्र।
उक्त काय उक्त नाम केतनी ही उतरी
सीधी उतरी उक्त उतरी। क्रिया -
प्रतिनिधि ले चलती ही रहती है। उतरी
प्रत्यक्ष के नाम उतरी में आने रहता है।

अब समाचार का यही समाचार है।

। यहाँसे अपने परिचित कुछ विचारों का एक
मेरेक भाषण-समिति-समिति (Tamil Nadu)
के माध्यमसे भेजा है। मैं ही... के
कार्यकर्ता हूँ। आपके उतरी हो सकेगे तो
तो भाषण होगे। उक्त उतरी नाम-...
पत्र, नैरोबी, निरोबी, दोषी।
आदि। मैं ही पाठों तो १०० है। पाठों में
उक्त अपने पाठों ही आकर है। उक्त कृतक
आपको भी प्रसन्नता होगी। मैं ही उतरी उतरी
... उतरी प्रकाशन है। उतरी उतरी
पुरोग्रह नामका आरम्भ माध्यमों में रहेगा।
... उतरी उतरी उतरी उतरी उतरी
उक्त उतरी उतरी उतरी उतरी उतरी
... उतरी उतरी उतरी उतरी उतरी
अपने ही संसदीय है ही।

शेष सब प्रमुख समाचार पत्रों में
हैं उतरी न ही उतरी उतरी उतरी उतरी
उतरी उतरी उतरी उतरी उतरी उतरी
... उतरी उतरी उतरी उतरी उतरी

पुस्तक महा उतरी उतरी
उतरी उतरी उतरी उतरी उतरी
उतरी उतरी

कृपया समाचारों
को

विदेश से श्री मकरंदभाई द्वारा भूमिगत व्यवस्था-तंत्र के माध्यम से भेजा गया पत्र

मकरंद देसाई

भाई श्री नरेंद्र,

आपका पत्र पढ़कर बहुत खुशी हुई, ऐसे ही लिखते रहना। हमें समाचार मिलते रहेंगे तो हमारे काम सरल होंगे; खासकर प्रमुख समाचार एवं घटनाओं की जानकारी मिलती रहे जो हमारे संघर्ष से संबंधित हों। विशेष रूप से आपातकाल की असफलता के बारे में जो भी समाचार हों वे भिजवाएँ, ताकि हम अपने समाचार-पत्र 'सत्यवाणी' में प्रकाशित कर यह जानकारी दुनिया को दे सकें।

विश्व मत को अपने पक्ष में लेने का काम चल रहा है, लोगों की मानसिकता में अंतर आया है। मगर सरकार द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को स्वीकार्यता नहीं मिल रही। भारत सरकार के मंत्री अथवा सरकार के प्रतिनिधि, जो यहाँ विदेशों से आते हैं, उनका बहिष्कार अपने कार्यकर्ताओं द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। भारतीय मूल के लोगों में Friends of India Society प्रसिद्धि पा रही है। कुछ ही समय में ३०-४० देशों में इस संस्था का काम फैल जाएगा। अखबारों, रेडियो एवं टी.वी. द्वारा अपनी विचारधारा को समर्थन मिल रहा है।

इस कार्य में पटेल पाटीदार समाज का समर्थन मिले, इसके लिए अच्छा होगा कि आप गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय बाबूभाई जसभाई पटेल से इन लोगों को तत्काल पत्र लिखवाएँ, जिसमें इस समय भारत में आपातकाल के बारे में सच्ची जानकारी तथा सत्य के लिए लड़ाई लड़ रही Friends of India Society को मदद देने की पेशकश हो। इस कार्यवाही को शीघ्रताशीघ्र करें तो अच्छा होगा।

अपने श्री केशुभाई को भी समाचार बताइएगा। पत्र लिखने की प्रेरणा भी दीजिएगा, ताकि एक पत्र तो लिखें। शंकरसिंहजी को भी हम सब याद करते हैं, किसे-किसे याद नहीं करते!

सबको प्रणाम।

आनेवाली २६ जून को विश्वव्यापी कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसकी विस्तृत जानकारी आपको बाद में भेजेंगे।

आप अपनी तरफ से अधिक-से-अधिक पते हमें भेजिए, जिन पर हम 'सत्यवाणी' समाचार पत्रक भेज सकें। वडोदरा में मेरे घर से संपर्क बनाए रखें। पत्र मिले तो जवाब दीजिएगा।

C/o
88 FRIARS WOOD
FOREST DALE
PIXTON WAY
CROYDAN SURREY (ENGLAND)

मकरंद भाई का वंदन

श्री मकरंदभाई का पत्र

१६/७/७६

भाई श्री नरेंद्र,

आपको पत्रों के माध्यम से जानकारीयाँ मिलती रहती हैं। आपके आयोजन और व्यवस्था सुंदर हैं। वहाँ की जानकारी जो हमें मिलती है वे हम अखबारों में प्रसारित कराते हैं; उन्हीं समाचारों को बी.बी.सी. अपने प्रसारण में सम्मिलित कर लेता है। अतः समाचार तत्काल मिले, यही विषय महत्त्व का है।

आनेवाली २६ तारीख को स्थानांतरित जज श्री सेठ ने गुजरात उच्च न्यायालय में अपील की है, उसकी सुनवाई से संबंधित जो भी समाचार हों, शीघ्रातिशीघ्र भेजें। 'साधना', 'भूमिपुत्र', बचाणी, मच्छर वगैरह की जानकारी मिली। यह सब 'सत्यवाणी' में छपेगा और 'सत्यवाणी' अधिक-से-अधिक भारत में पहुँचाने का प्रयास करेंगे। 'सत्यवाणी' को 'साधना' और 'भूमिपुत्र' के रूप में स्वीकार करें। 'सत्यवाणी' के लिए भारत के अधिक-से-अधिक पते हमें मिल जाएँ तो इसे भेजने में आसानी होगी।

संलग्न पत्र मान. बाबूभाई के लिए है, जिसमें जे.पी. की बिहार यात्रा एवं विनोबा भावे के साथ उनकी भेंट के संस्मरण महत्त्वपूर्ण हैं। बढ़ती महँगाई लोगों के लिए बड़ी मुश्किल के रूप में सामने आ रही है, यह भी महत्त्वपूर्ण समाचार है। वहाँ के सही समाचार यदि मिलेंगे तो ही यहाँ के अखबारों में छपने में हमें आसानी होगी। यहाँ अखबारों में समाचार छपवाने में कठिनाई आ रही है, परंतु सही समाचार मिले इसके लिए लोग आतुरता से प्रतीक्षा में रहते हैं।

हितेंद्रभाई के साथ यहाँ दुर्व्यवहार हुआ है, इसकी जानकारी आपको वहाँ मिली ही होगी। यहाँ के लोगों का मानना है कि भारत का शासन पक्ष अस्थिर है, इसलिए यह आपातस्थिति लंबे समय तक लागू नहीं रख पाएँगे। यहाँ आ रहे यात्री भी आपातकालीन स्थितियों के बारे में जानकारी देते हैं। पहले तो वे प्रशंसा करते थे, परिस्थितियों की सच्चाई अब लोगों को मालूम पड़ रही है, ऐसा लगता है। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, बताइएगा। पत्र लिखते रहिएगा।

२६ तारीख के जनता मोर्चा के अधिवेशन के फोटो व विवरण भिजवा दीजिएगा।

—मकरंद

श्री मकरंद देसाई का पत्र

भाई श्री नरेंद्र,

पत्र मिलने से अनेक कुशंकाएँ दूर हुईं। चिंता थी कि आप सब मित्र भी अंदर तो नहीं हो गए। आपकी सूचनाएँ पढ़ीं, सब मान्य हैं। यहाँ आने के बाद अखबार प्रारंभ करने में कुछ बाधाएँ आ रही थीं, अभी नियमित रूप से इसका प्रकाशन होगा। आपके भेजे हुए पते मिलेंगे। अधिकाधिक प्रतियाँ भेजने का जो अनुरोध आपने किया है, वह भी स्वीकार्य है।

जितने भी उपयोगी लोग हैं, उनको समाचार-पत्र पहुँचाने का हमारा प्रयास है। इसलिए अधिक-से-अधिक पते हमें भेजते रहिएगा, उसमें संकोच मत कीजिएगा। कष्ट यह है कि गुजरात के बाहर के पते हमें नहीं मिल पा रहे हैं, आप उन्हें भेज सकेंगे? अपने सभी साथी जैसे बाबूभाई, 'संदेश', 'फूलछाब' एवं ऐसे ही अन्य लोगों की मदद से महत्वपूर्ण पते मिल पाएँ, जिन्हें हम अपना अखबार भेज सकें।

वहाँ से नियमित न्यूज लेटर हमें नहीं मिल रहा है और पत्रकार बंधुओं द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसकी एक प्रति यहाँ हमें मिले तो उसको प्रकाशित करने में सुविधा होगी। हम उस रिपोर्ट को यहाँ के सभी समाचार-पत्रों के संपादकों एवं नेताओं के पास भेज पाएँगे। इसलिए अधिक-से-अधिक पत्रकार हमें समाचार-समीक्षा आदि के पत्रक भेजें तो अच्छा होगा।

मदद हेतु वहाँ से आने-जानेवाले किसी के माध्यम से अथवा अन्य किसी नियमित व्यवस्था, जो आप तय करना चाहें, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। वडोदरा के मित्रों को भी पत्र लिखने की प्रेरणा देना, ताकि मैं घर के अतिरिक्त उनसे भी सीधा संपर्क कर सकूँ।

अपने सभी मित्रों को संपर्क में रखकर मुझे मार्गदर्शन देते रहिएगा। कई बार ऐसा लगता है कि भले ही मुझे जेल में जाना पड़े, लेकिन मैं साक्षात् रूप से आपातस्थिति का परिचय पा सकूँ, इसलिए अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, अधिकारियों से विचार-विमर्श करके जानकारी देते रहिएगा।

लंबी लड़ाई के लिए समाचार-पत्र के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ करना होगा, उसके बारे में भी कुछ सोचिए। आकाशवाणी के माध्यम से विचारों को प्रसारित करने का विचार भी मन में आ रहा है; पर उसे कौन, कब, कैसे, कहाँ करेगा, इसकी भी भूमिका

तैयार करें, हम उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, यह बताइएगा।

यहाँ आपातकाल के बारे में लोगों का विचार बदल चुका है, ऐसा लग रहा है। सबका यह मानना है कि भारत सरकार ने स्वार्थवश यह कदम उठाया है, जो भविष्य में भारत के लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए अपना प्रचार-संगठन मजबूत होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। खासकर अपने सभी मित्र खूब उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। सामान्यतया भारतीय मूल के लोग यहाँ की सरकार उनके खिलाफ कोई कदम न उठाए, इसलिए खुलकर सामने नहीं आ रहे, पर परोक्ष रूप से हमारी मदद कर रहे हैं।

अभी मैं यहाँ स्थायी हो जाऊँगा तो कार्य शीघ्रतिशीघ्र गतिपूर्वक प्रारंभ कर दूँगा।

आप निरंतर पत्र लिखना न भूलिएगा। मेरे लिए सूचनाएँ भेजते रहिएगा। अपने मित्रों के द्वारा मुझे क्या करना है, ऐसे सुझाव हों तो भेजिएगा। कांग्रेस के आंतरिक समाचार क्या हैं? अपने मोर्चे के बाकी घटकों के साथ कैसा चल रहा है? कार्यक्रम की दृष्टि से आगे क्या है?

'एयर लेटर' द्वारा पत्र लिखकर पैसे क्यों नहीं बचाते? पत्र मिलते ही पत्र लिखिएगा।

—मकरंद

श्री मकरंद देसाई के संपादकत्व में विदेश से
प्रकाशित पत्र 'सत्यवाणी'

SATYAVANI
VOICE OF TRUTH
FRIENDS OF INDIA SOCIETY INTERNATIONAL PUBLICATION
Vol 1 No 11
ISSUED IN 1957

WARM WELCOME FOR MUKHERJI
A PERSONAL LIBRARY
VOICE OF TRUTH
FRIENDS OF INDIA SOCIETY INTERNATIONAL PUBLICATION
Vol 1 No 11
ISSUED IN 1957

ELECTION CAMPAIGN
JANAKI PARTY LAYS OUT POLITICAL PROGRAM
WARM WELCOME FOR MUKHERJI
FRIENDS OF INDIA SOCIETY INTERNATIONAL PUBLICATION
Vol 1 No 11
ISSUED IN 1957

SATYAVANI
VOICE OF TRUTH
FRIENDS OF INDIA SOCIETY INTERNATIONAL PUBLICATION
Vol 1 No 11
ISSUED IN 1957

ELECTIONS
FRIENDS OF INDIA SOCIETY INTERNATIONAL PUBLICATION
Vol 1 No 11
ISSUED IN 1957

REFLECTIONS
QUESTIONS IN A FREE COUNTRY
FRIENDS OF INDIA SOCIETY INTERNATIONAL PUBLICATION
Vol 1 No 11
ISSUED IN 1957

SATYAVANI
VOICE OF TRUTH
FRIENDS OF INDIA SOCIETY INTERNATIONAL PUBLICATION
Vol 1 No 11
ISSUED IN 1957

THE GROWING TOGETHERNESS
LET THE PEOPLE SPEAK
FRIENDS OF INDIA SOCIETY INTERNATIONAL PUBLICATION
Vol 1 No 11
ISSUED IN 1957

SATYAVANI
VOICE OF TRUTH
FRIENDS OF INDIA SOCIETY INTERNATIONAL PUBLICATION
Vol 1 No 11
ISSUED IN 1957

AROUND THE ELECTIONS:
THE NEW S-PHASE PLAN
PEOPLE'S UNDER FOR OUR LIBERTIES
FRIENDS OF INDIA SOCIETY INTERNATIONAL PUBLICATION
Vol 1 No 11
ISSUED IN 1957

A Time Bunch Takes Away In India
DREAMS OVER SHORELINES
FRIENDS OF INDIA SOCIETY INTERNATIONAL PUBLICATION
Vol 1 No 11
ISSUED IN 1957

WHAT DO WE WANT?
FRIENDS OF INDIA SOCIETY INTERNATIONAL PUBLICATION
Vol 1 No 11
ISSUED IN 1957

विदेशी अखबारों और पत्रिकाओं में छपनेवाले भारतीय संघर्ष से संबंधित समाचारों की भारत भेजी गई कटिंग्स

Standard Tribune
 Published with The New York Times and Washington Post
 From the American Bureau September 17, 1976

Dictatorship in India

FRIENDS OF INDIA SOCIETY
 (INTERNATIONAL) PRESS RELEASE

10, Junction Road, London E.15. 7th September, 1976.

Police in India Continue to Make Political Arrests, But Many Critics Are Believed to Have Been Freed





WALK FROM PUNE AND DELHI TO NEW YORK FOR HUMAN RIGHTS SEPTEMBER 20-OCTOBER INDIANS

F.I.S.I. has decided to celebrate Mahatma Gandhi's 76th anniversary on Saturday 2nd October 1976 with a show and supporters gathering at Tavistock Square in London.

PROTEST POLITICAL REPRESSION IN INDIA
 Saturday June 26

Programme:
 assembly 10 am
 march 11 am
 vigil 11.30 am

Assembly at 10 am at 4, 5 & 6, OFFICE ALL-INDIA'S OFFICE, LONDON.

March to NEW INDIAN CONSULATE at 11 am.

Vigil at 11.30 am in CHURCH, 10, JUNCTION ROAD, LONDON.



FRIENDS OF INDIA SOCIETY
 NEWS AND VIEWS
 (IN ENGLISH)
INDIAN EMERGENCY

Dr. J. S. ...
 Raja Gopal, who used to hold only ...
 the Indian ...
 the ...
 the ...
 the ...

PUBLIC MEETING 2pm
 ONE YEAR OF THE EMERGENCY IN INDIA

Fernandes in chains attacks dictatorship

SATYA - VAI
 VOICE OF TRUTH

12th June 1976

IP LAUNCHES A UNITED CHALLENGE TO CONGRESS

Perpetuating dictatorship

Newsweek
 'It Amounts to a Coup'

...
 ...
 ...

* आपातकाल में गुजरात *

प्रकरण-२१

संघर्ष में बुद्धिजीवियों की भूमिका

आपातकाल के लोकतंत्र बचाओ संघर्ष में गुजरात के न्याय-तंत्र ने भी अपनी अनूठी भूमिका निभाई थी। देश भर में डी.आई.आर. के तहत पकड़े जानेवाले कार्यकर्ताओं की जमानत किसी हालत में स्वीकार नहीं होती थी, जबकि गुजरात में उस दौरान पकड़े गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं अन्य प्रतिबंधित संगठनों के कार्यकर्ताओं की जमानतें तत्काल मंजूर कर दी गई थीं। अदालती काररवाई के बाद इन सभी कार्यकर्ताओं को निर्दोष घोषित कर मुक्त कर दिया गया था। संघ पर प्रतिबंध लगाने के बाद संघ के गुजरात मुख्यालय को सरकार ने जब्त कर लिया था। यह स्थल 'डॉ. हेडगेवार स्मारक समिति' की संपत्ति था, अतः ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ वणीकर ने अपनी संपत्ति पुनः प्राप्त करने के लिए अदालत में आवेदन किया। विद्वान् न्यायमूर्ति श्री दामाणी ने सुनवाई के बाद सरकार की अधिग्रहण काररवाई को अनुचित घोषित कर यह आदेश दिया कि मकान का कब्जा ट्रस्ट को लौटा दिया जाए। प्रतिबंधित संस्था 'जमाअत-ए-इसलामी' ने गुजरात उच्च न्यायालय में संस्था पर लादे गए प्रतिबंध के खिलाफ एक याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई के लिए अदालत ने अनुमति दी थी।

२६ जुलाई को अहमदाबाद के नारणपुरा इलाके में आयोजित एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करनेवाले वक्ताओं पर पुलिस ने सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने का आरोप लगाया था; किंतु विद्वान् न्यायमूर्ति श्री दामाणी ने वक्ताओं को निर्दोष मानते हुए अपना निर्णय दिया था कि 'जनता शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से यदि सरकार से अपनी नीति बदलने की माँग करती है तो यह जनता का हक है, उसका मूलभूत अधिकार है और इसलिए जिनपर आरोप लगाया गया है उन लोगों

ने सरकार की नीतियों को बदलने के उद्देश्य से जनमत बनाने हेतु जो सभा आयोजित की तथा जो भाषण दिए, वे देश की सुरक्षा के लिए कतई आपत्तिजनक नहीं हैं।'

सेंसरशिप को चुनौती देने का कार्य भारत भर में सबसे पहले 'साधना' पत्रिका द्वारा आरंभ किया गया। 'आपातस्थिति के निर्णय पर पुनः विचार करें', यह लेख न छापने के सेंसर विभाग के आदेश को 'साधना' ने गैर-कानूनी करार देकर गुजरात उच्च न्यायालय में इस आदेश को ललकारा। मुख्य न्यायाधीश श्री बी.जे. दीवान तथा श्री पटेल की न्यायपीठ ने प्राथमिक सुनवाई के बाद आवेदकों की याचिका को काररवाई के लिए स्वीकार कर लिया। अदालत का रुख देख सेंसर विभाग ने अपना आदेश निरस्त कर दिया और यह लेख १५ अगस्त, १९७५ के 'साधना' के अंक में प्रकाशित हुआ, जिसे बहुत से लोगों ने पढ़ा था।

२५ अगस्त के दिन लोक संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने सेंसर प्राधिकरण कार्यालय के सामने 'मुक्त नागरिक-पत्र' का पाठ किया। इस पत्रिका पर मुद्रक, प्रकाशक और संपादक के नामों के स्थान पर सभी ने अपना-अपना नाम लिखा था, अतः सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट श्री एस.बी. बोरा ने सभी सत्याग्रहियों को निर्दोष घोषित कर मुक्त करते हुए अपने फैसले में सरकार की आलोचना करते हुए कहा था, 'अधिनियमों के प्रावधानों का यदि इस प्रकार मनमाना उपयोग किया जाएगा तो कानून में निहित न्याय के मूलभूत उद्देश्य की ही हत्या हो जाएगी। 'सविनय कानून भंग' का सिद्धांत तो महात्माजी द्वारा इस देश को मिली एक अप्रतिम विरासत है। पत्रिका पठन के इस कार्यक्रम का यदि यही प्रतीकार्थ है तो इस कार्यक्रम को गैर-कानूनी मानने को यह अदालत कतई तैयार नहीं है। देश में जब तक लोकतंत्र बना हुआ है तब तक व्यक्तिवादिता का कोई स्थान नहीं है। व्यक्ति तो नाशवान् है, किंतु देश का लोकतंत्र अमर है और लोकतांत्रिक सरकार ही अजर-अमर है।'

राजकोट के न्यायमूर्ति ने ४ नवंबर, १९७५ को दिए गए अपने एक फैसले में कहा था कि 'स्वतंत्रता का जतन करने और देश की आंतरिक सुरक्षा को हानि न पहुँचे, इस बात की सावधानी रखना हर एक भारतीय का परम कर्तव्य है; किंतु इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि सरकार के किसी निर्णय की उचित आलोचना या विरोध न किया जा सके।'

सुरेंद्रनगर के न्यायमूर्ति श्री भट्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि 'उन्होंने सूत्रोच्चार किए थे और सार्वजनिक रूप से पत्रिकाओं का पठन किया था, जिससे

सरकारी आदेशों से उनकी असहमति जाहिर होती है। किंतु सार्वभौम गणतंत्र में हर नागरिक को सरकार की नीतियों से असहमत होने का अधिकार है। अपनी असहमति प्रदर्शित करने के लिए एवं इस हेतु जनमत बनाने के लिए यदि कोई अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीकों का उपयोग करता है तो इसे उत्तेजना फैलाना नहीं माना जा सकता। ऐसा कोई भी प्रदर्शन प्रतिबंधित नहीं है।'

संसरशिप के गलत कानून की तो गुजरात में जमकर अवहेलना की गई। संसरशिप के स्वच्छंद अमल को गुजरात की अदालतों में आएदिन चुनौती दिए जाने और अदालतों द्वारा इस बारे में निडर फैसले दिए जाने की घटनाओं का तो जैसे एक सिलसिला ही बन गया था। संसरशिप के बारे में एक ऐतिहासिक फैसला भी गुजरात उच्च न्यायालय के दो विधिवेत्ताओं—श्री मेहता एवं श्री सेठ—की न्यायपीठ ने दिया था। उस विस्तृत फैसले से अखबारी स्वतंत्रता का सही अर्थ समझा जा सकता है। एक के बाद एक दिए जा रहे प्रतिकूल फैसलों से झुंझलाकर सरकार ने न्यायमूर्तियों के तबादलों का रास्ता अपनाया। इन मनमाने तबादलों का शिकार हुए देश भर के चौदह न्यायाधीशों में गुजरात के सर्वश्री बी.जे. दीवान, टी.यू. मेहता तथा साकलचंद सेठ भी थे। न्यायमूर्ति श्री सेठ ने सरकार की बदले की भावना से प्रेरित होकर की गई इस काररवाई को अदालत में चुनौती दी। इस अदालती संघर्ष में श्री सिरवाई ने सहायता की थी।

बरेली न्यायपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति सर्वश्री जे.बी. मेहता, न्यायमूर्ति ए.डी. देसाई एवं न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई को स्थानांतरित करने के राष्ट्रपति के आदेश को संविधान-सम्मत न मानते हुए उस आदेश को निरस्त कर दिया और इस प्रकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार रखा गया।

निजी तौर पर भी न्यायमूर्ति सेठ न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए हर कीमत पर संघर्ष करने के लिए कटिबद्ध थे। गुजरात उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा उनके लिए आयोजित विदाई समारोह में उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, 'मेरा तबादला चाहे कहीं भी किया जाए, हो सकता है कि मुझे न्यायाधीश के पद से भी हटा दिया जाए; किंतु फिर भी मैं न्यायपालिका को गुलामी से बचाए रखने के लिए हमेशा कोशिश करता रहूँगा।'

गुजरात के बुद्धिजीवी

इस संघर्ष में गुजरात के बुद्धिजीवियों का भी सहयोग मिला। हालाँकि कुछ बुद्धिजीवी किन्हीं कारणों से हिम्मत नहीं जुटा पाए, किंतु उन्होंने सरकार की

चाटुकारी करने की भी कतई कोशिश नहीं की थी। श्री मनुभाई पंचोली ने सम्मानार्थ मिला ताम्रपत्र सरकार को अविलंब लौटा दिया था। उनके इस स्वाभिमानपूर्ण बरताव के लिए उनपर डी.आई.आर. के तहत मामला भी दर्ज किया गया था। इन्हीं दिनों प्रकाशित उपन्यास 'सोक्रेटिस' जेल में बंद सहयोगियों के मनोबल को बढ़ानेवाला साबित हुआ। श्री वजुभाई शाह, श्रीमती जया बहन शाह तथा श्री मनुभाई पंचोली के हस्ताक्षरोंवाली 'आपातस्थिति तथा नागरिकों के कर्तव्य' नामक पुस्तिका का वितरण भी किया गया।

गुजरात के वरिष्ठ सांसद श्री मावलंकर ने २६ जून से ही सार्वजनिक रूप से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। देश में आपातस्थिति लागू किए जाने की घोषणा के समय वे बंगलौर में थे। वहीं से उन्होंने आपातस्थिति के विरोध में अपना एक वक्तव्य विभिन्न अखबारों को भेज दिया था, जो इस प्रकार था—

The worst fears have come true. The government action of declaring emergency and arresting Shri Jayprakash Narayan and several leaders, held in esteem by millions of our countrymen, is Loth-preposterous and provocative. Today marks the blackest day in India's democracy, for it means the beginning of the end of rule of law and democratic functioning. All of us who love and adhere to democratic principles and practices must oppose the fascist and anti people action of government. I have no doubt that the nation to a man will resist and stand up against such autocratic and dictatorial methods of government.

आपातकाल के अंत तक वे आपातस्थिति के विरोध में इसी प्रकार से सक्रिय अभियान चलाते रहे। संसद् में भी उन्होंने बहुत आक्रामक रवैया अपनाया। श्री उमाशंकर जोशी भी विरोध-अभियान में शामिल हो गए। संसद् के सदन में उन्होंने आपातस्थिति के विरोध में एक अति संवेदनशील वक्तव्य दिया। उन्होंने ही गुजरात में पी.यू.सी.एल. की रचना की। उनके संपादकत्व में प्रकाशित होनेवाली पत्रिका 'संस्कृति' का आपातकाल के दौरान प्रकाशन होता रहा और पाठकों को शब्दों की स्वतंत्रता के दर्शन होते रहे। श्री रामलाल परीख भी अपनी गिरफ्तारी तक सक्रिय रहे थे।

वडोदरा के श्री जगदीश शाह ने अपने नाम के उल्लेख के साथ 'सर्वोदय प्रेस सर्विस' नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इसका प्रचार-प्रसार अवश्य सीमित था, किंतु उससे मिलनेवाले निडरतापूर्ण आचरण के प्रेरणादायी संदेश का

प्रसार कतई सीमित नहीं था। इस पत्रिका के प्रकाशन के लिए श्री शाह पर मीसा लगा दिया गया था। संघर्ष के दौरान गुजरात के श्री नारायण देसाई की ओर से भी बहुत सहायता मिली थी। अपने प्रेरणादायी व्यक्तित्व के द्वारा उन्होंने संघर्ष प्रवृत्ति को लगातार गतिशील बनाए रखा था। 'यकीन' नामक हिंदी समाचार-पत्र का गुजरात से प्रकाशन कर राष्ट्र स्तरीय जागृति के प्रसार में भी उन्होंने अपना योगदान दिया था। 'सरमुखत्यार ने ओळखिए' (तानाशाह को पहचानें) तथा 'प्रतिकार नी पद्धतियो' (प्रतिकार के तरीके) गुजराती भाषा में प्रकाशित उनकी इन दो पुस्तकों ने संघर्ष के दौरान गुजरात भर का मार्गदर्शन किया था।

इस संघर्ष अध्याय में श्री सी.टी. दरु का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। मानवता पर हो रहे वज्राघातों के प्रतिकार में उन्होंने अपना सर्वस्व दाँव पर लगाते हुए जंग छेड़ दी थी। राजनीति से कोई सरोकार न होने पर भी, केवल मूल्यों की रक्षा के उद्देश्य से ही, वे संघर्ष करते रहे। सेंसरशिप के अन्यायपूर्ण सरकारी आदेश को तो वे झुकाकर ही माने। 'विश्व मानवतावादी' का सम्मान पानेवाले श्री वी.एम. तारकुंडे ने अपने एक वक्तव्य में श्री दरु के बारे में कहा था, ' 'विश्व का मानवतावादी व्यक्तित्व' सम्मान के चयन हेतु भारत से दो व्यक्ति नामित हुए थे— मैं और श्री दरु। किंतु इस सम्मान हेतु मेरा चयन केवल इसीलिए हुआ था कि मैं श्री दरु से वरिष्ठ था।'

श्री दरु की सेवाएँ इतनी सराहनीय थीं, जिनका राष्ट्रीय इतिहास सदा गवाह रहेगा। जेलवास के दौरान भी उन्होंने संविधान संशोधन से संबंधित पुस्तक एवं लेख लिखे थे, जिनका सत्ताधीशों पर भी बहुत प्रभाव पड़ा था।

श्री बी.के. मजूमदार भी अपनी ढलती उम्र एवं स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए प्रतिकार में अपना योगदान देते रहे। इस योगदान के बदले में उन्हें मीसा का पुरस्कार मिला था। एक लंबे अरसे तक उन्हें सूरत की जेल में अकेले ही रखा गया था।

'साधना' साप्ताहिक के संपादक श्री विष्णुभाई पंड्या अपनी लेखनी के माध्यम से जंग लड़ रहे थे। उनकी पुस्तक 'हथेळी नुँ आकाश' को मिले सरकारी पुरस्कार को भी उन्होंने लौटा दिया था। चंद्रकांत शाह का दैनिक 'गुजरात समाचार' में छपनेवाला दिल्ली के समाचारों का नियमित स्तंभ भी बंद हो गया। उन्हें दिल्ली छोड़नी पड़ी। कलकत्ता निवासी श्री शिवकुमार जोशी भी चुप नहीं रहे। वडोदरा के श्री सुरेश जोशी का दैनिक 'जनसत्ता' में छपनेवाला लेख स्तंभ 'मानवी नाँ मन' लोगों को प्रेरणा देता रहा। उत्तम साहित्य-सेवा के लिए मिला 'श्री रणजितराम

स्वर्णपदक' उन्होंने 'जयप्रकाश स्वास्थ्य निधि' को समर्पित कर दिया। 'जनसत्ता' में छपनेवाले श्री शिव पंड्या के व्यंग्य चित्र प्रजा पर अभीष्ट प्रभाव डालने में सफल रहे। 'जनसत्ता' के स्तंभ 'अक्षर नी आबोहवा' में प्रकाशित लेखों के माध्यम से डॉ. रमणभाई जोशी जनता में जागृति का प्रसार करने के प्रयत्न करते रहे। आपातकाल के दौरान १४ सितंबर, १९७५ के दिन प्रकाशित अपने लेख—'पढो रे पोपट रजा राम ना, सती सीता पढावे' के माध्यम से विचार-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर टूटे तानाशाही कहर का उन्होंने बेखौफ होकर ब्योरा दिया। महान् गुजराती उपन्यास 'सरस्वती चंद्र' के कुछ वाक्यों का प्रेरणादायी तरीके से इस लेख में उपयोग कर उन्होंने लोगों को चुनौती को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। इसी स्तंभ में प्रकाशित एक अन्य लेख 'नवोदित विवेचकों के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम' में उन्होंने आपातस्थिति का उपहास भी किया था। उन्होंने अपना यह मत भी दृढ़तापूर्वक व्यक्त किया था कि 'साहित्यिक अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए दंड संहिता के मानिंद कोई भी कानून बनाना सर्वथा अनुचित है।' लेखकों, कवियों, उपन्यासकारों के बंबई स्थित संगठन पेन (PEN) द्वारा पारित किए गए आपातस्थिति-विरोधी प्रस्ताव से भी श्री रमणभाई जोशी ने अपनी सहमति जताई थी। सर्वश्री रघुवीर चौधरी, वरदराज पंडित, राजेंद्र शुक्ल, कनुभाई भट्ट, बिपिन मेसिया इत्यादि कवियों की रचनाएँ भी अपनी प्रतिक्रियाएँ देती रहती थीं। सर्वश्री बबलभाई मेहता, यशवंतभाई शुक्ल, ईश्वर पेटलीकर, विनोद भट्ट जैसे साहित्यकारों ने भी अपने लेखों के माध्यम से जनशिक्षा के कार्य को जारी रखा था।

प्रा. के.डी. देसाई, प्रा. जयंतीभाई पटेल, प्रा. प्रवीण सेठ, श्री वासुदेव मेहता, 'संदेश' दैनिक के 'वनमाळी वाँको' के पात्र द्वारा प्रसिद्ध श्री देवेंद्रभाई ओझा इत्यादि भी संघर्ष में अपना योगदान देते रहे थे। इनके अलावा अनेक ऐसे व्यक्ति थे, जिनके नामों का तो यहाँ उल्लेख नहीं हुआ है, किंतु उन्होंने भी, सच्चाई का पक्ष लेने के उद्देश्य मात्र से, संघर्ष के आरंभ से अंत तक अपना योगदान दिया था।

अखबारी संघर्ष

गुजरात के अखबारों ने आपातकाल के दौरान भी कभी घुटने नहीं टेके थे। कई अखबारों ने सरकार की खुशामद करने के बजाय उन्हें जब कभी भी मौका मिलता, लोगों को सच्चाई से अवगत करवाकर अपना पत्रकारिता-धर्म निभाया था। कई अखबारों ने तो सेंसरशिप के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी थी। इकबाल वरखवाला के संपादकत्व में जमाअत-ए-इसलामी द्वारा प्रकाशित होनेवाले 'शाहीन'

को तो आपातकाल के प्रारंभ में ही बंद करवा दिया गया था। उसके छापाखाने को जब्त कर लिया गया था तथा संपादक सहित सभी ट्रस्टियों को डी.आई.आर. के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। पत्रिका 'मिलाप' का जून १९७६ का अंक छापनेवाले 'सरस्वती प्रेस' को भी जब्त कर लिया गया और उस प्रेस के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया। 'विश्वमानव' तथा 'खेडूतसाथी' पत्रिकाओं को चुप करवाने के लिए बार-बार कड़ी चेतावनियाँ दी जाती रहीं। 'कांग्रेस पत्रिका', 'निरीक्षक', 'मानव समाज' इत्यादि पत्रिकाओं को भी बंद करवा दिया गया था। विद्यानगर से प्रा. श्री सुरेशभाई अमीन के संपादकत्व में प्रकाशित होनेवाली पत्रिका 'विचार वलोणु' पर भी डी.आई.आर. का फंदा डाल दिया गया था। बालासिनोर से चंपा बहन मोदी के संपादकत्व में प्रकाशित होनेवाली पत्रिका 'लोकवीणा' भी अनीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती रहती थी।

गुजरात के दैनिक समाचार-पत्र भी सरकार के अनीतिपूर्ण सेंसरशिप आदेश का शिकार हुए थे। 'संदेश' दैनिक के साथ तो जैसे पूरी शत्रुता निभाई गई थी। 'संदेश' को मिलनेवाले सरकारी विज्ञापनों पर रोक लगा दी गई। तत्कालीन सूचना व प्रसारण मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल ने तो 'संदेश' के संपादक श्री चिमनभाई पटेल से स्वयं मिलकर सरकार की इच्छा के अनुसार चलने, अन्यथा दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी तक दे डाली। अहमदाबाद से ही प्रकाशित होनेवाला एक और दैनिक 'जनसत्ता' एवं राजकोट से प्रकाशित होनेवाला दैनिक 'फूलछाब' भी सेंसरशिप के अन्यायों का शिकार हुए थे। इन दैनिकों ने सरकारी धमकियों की परवाह किए बिना सरकार के जुल्मों के खिलाफ अदालत से न्याय की याचना की। परिणामस्वरूप सेंसरशिप के आदेश को पुनः एक बार घुटने टेकने पड़े, प्री-सेंसरशिप के आदेश को रद्द किया गया। इस प्रकार गुजरात के अखबार लोगों तक सच्चाई पहुँचाने का अपना धर्म हर कीमत पर निभाते रहे थे। आपातकाल के शुरुआती दिनों में तो कई अखबारों ने अन्याय के विरोध के प्रतीक के रूप में अपने संपादकीय लेखों को न छापकर उस स्थान को रिक्त ही रहने दिया था। 'संदेश' ने गांधीजी की तसवीर तथा उनका संदेश—'सबको सन्मति दे भगवान्' छापकर श्रीमती गांधी की सरकार को सन्मार्ग अपनाने की सांकेतिक तरीके से सलाह भी दी थी।

सेंसरशिप की ज्यादाती ने अहमदाबाद के 'नवजीवन प्रेस' को भी नहीं बख्शा था। श्री प्रसन्नदास पटवारी ने सेंसरशिप से संबंधित एक अदालती फैसले को इस प्रेस में छपवाया था, बस इसी कारण से महात्मा गांधी द्वारा स्थापित इस प्रेस

को सरकार ने सील करवा दिया। प्रेस को सील करने से पहले पुलिस द्वारा मनमाने तरीके से प्रेस की तलाशी ली गई। वहाँ पर लगी महापुरुषों की तसवीरों की गरिमा की भी परवाह नहीं की गई। कुमारी मणि बहन पटेल के कमरे—जहाँ सरदार पटेल के साहित्य को सुरक्षित रखा गया है—की भी उसी तरीके से तलाशी ली गई। एक अन्य प्रेस 'धरती मुद्रणालय' का भी यही हाल किया गया था। महेसाणा स्थित एक प्रेस को सील करने के भी आदेश जारी किए गए थे; किंतु किन्हीं अज्ञात कारणों से इस आदेश का पालन नहीं हुआ था तथा चुनावों के पश्चात् आवश्यक काररवाई कर मामले को निपटा दिया गया था।

बंबई से प्रकाशित होनेवाला समाचार-पत्र 'जन्मभूमि' भी किसी से पीछे नहीं रहा था। इस अखबार ने १५ नवंबर के अपने अंक में देशव्यापी सत्याग्रहों से संबंधित समाचारों को प्रकाशित कर विद्रोह का रणसिंघा फूँक दिया। 'जन्मभूमि' के सभी अंकों को जब्त कर लिया गया। बंबई के ही एक अन्य अखबार 'जनशक्ति' तथा उसके संपादक श्री हरींद्र दवे पर श्रीमती गांधी की तसवीर छपवाने के लिए सरकार की ओर से पूरा दबाव बनाया गया, किंतु उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। 'जब तक 'जनशक्ति' में जे.पी. तथा विपक्षी नेताओं की तसवीरें नहीं छापने दी जाएँगी तब तक श्रीमती गांधी की तसवीर भी नहीं छपेगी।'—श्री हरींद्रभाई का यह निडरतापूर्ण उत्तर उनकी निर्भीकता का परिचायक था। समग्र आपातकाल के दौरान श्रीमती गांधी की तसवीर कभी भी इस अखबार में प्रकाशित नहीं हो पाई थी। श्री दवे अपनी कविताओं तथा लेखों के माध्यम से भी जन-जागृति का प्रसार करते रहे थे।

इन सबके बावजूद अपनी व्यावसायिक मर्यादाओं के कारण अखबार संघर्ष में अपना योगदान सीमित रूप से ही दे पाते थे। अपितु इन मर्यादाओं को लाँघकर भी संघर्ष का मार्ग अपनानेवाले पत्रों में साप्ताहिक पत्रिका 'साधना' तथा दशाहिक पत्रिका 'भूमिपुत्र' के नाम पत्रकारिता के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में चमकते रहेंगे।

'साधना' तथा 'भूमिपुत्र' का इतिहास ही संघर्ष का इतिहास है। इन दोनों पत्रों के संपादकों क्रमशः श्री विष्णुभाई पंड्या तथा श्री चूनीभाई वैद्य को मीसा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। 'भूमिपुत्र' के प्रेस को तीन बार सील किया गया था और जमानत के तौर पर पच्चीस हजार रुपए भी माँगे गए थे। 'भूमिपुत्र' ने ही न्यायालय के समक्ष सेंसरशिप को ललकारा था। 'साधना' तथा 'भूमिपुत्र' की प्रतियाँ भारत की सभी जेलों में बराबर पहुँचती थीं। 'भूमिपुत्र' का प्रसार भी बढ़कर सत्रह हजार के अंक को पार कर गया था। 'यज्ञमुद्रिका' प्रेस बंद करवा दिए जाने

पर 'भूमिपुत्र' का प्रकाशन जारी रखने हेतु नया प्रेस शुरू करवाने के लिए लोगों ने पूरा आर्थिक सहयोग दिया था। इस जन सहयोग से एक नए प्रेस 'अभय मुद्रिका' का सर्जन हुआ। इसपर भी सरकारी चेतावनियों की बारिश हुई। श्री चूनीभाई वैद्य की गिरफ्तारी के बाद 'भूमिपुत्र' की संपादकीय जिम्मेदारी निभा रहे श्री कांतिभाई शाह को भी परेशान करने के बहुत प्रयत्न किए गए। सालों से 'अतुल' में रहनेवाले श्री कांतिभाई से सरकार के अप्रत्यक्ष दबाव के कारण ही अपना निवास-स्थान छोड़ने के लिए कहा गया था।

साप्ताहिक 'साधना' को तो दो मोरचों पर संघर्ष करना पड़ा था। एक ओर सरकार के अन्यायी कानून 'साधना' को अपनी गिरफ्त में लेने को प्रयत्नशील थे, दूसरी ओर 'साधना' के साथ डंडाशाही का बरताव किया जा रहा था। कानून के असली स्वरूप का तो कहीं नामोनिशान तक नहीं था। किंतु चूँकि 'साधना' ने तो आपातकाल के प्रारंभ से ही सेंसरशिप का डटकर मुकाबला करने की ठान ली थी, अतः सरकार उसे तंग करे, उससे पहले ही उसने सरकार को तंग करना शुरू कर दिया था। अगस्त १९७५ में एक लेख लिखा गया। आपातस्थिति के काले कारनामों की पोल खोलनेवाले तथा उसका कड़ा विरोध करनेवाले इस लेख को प्रकाशित करने की सेंसरशिप प्राधिकरण ने अनुमति नहीं दी। 'साधना' ने अदालत का द्वार खटखटाया। अदालत ने 'साधना' का समर्थन किया और लेख प्रकाशित हुआ। नवचेतना का संचार हुआ, किंतु उसी क्षण से 'साधना' पर सरकार की भृकुटी टेढ़ी हो गई। इसके बावजूद अपनी पहली लड़ाई में ही मिली विजय ने उसका आत्मविश्वास बढ़ा दिया था। उसने आक्रमणकारी रवैया अपनाया। खतरों को झेलने की तैयारी के साथ उसने अपना दीपावली अंक 'लोकशाही विशेषांक' के रूप में प्रकाशित किया। सरकारी मापदंडों के अनुसार इस अंक में प्रकाशित सारे लेख राजद्रोही थे। किंतु लेखों को सेंसर किए जाने की सारी सूचनाओं को नजरअंदाज करते हुए 'लोकशाही विशेषांक' छपा तथा पाठकों तक भी पहुँचा।

'साधना' का हर अंक प्रकाशित होते ही प्रजा में एक नए उत्साह का संचार करता था, किंतु उसके लिए तो वह नई आपत्तियों का आमंत्रण देनेवाला ही सिद्ध होता था। 'साधना' ही एकमात्र ऐसी पत्रिका थी जिसमें आपातकाल के अंत तक देशव्यापी सत्याग्रह के विस्तृत समाचार प्रकाशित किए जाते रहे। गुजरात में मोरचा सरकार के पतन के अगले ही दिन 'साधना' के संपादक श्री विष्णुभाई पंड्या को गिरफ्तार कर लिया गया। 'साधना प्रकाशन मुद्रणालय' पर आएदिन छापे पड़ने लगे। निरी डंडाशाही के बावजूद 'साधना' ने अपना अस्तित्व बनाए रखा। 'साधना

प्रकाशन मुद्रणालय' जब्त करने के नोटिस अकसर आते रहते थे, किंतु 'साधना' के एक मार्गदर्शक ट्रस्टी श्री लक्ष्मणरावजी इनामदार (वकील साहब) के भूमिगत होने से इन नोटिसों का हेतु नहीं सिद्ध हो पा रहा था। अतः गुजरात तथा महाराष्ट्र के अखबारों में इस नोटिस को प्रकाशित करवाकर उन्हें सूचित करने के प्रयत्न सरकार द्वारा किए गए।

श्री विष्णुभाई के पकड़े जाने के बाद 'साधना' का संपादकीय विभाग श्री जगदीशभाई भट्ट ने बड़ी कुशलता और हिम्मत के साथ सँभाला। 'साधना' ने जुलाई १९७६ तक अपना धर्म निभाया—पुलिस द्वारा परेशान किए जाने के बावजूद।

जुलाई के प्रथम सप्ताह में 'साधना' का गला घोट देने के इरादे से सरकारी अधिकारियों के दल ने प्रेस पर आक्रमण कर दिया। इन अधिकारियों के पास किसी भी प्रकार के लिखित आदेश या उचित कारण नहीं थे। डंडे के बल पर 'साधना' को रोकने का असफल प्रयत्न किया गया। 'साधना प्रकाशन मुद्रणालय' के प्रबंध निदेशक के रूप में सालों से सेवा दे रहे श्री कांतिभाई मोदी ने उस दल को ललकारते हुए कहा, 'जब तक 'साधना' के एक-एक कार्यकर्ता को मीसा के अंतर्गत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक तुम्हारी डंडाशाही हमें हमारे संघर्ष पथ से कभी भी विचलित नहीं कर पाएगी।' बस, इतना काफी था उन्हें छेड़ने के लिए। श्री कांतिभाई मोदी, 'साधना प्रकाशन मुद्रणालय' के प्रबंधक श्री पन्नालाल शाह, मशीनमैन श्री रमणभाई, एकाउंटेंट श्री गोविंदराव गजेंद्र गडकर तथा बोइलमैन श्री पूंजाजी सहित प्रेस के हर व्यक्ति को डी.आई.आर. के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। डी.आई.आर. से जमानत पर मुक्त हुए सर्वश्री कांतिभाई, पन्नालाल, बलदेवभाई पटेल तथा गोविंदराव पर मीसा लगा दिया गया। अंततः 'साधना' भी बंद हो गया, फिर भी उसने न्यायालय में तो अपना संघर्ष जारी रखा। उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। श्री हरिभाई शाह, श्री नरेंद्रभाई ओझा, अधिवक्ता श्री सेठना, श्री महेंद्र आनंद, श्री हरिश्चंद्र पटेल इत्यादि ने गिरफ्तार हो चुके दरु साहब की कमी महसूस नहीं होने दी थी। अक्टूबर में 'साधना' का प्रकाशन पुनः आरंभ हो गया; किंतु इस बार प्रकाशन का जिम्मा नए कार्यकर्ताओं ने सँभाल लिया था। संपादकीय विभाग श्री वसंतराव चिपळोणकर, प्रबंधन विभाग श्री बिपिनभाई शाह, श्री हरीशभाई रावल तथा श्री हरीभाई नायक ने सँभाला। 'साधना' के संघर्ष में आरंभ से अंत तक साथ देनेवाले तथा प्रारंभ से ही उससे जुड़े रहे श्री रमणभाई शाह की भूमिका भी अप्रतिम थी। उनके दोनों भाई मीसा के शिकार हो चुके थे। स्वयं उनपर भी मीसा

की तलवार तनी हुई थी, किंतु फिर भी वे संघर्षरत 'साधना' के लिए हमेशा ऊर्जा के स्रोत बने रहे।

उस काल में 'साधना' के पाठक वर्ग में बहुत बढ़ोतरी हुई थी। 'साधना' ने पैंतालीस हजार प्रतियों का अंक पार कर लिया था। छोटे से प्रकाशन 'साधना' ने उस परिवर्तन के इतिहास में 'मुक्त अभिव्यक्ति हेतु संघर्ष' की चिरकालीन प्रेरणा को साकार कर दिया था।

□

परिवर्तन की अंतर्धारा

स्वतंत्र भारत के नागरिकों के समक्ष अपने ही शासकों के खिलाफ भूमिगत होकर संघर्ष करने की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आ खड़ी होगी, यह शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। सत्तालोलुप शासकों द्वारा इस स्थिति का निर्माण किया गया था। सरकार द्वारा अपनी ही प्रजा को चुनौती दी गई थी। अभिव्यक्ति के सारे तरीकों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। और वह 'मीसा', वह तो अच्छे-अच्छों के हौसले पस्त कर देता था। 'मीसा' के अत्याचारों के सामने, और वह भी उसे चुनौती देते हुए टिके रहना, ढेर सारी आफतों को आमंत्रण देने के बराबर था—अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी चलाने के समान था। 'मीसा' के शस्त्र के सम्मुख घुटने न टेकनेवाले को पाँच साल, सात साल तक की सजा का प्रावधान, संपत्ति पर सरकार की जब्ती, नौकरी-रोजगार पर सरकारी ताले पड़ जाना, स्वयं एवं परिवार के भविष्य को क्षण भर में अंधकारमय बना देनेवाली अनिष्टकारी शक्ति का दुर्मति सरकार के पास होना और जले पर नमक छिड़कने के समान संघर्ष में भाग लेनेवालों के बारे में जानकारी देनेवाले को इनामों की नवाजिश—इन हतोत्साहित करनेवाली स्थितियों के बीच भी संघर्ष की मशाल को लगातार जलाए रखनेवाले पाँच, दस या पंद्रह जवाँ मर्दों के भूमिगत दल भारत के हर जिले में मौजूद थे।

वैसे देखा जाए तो केवल भूमिगत होकर बिना कुछ किए दिन बिता देना कोई बड़ी बात नहीं है। इस स्थिति में अपने आपको पुलिस से बचाए रखते हुए छुपे रहने के अलावा कुछ नहीं करना होता है; किंतु जिन्होंने संघर्ष जारी रखने के उद्देश्य से ही भूगर्भावस्था को अपनाया था, उनके लिए तो संघर्ष करते हुए अपने आपको पुलिस से बचाए रखना दुधारी तलवार की छाँह में रहने के बराबर था।

गुजरात में भी बड़ी संख्या में भूमिगत कार्यकर्ता थे। आरंभिक दौर में लगभग सौ कार्यकर्ता भूमिगत थे। अधिकतर भूमिगत कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ तथा विद्यार्थी परिषद् के थे। इनमें से कई पकड़े जा चुके थे, कइयों को किसी-न-किसी कारणवश अपने आपको पुलिस को सौंप देना पड़ा था। इस प्रकार संघर्ष के अंत तक केवल पैंतीस कार्यकर्ता सक्रिय रह पाए थे। ये कार्यकर्ता तो वे थे, जिनके लिए 'मीसा वारंट' जारी किए गए थे। इनके अलावा भी कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो भूमिगत रहकर योजनानुसार कार्य कर रहे थे। सरकार या समाज को इनकी गतिविधियों पर कोई संदेह न हो, इसीलिए उन्हें भूमिगत रहना पड़ रहा था। अपनी पहचान छिपाने के लिए भी इन भूमिगत कार्यकर्ताओं को सदैव सतर्क रहना पड़ता था। आमतौर पर धोती-कुरता पहननेवाले संघ प्रचारकों को आधुनिक पोशाकें पहननी पड़ी थीं और नाम भी बदलने पड़े थे।

इन कार्यकर्ताओं के परिजन भी इस बात की पूरी सावधानी बरतते थे कि किसी भी बाहरी व्यक्ति के सामने उनका नाम लेकर बात न की जाए। वे उनका उल्लेख 'दादा', 'मामा', 'बड़े भाई', 'छोटे चाचा' या 'बड़े चाचा' जैसे संबंधसूचक संबोधनों से ही करते थे। दूसरी तरफ आपसी व्यवहार हेतु कार्यकर्ताओं ने 'दीक्षित', 'डॉ. उमेश', 'अजित', 'स्वामीजी', 'चौधरी', 'आनंद', 'अमित', 'नवीन', 'लालजी', 'प्रकाश', 'रणजित', 'बटुक', 'तिमिर' इत्यादि जैसे कई छद्म नाम धारण कर रखे थे। भूमिगत कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत अधिक होने से प्रांत स्तर पर संघर्ष का संचालन करनेवालों को तो अत्यंत सावधानीपूर्वक—प्रांतीय तथा केंद्रीय—सभी कार्यकर्ताओं के छद्म नामों को याद रखना होता था। सभी की बदली हुई वेशभूषाएँ भी अजीबोगरीब थीं। बोहराजी, मुल्लाजी, सरदारजी, पारसी बावा, एल.आई.सी. एजेंट, स्वामीजी, प्राध्यापक, डॉक्टर, अगरबत्ती बेचनेवाला, पत्रकार, ज्योतिषी इत्यादि कई तरह के व्यक्तियों का वेश कार्यकर्ताओं ने बना रखा था तथा इन व्यक्तित्वों के अनुसार ही उन्हें अभिनय भी करना पड़ता था।

कार्यकर्ताओं द्वारा यह वेश परिवर्तन इतनी कुशलतापूर्वक किया जाता था कि सालों से उनसे परिचित लोग भी परिचय देने पर ही उन्हें पहचान पाते थे। ज्योतिषी का वेश धारण करनेवाले साथी को अकसर लोगों के अनुरोध पर गलत-सलत भविष्यवाणियाँ भी करनी पड़ती थीं। इस पुस्तक के लेखक ने (अर्थात् मैंने) उन दिनों स्वामीजी का वेश धारण कर रखा था, अतः मैं भगवा वस्त्र पहना करता था। जिस कार्यकर्ता के घर उन दिनों मैं रह रहा था, उनके घर पर एक बार स्वामीनारायण संप्रदाय के एक आचार्य आ पधारे। परिजनों ने उदयपुर से आए

स्वामी के रूप में लेखक का आचार्यजी से परिचय करवाया। बस, फिर क्या था, औपचारिकताओं के बाद शुरू हो गया शास्त्रार्थ सचमुच के संन्यासी तथा परिस्थितियोंवश बने हुए 'स्वामीजी' के बीच। एक घंटे तक चले उस शास्त्रार्थ में बेचारे 'स्वामीजी' ने जैसे-तैसे करके भी अपने चोले की लाज बचाई। आचार्यजी को इस नाटक के बारे में तनिक भी भनक नहीं हो पाई थी। एल.आई.सी. एजेंट बने 'दीक्षितजी' को हमेशा बीमा पॉलिसियों से संबद्ध सवालियों के जवाब देने को तैयार रहना पड़ता था। 'पंडितजी' का वेश धारण करनेवाले साथी की एक बार बस यात्रा के दौरान एक परिचित सज्जन से भेंट हो गई। बस में बात करने में खतरा था, अतः मैंने उनसे बात नहीं की। किंतु उन सज्जन से न रहा गया, उन्होंने पूछना शुरू कर दिया, 'आप...भाई हैं? हम शायद पहले कभी मिल चुके हैं।' वगैरह-वगैरह।

'पंडितजी' द्वारा हर प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिए जाने के बावजूद उन सज्जन ने अपने प्रश्नों की बौछार जारी रखी, 'क्या करते हैं आप? क्या आपकी फैक्ट्री है? ऑयल इंजन बनाते हैं? दाम क्या चल रहे हैं?'

पंडितजी ने झुंझलाकर उत्तर दिया, 'जी नहीं, मेरी फैक्ट्री में तो हँसिए बनते हैं!'

इस बेढंगे उत्तर को सुनकर वे सज्जन चुप हो गए।

भूमिगत पत्राचार, संपर्क व्यवस्था इत्यादि कार्यों में महत्त्वपूर्ण योगदान देनेवाले श्री महेंद्रभाई उर्फ 'बटुकभाई' हमारे एक मित्र डॉ. दवे के कंपाउंडर के रूप में ही पहचाने जाते थे। प्रचारक बनकर पहली बार ही अहमदाबाद आए थे। अतः उनके रहने का प्रबंध भी डॉ. दवे के एक भानजे ज्योतींद्र के घर पर किया गया था। ज्योतींद्र तथा 'बटुकभाई' दोनों हमउम्र थे। दोनों एक साल तक साथ-साथ रहे। ज्योतींद्र राजनीति का शौकीन था। वह नित्य आपातस्थिति के विरोध से संबंधित नए-नए समाचार ले आता; कभी-कभी भूमिगत पत्रिकाएँ भी ले आता। 'बटुकभाई' को कंपाउंडर समझ उन्हें वह बड़े उत्साह से सारी बातें बताता। 'बटुकभाई' भी पूरे अभिनेता थे। निरे भोले बनकर वे सारी बातें सुनते। उसकी लाई हुई पत्रिकाएँ भी पढ़ते। उस मासूम ज्योतींद्र को पूरे साल भर तक यह पता नहीं चल पाया था कि 'बटुकभाई' का कंपाउंडर का वेश तो एक भ्रांति मात्र है। आपातकाल के बाद सच्चाई का पता चलने पर उसे बहुत आश्चर्य हुआ था। मैंने कुछ समय के लिए 'सरदारजी' का वेश भी धारण किया था। इस वेश में किए गए प्रवासों के दौरान सहप्रवासी कॉलेजियन विद्यार्थियों द्वारा जान-बूझकर ऊँचे स्वर में सुनाए जानेवाले सरदारजी के चुटकुले सुनना मेरे लिए रोजमर्रा की बात हो गई थी। कई

परिचित परिवारों के छोटे बच्चे अपने बाल मित्रों को बुलाकर 'सरदारजी' से ही सरदारजी के चुटकुले सुनने का मासूम आनंद लिया करते थे। इन नए रूपों में अपने आपको ढालना हम सभी के लिए शुरू-शुरू में बहुत कठिन लगा था, किंतु समय व परिस्थितियों ने धीरे-धीरे हमें सबकुछ सिखा दिया था।

भूमिगत संघर्ष के भी कई पहलू थे। जन-जागृति के साथ-ही-साथ सरकार का विरोध करने के हर अवसर का उपयोग करने के प्रयत्न किए जाते थे। जेलों से लगातार संपर्क बनाए रखते हुए, जेलों में कैद कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत बनाए रखने के लिए, नियमित रूप से उन्हें नवीनतम समाचारों, कार्यक्रमों, योजनाओं से अवगत करवाया जाता था। ऐसा इस उद्देश्य से किया जाता था, ताकि जेलों में कैद कार्यकर्ताओं के मन में उठनेवाले इस संशय, कि जेलों की चहारदीवारी के बाहर भी कुछ हो रहा है या नहीं, का समाधान किया जा सके। इस संपर्क कार्य के लिए कई बार खतरे भी मोल लेने पड़ते थे।

एक बार किसी महत्वपूर्ण कार्य के सिलसिले में भावनगर जेल में बंद श्री शंकरसिंह वाघेला तथा श्री विष्णुभाई पंड्या से संपर्क करना आवश्यक हो गया था। गुप्त पत्राचार से प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता था। अतः तय किया गया कि मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे जेल में मिलकर आवश्यक विचार-विमर्श करूँ। एक भूमिगत कार्यकर्ता के लिए जेल के आस-पास जाना भी मृत्यु के करीब जाने के बराबर था। सभी तैयारियों के साथ मैं सितंबर १९७६ के दौरान भावनगर पहुँचा। मैं तथा भावनगर में ही रहनेवाली एक बहन कैदी कार्यकर्ताओं के मुलाकाती बनकर वहाँ की जेल में गए। 'अनुयायियों' से मिलने की 'स्वामीजी' को अनुमति मिल गई। एक घंटा जेल में बिताकर तथा 'अनुयायियों' से मुक्त सत्संग निपटाकर 'स्वामीजी' जेल से सुरक्षित बाहर आ गए।

एक बार मैं जामनगर के दौरे पर गया हुआ था। वहाँ समाचार मिला कि वहाँ की जेल में कैद श्री पन्नालाल शाह के स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक है। मन चिंताग्रस्त हो गया। 'न जाने उनके हृष्ट-पुष्ट शरीर की क्या गत बनाई होगी!' अधूरे कार्यों को निपटाने की जिम्मेदारी तथा साथी के प्रति लगाव—इन दो भावनाओं के बीच द्वंद्व शुरू हो गया। उनसे मिलने जाने पर जिम्मेदारियाँ जोखिम में पड़ जाएँगी, न जाने पर मन कचोटता रहेगा। अंततः आत्मविश्वास तथा सहयोगी के प्रति लगाव से जिम्मेदारियों को कुछ समय के लिए टाल देने की हिम्मत मिली। खतरों को झेलने की तैयारी के साथ भाई दिनेश को साथ लेकर जेल पहुँचे। जो होगा, देखा जाएगा—यह सोच बिना किसी तैयारी के ही हम जेल गए थे, अतः

वहाँ पहुँचने पर ही पता चला कि पन्नालाल की स्थिति अधिक बिगड़ने से उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। उसी जेल में कैद अन्य एक साथी कार्यकर्ता कांतिभाई मोदी से उनके बारे में अधिक जानकारी लेकर हम सीधे अस्पताल पहुँचे। वहाँ पर भी पुलिस का पहरा था। खैर, पुलिस को समझा-फुसलाकर पन्नालाल से मिलने में सफलता मिली। वह हृष्ट-पुष्ट शरीर आधा होकर एक निस्तेज काया मात्र रह गया था। बोलने की शक्ति भी नहीं बची थी, खड़े होने का प्रश्न ही नहीं था। अधमुँदी आँखों से उन्होंने मुझे देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ, उनकी आँखें भर आईं। उनकी हालत देख मैं काँप उठा था; किंतु उनका मनोबल मजबूत था। मुझसे कहा, 'खतरा क्यों मोल लेते हो? मेरा तो जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन तुम्हें तो अभी बहुत कुछ करना है।' उनका हौसला बढ़ाने के लिए आनेवाले का वे ही हौसला बढ़ा रहे थे। पन्नालालभाई की हिम्मत तथा बड़प्पन ने मेरी आँखों को नम कर दिया था।

चुनावों की घोषणा के बाद भी सरकार श्री शंकरसिंह वाघेला को रिहा करने में आनाकानी कर रही थी। सभी ओर चुनावों की तैयारियाँ शुरू हो गई थीं। एक-एक दिन मूल्यवान् था। एक महत्त्वपूर्ण बैठक के लिए दिल्ली जाने से पहले भूमिगत नेता श्री नाथालाल झंघड़ा का श्री वाघेला से बातचीत करना आवश्यक था। श्री वाघेला जहाँ कैद थे उस वडोदरा जेल में नाथाभाई मुलाकाती बनकर पहुँच गए। करीबन दो घंटे उन्होंने जेल में बिताए। वहाँ पर उन्होंने विचार-विमर्श किया तथा चाय-नाश्ता भी किया और बाहर आ गए। उन्हें भीतर लगी इस अप्रत्याशित देरी से बाहर इंतजार कर रहे हम लोगों के कलेजे धड़कने लगे थे। जेलों में कैद कार्यकर्ताओं तथा नेताओं के सलाह-मशवरो से संघर्ष में बहुत सहायता मिलती थी। इसी वजह से उनके परामर्शों को केंद्र तक पहुँचाया जाता था।

जेल के भीतर कैद व्यक्ति का मनोबल उसके परिवार की स्थिति पर निर्भर करता है। इस मनोवैज्ञानिक वास्तविकता को ध्यान में रखकर मीसा में फँसे कार्यकर्ताओं के परिवारों को कोई कष्ट न हो, इस बात का हम लोग हर समय खयाल रखते थे। इस कार्य के लिए गुजरात में राज्यव्यापी व्यवस्था की गई थी। उन परिवारों में से जिस किसी को भी आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती थी, उन्हें अविलंब सहायता पहुँचाई जाती थी। कानूनन तो वे सरकार से भी आर्थिक सहायता के हकदार थे, पर प्रति परिवार बमुश्किल पचास, सत्तर या पचहत्तर रुपए प्रतिमाह देकर सरकार उनके जले पर नमक छिड़कने का काम करती थी। इस प्रावधान के बावजूद अधिकतर मीसाबंदियों के परिवारों की तो

सरकार ने कोई भी आर्थिक सहायता नहीं की थी। गुजरात में आर्थिक सहायता की आवश्यकतावाले परिवारों की सहायता के लिए हजारों रुपए की जरूरत होती थी। गुजरात के धनपति तो सहायता का उद्देश्य सुनते ही डर के मारे काँपने लगते थे। इन परिस्थितियों में गुजरात के आम नागरिकों ने अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार अर्थ-प्रबंध के इस भगीरथ कार्य में हाथ बँटाया था। सहायता के इस कार्य को भी संघ के कार्यकर्ताओं ने सँभाला था। संघ के कार्यकर्ताओं के अलावा संघ की कार्य-प्रणाली से सुपरिचित कई सेवाभावी लोग नियमित रूप से प्रतिमाह इस हेतु आर्थिक सहयोग देते रहते थे।

श्री बाबूभाई तथा श्री केशुभाई की गिरफ्तारी तक मीसाग्रस्त परिवारों से मुलाकात करने का कार्यक्रम नियमित रूप से चलता रहा। कई परिवार बड़ी हिम्मत के साथ इस आपत्ति का सामना कर रहे थे। घर की कमजोर आर्थिक स्थिति, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई तक के लिए पैसों की कमी, परिवार के कमानेवाले सदस्य का जेल में कैद होना—इन सभी परेशानियों के बावजूद जब उनसे आर्थिक सहायता स्वीकार करने के लिए कहा जाता तब उनसे एक ही उत्तर मिलता था—‘हमारी चिंता न करें। इन रुपयों को किसी अधिक जरूरतमंद परिवार को पहले दें। हम तो जब हमारा सबकुछ खत्म हो जाएगा तब सोचेंगे।’

उन परिवारों की बहनें घर की परेशानियों की खबर भी जेल तक नहीं पहुँचने देती थीं। पंचमहाल जिले की एक बहन—साधारण आर्थिक स्थितिवाला उनका परिवार—पति जेल में थे और गर्भावस्था प्रसव-काल के समीप थी। प्रसूति के समय जीने-मरने की नौबत आ खड़ी हुई। मौत से जूझ रही उस बहन से आस-पास के लोगों ने जेल में कैद पति को तार भेजकर सूचना देने की अनुमति माँगी। उस बहन ने कहा, ‘नहीं, मेरे कारण से उनकी साधना में विघ्न न डालें।’ सौभाग्यवश कोई अनहोनी नहीं हुई। बेटी का जन्म हुआ। कुछ दिनों बाद बहन ने अपने पति को पत्र लिखा—‘भगवान् हमारे साथ हैं। अन्यथा आपसे बिछड़े हुए मुझे आज पंद्रह दिन हो चुके होते।’ ऐसे तो कई परिवार थे, जिन्होंने अपने मनोबल से संघर्ष में लगे लोगों को हमेशा प्रेरणा दी थी। जेलों के भीतर के कार्यकर्ता भी आश्वस्त थे कि बाहर के कार्यकर्ता उनके परिवारों की अवश्य देखभाल करेंगे और इसीलिए वे निश्चिंत भी थे।

भूमिगत साहित्य

मीसाग्रस्त परिवारों की देखभाल के साथ-साथ सेंसरशिप की सख्ती तथा

सच्चे समाचारों के ब्लैक आउट से धूमिल पड़ती जा रही लोक-चेतना को जगाए रखना भी अत्यावश्यक था। इस हेतु विपुल मात्रा में साहित्य तैयार कर लोगों तक पहुँचाया जाता था। गुजरात सरकार के गिरने के बाद भी भूमिगत कार्यकर्ताओं को पकड़ने में वांछित सफलता न मिलने पर सरकार ने अखबारों तथा रेडियो के माध्यम से इन कार्यकर्ताओं को 'भगोड़ा' घोषित कर अपप्रचार करना शुरू कर दिया। सरकार के इस अपप्रचार का खेड़ा जिले से एक भूमिगत पुस्तिका प्रकाशित कर मुँहतोड़ जवाब दिया गया, 'हम जीवन-मूल्यों की पुनःस्थापना के उद्देश्य से संघर्ष करनेवाले बलिदानी हैं। अन्याय के साए में रहते हुए भी हम इस अन्याय के पैर उखाड़कर ही मानेंगे। हम भी तुम्हें चुनौती देते हैं कि हमें पकड़ लो—यदि पकड़ सकते हो तो!' यह पुस्तिका कई सरकारी अधिकारियों को भेजी गई। दीवारों पर भी चिपकाई गई।

भूमिगत साहित्य के तीन प्रकार थे। लोगों तक समाचारों को पहुँचाने के लिए मुखपत्र के प्रकार की पत्रिका प्रकाशित की जाती थी। गुजरात में 'मुक्तवाणी' नामक पत्रिका प्रकाशित होती थी। इसके लिए सामग्री इकट्ठा करके पत्रिका की तीन, चार व पाँच पांडुलिपियाँ तैयार की जाती थीं। उन पांडुलिपियों को गुजरात में भिन्न-भिन्न स्थानों पर भेजकर उन्हें छपवाया जाता था। पत्रिका का हर अंक किसी नए प्रेस में छपता था। कई बार प्रेसवालों को अधिक कीमत चुकाकर भी पत्रिका को छपवाना पड़ता था। पत्रिकाओं को छपवाने के बाद उन्हें निश्चित संख्या में विभिन्न भूमिगत केंद्रों को भेजा जाता था। बंबई में रहनेवाले गुजरातियों के लिए इस पत्रिका को वहाँ भी भेजा जाता था। संघ के कार्यकर्ता अपने हाथों ही इन पत्रिकाओं को पहुँचाते थे। गुजरात के हर गाँव में नियमित रूप से ये पत्रिकाएँ पहुँचाई जाती थीं। पुलिस को अँधेरे में रखने के लिए पत्रिका के प्रकाशन की तिथि जान-बूझकर अनिश्चित रखी जाती थी तथा पत्रिका की छपाई एवं वितरण का कार्य दो ही दिनों में निपटा दिया जाता था। भूमिगत साहित्य की टोह लेते हुए पुलिस कभी भी, किसी भी प्रिंटिंग प्रेस पर पहुँच जाया करती थी। एक बार एक प्रेस में 'मुक्तवाणी' की छपाई का काम चल रहा था कि तभी पुलिस के एक सिपाही ने गुप्त वेश में वहाँ पहुँचकर प्रेस मालिक को 'मुक्तवाणी' का एक पुराना अंक दिखाते हुए कहा कि वह 'लोक संघर्ष समिति' का कार्यकर्ता है तथा उसे उस पत्रिका की और प्रतियाँ छपवानी हैं। प्रेस मालिक सतर्क थे। उन्होंने पुलिस के उस कर्मचारी को डपट दिया तथा स्वयं मानो परम सरकार-भक्त हों, वैसे उस खुफिया पुलिसवाले को गिरफ्तार करवा देने की धमकी भी दे डाली। जाँच करने के लिए

आया हुआ सरकारी गुप्तचर प्रेस मालिक के बारे में बहुत अच्छी राय बनाकर वापस लौटा। उन दिनों लोगों के लिए 'मुक्तवाणी' ही समाचारों का मुख्य स्रोत बन गया था। संघर्ष के अंत तक 'मुक्तवाणी' का प्रकाशन होता रहा तथा लोक-चेतना की मशाल जलती रही।

भूमिगत साहित्य का दूसरा प्रकार था—आपातस्थिति तथा लोकतंत्र का तात्त्विक विवेचन करनेवाली पुस्तक। इन पुस्तकों को गुजरात के चिंतनशील व्यक्तियों तक पहुँचाने के प्रयत्न किए जाते थे। सरकार की ओर से आर्थिक विकास के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर होनेवाले प्रचार की पोल खोलनेवाली पुस्तिकाएँ भी प्रकाशित की जाती थीं। उनमें से मुख्य पुस्तक थी—'Story of Two Emergencies' तथा उसका गुजराती अनुवाद—'कटोकटी' 'एडॉल्फ हिटलर नी अने श्रीमती गांधी नी', जिसे गुजरात भर में पढ़ा गया था। 'Twenty Point Deception', 'Emergency X-Rayed', 'Proposed Constitutional Reforms', 'Review of a Decade', 'When Disobedience to Law is a Duty', 'फासिज्म का स्वरूप' (गुजराती), 'चौवालीसवाँ संविधान संशोधन' (गुजराती), 'Indian Press Gagged', 'Saga of Struggle', 'Why Emergency', 'Anatomy of Fascism' 'बीस झूठ' (गुजराती), 'Facts : Nail Indira's Lies' इत्यादि पुस्तकें भी प्रकाशित कर लोगों तक पहुँचाई गई थीं।

आपातकाल के दौरान सरकार की ओर से संघ-विरोधी प्रचार लगातार किया जाता रहा था। रेडियो, अखबारों एवं सरकारी प्रकाशनों के माध्यम से नित्य नए आक्षेपों तथा नितांत झूठी बातों को फैलाने के लिए सरकारी खजाने से ढेरों रुपए बहाए जा रहे थे। यह सबकुछ संघ को ही निशाना बनाकर किया जा रहा था। संघ ने भी लोगों तक सच्चाई पहुँचाने के प्रयत्न किए। संघ की वास्तविक छवि प्रस्तुत करनेवाली छोटी-छोटी भूमिगत पत्रिकाएँ तैयार की गईं। 'फेसिस्ट कोण? अमे के तेओ?' (फासिस्ट कौन? हम या वे?), 'संघ अने हिंसाचार' (संघ और हिंसाचार), 'कटोकटी ना नामे आर.एस.एस. पर तवाई शा माटे?' (आपातस्थिति के नाम पर आर.एस.एस. पर जुल्म क्यों?), 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ—जातिभेद अने अस्पृश्यता' (रा. स्व. संघ जातिभेद और अस्पृश्यता), 'संघ अने नाणा भंडोळ' (संघ का आर्थिक सहायता कोष), 'संघ पर नो अन्याय दूर करो' (संघ पर अन्याय क्यों), 'संघ पर प्रतिबंध शा माटे?' (संघ पर प्रतिबंध किसलिए?), 'संघ—लोकशाही ने पूरक बळ' (संघ—लोकतंत्र समर्थक शक्ति) इत्यादि कई पुस्तिकाओं की हजारों प्रतियाँ छपवाकर गुजरात भर में वितरित की गईं।

संपर्क तथा समाचार प्रसार

देश भर के सच्चे समाचारों से सभी को अवगत करवाने के उद्देश्य से भूमिगत वार्ता-पत्रों की एक व्यवस्था बनाई गई थी। इन वार्ता-पत्रों के आधार पर ही हर प्रांत में भूमिगत समाचार-पत्रिकाएँ तैयार की जाती थीं। अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा में छापे जानेवाले इन वार्ता-पत्रों में राज्य का राजनीतिक परिदृश्य, कांग्रेस की आंतरिक गतिविधियों, प्रजा की मनःस्थिति, जेलों के समाचार, प्रतिकार के कार्यक्रम इत्यादि जानकारियों का समावेश किया जाता था। इन वार्ता-पत्रों को विभिन्न प्रांतों के निश्चित भूमिगत केंद्रों पर अंतरप्रांतीय संदेशवाहकों के माध्यम से पहुँचाया जाता था। भारत के बारे में सच्चे समाचारों की विदेशों में भी बहुत माँग थी। अतः इस हेतु भी योजना बनाई गई थी। विभिन्न रास्तों से ये समाचार-पत्रिकाएँ तथा वार्ता-पत्र विदेशों को पहुँचाए जाते थे। गुजरात से बाहर भेजी जा रही समाचार-पत्रिकाओं में गुजरात के छोटे-से-छोटे गाँव के समाचारों का भी समावेश हो सके, इसके लिए गुजरात में प्रांत स्तर पर भी समाचार प्रसार-तंत्र बनाया गया था। इस तंत्र के जरिए समाचारों को एकत्रित कर भारत के अन्य राज्यों तथा विश्व के कई देशों में भेजा जाता था।

समाचारों को एकत्रित कर Gujarat News Bulletin तैयार करने में सुप्रसिद्ध पत्रकार तथा पहले दौर के स्वातंत्र्य-संग्राम के समय से ही देश-सेवा में लगे श्री देवेंद्रभाई ओझा ('वनमाळी वांको'—'संदेश') का योगदान उल्लेखनीय रहा था। पत्रकार होने के नाते, स्वाभाविक रूप से, उन्हें विभिन्न समाचार मिलते रहते थे; इसके अलावा भूमिगत तंत्र के माध्यम से भी उन्हें ढेरों समाचार पहुँचाए जाते थे। साठ साल पूरे कर चुके श्री देवुभाई न्यूज बुलेटिन को संपादित करने के बाद कड़ा परिश्रम कर तथा रात-रात भर जागकर, हमारे न चाहने पर भी, अपने हाथों पत्रिका टाइप करते और उसकी अनेक प्रतियाँ भी बनाते थे। यह सब वे केवल इसलिए करते थे, क्योंकि अपनों द्वारा थोपी गई गुलामी से वे अत्यंत व्यथित थे। अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए ही वे संघर्ष से जुड़ा कोई भी कार्य पूरे जुनून के साथ करने को तत्पर रहते थे। कई बार तो 'मुक्तवाणी' का वितरण करने के लिए वे इस उम्र में भी साइकिल लेकर निकल पड़ते थे। देवुभाई की इच्छा से ही उनके मौसा प्रताप और मौसी ज्योति का घर हमारी गुप्त बैठकों का स्थान बन गया था।

भूमिगत समाचार-पत्रिकाओं के लिए अधिक-से-अधिक समाचारों को जुटाने में 'जनसत्ता' के संपादक श्री वासुदेवभाई मेहता का बड़ा योगदान था। पूरे संघर्ष काल के दौरान वे हमें सहयोग देते रहे थे। बड़े साहसी थे। हमारे साथ

कहीं भी जाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनका घर हम लोगों के लिए चौबीसों घंटे खुला रहता था। श्री के.जी. प्रभु आदि के साथ मुलाकातें उन्हीं के घर पर की जाती थीं।

श्री बाबूभाई पटेल को गिरफ्तार करने से पहले भी उनपर निगरानी रखने के लिए पुलिस की वैन हमेशा उनके साथ रहती थी। उनसे विचार-विमर्श करना हमारे लिए कई बार आवश्यक हो जाता था। किंतु उनसे मिलने में कई खतरे थे, अतः पत्रों के माध्यम से ही उनसे संपर्क करना पड़ता था। इस समस्या से निपटने के लिए गुजरात के ही एक और सपूत की मदद ली गई। वे थे गुजरात विद्यापीठ के श्री धीरूभाई देसाई। वह सार्वजनिक जीवन में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति थे; किंतु अभिमान का नामोनिशान तक नहीं था उनमें। बाबूभाई तथा हमारे बीच संपर्क सूत्र बनने की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली। मुझ जैसे कार्यकर्ता के पत्र भी वे बाबूभाई से स्वयं मिलकर हाथोहाथ पहुँचा देते थे तथा उस पत्र का उत्तर भी ले आते थे। श्रेष्ठ लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए उससे जुड़े हर काम को महत्वपूर्ण मानना चाहिए— इस बात को उन्होंने अपने आचरण से साबित कर दिखाया था।

आपातस्थिति को लेकर असंतुष्ट कांग्रेसियों का एक छोटा सा गुट गुजरात में भी था। इस संघर्ष में उनका सहयोग पाने के लिए उनसे संपर्क करना आवश्यक था। इस हेतु हमने प्रयत्न किए। कहीं सफलता मिली और कहीं विफलता। पत्रकार व सक्रिय कार्यकर्ता श्री विद्युत ठाकर ने भी इस संघर्ष हेतु लोगों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क करवाने में हमारी सहायता की थी। श्री के.डी. देसाई, श्री जयंतीभाई पटेल इत्यादि तो हमारे नियमित साथी बन चुके थे। हर नई परिस्थिति, नई योजना, नए समाचार इत्यादि के बारे में विचार-विमर्श हेतु उनके साथ बैठकें करना हमारा नित्यकर्म बन चुका था। सक्रिय कार्यकर्ताओं तक दिल्ली से 'सत्य समाचार' पहुँचाते रहने के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया था। इस प्रकार समाज के विभिन्न क्षेत्रों के निडर प्रतिनिधियों ने भूमिगत योजनाओं को सफल करने हेतु संपर्क तथा समाचार प्रसार के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

पुलिस निगरानी से सदा घिरे रहनेवाले केशुभाई, हेमा बहन इत्यादि से मिलने में हमें बहुत कठिनाई होती थी। सरकार जानती थी कि भूमिगत कार्यकर्ता केशुभाई तथा हेमा बहन से संपर्क करने के प्रयत्न अवश्य करेंगे, अतः उनकी गतिविधियों पर सरकार हमेशा आँखें गड़ाए रहती थी। भूमिगत प्रवृत्ति का राजनीतिक मोरचा सँभालनेवाले नाथाभाई उनसे मिलने के लिए नई-नई योजनाएँ बनाते रहते थे। इन योजनाओं के अनुसार नजरबंदी केशुभाई, कभी मीसाग्रस्त परिवारों से

मिलने के बहाने तो कभी पुलिस की नजरें बचाकर पिछले दरवाजे से निकलकर, मुलाकात के लिए निर्धारित स्थान पर पहुँच जाया करते थे। हेमा बहन की हिम्मत तथा योजनाएँ भी दाद देने लायक हुआ करती थीं। निगरानी रखनेवाला पुलिस-दल हमेशा मोटरकार में बैठकर पीछा करता था। इस बात को ध्यान में रखकर हमसे मिलने के लिए आते समय हेमा बहन जान-बूझकर ऑटो रिक्शा का उपयोग करती थीं। अहमदाबाद के रिक्शेवाले कैसी भी घनी भीड़ को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाने में माहिर हैं। हेमा बहन रिक्शेवालों की इसी महारत के सहारे निगहबान मोटरकार से पीछा छुड़ाकर मुलाकात के स्थान पर पहुँच जाया करती थीं। पुलिसवाले दिन भर उन्हें ढूँढ़ते रहते—और ढूँढ़ते ही रह जाते थे। ऐसी अजीबोगरीब तरकीबों को आजमाकर ही हम लोग एक-दूसरे से मिल पाते थे।

संपर्क व सहचिंतन के लिए भूमिगत कार्यकर्ताओं तथा अन्य संघर्षरत कार्यकर्ताओं की नियमित रूप से बैठकें होती रहती थीं। इन बैठकों में कभी प्रांत स्तरीय, कभी विभाग स्तरीय, कभी जिला स्तरीय तो कभी नगर स्तरीय या वार्ड स्तरीय कार्यकर्ता शामिल होते थे। कई बैठकों में 'केंद्रीय लोक संघर्ष समिति' के नेता भी उपस्थित रहा करते थे। इन बैठकों से संपर्क तथा सहचिंतन के साथ-साथ नवचेतना तथा प्रोत्साहन का उद्देश्य भी सिद्ध होता था। इन बैठकों के दौरान विशेष रूप से सतर्क रहना पड़ता था—न जाने किसका पीछा करते हुए पुलिस आ जाए! बैठक में प्रतिभागियों की संख्या भी पंद्रह से बीस तक सीमित रखी जाती थी। गुजरात सरकार के गिरने के बाद भी भूमिगत नेता व संघ के सरकार्यवाह श्री माधवरावजी मुळे दो बार गुजरात के दौरे पर आए। चार या पाँच दिनों की अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न स्थानों पर आयोजित बैठकों में लगभग एक सौ पचास कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। संघर्ष से संबद्ध कार्य-योजना के बारे में खुलकर विचार-विमर्श हुआ। श्री वकील साहब तथा श्री मोरोपंतजी पिंगळे के दौरे तो अकसर ही होते थे।

इन अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है कि भूमिगत प्रवृत्ति के लिए केवल साहस तथा सावधानी ही पर्याप्त नहीं है। इस प्रवृत्ति को चलाने के लिए बड़ी संख्या में निडर साथी तथा चपल और समझदार परिवारों का सहयोग मिलना अति आवश्यक है। एक कार्यकर्ता को भूमिगत रहने के लिए निडर तथा संघर्ष समर्थक प्रकृति के कम-से-कम दस परिवारों की आवश्यकता होती है। यदि सौ कार्यकर्ता भूमिगत हों तो उन्हें केवल रहने भर के लिए ही एक हजार परिवारों की जरूरत होती है। प्रवृत्ति से जुड़े अन्य कार्यों के लिए भी सैकड़ों की संख्या में ऐसे परिवार

चाहिए होते हैं। देश भर में लगभग दस हजार भूमिगत कार्यकर्ता थे। एक लाख परिवार उनकी देख-रेख कर रहे थे। अन्य हजारों परिवार भूमिगत गतिविधियों में अपना सहयोग दे रहे थे। सरकार के चुनाव घोषित करने के निर्णय से जाहिर होता है कि सरकार को संघर्ष के इस व्यापक जनाधार का आभास तक नहीं था। देशभक्ति तथा त्याग के रंग में रंगे संघ के ये परिवार हर क्षण बलिदान के लिए तत्पर रहते थे और इसी कारण से यह प्रवृत्ति संभव हो सकी थी।

कुछ योजनाएँ

इस समग्र भूमिगत आंदोलन के दौरान किसी भी योजना की सफलता का आधार उन सूचनाओं की सत्यता पर था, जिन सूचनाओं के सहारे वह योजना बनाई गई थी। संघ के विशाल और अनुशासित संगठन के कारण ही हर प्रकार की सच्ची जानकारी केंद्र तक पहुँचती थी। उन जानकारियों के आधार पर योजनाएँ बनाई जाती थीं। योजनाएँ बनाकर संघ के संगठन के माध्यम से ही संबद्ध व्यक्तियों तक तत्संबंधित सूचनाएँ पहुँचा दी जाती थीं। इसी माध्यम से देश के कोने-कोने में फैले स्वयंसेवकों तक केंद्रीय नेताओं के मार्गदर्शन भी पहुँचाए जाते थे। संघ का सूचना-तंत्र सरकारी सूचना-तंत्र से अधिक दक्ष सिद्ध हुआ था।

सत्याग्रह के बाद से संघर्ष करनेवालों के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई थी; परंतु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केवल जेलों को भरने का कार्यक्रम ही ध्येय सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं था। व्यापक जन-संघर्ष तथा नागरिकों में निर्भीकता का अधिकाधिक प्रसार अत्यंत आवश्यक था। ऐसा हो सके, इसके लिए हर जगह छोटे-छोटे गुटों में नागरिकों को एकत्र कर उनसे बातें करना, सच्चे समाचारों से उन्हें अवगत करवाना, आशावादी चर्चाएँ करना इत्यादि तरीकों से उनका मनोबल बढ़ाने के प्रयत्न किए जाते थे। संघर्ष के दौरान विनोबाजी का अपने पक्ष में उपयोग करने के लिए सरकार ने जमीन-आसमान एक कर दिए। इसके लिए सरकार ने असत्य का भी सहारा लिया। हालाँकि विनोबाजी सत्य-असत्य का भेद अच्छी तरह से समझते थे, फिर भी संघर्ष समिति ने अपनी स्थिति और स्पष्ट करने के लिए उन्हें वस्तुस्थिति की जानकारी दी। जेल में कैद कार्यकर्ताओं के परिवारों द्वारा विनोबाजी को पत्र लिखने का अभियान चलाया गया। इन पत्रों के द्वारा सरकार की ओर से होनेवाले अत्याचारों की जानकारी उन्हें दी गई। इन परिवारों के छोटे-बड़े हर सदस्य ने उन्हें पत्र लिखे थे। वडनगर के डॉ. वसंत पारीख की नन्ही सी बेटी आशा ने अपने मासूम अंदाज में एक चिट्ठी लिखी थी, 'दादाजी, मेरे पापा को

उन्होंने क्यों पकड़ा है? पापा को छुड़वाइए ना!

आनेवाले आचार्य के सम्मेलन में भाग लेनेवालों तथा विनोबाजी को भी नवीनतम जानकारी देने के लिए एक योजना बनाई गई। 'सभी को मुक्त कर दिया गया है।'—सरकार का यह झूठा कथन दिन-प्रतिदिन बुलंद होता जा रहा था। हकीकत यह थी कि किसी को भी जेल से रिहा नहीं किया गया था। अतः इस सच्चाई को उजागर करने के लिए हर प्रांत की जेलों के विस्तृत विवरण (जिसमें हर मीसाबंदी का नाम, उम्र, गिरफ्तारी की तारीख, जिस संगठन से वह संबंधित है उस संगठन का नाम इत्यादि सारी जानकारी थी) एवं विनोबाजी के नाम निवेदन-पत्र तैयार किए गए। प्रांत के ऐसे व्यक्तियों, जो कि विनोबाजी के विश्वस्त हों, के हाथों आवेदन-पत्र विनोबाजी को पवनार में पहुँचाने का निर्णय किया गया। गुजरात का आवेदन-पत्र ले जाने का जिम्मा गुजरात विद्यापीठ के श्री धीरूभाई देसाई को सौंपा गया। अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण वे नहीं जा पाए, किंतु अपने एक निजी पत्र के साथ उन्होंने आवेदन-पत्र पवनार भिजवा दिया।

सुसंगठित संघर्ष हेतु राजनीतिक दलों के एकीकरण के साथ-ही-साथ लोकतंत्र समर्थक छोटी-बड़ी संस्थाओं तथा व्यक्तियों को एकसूत्र में पिरोने के भी सफल प्रयत्न किए गए। विभिन्न जेलों में कैद राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं, भूमिगत नेताओं, जेल के बाहर स्थित नेताओं इत्यादि सभी को भूमिगत पत्रों के जरिए एक-दूसरे के संपर्क में रखने का कार्य राष्ट्रीय स्तर पर किया गया। इन संपर्क पत्रों के माध्यम से ही 'जनता पक्ष' का खयाल व्यापक बन सका था, उसे गति मिल सकी थी। जेलों में कैद नेताओं, कार्यकर्ताओं के बीच आपसी समझ को दृढ़ बनाने में भूमिगत संपर्क तंत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।

संघर्ष से जुड़े हर नेता का यह मानना था कि श्रीमती गांधी को चुनावों की घोषणा करनी ही पड़ेगी; पर ये चुनाव कितने निष्पक्ष होंगे, इस बारे में सभी केवल अनुमान ही लगा सकते थे। फिर भी चुनावों की घोषणा किए जाने की स्थिति में क्या किया जाए—इस बारे में भूमिगत कार्यकर्ताओं ने बहुत पहले से ही सोच-विचार कर लिया था। तय किया गया था कि जेलों के बाहर के नेता-कार्यकर्ता इस बारे में सतर्क रहें। चुनावों में पक्षपात का अनुभव होते ही या चुनावों के समय नेताओं को जेलों से मुक्त न किए जाने की स्थिति में चुनावों का बहिष्कार किया जाए। चुनावों के समय नेताओं को तो मुक्त कर दिया जाए, किंतु संघ के कार्यकर्ताओं को न छोड़ा जाए, तब क्या किया जाए—इस स्थिति के बारे में संघ के विचार बहुत स्पष्ट और साहसपूर्ण थे। संघ स्पष्ट रूप से मानता था कि उसके कार्यकर्ताओं को

मुक्त किया जाए या न किया जाए, राजनीतिक दलों को तो चुनाव लड़ना ही चाहिए। संघ के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को प्रतिष्ठा का मुद्दा कतई न बनाया जाए। इस सुस्पष्ट और निस्स्वार्थ भूमिका के साथ कार्य करनेवाले संघ के भूमिगत कार्यकर्ताओं ने किसी भी पल घोषित होनेवाले चुनावों के लिए अक्टूबर १९७६ से ही तैयारियाँ शुरू कर दी थीं। इन तैयारियों के ही तहत जेलों में भी सुनियोजित चर्चाओं के आयोजन किए जाने लगे।

प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के बारे में विस्तृत आयोजन किया जाना था। इस बारे में संघ के पाँच प्रमुख भूमिगत नेताओं ने अक्टूबर के तीसरे और चौथे सप्ताह के दौरान लगभग नब्बे भूमिगत बैठकों में लगभग तीन हजार कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनावी संभावनाओं के बारे में विचार-विमर्श किया। संघ के अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख तथा भूमिगत नेता श्री मोरोपंतजी पिंगळे इस प्रयोजन से गुजरात के दौरे पर आए थे। अलग-अलग तीन स्थानों पर एक या दो दिनों तक चली बैठकों में गुजरात के संसदीय क्षेत्रों के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए करीब एक सौ पचास कार्यकर्ता पिंगळेजी से मिले। सरकार द्वारा लगाई गई सारी बंदिशों के रहते हुए भी चुनाव जीतने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है, इस बारे में विस्तृत चर्चा की गई।

संघ के कार्यकर्ताओं को चुनावों के लिए काम करने का कोई अनुभव भी नहीं था, अतः उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था, संभावित उम्मीदवार, कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार, कांग्रेसी उम्मीदवारों के प्रति कांग्रेस के आंतरिक गुटों का रवैया, चुनावों में विचारशील युवाओं तथा मातृ-शक्ति के अधिक-से-अधिक उपयोग की संभावनाओं, चुनावों के समय वाहनों की आवश्यकता, चुनाव निधि की व्यवस्था (क्योंकि उन दिनों में कहीं से भी आर्थिक सहयोग मिल पाना बड़ा मुश्किल लग रहा था), सेंसरशिप जारी रहने की स्थिति में अधिक-से-अधिक भूमिगत पत्रिकाओं की व्यवस्था करना, विभिन्न जिलों से प्रकाशित होनेवाले छोटे-छोटे अखबारों से सहायता हेतु संपर्क करना, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों व संस्थाओं से संपर्क इत्यादि अनेक विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। हर व्यक्ति को निश्चित कार्य की जिम्मेदारी दी गई। हर संसदीय क्षेत्र के लिए एक-एक व्यक्ति को प्रभारी बनाया गया। इतनी व्यवस्था तो नवंबर शुरू होने से पहले ही कर ली गई थी। इस योजना में जेल से मुक्त होकर आनेवालों की तो गणना ही नहीं की गई थी। उनके आने पर तो कार्यकर्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी ही होनी थी। चुनावी तैयारियों की इन योजनाओं की जानकारी सरकार तक न पहुँच जाए, इस बात की

सावधानी बरती गई। अनुमान के अनुसार ही चुनाव घोषित कर दिए गए। योजनाएँ तो बन ही चुकी थीं, तिसपर सरकार ने मुक्त चुनावों की घोषणा कर दी थी। इस घोषणा ने हम जैसे भूमिगत कार्यकर्ताओं में विजय के विश्वास को कई गुना बढ़ा दिया था।

भूमिगत आंदोलन के दौरान सर्वश्री नरेंद्रभाई पंचासरा, शांतिभाई दरु, अनंतरावजी काळे, भास्करराव दामले, वासुदेव राय तळवलकर, नटवरसिंह वाघेला, जनार्दनभाई रास्ते, काशीनाथजी बागवडे इत्यादि संघ के प्रचारक अन्य भूमिगत साथियों की सहायता से दो, तीन या चार जिलों का कार्यभार सँभालते थे। आरंभिक दौर में अशोक भट्ट तथा घनश्याम मेहता दक्षिण गुजरात के भूमिगत आंदोलन से संबद्ध जिम्मेदारियाँ सँभाला करते थे, किंतु बाद में वे पकड़े गए। सर्वश्री शंकरसिंह वाघेला, भीखूभाई भट्ट तथा विद्यार्थी परिषद् के अरुण ओझा संघर्ष का कार्य करते समय ही पकड़ लिये गए थे।

आपातस्थिति की चुनौती का जवाब देने के लिए कई कार्यकर्ताओं ने अपने रोजगार-व्यवसायों को छोड़कर, पूर्णकालिक रूप से संघर्ष अभियान में जुड़कर देश-प्रेम की अनोखी मिसाल कायम की थी। तमिलनाडु में जनमे भाई श्री रवि अय्यर महाराष्ट्र में पढ़ाई-लिखाई पूर्ण कर बंबई की एक बड़ी व्यावसायिक संस्था में उच्च पद पर कार्यरत थे। संघर्ष के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर विद्यार्थी परिषद् के लिए पूर्णकालिक रूप में काम करना शुरू कर दिया। आपातकाल के दिनों में गुजरात विद्यार्थी परिषद् का काम सँभाला। 'आनंद शर्मा' के छद्म नाम से वे लंबे अरसे तक गुजरात में रहे। बंबई से ही ऐसे दो और साथी थे—भाई प्रवीण टाँक और श्री नरेश सोलंकी। दोनों पर पुलिस की मुखबिरी करनेवाले एक विद्यार्थी की हत्या करने का आरोप लगाकर उनके नाम वारंट निकाल दिया गया था (बाद में अदालत ने उन्हें निर्दोष घोषित कर दिया था) तथा उनपर मीसा भी लगाया गया था। दोनों गुजरात आकर संघर्ष अभियान से जुड़ गए। प्रवीण टाँक 'अरविंद पाठक' के छद्म नाम से वडोदरा की जिम्मेदारी सँभालते थे। श्री नरेश सोलंकी कुछ समय तक गुजरात में रहे। बाद में उन्हें विदेश भेज दिया गया था। आपातकाल के बाद २३ सितंबर, १९७७ को जोहांसबर्ग में एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया।

भूमिगत कार्यकर्ताओं को पकड़ने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयत्न किए जाते रहे। उनके घरों पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जाती, कभी-कभी धमकियाँ भी दी जाती थीं। श्री नाथाभाई के बड़े भाई तथा परिवार के अन्य सदस्यों को पूछताछ के लिए बार-बार थाने बुलाया जाता था। श्री खोड़ाभाई पटेल की

जमीन पर सरकार ने कब्जा कर लिया। कई कार्यकर्ताओं को तरह-तरह के प्रलोभन भी दिए गए, किंतु ये तरीके असफल रहे। कहीं-कहीं तो पुलिस को मूर्ख भी बनाया गया। पुलिस को जानकारी दी जाती कि फलाँ-फलाँ भाई तो कुंभ के मेले में गए हैं। बस, फिर पुलिस की उछल-कूद शुरू हो जाती। वह कुंभ के मेले तक चक्कर लगा आती। श्री देशमुखजी को खोजने के लिए गुजरात की पुलिस ने बनारस में डेरे डाल दिए थे तो श्री दामलेजी की खोज में नागपुर के आस-पास के गाँव छान डाले। सूचना दी गई कि श्री नाथाभाई कन्याकुमारी गए हुए हैं, तब बेचारी गुजरात पुलिस कन्याकुमारी तक भागी चली गई। श्री काशीनाथजी बागवड़े की खोज में बंबई स्थित उनके भाई के घर की अकसर तलाशी ली जाती थी। भाई गिरीश भट्ट को ढूँढ़ने के लिए राजकोट स्थित उनके घर की बार-बार तलाशी ली जाती रही। तलाशी के दौरान पुलिस कपड़ों की अलमारी तक को उलट-पुलटकर देख डालती। भूमिगत कार्यकर्ताओं की तलाश में रहनेवाली पुलिस पेरौल पर छूटनेवालों पर भी निगरानी बनाए रखती थी। इन सारी तरकीबों के बावजूद पुलिस को तनिक भी सफलता नहीं मिली थी।

भूमिगत होकर आंदोलन में योगदान देनेवाले एकमात्र राज्य स्तरीय राजनीतिक नेता श्री नाथाभाई झगड़ा सफलतापूर्वक अपनी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। उन्हें इस कार्य में सर्वश्री भास्करभाई पंड्या, विद्या बहन गजेंद्र गडकर इत्यादि का सहयोग मिलता रहता था। आएदिन पड़नेवाले पुलिस छापों, प्रलोभनों, धमकियों इत्यादि विघ्नों के बावजूद शांत स्वभाववाले भाई जनक पुरोहित ने अपने ही बल पर दृढ़तापूर्वक जनसंघ के कार्यालय का कामकाज चलाना जारी रखा था। अहमदाबाद भूमिगत आंदोलन का केंद्र था, अतः काम की अधिकता के कारण हम लोगों को कई कार्यों को निपटाने के लिए साथियों के सहयोग की आवश्यकता रहती थी। श्री बटुकभाई ने ऐसे ही एक जिम्मेदार साथी की भूमिका निभाकर हमारी बहुत सहायता की थी। कौशिक मेहता, राजु अग्रवाल, अजित शाह जैसे युवा साथियों ने भी बहुत मदद की थी। भाई अजित के दो चाचा मीसा के आरोप में बंदी थे। उनके पिताजी पर भी मीसा लगाए जाने की पूरी संभावना थी, फिर भी वे बेझिझक संघर्ष के कार्य करते रहते थे। पत्राचार आदि के लिए आवश्यक टाइपिंग का अधिकांश कार्य उनके बड़े भाई जीतेंद्र तथा भाभी प्रवीणा बहन ही कर दिया करते थे। इस प्रकार उनके परिवार का हर सदस्य कोई-न-कोई जिम्मेदारी निभा रहा था। भाई रंजन पाठक ने तो साल भर तक, अपने निजी सुख-चैन की परवाह किए बिना, संघर्ष में सहायता की थी। उनका घर भी संघर्ष के कार्यों के

लिए हमेशा खुला रहता था। मंजू बहन भी उतनी ही मिलनसार थीं। यह हम सभी का दुर्भाग्य था कि चुनावों के परिणामों के घोषित होने के कुछ ही दिनों बाद एक दुर्घटना का शिकार होकर हमारा यह जोशीला युवा साथी हमसे बिलुड़ गया। ऐसे ही एक और साथी श्री नानजीभाई भट्ट, जिन्होंने सन् १९४२ के स्वातंत्र्य-संग्राम में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था, ने अपनी ढलती उम्र की परवाह किए बिना इस बार भी संघर्ष के लिए जी-जान लगाकर काम किया था। अत्यधिक श्रम के कारण चुनाव परिणामों के कुछ ही दिनों बाद वे दिल के दौरों का शिकार हो गए। इस संग्राम में प्रत्येक परिवार का इतना योगदान था कि इस पुस्तक में उसका पूरा विवरण देना असंभव है।

अनोखे अनुभव

भूमिगत अवस्था के दौरान कई अनोखे अनुभव भी हुए थे। आपातस्थिति तथा संघ पर प्रतिबंध की घोषणा होते ही संघ कार्यालय से श्री देशमुखजी को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने उत्साहित होकर सभी को वायरलेस से सूचना देना शुरू कर दिया कि 'नानाजी देशमुख पकड़े गए'; किंतु जब पता चला कि जिन्हें पकड़ा गया है वे नानाजी देशमुख नहीं, केशवरावजी देशमुख हैं तब पुलिस को बड़ी निराशा हुई थी।

कार्यकर्ताओं द्वारा किए जानेवाले संदेशों के आदान-प्रदान में कभी-कभी होनेवाली गड़बड़ी भी परेशानी खड़ी कर देती, तो कभी सभी का मनोरंजन करती। आरंभिक दिनों में एक बार बंबई के साथियों को संदेश मिला, 'नरेंद्रभाई फ्लाईंग से बंबई आ रहे हैं।' बंबई के साथी यह समझे कि नरेंद्रभाई 'फ्लाइट' से आ रहे हैं और वे हवाई अड्डे पर नरेंद्रभाई को लेने के लिए पहुँच गए। जबकि हकीकत यह थी कि नरेंद्रभाई नामक सूरत के एक अन्य कार्यकर्ता सूरत से बंबई जानेवाली फ्लाईंग ट्रेन से बंबई पहुँचने वाले थे।

एक बार श्री वकील साहब ऑटो रिक्शा में बैठकर अहमदाबाद के साबरमती क्षेत्र से मुख्य शहर की ओर जा रहे थे। रास्ते में पुलिस अधिकारी की वरदी पहने हुए एक व्यक्ति ने रिक्शे को रुकने का इशारा किया। वकील साहब कुछ करते उससे पहले ही पुलिस अधिकारी ने विनम्रता से कहा, 'यदि आपको हर्ज न हो तो कृपया आप मुझे कुछ दूर तक साथ बैठा सकते हैं?' वकील साहब ने शांत चित्त होकर उन्हें अपने साथ बैठा लिया। बड़ा अजीब संयोग था—मीसा से बचनेवाला मीसा लगानेवाले के साथ ही सफर कर रहा था! मंजिल पर पहुँचते ही पुलिस

अधिकारी ने रिक्शे से उतरकर सहायता के लिए शुक्रिया अदा की और रिक्शा आगे चल पड़ा।

हमारे भूमिगत आवासों में से एक परिवार की पुलिसवालों से भी मित्रता थी। एक बार एक पुलिस इंस्पेक्टर, जो कि उस परिवार के मित्र थे, उन लोगों से मिलने के लिए आए हुए थे। तभी उस परिवार के साथ रहनेवाले भूमिगत कार्यकर्ता भी घर पहुँचे। इंस्पेक्टर को देखते ही वे ठिठक गए, पर फिर अपने आपको सँभालकर उस इंस्पेक्टर के साथ ही बैठ गए। कोई और उनका परिचय करवाता, उससे पहले ही उन्होंने अपना मनचाहा परिचय देकर इंस्पेक्टर से बात करना शुरू कर दिया। बातचीत के प्रारंभ में ही उन्होंने इंस्पेक्टर से पूछा, 'सुना है, आजकल आप सभी को नए-नए रिवाल्वर दिए जा रहे हैं?' यह सुनकर इंस्पेक्टर ने मिली नई रिवाल्वर भूमिगत साथी को दिखाने के लिए उनके हाथ में थमा दी। भूमिगत साथी ने भी वह रिवाल्वर अपने हाथों में ले ली। बातचीत समाप्त होने के बाद जब इंस्पेक्टर साहब जाने के लिए उठ खड़े हुए, तभी भूमिगत साथी ने वह रिवाल्वर लौटाई थी।

अहमदाबाद के एक कॉर्पोरेटर श्री जोईताराम पटेल हमारे साथ भूमिगत थे। शुरू-शुरू में आंदोलन के कार्यों के सिलसिले में वे स्कूटर से कच्छ तक की यात्रा कर आए थे। उस यात्रा के दौरान उनके साथ सड़क दुर्घटना भी हो गई थी। भूमिगत होने के कारण वे महानगरपालिका की बैठकों में उपस्थित नहीं हो पाते थे। लंबी अनुपस्थिति के कारण उनकी सदस्यता निरस्त होने की नौबत आ गई थी। अतः कम-से-कम एक बार कॉर्पोरेशन में हाजिरी देना अनिवार्य हो गया था। गिरफ्तारी का खतरा मोल लेकर भी उन्हें कॉर्पोरेशन की बोर्ड मीटिंग में उपस्थित होना चाहिए, ऐसा निर्णय किया गया। आवश्यक व्यवस्थाएँ कर जोईताराम को कॉर्पोरेशन भेजा गया। सरकारी अधिकारियों को पता चले और वे कोई हरकत कर पाएँ, उससे पहले ही बोर्ड मीटिंग में उपस्थिति दर्शाने के लिए आवश्यक औपचारिकताएँ निपटाकर योजनानुसार वे वहाँ से उड़न-छू हो गए। सदस्यता बच गई, किंतु सरकार की सख्ती बढ़ गई। वहाँ के अधिकारियों से जवाब-तलबी भी की गई।

एक कार्यकर्ता वेश-परिवर्तन कर रोजाना शाम के वक्त समाज के वरिष्ठ नागरिकों से मिलने जाया करते थे। रोज के अभ्यास से उन्हें इस कार्य में कोई दिक्कत नहीं होती थी; किंतु एक दिन वे संकट में फँस गए। रात के नौ बजे विधिशास्त्री श्री दरु से मिलने के लिए गए हुए थे। श्री दरु के घर के सामने कई निजी वाहन खड़े दिखाई दिए। दरु साहब से मिलने के लिए लोग आए होंगे, यह

समझकर वे उनके बँगले के गेट तक स्कूटर लेकर पहुँच गए। वहाँ पहुँचने पर उनके तो जैसे होश ही उड़ गए। बँगले के आँगन में पुलिस का झुंड खड़ा था। उन्होंने देखा कि उनसे सालों से परिचित कुछ पुलिस अधिकारी गेट पर ही खड़े थे। बाहर दो पुलिस वैन खड़ी थीं। हड़बड़ाकर भागने पर पकड़े जाने का भय था। मन को संतुलित कर उन्होंने एक तरकीब अपनाई। अपनी आवाज बदलकर एक अनजान राही के समान गेट पर खड़े पुलिस अधिकारियों से ही उन्होंने किसी और जगह का पता पूछा। पता बताना अपनी शान के खिलाफ मानकर पुलिस अधिकारी ने उन्हें देखे बिना किसी और से पता पूछने की सलाह दे दी। जान बची देखकर वे वहाँ से सरपट भाग निकले।

गुजरात सरकार के पतन के दूसरे दिन की बात है। एक साथी, भूमिगत होने के बावजूद, पुलिस जिस कार पर निगरानी रखे थी उस कार को ही लेकर एक कार्यकर्ता से मिलने के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक पुलिसवाले की निगाह उस कार पर पड़ गई। शिकार और शिकारी—दोनों की नजरें मिलीं, दोनों को एक-दूसरे के खयालों का एहसास हो गया। उन्होंने कार की गति बढ़ाकर भागना शुरू कर दिया। पुलिसवाला भी मोटरसाइकिल की गति तेज कर उनका पीछा करने लगा। वायरलेस से आस-पास के सभी पुलिस स्टेशनों तक इस बात की सूचना पहुँच गई थी। उत्तेजना भरे माहौल में कार, मोटरसाइकिल तथा पुलिस की गाड़ियों की रेस शुरू हो गई। सौभाग्यवश वे बच निकलने में सफल रहे। कलोल के पास के एक अनजाने गाँव की पशुशाला में अपनी कार छिपाकर एक किसान के वेश में वे वहाँ से निकल भागे।

एक कॉलोनी के भीतरी हिस्से में स्थित एक मकान में हम लोग अकसर बैठकें किया करते थे। उन बैठकों में संदेशों का आदान-प्रदान किया जाता था। एक दिन पुलिस ने कॉलोनी पर छापा मार दिया। पूरी कॉलोनी को घेरकर एक-एक घर की तलाशी ली जाने लगी। जिस परिवार ने संघर्ष के उपयोग हेतु वह मकान हमें दिया था, उनकी तो हमारी चिंता में जान ही सूखी जा रही थी। उस मकान की भी तलाशी ली गई। उस दिन श्री नाथाभाई वहाँ पर आए हुए थे, किंतु छापा पड़ने से कुछ समय पहले ही वे वहाँ से जा चुके थे। बाद में पता चला कि पुलिस का छापा तो उसी कॉलोनी के एक अन्य मकान में चल रहे जुएखाने को खोजने के लिए पड़ा था। इस घटना से हमें एक और शिक्षा मिली। इस अनुभव के बाद संघर्ष कार्य के लिए आवासों का चयन करते समय हम उसके आस-पास के क्षेत्र की भी जाँच-पड़ताल कर लेते थे।

भूमिगत बैठकों के स्थानों को ऐन वक्त पर बदल देना, दूसरी व्यवस्था के लिए रात-रात भर दौड़-भाग करना—ये सब तो रोजमर्रा की बातें बन चुकी थीं। नड़ियाद में एक बार कुछ भूमिगत कार्यकर्ताओं तथा कुछ अन्य कार्यकर्ताओं के साथ श्री देशमुखजी बैठक कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एल.आई.बी. वालों का दल आ खड़ा हुआ। अब वहाँ से भाग निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। एल.आई.बी. वालों को उलझाए रखकर एक-एक कर सभी वहाँ से चलते बने।

कई बार घंटों तक मकानों में छुपे रहना पड़ता था। एक दिन जोरों की बारिश हो रही थी। 'ऐसे मौसम में इतनी सुबह किसकी नजर पड़ेगी!' यह सोच एक कार्यकर्ता तड़के ही शांता बहन गजेंद्र गडकर के घर पहुँचे। कुछ देर बातचीत हुई होगी कि तभी पुलिस वैन घर के बाहर आकर रुकी। घर के सभी लोगों के होश उड़ गए। तय था कि अब उन अतिथि कार्यकर्ता को कोई नहीं बचा सकता। वे लोग जहाँ बैठे थे, उस ऊपरवाले कमरे तक पुलिसवाले चढ़ आए। उनके पीछे-पीछे ही श्री केशुभाई पटेल तथा श्री अरविंदभाई मणियार भी आए। पुलिस दल को देखकर अतिथि कार्यकर्ता उसी कमरे से लगे हुए दूसरे कमरे में जा छिपे। अपने कागज-पत्र भी उन्होंने वहीं पर छिपाकर रख दिए, ताकि पकड़े जाने पर भी सरकार को कोई गुप्त जानकारी न मिल सके; किंतु बाद में पता चला कि केशुभाई तथा अरविंदभाई को पुलिस राजकोट से गिरफ्तार करके लाई थी और किसी अन्य कार्य से ही वे सभी शांता बहन के घर आए थे। फिर भी, जब तक पुलिस वहाँ रही, अतिथि कार्यकर्ता दम साधे उसी कमरे में छिपे रहे। पुलिस के जाते ही वे तुरंत वहाँ से चलते बने।

समाज का प्रतिभाव

भूमिगत आंदोलन के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों से संपर्क होता रहता था। शुरू-शुरू में आंदोलन को सभी उपहास की दृष्टि से देखते थे। हमारी खिल्ली उड़ाने के प्रयत्न के रूप में हमारे सामने 'बहनजी' की बहादुरी के बखान भी किए जाते थे। किंतु जैसे-जैसे लोगों को स्थिति की गंभीरता का एहसास होता गया, समाज की हमसे अपेक्षाएँ बढ़ने लगीं। उपहास करनेवाले अब उपहास करने की स्थिति में नहीं रहे थे। 'बहनजी' की बहादुरी से निर्मित परिस्थितियों ने किसी-न-किसी तरह सभी को परेशान कर रखा था। चारों ओर घोर निराशा छाई हुई थी। अच्छे-अच्छे नेताओं का मनोबल भी जवाब दे गया था। उनकी आस्था खंडित हो

चुकी थी। सभी का यही मानना था कि 'अब तो जेलें बेगारों की छावनी बन जाएँगी। अब अपना या देश का कोई भविष्य नहीं रहा। बड़े-बड़े दिग्गजों को भी इंदिराजी ने चुप करा दिया है। अब तो गुलामी में ही जीवन बीतेगा।' समाज के इस दुःख से हमें हमदर्दी थी; किंतु प्रजा की शक्ति से हम परिचित थे, वास्तविकता का हमें ज्ञान था—और इसीलिए हम जैसे कार्यकर्ताओं के हौसलों पर कोई आँच नहीं आई थी। परंतु सर्वाधिक दुःखदायी तथा मन को उद्विग्न करनेवाला बरताव तो उन लोगों का था, जिनके लिए—समाज के प्रति तथा मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा, देश के लिए उनके बलिदान इत्यादि कारणों से—मेरे जैसे अनेक देशवासियों को बहुत आदर था। ये लोग खुद निराश होकर हम लोगों को सशस्त्र क्रांति का उपदेश दे रहे थे। कुछ लोग तो बेचैनीवश यह भी कहते थे कि 'जल्दी-से-जल्दी संजय और इंदिरा को खत्म कर देना चाहिए। यही एकमात्र उपाय है।' और सयाने बनकर हमें यह सलाह भी देते थे कि 'यह कार्य संघ को ही करना चाहिए।' इस स्थिति में उन्हीं के द्वारा पहले कभी दिए गए अहिंसापूर्ण आचार के विद्वत्तापूर्ण प्रवचन हमें उन्हीं को सुनाने पड़ते थे, उन्हें गांधीजी के आदर्शों की याद दिलानी पड़ती थी, उन्हें हिंदू जीवन का अर्थ समझाना पड़ता था। ऐसे सलाहकारों को संघर्ष के अंत तक हमें झेलते रहना पड़ा था। किंतु प्रजा के प्रति हमारी अटूट आस्था ने हमें कभी निराश नहीं होने दिया था। हमें समाज का पूरा सहयोग मिला था।

सफलता की दहलीज से

आपातकाल के दौरान प्रतिदिन किसी-न-किसी प्रकार से प्रतिकार होता ही रहा। कड़्यों ने इन प्रतिकारों में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तरीकों से योगदान दिया। एक तरह से यह दौर प्रजा को और अधिक परिपक्व बनानेवाला सिद्ध हुआ। दिन-प्रतिदिन हो रहे मूल्यों के क्षरण का समाज द्वारा दृढ़तापूर्वक प्रतिकार किया गया। इससे पहले हुए आंदोलनों ने जनमानस पर एक छवि बना दी थी कि 'यह तो सत्ता के लिए या किसी व्यक्ति या संस्था की प्रतिष्ठा के लिए होनेवाला संघर्ष है।' अतः इस छवि से ऊपर उठकर, 'यह मूल्यों के जतन हेतु होनेवाला संघर्ष है'—इस भूमिका की जनता को प्रतीति करवाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं व्यक्तियों एवं संस्थाओं पर थी। जनता ने भी उन्हीं व्यक्तियों तथा संस्थाओं पर निस्संकोच होकर भरोसा किया, जिनकी कोई राजनीतिक आकांक्षाएँ नहीं थीं। इसी कारण से लोकनायक जयप्रकाशजी तथा सर्वोदयी कार्यकर्ता इस संघर्ष की केंद्रीय शक्ति थे। यही प्रतिष्ठा व भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके नेताओं की भी थी।

संघर्ष के दौरान चली प्रक्रिया के फलस्वरूप चुनावों की घोषणा होते ही 'जनता पक्ष' साकार हुआ। 'जनता पक्ष' के ध्वज तले कई दल एकत्र हुए। सर्वोदय से लेकर संघ तक, सभी के बीच का अंतर कम हुआ। इतना ही नहीं, सभी समरस भी हुए। क्या यह निकटता भय से निष्पन्न हुई प्रीति मात्र थी? राष्ट्रीय फलक पर घटित होनेवाली कोई भी घटना हर जाग्रत् नागरिक को उसके पीछे निहित कारणों के बारे में सोचने को प्रेरित करती है। विभिन्न संगठनों के बीच रही इस दूरी के लिए इन संगठनों में एक-दूसरे के प्रति जान-बूझकर या अनजाने में पनपी तिरस्कार की भावना भी जिम्मेदार थी। 'जो मेरे साथ नहीं, वह मेरा दुश्मन' की मानसिकतावालों द्वारा विगत तीस सालों से लगातार किया गया मिथ्या प्रचार भी इस दूरी के लिए जिम्मेदार था। किंतु संयोगों ने इन सभी अड़चनों से ऊपर उठकर आपसी समझ बढ़ाने के अवसर का निर्माण किया था। एक-दूसरे को समझने की यह प्रक्रिया 'नवनिर्माण आंदोलन' के बाद से और गतिमान हुई थी। इस समग्र प्रक्रिया के ताने-बाने इतने सूक्ष्म हैं कि हर एक घटना का पृथक् रूप से विश्लेषण करना संभव नहीं है। फिर भी इस प्रक्रिया की क्रियाविधि समझने में कुछ उदाहरण पर्याप्त रूप से सहायक होंगे—

नवनिर्माण आंदोलन के बाद श्री जे.पी. के गुजरात दौर का आयोजन किया गया था। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत तथा भावनगर का उनका यह दौरा विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण था। इसके अलावा, अब तक की घटनाओं ने श्री जे.पी. पर हमले की संभावनाओं को बढ़ा दिया था। जे.पी. के दौरे से पहले दौरे से संबंधित व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए श्री नारायणभाई देसाई अहमदाबाद आए। उन्होंने संघ के प्रांत प्रचारक श्री देशमुखजी से मिलने की इच्छा जताई। श्री वसंतभाई गजेंद्र गडकर ने इस मुलाकात की व्यवस्था कर दी। श्री नारायणभाई देसाई ने, श्री जे.पी. के दौरे की सारी जिम्मेदारी संघ के कार्यकर्ता ले लें, ऐसी अपनी इच्छा प्रकट की। संघ ने सहर्ष इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। श्री नारायणभाई तथा अन्य साथियों की अपेक्षाओं के अनुरूप ही बड़े अच्छे तरीके से श्री जे.पी. का गुजरात दौरा संपन्न हुआ। संघ के एक कार्यकर्ता पूरे दौरे में श्री जे.पी. के साथ ही रहे। संघ के कार्यकर्ताओं की निष्ठा तथा उनके कर्मठ व्यवहार का प्रभाव जे.पी. के मन पर पड़ना स्वाभाविक ही था।

भूमिगत अवस्था में रहकर संघर्ष में लगे समाजवादी पक्ष के कार्यकर्ताओं को आमतौर पर संघ के कार्यकर्ताओं के घरों पर ही रहना होता था। इस सहवास के दौरान संघ के कार्यकर्ताओं की हिम्मत, उनकी विचार-शैली, व्यवहार की शुद्धता

तथा उच्च कोटि की राष्ट्रभक्ति से वे परिचित एवं प्रभावित हुए।

आपातस्थिति की घोषणा के तुरंत बाद संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। गुजरात सरकार ने भी संघ के कार्यकर्ताओं की मनमाने अंदाज में गिरफ्तारियाँ कीं, कार्यालयों पर ताले डाल दिए। इन सभी घटनाओं से संघ के कुछ कार्यकर्ता उत्तेजित हो गए थे। कुछ जनसंघी कार्यकर्ता भी संघ के साथ होनेवाले अन्यायों को देखकर आक्रोश से भर उठे थे। और इसी उत्तेजनावश पूरी संभावना थी कि वे मोरचा सरकार की कार्य-शैली का तीव्र विरोध करने की गलती कर बैठते। इस स्थिति में संघ के गुजरात के पदाधिकारियों ने दूरदर्शिता व धैर्य से काम लेकर सभी को समझाया कि संघ के साथ होनेवाले अत्याचारों से कहीं अधिक चिंता का विषय हैं—देश पर छाए हुए संकट के बादल। उन्होंने सभी को सचेत किया कि इन परिस्थितियों में भावुक होकर मोरचा सरकार को क्षति पहुँचे, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। यह बात मोरचा सरकार के नेताओं तक पहुँची। इस एक घटना से ही मोरचा सरकार को संघ की भूमिका एवं शुद्ध भावना का अच्छा परिचय मिल गया था।

सन् १९७५ के अंत में गुजरात में कई बैठकों के आयोजन किए गए थे, अतः अधिकतर नेता उन दिनों गुजरात में ही थे। १ जनवरी, १९७६ के दिन सवेरे-सवेरे ही मुझे श्री रवींद्र वर्मा से मिलने के लिए जाना था। श्री रामलाल पारीख के घर पर वे मेरा इंतजार कर रहे थे। जाते ही 'हैप्पी न्यू इयर' कहकर मैंने प्रणाम किए।

श्री वर्मा ने उत्तर देते हुए कहा, 'नरेनजी, मैं आपको पहले ही 'हैप्पी न्यू इयर' कहने वाला था; किंतु आप हिंदुत्ववादी हैं, अतः कहीं बुरा न मान जाएँ, इसी संकोच से मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आप तो...'

मैंने उन्हें बीच में ही रोककर कहा, 'हिंदुत्व की यही महानता है कि वह अपने पथ पर चलनेवाले को संकुचित नहीं रहने देता।'

ऐसी कई छोटी-छोटी घटनाएँ, चर्चाएँ वैचारिक अभिव्यक्तियाँ थीं, जो सभी को परस्पर निकट लाने में सहायक सिद्ध हुई थीं।

संघर्ष की रोजमर्रा की प्रवृत्तियों के लिए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्षमताओं का बहुत अधिक उपयोग किया गया था। इसके कई कारण थे। संघ के सदस्यों में आपसी व पारिवारिक संबंधों का व्यापक ताना-बाना, प्रसिद्धि की अपेक्षा के बिना गुमनाम रहकर भी मिल-जुलकर काम करने का हौसला तथा संघ कार्य की संगठन रचना भी इस संघर्ष में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई थी। राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने के लिए संघ में अधिकारियों की श्रेणी होने के बावजूद कार्य का

निष्पादन केवल अधिकारियों पर ही निर्भर नहीं हुआ करता था; इसीलिए सरसंघचालकजी से लेकर प्रांतीय स्तर के कई अधिकारियों के मीसा में फँसने के बाद भी संघ का कार्य बराबर चलता रहा था। आमतौर पर नेताओं की अनुपस्थिति में काम रुक जाया करता है। सेनापति के दिखाई न पड़ने मात्र से सेना धैर्य खोकर तितर-बितर होने लगती है; किंतु संघ के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरसंघचालकजी ने एक बार जिन्हें 'देव-दुर्लभ' के विशेषण से गौरवपूर्वक नवाजा था, उन कार्यकर्ताओं ने अपने दम पर काम कर दिखाया।

इस संघर्ष से पहले कई लोग किसी-न-किसी पूर्वग्रह के कारण संघ कार्य का वास्तविक मूल्यांकन नहीं कर पाए थे। ये लोग अपनी कल्पना के आधार पर ही संघ की व्याप्ति तथा उसकी उपयोगिता के बारे में अनुमान लगाते रहते थे। संघ के बारे में सकारात्मक बहुत कम सोचा जाता था; किंतु इस संघर्ष में संघ के देशव्यापी संगठन, सभी को साथ लेकर काम करने की शैली, सहयोगियों के दोषों को नजरअंदाज कर उनके गुणों को ही ध्यान में रखकर कार्य करने का तरीका इत्यादि संघ की विशेषताओं का सभी को परिचय मिला। संगठन की विशालता के बावजूद कभी भी संपर्क के अभाव की स्थिति (Communication Gap) नहीं बनने दी गई। संघ के कार्यकर्ताओं को प्रसिद्धि का मोह न होने के कारण उन्हें बहुत कम लोग पहचानते थे। यह स्थिति संघर्ष के दौरान बड़ी सहायक सिद्ध हुई। उन्हें पहचानने में पुलिस को बड़ी परेशानी होती थी; जबकि अन्य राजनीतिक दलों के मुख्य नेता-कार्यकर्ता या तो जेल में थे या बहुत प्रसिद्ध होने के कारण खुलकर काम नहीं कर सकते थे।

अनेक के निरंतर परिश्रम, बलिदान तथा विश्वास से बिना किसी क्षति या रक्तपात के इस दूसरे दौर के स्वातंत्र्य-संग्राम में हमने विजय पाई थी। विजय दिलवानेवाले घटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक था भारत का नागरिक—भारत का मतदाता। सफल परिवर्तन की नींव में प्रजा की जो भावना निहित थी, उसकी प्रतीति हो सके, इस उद्देश्य से उन्हीं दिनों की एक घटना यहाँ प्रस्तुत है—

चुनावों के सिलसिले में मैं दौरे पर था। गुजरात के उत्तर-पूर्वी जिले साबरकाँठा के एक छोटे से गाँव से करीब पैंसठ वर्ष की एक वृद्धा बस में बैठी थीं। आर्थिक रूप से वह गरीब परिवार की लग रही थीं। कंडक्टर से उन्होंने टिकट माँगते हुए कहा, 'भई, कितना पैसा? मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, समझा! आ, ले नोट, इसमें से काट ले।'।

कंडक्टर ने टिकट तथा बचे हुए पैसे उस वृद्धा को लौटाए, इनमें एक-एक

रुपए के दो नोट भी थे।

वृद्धा—‘भई, आ नोट जरा बदल दे।’

कंडक्टर—‘माँजी, क्या बुराई है इस नोट में, चल जाएगा।’

वृद्धा—‘भई, चाली तो जाएगी, पर मने जरा नवी-नवी नोट दे। अमारा गाम माँ आज बाबूभाई पटेल आववाना है। सभा है, मारे को एक नवो रुपियो उनको देना है। इसी के लिए तो आज आँय मजूरी करने को आई थी।’

समाज के निम्नतम छोर पर स्थित व्यक्ति, एक छोटे से गाँव का दरिद्रनारायण भी शासन-परिवर्तन के लिए अपनी उत्सुकता जताए, यही तो थी इस दूसरे दौर के स्वातंत्र्य-संग्राम की चरम उपलब्धि!

इस कथु आन कें गिडीगठि

□

जेलवासियों के नाम एक पत्र

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक श्री लक्ष्मणरावजी इनामदार (वकील साहब), जो कि भूमिगत रहते हुए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गोवा के भूमिगत आंदोलन को तथा जेलों में कैद सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भी चिंतनात्मक मार्गदर्शन दे रहे थे, ने ३१ मई, १९७६ के दिन गुजरात की जेलों में फँसे साथियों के नाम संघर्ष की दशा सुस्पष्ट करनेवाला यह पत्र लिखा था। इस पत्र को पढ़कर पाठक इस बात का अनुमान लगा सकेंगे कि इस संघर्ष का ध्येय कितना स्पष्ट था तथा इसका नेतृत्व करनेवालों के मनोबल कितने मजबूत थे। इस पत्र में समाहित मुद्दों पर जेलवासियों ने चर्चा-बैठकें भी की थीं।

३१ मई, १९७६

साथी मित्रो,

सप्रेम नमस्कार!

लंबे अंतराल के बाद आज पत्र लिख रहा हूँ। पत्र लिखने की इच्छा कई बार हुई। पत्र में क्या लिखूँ, इसी असमंजस में था।

पिछले करीब तीन माह से आप सभी अपने अन्य मित्रों से मिल पाए हैं। जेल में अनेक कष्टों को सहन करना पड़ता होगा, तथापि जिस कार्य को हम सभी ने अपना जीवन-लक्ष्य बनाया है, उस कार्य के बारे में निरंतर विचार आते रहते होंगे तथा बाहर इस कार्य हेतु कैसे पुरुषार्थ हो रहे होंगे, यह विचार और चिंता हमेशा बनी रहा करती होगी। परिस्थितियों से लगातार अवगत रहने की इच्छा पूर्णतया संतुष्ट न हो पाने के कारण मन उद्विग्न बना रहता होगा। इस अवस्था का जेल के शारीरिक व मानसिक कष्टों से बढ़कर कष्टदायक होना स्वाभाविक है। जानने-कर

गुजरने की अदम्य इच्छा होने के बावजूद हाथ बाँधे बैठे रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति मनुष्य को व्याकुल कर देती है और यह स्वाभाविक भी है। हालाँकि जेलों में जो बंद लोग एक साल से कष्टों को झेल रहे हैं, वे मेरी दृष्टि में तो साक्षात् कृति-स्वरूप ही हैं। कृति का प्रकटीकरण भिन्न-भिन्न स्वरूपों में होता है, किंतु मूलतः तो वह कृति ही होती है। ध्येय की प्राप्ति हेतु हर कष्ट सहकर, किसी भी कीमत पर अपनी टेक पर अडिग बने रहना, यह अपेक्षा किसी भी यशस्वी कार्यकर्ता से होती है। उसी अपेक्षा की पूर्ति आज जो जेलों में हैं उनसे हो रही है, तो क्या यह कृति का ही साक्षात् स्वरूप नहीं है!

शब्दों को प्रत्यक्ष तपस्या का संबल प्राप्त हो तभी उन शब्दों का प्रभाव भी सटीक होता है। 'इस देश में इस देश की परंपरा अखंड रहेगी। हम किसी भी कीमत पर उसे बनाए रखेंगे।'—इस निर्धार का आधार खोखले शब्द मात्र नहीं, किंतु पिछले एक वर्ष से जेलों में रहकर कष्ट झेल रहे हजारों भाइयों की तपस्या से प्रतीति समाज को होगी कि यह निर्धार कृतनिश्चयी वृत्ति का एक घोष है, और समाज की सुषुप्त शक्ति जागेगी, विराट् जागेगा। महान् ध्येय की प्राप्ति के लिए महाप्रयत्नों की आवश्यकता होती है, यह हम सभी का अनुभव है। अपनी ओर से हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, यह हम सभी का संकल्प है।

लोग 'मीसा' की कल्पना मात्र से थरथराते हैं, किंतु ऐसी तपिशों को सहने पर ही तो हमारी निष्ठा के प्रति समाज में विश्वसनीयता प्रबल होगी।

ऐसे निर्धार को समाज के जितने अधिक व्यक्तियों में जितना अधिक तीव्र बनाने में हम सफल होंगे, राष्ट्र-जीवन में परिवर्तन लाने के अपने लक्ष्य को हम उतनी ही शीघ्रता से प्राप्त कर सकेंगे। इस बात को समझ सकनेवाले जागरूक नागरिकों की ही आज आवश्यकता है, शेष युक्तियाँ-प्रयुक्तियाँ तो तात्क्षणिक परिस्थितियों से निपटने का साधन मात्र ही हैं। जैसा कि संपूर्ण विश्व का अनुभव है कि जिस राष्ट्र की आंतरिक शक्ति श्रेष्ठ होती है वही राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी सार्थक भूमिका निभा सकता है। श्रेष्ठ आंतरिक शक्ति-विहीन राष्ट्र के मंतव्य अंतरराष्ट्रीय पटल पर योग्य महत्त्व अर्पित नहीं कर पाते। उनके विचारों को पोली पंडिताई माना जाता है। उसी प्रकार राष्ट्र के आंतरिक जीवन में भी जिस विचार को नागरिकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त होता है, वही विचार व्यावहारिक सफलता प्राप्त कर पाता है, शेष विचारों को तो लोग निरर्थक पोथी-पंडिताई ही मानते हैं। अपनी इस भूमिका से नागरिकों में उचित संस्कारों का सर्जन करने के हमने अब तक जो अथक प्रयत्न किए हैं, उसके सुंदर फल, सुंदर परिणाम आज हमारे सामने हैं।

‘संघवाले धरातल से हटकर चलते हैं। उन्हें व्यावहारिकता का ज्ञान नहीं है’—ऐसी हँसी उड़ाकर स्वयं को ही नीति का श्रेष्ठ ज्ञाता माननेवाले कई लोग आज किंकर्तव्यविमूढ़ होकर पलकें झपका रहे हैं। कसौटी की घड़ी में अपनी दृढ़ सोच पर अडिग रहनेवाले ही टिक पाते हैं और निर्माण के कार्य में सहभागी होते हैं। हालाँकि मुक्तियों-योजनाओं का कोई महत्त्व नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा मानना सही भी नहीं है।

इसी दृष्टि से लोगों को कार्य हेतु शक्ति प्राप्त हो और चुनौती देनेवाली परिस्थितियों से जूझने की इच्छा स्वयमेव जाग्रत् हो—ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा देशव्यापी शक्ति का आह्वान कर जनता के इस निर्धार की प्रतीति प्रवर्तमान शासन को करवाने के लिए इस समय कई योजनाएँ जारी हैं। इन योजनाओं के कई अंग-उपांग हैं। इसी का एक हिस्सा यह भी है कि जब भी जनता को अपनी समस्या व्यक्त करने का अवसर मिलेगा तब उस अवसर का इस पत्रकार से उपयोग किया जाएगा, ताकि जनता की सच्ची राय मुखरित हो सके। अनुमान है कि यह अवसर चुनाव के रूप में प्राप्त होगा। संभवतः अक्टूबर १९७६ से मार्च १९७७ के बीच इंदिरा बहन अपनी अनुकूलता के अनुसार चुनाव घोषित करेंगी। स्पष्ट है कि यदि चुनाव मुक्त रूप से नहीं होंगे तो उनका बहिष्कार भी होगा। किंतु यह बहिष्कार चुनौती से बचने के लिए पलायनवादी तरीके से किया जा रहा है, ऐसी धारणा लोगों में न बने, यह भी हमें देखना होगा, तभी नागरिकों के समर्थन से होनेवाला यह बहिष्कार संभव हो सकेगा; क्योंकि अंततः सही अर्थों में न्यायाधीश तो जनता ही होती है।

संघर्ष के इस दौर में विजयी होने के लिए प्रत्येक योजना पर विचार किया जा रहा है। आनेवाला चुनाव सामान्य नहीं होगा, अतः चुनावों की घोषणा होने के बाद कार्य प्रारंभ हो और अंतिम समय में अत्युत्साह का माहौल खड़ा कर दे, ऐसी सोच सही नहीं है। चुनाव आ रहे हैं, यह मानकर ही काम करना होगा। चुनाव का अर्थ है जनमत-प्रदर्शन। जनता को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। अतः समय रहते ही इन प्रयत्नों को शुरू करना होगा। मेरी दृष्टि से तो जिस दिन प्रकाशजी, बाला साहबजी एवं अन्य महानुभावों के साथ हजारों लोग पकड़े गए थे, उसी दिन से इस संघर्ष का प्रारंभ हो चुका है। ‘मीसा’, सत्याग्रह तथा अब तक किया गया प्रत्येक कार्य समग्र संघर्ष में विजय प्राप्त करने के लिए किए गए पुरुषार्थ की अखंड शृंखला का हिस्सा ही हैं। इसलिए चुनाव के दिन से पहले प्रचारार्थ जो भी समय मिलेगा, वह पर्याप्त होगा। अन्य साधनों के बारे में भी ऐसी ही कार्य-शैली अपनाने

का प्रयास हो रहा है। 'मेनपावर' ही सच्ची शक्ति है। अन्य के अनुसार उपयोग किया जाएगा, किंतु सही आधार है—'मेनपावर'।

आपने अखबारों में तो पढ़ा ही होगा कि जनता की राय सही अर्थों में अभिव्यक्त हो सके—इस दृष्टि से कुछ दलों ने एकजुट होकर काम करने की योजना बनाई है। इस योजना के विस्तृत मुद्दे अभी तय नहीं हुए हैं, किंतु कुछ ही दिनों में तय कर लिये जाएँगे। लंबे अरसे से समय की जो पुकार थी उस दिशा में उचित कदम उठाए जा चुके हैं। इस मार्ग में विघ्न नहीं होंगे, यह बात नहीं है; किंतु मनुष्य का लक्ष्य निश्चित हो और उसे प्राप्त करने का दृढ़ निर्धार हो तो असंभव कुछ भी नहीं। कुछ कार्यक्रम, जिनके बारे में आपको समाचार प्राप्त हुए ही होंगे, के बारे में यदि कहा जाए तो—

१. २६ जून का कार्यक्रम—२६ जून को अब अधिक दिन नहीं रह गए हैं। देखते-ही-देखते आपातकाल को एक साल हो जाएगा। इस आपात-स्थिति तथा इस दौरान जनता के अपने पुरुषार्थों का सिंहावलोकन जनता को करवाया जा सके, इस दृष्टि से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसकी जानकारी आपको पत्रिकाओं के द्वारा मिल ही जाएगी। शेष जानकारी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ही दी जा सकेगी।
२. ४ जुलाई को संघ पर लगे प्रतिबंध को भी एक वर्ष हो जाएगा। इस अवसर पर स्वयंसेवकों का अधिक-से-अधिक संपर्क हो सके, इस हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। यह कार्यक्रम 'उपस्थिति दिनांक' के स्वरूप में होगा।
३. ११ जुलाई से ९ अगस्त तक संपर्क के कार्यक्रम होंगे तथा अधिक-से-अधिक स्थानों पर, जहाँ पहले नियमित रूप से शाखाएँ चला करती थीं, वहाँ कम-से-कम साप्ताहिक एकत्रीकरण शुरू करने का कार्यक्रम है।

चुनावों के आने पर आपातस्थिति हटेगी या उसमें नरमी आएगी, सेंसरशिप दूर होगी या उसकी सख्ती कम होगी, राजनीतिक नेताओं को स्वतंत्र किया जाएगा, उनके कार्यकर्ताओं में से भी कई छूट जाएँगे; किंतु संघ के नेताओं या कार्यकर्ताओं में से किसी को मुक्त किया जाएगा, इसकी संभावना कम है। ऐसी परिस्थिति के लिए तैयार रहने को सोचा गया है। संघ के लिए याचिका दायर की जाए या नहीं, इस बारे में अपने एडवोकेट्स कुछ ही दिनों में निर्णय कर माननीय बालासाहबजी को अपना अभिप्राय लिख भेजेंगे, जिसके बारे में बाद में पता चलेगा।

विनोबाजी द्वारा आयोजित प्राचार्यों के सम्मेलनों से हमें अधिक अपेक्षाएँ

नहीं हैं तथा हम उसकी उपेक्षा भी नहीं करते। उसका यथायोग्य उपयोग कर लेने के प्रयत्न चल रहे हैं। इन सम्मेलनों के भी सकारात्मक उपयोग हैं।

यह या अन्य समाचार मिलते रहें—ऐसी आप सभी की इच्छा का होना स्वाभाविक है। इस हेतु योजना बनाने के प्रयत्न चल रहे हैं, किंतु उसमें अब तक पूर्णतः सफलता नहीं मिल पाई है। हालाँकि जिसे 'न्यूज' कहा जाए वैसा कुछ निरंतर होता ही रहता है, यह बात भी नहीं है। हाँ, 'अब तक कोई नई बात नहीं है'—ऐसे समाचार भी अवश्य संतोषकारक होते हैं।

इन दिनों लोगों को मुक्त किया जा रहा है, ऐसी बातें उड़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। उदाहरण के रूप में, गुजरात में दो सौ साठ में से पाँच को मुक्त किया गया है, इसके कुछ और कारण भी हो सकते हैं। महाराष्ट्र में बीस व्यक्तियों को छोड़ा गया है, जिसमें साठ वर्ष की उम्र के बीमार भी हैं। मध्य भारत में महाकौशल में आज भी तीन हजार से अधिक व्यक्ति जेल में हैं। अप्रैल के अंत तक की जो जानकारी मेरे पास है, उसके अनुसार सभी प्रांतों की यही स्थिति है। मुक्त करने का क्रम शुरू हुआ है—ऐसी धारणा तभी की जा सकती है, जब कि स्वतंत्र करने का कोई सुनिश्चित आधार दिखाई दे। आज तो सरकार की ही मनमानी चल रही है। कश्मीर में सभी को तीन माह के पेट्रोल पर छोड़ा गया है।

गुजरात में 'मीसा' में जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनकी गिरफ्तारी को तो तीन ही माह हुए हैं। प्रारंभिक मनःस्थिति एवं सामूहिक जीवन के अनुभवों के कारण कुछ अरसे तक मानसिक यातना का अनुभव नहीं होता, किंतु जैसे-जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे-वैसे मानसिक कष्ट बढ़ते जाते हैं। इस स्थिति से बचने का एक ही मार्ग है और वह है कि मन को निरंतर योग्य कार्यों में प्रवृत्त रखा जाए। मन का शून्यावकाश परेशान करता है, इसलिए यथास्थानिक परिस्थितियों के अनुसार सुबह से शाम तक विभिन्न कार्यक्रम चलते रहें—ऐसी व्यवस्था बनाएँ।

लगातार साथ रहने की भी अपनी कुछ समस्याएँ हैं; और इनसे उबरने का एक ही मार्ग है कि एक-दूसरे के स्वभाव के प्रति परस्पर सहिष्णु बना जाए तथा अपने ही मत का आग्रह जहाँ व्यावहारिक व्यवधान उत्पन्न करे, वहाँ छोड़ने की मानसिक तैयारी रखी जाए।

इस समय जेलों में केवल संघ के ही स्वयंसेवक हैं, यह बात नहीं है। अतः हमारे संग से पराए भी अपने हो जाएँ, ऐसा हमारा बरताव हो, यह आवश्यक है। इस हेतु आवश्यक समाधान भी अवश्य किए जाएँ। सभी को एकजुट रखने के लिए समाधान आवश्यक ही होते हैं।

दैनिक संघ कार्य में कई अन्य कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय नहीं मिलता। इन कार्यों के लिए इस समय का उपयोग किए जाने से बहुत लाभ होगा। जैसे कि विभिन्न विषयों (शारीरिक, मानसिक) का अभ्यास। जिसे जितनी जानकारी हो, वह शेष व्यक्तियों का उसी अनुसार मार्गदर्शन कर सकता है।

संक्षेप में, जेल से बाहर आनेवाला प्रत्येक स्वयंसेवक राष्ट्र की विकसित शक्ति के स्वरूप में बाहर आए, इस दृष्टि से ही सारी योजना, सारे क्रियाकलाप हों, इस ओर आप सभी का चिंतन होगा ही।

जेल में तो कई प्रकार की कठिनाइयाँ होंगी। मेरे जैसा बाहर बैठा हुआ व्यक्ति वहाँ की परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए, इस बारे में भला निश्चित रूप से क्या कह सकता है! यह तो वही बात होगी कि जैसे किनारे पर बैठा व्यक्ति पानी में कूदे हुए व्यक्ति को तैरना सिखाए। सभी को मेरा प्रणाम!

सभी की कुशलता की कामना करनेवाला।

—ल. इनामदार



संघर्ष : अंकों की दृष्टि से

सत्याग्रह का समय : २६ जून, १९७५ से २६ जनवरी, १९७६
 सत्याग्रहियों की संख्या : पुरुष २,८९७ + महिलाएँ २६८ = कुल ३,१६५
 कुल २१ स्थानों पर १७३ दलों ने सत्याग्रह किया।
 १०४ तहसीलों के १६९ गाँवों से सत्याग्रही शामिल हुए।

सत्याग्रहियों का ब्योरा

आर.एस.एस.	१,४००	अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्	२४२
जनसंघ	४५८	भारतीय मजदूर संघ	१०९
संस्था कांग्रेस	६६६	राष्ट्रसेविका समिति	१३३
समाजवादी पक्ष	२५	विश्व हिंदू परिषद्	३
भारतीय लोकदल	१९	सर्वोदय	७३
सी.पी.एम.	९	अन्य	२८

समाज के विभिन्न वर्गों की प्रतिभागिता

विद्यार्थी	१,४५०	शिक्षक/प्राध्यापक	१९६
किसान	२१२	वकील, इंजीनियर, डॉक्टर	८१
मजदूर	२४३	कर्मचारी	२१५
व्यापारी	५०८	अन्य (महिलाओं सहित)	२६०

'मीसा' गिरफ्तारियाँ

गिरफ्तारियाँ दो चरणों में हुईं। प्रथम चरण के २७५ मीसाबंदियों की निम्नलिखित विस्तृत जानकारी श्री धीरनभाई देसाई (गुजरात विद्यापीठ) द्वारा

विनोबाजी को भेजी गई थी।

उम्र के अनुसार

२० वर्ष से कम	२	५० वर्ष से ६० वर्ष	४०
२० वर्ष से ५० वर्ष	२२६	६० वर्ष से अधिक	७

राजनीतिक दल व विभिन्न संगठनों के अनुसार

आर.एस.एस.	६५	विश्व हिंदू परिषद्	४
जनसंघ	१३८	संस्था कांग्रेस	१
समाजवादी पक्ष	१२	भारतीय लोकदल	१
सर्वोदय	८	सामाजिक कार्यकर्ता	१२
अ.भा. विद्यार्थी परिषद्	१३	नवनिर्माण	२०
मार्क्सवादी	१		

व्यवसाय के अनुसार

लेक्चरर/प्रोफेसर	१३	इंजीनियर	३२
शिक्षक	१६	पत्रकार	६
डॉक्टर	२२	सामाजिक कार्यकर्ता	५
एडवोकेट	३६	चार्टर्ड एकाउंटेंट	३
किसान	१०	कर्मचारी	१९
मजदूर	३	अन्य	२८
व्यापारी	८२		

दूसरे चरण की गिरफ्तारियाँ

आर.एस.एस.	१२४	संस्था कांग्रेस	६०
जनसंघ	२३४	भारतीय लोकदल	६
समाजवादी पक्ष	१५	सामाजिक कार्यकर्ता	१३
सर्वोदय	१४	नवनिर्माण	२१
अ.भा. विद्यार्थी परिषद्	३०	भारतीय मजदूर संघ	२
विश्व हिंदू परिषद्	४	जमाअत-ए-इसलामी	५
मार्क्सवादी	१		

विविध जानकारी

❖ १ जनवरी, १९७७ तक 'मीसा' में गिरफ्तार किए गए कुल ५२९ बंदियों को

गुजरात की ११ जेलों में रखा गया था।

- ❖ १ जनवरी, १९७७ तक ५४ कार्यकर्ताओं को मुक्त किया गया था। दो कार्यकर्ताओं का निधन हो गया था।
- ❖ चुनावों की घोषणा होने पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तथा चुनाव परिणामों के बाद सबसे अंत में २२ मार्च को संघ के १२४ कार्यकर्ताओं को मुक्त किया गया था।

□

गुजरात के जिले		
१	अहमदाबाद	१
२	भावनगर	२
३	दांडिया	३
४	दमण	४
५	खेडा	५
६	सुरत	६
७	वडोदरा	७
८	जामनगर	८
९	कांचनपुर	९
१०	नवसारी	१०
११	पटियाणा	११
१२	सौराष्ट्र	१२
१३	सुभाशी	१३
१४	ताम्रपुर	१४
१५	विक्रम	१५
१६	जिज्जना	१६
१७	जिज्जना	१७
१८	जिज्जना	१८
१९	जिज्जना	१९
२०	जिज्जना	२०
२१	जिज्जना	२१
२२	जिज्जना	२२
२३	जिज्जना	२३
२४	जिज्जना	२४
२५	जिज्जना	२५
२६	जिज्जना	२६
२७	जिज्जना	२७
२८	जिज्जना	२८
२९	जिज्जना	२९
३०	जिज्जना	३०
३१	जिज्जना	३१
३२	जिज्जना	३२
३३	जिज्जना	३३
३४	जिज्जना	३४
३५	जिज्जना	३५
३६	जिज्जना	३६
३७	जिज्जना	३७
३८	जिज्जना	३८
३९	जिज्जना	३९
४०	जिज्जना	४०
४१	जिज्जना	४१
४२	जिज्जना	४२
४३	जिज्जना	४३
४४	जिज्जना	४४
४५	जिज्जना	४५
४६	जिज्जना	४६
४७	जिज्जना	४७
४८	जिज्जना	४८
४९	जिज्जना	४९
५०	जिज्जना	५०
५१	जिज्जना	५१
५२	जिज्जना	५२
५३	जिज्जना	५३
५४	जिज्जना	५४
५५	जिज्जना	५५
५६	जिज्जना	५६
५७	जिज्जना	५७
५८	जिज्जना	५८
५९	जिज्जना	५९
६०	जिज्जना	६०
६१	जिज्जना	६१
६२	जिज्जना	६२
६३	जिज्जना	६३
६४	जिज्जना	६४
६५	जिज्जना	६५
६६	जिज्जना	६६
६७	जिज्जना	६७
६८	जिज्जना	६८
६९	जिज्जना	६९
७०	जिज्जना	७०
७१	जिज्जना	७१
७२	जिज्जना	७२
७३	जिज्जना	७३
७४	जिज्जना	७४
७५	जिज्जना	७५
७६	जिज्जना	७६
७७	जिज्जना	७७
७८	जिज्जना	७८
७९	जिज्जना	७९
८०	जिज्जना	८०
८१	जिज्जना	८१
८२	जिज्जना	८२
८३	जिज्जना	८३
८४	जिज्जना	८४
८५	जिज्जना	८५
८६	जिज्जना	८६
८७	जिज्जना	८७
८८	जिज्जना	८८
८९	जिज्जना	८९
९०	जिज्जना	९०
९१	जिज्जना	९१
९२	जिज्जना	९२
९३	जिज्जना	९३
९४	जिज्जना	९४
९५	जिज्जना	९५
९६	जिज्जना	९६
९७	जिज्जना	९७
९८	जिज्जना	९८
९९	जिज्जना	९९
१००	जिज्जना	१००

सि. वि. वि. २५/१९७७ का प्रतीक गुजरात में 'कर्मि' का २५/१९७७ संस्करण

संघर्ष घटनाक्रम

- २६ जून, १९७५ आपातस्थिति की घोषणा—व्यापक सार्वजनिक विरोध, गुजरात में दो दिवसीय हड़ताल।
- २८ जून, १९७५ वडोदरा में विशाल मौन प्रतिकार।
- २९ जून, १९७५ राजभवन पर पाँच हजार नागरिकों का विरोध-कूच, सर्वोदय मंडल द्वारा विरोध प्रस्ताव पारित।
- ३० जून, १९७५ गुजरात विधानसभा जनता मोरचा पक्ष का विरोध प्रस्ताव।
- १ जुलाई, १९७५ भूमिगत कार्यकर्ता श्री रामभाई गोडबोले का गुजरात आगमन, देश के अन्य हिस्सों से कटा हुआ संपर्क पुनः स्थापित हुआ।
- २ जुलाई, १९७५ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आपातकालीन बैठक बुलाई गई।
- ३ जुलाई, १९७५ 'जनता छापुं' (जनता अखबार) भूमिगत समाचार-पत्र का प्रारंभ।
- ४ जुलाई, १९७५ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित छब्बीस संगठनों पर प्रतिबंध, संघ के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, संघ के कार्यालयों पर सरकार का कब्जा।
- ७ जुलाई, १९७५ संघ के विभाग प्रचारकों की प्रथम भूमिगत बैठक आयोजित।
- १५ से २६ जुलाई, १९७५ गुजरात व्यापी सत्याग्रह अभियान।
- १९ जुलाई, १९७५ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी परिसर अध्यापक मंडल द्वारा विरोध प्रस्ताव।
- २६ जुलाई, १९७५ संघर्ष समिति एवं जनता मोरचा पक्ष के तत्त्वावधान में गुजरात

व्यापी हड़ताल, जिला केंद्रों पर विशाल जनसभाओं को जनता मोरचा सरकार के मंत्रियों द्वारा संबोधन, जगह-जगह पर नारे लिखे गए।

- २७ जुलाई, १९७५ गुजराती साहित्य परिषद् की बैठक में आपातस्थिति के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया।
- ३० जुलाई, १९७५ 'साधना' की घटना—'आपातस्थिति के बारे में पुनर्विचार करें' लेख सेंसर किए जाने के कारण उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई।
- ३ अगस्त, १९७५ संघर्ष समिति के गुजरात के कार्यकर्ताओं की बैठक अहमदाबाद में आयोजित हुई।
- ८ अगस्त, १९७५ गुजरात विधानसभा में सेंसरशिप से संबद्ध विशेषाधिकार हनन का मामला उपस्थित हुआ।
- ९ अगस्त, १९७५ 'क्रांति दिवस' मनाया गया, जगह-जगह पर सत्याग्रह।
- १३ अगस्त, १९७५ हाई कोर्ट में 'साधना' की विजय हुई, 'आपातस्थिति के बारे में पुनर्विचार करें' लेख को छापने की अनुमति मिली।
- १५ अगस्त, १९७५ भद्र के किले पर मुख्यमंत्री श्री बाबूभाई पटेल द्वारा जनता ध्वज वंदन का कार्यक्रम; 'साधना' का पहला आपातस्थिति-विरोधी अंक प्रकाशित हुआ।
- १७ अगस्त, १९७५ नडियाद में आपातकाल कैप्सूल का अनोखा कार्यक्रम।
- अगस्त १९७५ (द्वितीय सप्ताह) श्री नानाजी देशमुख और श्री जॉर्ज फर्नांडीज की अहमदाबाद यात्रा।
- ७ से ९ अगस्त, १९७५ संघर्ष समिति की संगठन विषयक बैठकें अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में आयोजित हुईं।
- २४ सितंबर, १९७५ अखबारी स्वातंत्र्य सम्मेलन।
- २ अक्टूबर, १९७५ 'नेता मुक्ति ज्योति' नामक ग्राम जागृति का प्रभावी कार्यक्रम। गांधीजी के चित्रवाले हजारों पोस्टर लगाए गए। ३१ अक्टूबर तक चलनेवाली पदयात्रा के दो कार्यक्रम आरंभ हुए।
- ७ अक्टूबर, १९७५ प्राचार्य मंडल ने 'राष्ट्रीय आपातस्थिति और हमारा धर्म' विषय पर परिसंवाद आयोजित किया, आपातस्थिति-विरोधी प्रस्ताव पारित किया गया।
- १२ अक्टूबर, १९७५ नागरिक स्वातंत्र्य सम्मेलन अहमदाबाद में आयोजित हुआ;

- विशाल जनसभा। जनसंघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की प्रथम भूमिगत बैठक अहमदाबाद में आयोजित हुई।
- १४ अक्टूबर, १९७५ श्री जयप्रकाशजी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक प्रदर्शनी अहमदाबाद में आयोजित की गई।
- १८ अक्टूबर, १९७५ गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की आम सभा ने आपातस्थिति-विरोधी प्रस्ताव पारित किया।
- ४ नवंबर, १९७५ लोक संघर्ष समिति के द्वितीय अखिल भारतीय मंत्री श्री रवींद्र वर्मा द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र की प्रतियाँ गुजरात भर में वितरित की गईं।
- ५ नवंबर, १९७५ कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस के सदस्यों के समक्ष आपातस्थिति-विरोधी प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी, भूमिगत नेता डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी कॉमनवेल्थ के सदस्यों से अहमदाबाद में मिले।
- १४ नवंबर, १९७५ देशव्यापी सत्याग्रह के साथ गुजरात के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सत्याग्रह प्रारंभ हुआ।
- १६ नवंबर, १९७५ अहमदाबाद में जनता मोरचा का शानदार सम्मेलन आयोजित हुआ।
- २६ नवंबर, १९७५ आपातकाल के पाँच माह की समाप्ति पर बहनों द्वारा सत्याग्रह किया गया।
- ३० नवंबर, १९७५ उपराष्ट्रपति श्री बी.डी. जत्ती को सूरत में आपातस्थिति समाप्त करने की माँग करनेवाला आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया।
- ३ दिसंबर, १९७५ भूमिगत नेता श्री दत्तोपंतजी ठेंगड़ी का गुजरात आगमन। गुजरात के श्रमिक नेताओं से उनकी मुलाकात।
- ७ दिसंबर, १९७५ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री बालासाहब देवरस का जन्मदिवस मनाया गया। हजारों शुभेच्छा-पत्र भेजे गए। जयप्रकाशजी के दीर्घायुष्य हेतु प्रांत भर में प्रार्थना-सभाएँ आयोजित हुईं।
- २५ दिसंबर, १९७५ श्री अटलजी का जन्मदिवस मनाया गया।
- २६ से २८ दिसंबर, १९७५ रेडिकल ह्यूमनिस्टों के संगठन का द्विवार्षिक सम्मेलन अहमदाबाद में आयोजित हुआ।
- २९-३० लोकसभा एवं राज्यसभा के विपक्षी सांसदों की एक बैठक

- दिसंबर, १९७५ गांधीनगर में आयोजित हुई।
- ३१ दिसंबर, १९७५ अखिल भारतीय लोक संघर्ष समिति की भूमिगत बैठक अहमदाबाद में आयोजित हुई।
- १ जनवरी, १९७६ विधिवेत्ताओं की 'संविधान रक्षा परिषद्' का आयोजन।
- १-२ देश भर में भूमिगत कार्यों में लगे जनसंघ के संगठन मंत्रियों
- जनवरी, १९७६ की भूमिगत बैठक अहमदाबाद में आयोजित हुई।
- १४ जनवरी, १९७६ राजस्थान के मीसा कैदी श्री भेरूलाल लखारा का पेरोल के दौरान अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में निधन हो गया।
- १८ जनवरी, १९७६ गुजरात के संघर्षरत कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन साबरमती आश्रम में हुआ।
- ११ से २६ जनसंघ ने जन-जागृति पक्ष मनाया।
- जनवरी, १९७६
- १ फरवरी, १९७६ 'विद्यागुर्जरी' का विशाल सम्मेलन। दुर्गाताई भागवत उपस्थित रहीं।
- ७ फरवरी, १९७६ 'लोकतंत्र बचाओ दिवस' मनाया गया। राज्यपाल को व्यापक स्तर पर तार, पत्र-पत्रिकाएँ भेजी गईं।
- १२ फरवरी, १९७६ श्री रवींद्र वर्मा बंबई में गिरफ्तार।
- १५ फरवरी, १९७६ लोक संघर्ष समिति के गुजरात के कार्यकर्ताओं की बैठक।
- १६ फरवरी, १९७६ श्री वसंतभाई गजेंद्र गडकर का स्वर्गवास।
- २८-२९ गुजरात के विधिशास्त्रियों का एक विशाल सम्मेलन संपन्न हुआ।
- फरवरी, १९७६
- २-३ मार्च, १९७६ देश के प्रमुख सर्वोदयी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन शुक्लतीर्थ में आयोजित हुआ। श्री दत्तोपंतजी टेंगड़ी तथा श्री एस.एम. जोशी इस सम्मेलन में शामिल हुए।
- ९ मार्च, १९७६ श्री एल.के. आडवाणीजी को राज्यसभा हेतु नामांकन-पत्र भरवाने के लिए बंगलौर से अहमदाबाद लाया गया।
- ११ मार्च, १९७६ लोक संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं की मोरचा सरकार की स्थिति की समीक्षा हेतु अहमदाबाद में बैठक।
- १३ मार्च, १९७६ गुजरात की मोरचा सरकार का इस्तीफा, मीसा गिरफ्तारियों का व्यापक कहर।
- अप्रैल १९७६ तेरह न्यायाधीशों के तबादलों के विरोध में गुजरात उच्च

- (प्रथम सप्ताह) न्यायालय के वकीलों की एकदिवसीय हड़ताल।
- १३ अप्रैल, १९७६ श्री हरिवदनभाई भट्ट का साबरमती जेल में स्वर्गवास।
- २६ अप्रैल, १९७६ लंदन में आयोजित 'फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इंटरनेशनल' की प्रथम अंतरराष्ट्रीय परिषद् में श्री मकरंद देसाई शामिल हुए।
- १३ मई, १९७६ अखिल भारतीय लोक संघर्ष समिति के पुनर्गठन की घोषणा।
- १६ मई, १९७६ गुजरात की स्थानिक स्वराज की संस्थाओं में मोरचा के चयनित सदस्यों का सम्मेलन।
- १९ जून, १९७६ श्री भोगीलालगांधी की बंबई से डी.आई.आर. के तहत गिरफ्तारी।
- २४ जून, १९७६ श्री सी.टी. दरु की गिरफ्तारी के साथ 'मीसा' गिरफ्तारियों का दूसरा दौर शुरू।
- २६ जून, १९७६ मोरचा नेताओं का विशाल सम्मेलन, आवेदन-पत्र देने के लिए राजभवन की ओर जा रहे बासठ मोरचा नेता गिरफ्तार। जयप्रकाशजी के संदेश की पचास हजार प्रतियाँ वितरित की गईं, प्रांत भर में आपातस्थिति-विरोधी पोस्टर लगाए गए, जेलों में उपवास तथा जेल के शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम।
- २ जुलाई, १९७६ 'साधना' प्रेस जब्त कर लिया गया। उसके कर्मचारियों को मीसा के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया।
- जुलाई १९७६ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय मंत्री श्री (प्रथम सप्ताह) माधवरावजी मुळे की गुजरात यात्रा।
- ९ अगस्त, १९७६ 'क्रांति दिवस' मनाया गया। श्री बाबूभाई सहित इक्यावन लोग गिरफ्तार।
- १५ अगस्त, १९७६ दांडी कूच का प्रारंभ, जगह-जगह पर सत्याग्रह हुए। भूमिगत पत्रिका 'मुक्तवाणी' का प्रारंभ।
- ३१ अगस्त, १९७६ गुजरात सरकार के पूर्व मंत्रियों ने जेल से एक आवेदन-पत्र राज्यपाल को भेजकर महँगाई का विरोध किया।
- ४ सितंबर, १९७६ जेलवासी विधायकों ने राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के विरोध में एक पत्र राज्यपाल को भेजा।
- २९ सितंबर, १९७६ श्री भेरूमल गोहाणी का पेरोल के दौरान स्वर्गवास।
- अक्टूबर १९७६ चुनाव से संबंधित योजनाओं को अंतिम स्वरूप देने के लिए

- (द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह) आयोजित गुजरात के करीब एक सौ पचास भूमिगत कार्यकर्ताओं की बैठकों में संघ के अखिल भारतीय भूमिगत नेता श्री मोरोपंतजी पिंगले उपस्थित रहे।
- १४ नवंबर, १९७६ गुजरात में 'People's Union for Civil Liberty' (PUCL) की स्थापना।
- २१ नवंबर, १९७६ गुजरात के युवाओं का बारेखड़ी में आपातस्थिति-विरोधी सम्मेलन; सौ युवा गिरफ्तार।
- ९ दिसंबर, १९७६ अहमदाबाद शहर जनसंघ का सम्मेलन आयोजित हुआ।
- १८ जनवरी, १९७७ चुनावों की घोषणा।
- २१ मार्च, १९७७ चुनावों के परिणाम, कांग्रेस पराजित।
- २२ मार्च, १९७७ आपातस्थिति समाप्त, संघ एवं अन्य संस्थाओं पर से प्रतिबंध समाप्त हुए, संघ के कार्यकर्ताओं को सबसे बाद में जेलों से मुक्त किया गया।

□

कुछ निजी बातें

आपातस्थिति का निर्माण कैसे हुआ—इस बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, परंतु आपातस्थिति हट्टी कैसे—इस बारे में बहुत ही कम लिखा गया है। इस स्थिति से ही इस पुस्तक का जन्म हुआ। चुनाव आए और जनता पक्ष की विजय हुई। क्या यह निरा चमत्कार मात्र था! चुनावों से हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों को अकस्मात् ही हाथ लगी सफलता माननेवाला एक मत भी प्रचलित हुआ है; किंतु वास्तविकता यह है कि लक्षित परिणामों की प्राप्ति के लिए लगातार बीस माह तक सुनियोजित ढंग से संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष से संबंधित छोटे प्रकार के अनेक सूक्ष्म, ज्ञात-अज्ञात पहलुओं की अपनी एक भव्य गाथा है। इस प्रकार से इस दूसरे स्वातंत्र्य संघर्ष का अंग्रेजों के विरोध में हुए स्वातंत्र्य संघर्ष से लेशमात्र कम महत्त्व नहीं है। गुजरात ने भी इस संघर्ष के प्रारंभ से ही जमकर लोहा लिया है।

यह मेरी प्रथम पुस्तक है। भूमिगत संघर्ष के बारे में अब तक अनुत्तरित रहे कुछ कठिन प्रश्नों की कुंजी स्वरूप यह पुस्तक मैंने किसी लेखक की नहीं, वरन् लड़ाई के एक सिपाही की हैसियत से लिखी है। पाठक ही इसके वास्तविक परीक्षक हैं। अधिक-से-अधिक जानकारी उपलब्ध करवाने की कोशिश के बावजूद कुछ स्थानों पर इस व्याकुलता के कि 'अच्छा होता, यदि और अधिक ब्योरा दिया गया होता' भाव पाठक के मन में उत्पन्न होने की पूरी संभावना है; किंतु कुछ मूक सेवकों की उनके बारे में कुछ न लिखे जाने की इच्छा के वश होकर मुझे संयमित रहना पड़ा है। इसके अलावा, सफल भूमिगत जीवन के गुर, युक्तियाँ-प्रयुक्तियाँ एवं कुछ योजनाओं के बारे में आज कुछ भी कहना समय से पहले कही गई बात होगी। देशव्यापी भूमिगत संघर्ष के सफल संगठक, मार्गदर्शक नेता व चिंतक श्री

दत्तोपंतजी ठेंगड़ी ने अपनी अस्वस्थता एवं व्यस्तता के बावजूद पूरी पुस्तक मुझसे शब्दशः सुनने के लिए अपना पूरा समय दिया तथा प्रस्तावना लिखकर इस पुस्तक को गौरवान्वित किया, मैं उनका निजी तौर पर ऋणी हूँ।

लोकतंत्र-प्रेमी पाठकों के हृदय में निर्भयता का संचार हो और बीते हुए कल के कालिमामुक्त प्रकरणों का पुनरावर्तन कभी न हो, यही इस कृति की सफलता होगी।

मकर संक्रांति

१४ जनवरी, १९७८

—नरेंद्र मोदी



आपातकाल

आपातकाल का अर्थ है वह समय जब देश में अशांति फैल जाए और शांति बहाल करने के लिए असाधारण उपायों की आवश्यकता पड़े। आपातकाल के दौरान सरकार को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं होते।

आपातकाल के दौरान सरकार को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं:

- 1. सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार।
- 2. सार्वजनिक स्थानों पर संचार के माध्यम से सूचनाओं को प्रसारित करने का अधिकार।
- 3. सार्वजनिक स्थानों पर संचार के माध्यम से सूचनाओं को प्रसारित करने का अधिकार।
- 4. सार्वजनिक स्थानों पर संचार के माध्यम से सूचनाओं को प्रसारित करने का अधिकार।

आपातकाल के दौरान सरकार को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं:

- 1. सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार।
- 2. सार्वजनिक स्थानों पर संचार के माध्यम से सूचनाओं को प्रसारित करने का अधिकार।
- 3. सार्वजनिक स्थानों पर संचार के माध्यम से सूचनाओं को प्रसारित करने का अधिकार।
- 4. सार्वजनिक स्थानों पर संचार के माध्यम से सूचनाओं को प्रसारित करने का अधिकार।

आशीर्वचन*

‘संघर्षमां गुजरात’ पुस्तक जब प्राप्त हुई तब ऐसा लगा था कि शायद पढ़ने का समय ही नहीं मिलेगा; किंतु एक यात्रा के दौरान पुस्तक को पढ़ना आरंभ किया तो समाप्त होने पर ही उसे छोड़ा।

आपने बहुत बारीकी से जानकारी का संग्रह कर उसे प्रस्तुत किया है। आपके स्वानुभव के कारण बहुत सी बातें खुलकर सामने आई हैं। आपातकालीन गुजरात एवं भारत का दर्शन इस पुस्तक से बहुत सीमा तक होता है। विषयवस्तु की प्रस्तुति रसप्रद, प्रेरक तथा जिज्ञासा को जाग्रत करनेवाली है। कई छोटी-छोटी जानकारियाँ आनंददायक भी हैं।

पुस्तक में संघ के योगदान के बारे में विशेष रूप से कहा गया है, लेकिन वास्तविकता की दृष्टि से यह सत्य भी है। परिश्रमपूर्वक इस पुस्तक को आकार देने के लिए आपको अभिनंदन।

—बाबूभाई पटेल

(पूर्व मुख्यमंत्री, गुजरात)



गुजरात के अनेक युवाओं, कार्यकर्ताओं ने जो तपश्चर्या की और फलस्वरूप लोकतंत्र जीवित रहा, इन संस्मरणों को प्रस्तुत करनेवाली यह पुस्तक गुजरात की आनेवाली पीढ़ियों एवं देश को प्रेरणा देती रहेगी।

—नवलभाई शाह

(पूर्व शिक्षा मंत्री, गुजरात)

* गुजराती संस्करण के समय प्राप्त पत्रों का भावानुवाद।

भूमिगत प्रवृत्ति के सूत्रधार के रूप में लेखक श्री नरेंद्रभाई ने गुजरात में आपातस्थिति से हुए संघर्ष का दस्तावेजी एवं प्रमाणभूत इतिहास लिखा है। गुजरात इस संघर्ष के कारण मूक प्रतीत होने के बावजूद चैतन्यमय रहा था। स्वयं को या अन्य महत्त्वपूर्ण संघर्षवीरों को नेपथ्य में रखते हुए केवल तथ्यों को ही केंद्र में रखकर घटनाओं का वर्णन किया गया है।

स्वातंत्र्य हेतु संघर्ष के संपूर्ण घटनाक्रम में गुजरात का स्थान समग्र भारत में अग्रिम पंक्ति में रहा है।

‘संघर्षमां गुजरात’ पुस्तक आपातस्थिति की चुनौती के गुजरात द्वारा विभिन्न तरीकों से किए गए विरोधों का सूत्रबद्ध, घटनाबद्ध आलेखन है।

इस पुस्तक का विशेष महत्त्व तो उसके बहुआयामी फलक को लेकर है। उदाहरण के रूप में, सत्य जानकारी और संघर्ष से संबंधित आदेशों के वहन तथा भूमिगत कार्यकर्ताओं के बीच संपर्क बनाए रखने के लिए सत्ताधीशों की आँखों तले किस प्रकार से व्यवस्थाओं को स्थापित और संचालित किया गया, संचार सूत्र किस प्रकार से कार्य करते थे—ये तमाम जानकारी पहली बार स्पष्ट हुई है।

गुजरात के संघर्ष का त्वरित परिचय करवाने में पुस्तक के परिशिष्ट सफल रहे हैं। ‘वकील साहब’ का परिशिष्ट-१ में छपा पत्र संघर्ष के ध्येय, पद्धति एवं प्रयुक्त आयोजनिक शैली का विस्तृत ब्योरा है। ‘मीसा’ की कल्पना मात्र से थरथराने लोगों में भविष्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के हेतु को यह पत्र उजागर करता है। इंदिरा गांधी चुनाव घोषित करें तो उसके लिए तैयार रहने की दीर्घ दृष्टि भी इससे व्यक्त होती है।

इस पुस्तक की सामग्री ज्ञान-पिपासा को और प्रज्वलित करनेवाली, ज्ञानवर्द्धक एवं प्रेरक है।

—कीर्तिदेव देसाई, प्रवीण सेठ

‘संदेश’, राजकीय रंगपट,

५ फरवरी, १९७८



ढेर सारा धन कमाने के लिए विलायत या अमेरिका गए हुए गुजरातियों ने भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए मेवाड़ के ‘भामाशाह’ जैसी भूमिका अदा करं परदेस के मोरचे पर भी गुजरात का जय-जयकार किया—ऐसी परीकथा समान बात को हकीकत मानने के लिए प्रेरित करनेवाली पुस्तक है—‘संघर्षमां गुजरात’।

‘जहाँ बसे एक गुजराती, वहाँ सदाकाल गुजरात’ इस सुप्रसिद्ध पंक्ति में

‘चाहे करना पड़े संग्राम’ जैसी नई पंक्ति जोड़ने को मन करे—ऐसी हकीकतें उजागर करनेवाली श्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक ‘संघर्षमां गुजरात’ के हम आभारी हैं।

—वनमाळी वांको

‘संदेस’, २२ जनवरी, १९७८



स्वातंत्र्य-संग्राम के इस दूसरे पर्व की कथा अनेक स्वरूपों में लेखों के द्वारा, विशेषांकों के द्वारा या अन्य स्वरूपों में विगत एक वर्ष में लिखी जाती रही है; किंतु क्रमानुबद्ध स्वरूप में इस प्रतिकार के बारे में पहली इतिहास-कथा पिछले माह प्रकाशित कर श्री नरेंद्र मोदी ने महत्त्वपूर्ण इतिहास-कर्तव्य निभाने का सराहनीय कार्य किया है।

प्रतिकार संग्राम में आरंभ से अंत तक भूमिगत रहते हुए सक्रिय रहनेवाले एक योद्धा ने इस कथा का आलेखन किया है, इसलिए इसमें से बहुत महत्त्वपूर्ण सामग्री अभ्यर्थियों को अवश्य प्राप्त हो सकती है। आज तक अप्रकट रही बहुत सी सामग्री का प्रकाशन इसमें है। आरंभ से अंत तक गुजरात ने प्रतिकार का ध्वज उठाए रखा। इस हकीकत पर प्रत्येक गुजराती गौरव कर सकता है।

निरंतर जागृति और संघर्ष में ही स्वातंत्र्य की सुरक्षा निहित है। अतः स्वतंत्रता को जोखिम में डालनेवाले तत्त्वों को जब तक पूर्णतः समाप्त न कर दिया जाए तब तक स्वातंत्र्य-संग्राम अविरत जारी रहता है। इस संग्राम में कभी मैदानी लड़ाइयाँ होती हैं तथा बीच के समय में लोकशिक्षा की प्रवृत्ति की जाती है। इसीलिए स्वातंत्र्य-संग्राम की इस कथा के विभिन्न अध्यायों का हम निरंतर पारायण करते रहें।

—धनवंत ओझा

‘आज अने इतिहास’

‘जनसत्ता’, १२ फरवरी, १९७८



आपातस्थिति के दौरान भूमिगत रहकर भूमिगत प्रवृत्तियों में लगातार सक्रिय रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ‘संघर्षमां गुजरात’ पुस्तक में आपातकाल की काली छाया तथा आपातस्थिति-विरोधी संग्राम की किरणों का एक दस्तावेजी संकलन प्रस्तुत किया है। गहरी छाया के भीतर से फूटी किरणों की गाथा ही है—‘संघर्षमां गुजरात’।

—शेखादम आबूवाला

‘जनसत्ता’, २१ जनवरी, १९७८

श्री नरेंद्रभाई मोदी की पुस्तक 'संघर्षमां गुजरात' में आपातकाल के दौरान हुई भूमिगत प्रवृत्तियों के दस्तावेजी इतिहास का आलेखन हुआ है। आपातकाल के दौरान आपातस्थिति के विरोध में जो भूमिगत प्रवृत्तियाँ चल रही थीं, उनके साथ श्री मोदी का आरंभ से लेकर अंत तक नाता रहा है। अतः उनके द्वारा लिखा गया यह इतिहास सत्य घटनाओं, विवरणों एवं प्रमाणभूत जानकारियों से भरा है।

आपातकाल के दौरान सारे देश में भूमिगत प्रवृत्ति चल रही थी; लेकिन इसमें गुजरात का योगदान विशिष्ट था—इस बात की प्रतीति यह पुस्तक करवाती है। भूमिगत संघर्ष में किन-किन संगठनों, समितियों ने हिस्सा लिया, किसकी ओर से सहयोग मिला, उसकी व्यवस्थाएँ एवं काररवाइयाँ कैसी थीं इत्यादि के बारे में इस पुस्तक से प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त होती है।

—'बंबई समाचार', १३ फरवरी, १९७८



भाई नरेंद्र मोदी आपातकाल के बीस महीने भूमिगत अवस्था में रहे थे। उन्होंने आंदोलन के संचालन में योगदान दिया था। स्वानुभव से ओत-प्रोत सत्यनिष्ठ विवरण को उन्होंने इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। पुस्तक में आपातस्थिति के दौरान भूमिगत रहकर प्रकाशित होनेवाले अखबारों, पत्रिकाओं इत्यादि की तसवीरें भी दी गई हैं।

—'जन्मभूमि', ११ फरवरी, १९७८

—'कच्छ मित्र', १६ फरवरी, १९७८



'संघर्षमां गुजरात' पुस्तक में श्री मोदी ने नवनिर्माण की पार्श्व भूमिका के साथ आपातकाल के संघर्ष की गाथा का आलेखन किया है। आपातकालीन संघर्ष का नेतृत्व करनेवाले नेताओं के चित्रों सहित यह पुस्तक आकर्षक है। श्री मोदी ने इस पुस्तक में तथ्यों का आधार लिया है। श्री मोदी की यह पुस्तक राजनीतिक साहित्य का सुंदर नमूना है। आपातकाल के समय में गुजरात में जो प्रवृत्तियाँ हुईं, उनका दस्तावेजी इतिहास प्रस्तुत करने का श्री मोदी ने सफल प्रयत्न किया है।

आकाशवाणी, १६ फरवरी, १९७८



आपकी पुस्तक यात्रा के दौरान ही आरंभ से अंत तक पढ़ जाने की उत्कंठा नहीं रोक पाया। पहली बार में ही किसी पुस्तक का ऐसा प्रभाव पाठक के मन पर पड़ना उसके लेखक की सफलता ही मानी जा सकती है। आपने अपने प्रथम प्रयत्न

में ही यह सिद्ध कर दिखाया, इसलिए आपको अभिनंदन।

आपने छोटी-से-छोटी जानकारी तथा कई आनंददायक विवरण दिए हैं, अच्छा लगा। इससे यह पुस्तक और अधिक रोमांचक एवं प्राणवान् बनी है।

अपने प्रदेश के साधारण दर्जे के भाई-बहनों ने आपातस्थिति के काले दिनों में भी जिस प्रकार से मस्तक उठाकर हिम्मत एवं श्रद्धा के साथ चिंतन-वचन-वर्तन का जो परिचय दिया है, वह अपने विकसित हो रहे लोकतंत्र के लिए आशा का स्रोत एवं प्रोत्साहक बात है।

आपकी इस पुस्तक को पढ़कर इस बात का और अधिक ज्ञान होता है कि संघर्ष—वैचारिक या व्यावहारिक—से ही सहयोग की तथा संवाद की सही समझ व अनुबंधन का सर्जन किया जा सकता है। आपातकाल को अभी मुश्किल से साल भर ही हुआ है कि हमारे कथित शिक्षित वर्ग में कई जगह बीती बिसार देने की बेडौल स्थिति दिखाई दे रही है। यह देखकर झुंझलाहट व व्याकुलता का अनुभव होना स्वाभाविक ही है। ऐसे समय में आपकी इस पुस्तक के समान प्रयत्नों से आपातकाल के दौरान हुए भगीरथ पुरुषार्थों के बारे में प्रजा को, विशेषतः शिक्षित वर्ग को, याद दिलाते रहना नितांत आवश्यक है। आपकी पुस्तक की इस द्वितीय आवृत्ति का मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूँ।

—पुरुषोत्तम गणेश मावलंकर
सांसद



अपनी पुस्तक 'संघर्षमां गुजरात' में आपातकाल के दौरान गुजरात की अंतश्चेतना में उठी हलचलों का विवरणात्मक वर्णन आपने किया है। 'गांधी का गुजरात' कितना सहिष्णु, स्वाभिमानी, अहिंसा-प्रेमी एवं मानवता के मूल्यों के पतन हेतु किस कदर चट्टान जैसा अडिग है, इस बात को समझने की तनिक भी इच्छा रखनेवाले को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए।

आपने घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया है, ऐतिहासिकता के महत्त्व से आप पूर्णतः परिचित हैं। अपने निकट के भूतकाल का यथातथ्य मूल्यांकन कर पाना इतिहासकारों के लिए भी कठिन कार्य है; चूँकि आपने विवरणों व तथ्यों की भाषा का प्रयोग किया है, फलतः पुस्तक में प्रामाणिकता के दर्शन होते हैं।

आप लिखते हैं कि यह पुस्तक आपने एक लेखक की नहीं, बल्कि लड़ाई के एक सिपाही की हैसियत से लिखी है। किंतु आपकी लेखन-शैली को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि आपमें एक साहित्यकार की कुशलताएँ निहित हैं। आपकी

शैली विवरणात्मक, लचीली तथा सरल है। जहाँ आप आवश्यकतानुसार आक्रोश के या बेचैनी के भाव प्रभावपूर्ण तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, वहीं तथ्यों की स्वस्थ एवं शांत प्रस्तुति भी उतनी ही कुशलता से करते हैं, जिसका श्रेय आपकी साहित्य-रसिकता को जाता है। अनेक चित्रों, आँकड़ों तथा घटनाओं की समयानुक्रमिक प्रस्तुति से यह पुस्तक एक सीमा-चिह्न के समान है। गुजरात के जनजीवन का दस्तावेजी निरूपण करनेवाली इस पुस्तक को पाठक रुचिपूर्वक पढ़ेंगे।

—डॉ. रमणलाल जोशी

(पूर्व अध्यक्ष, गुजराती विभाग, गुजरात यूनिवर्सिटी)

★ ★ ★

प्रसिद्धि की कामना या बदले की चाह रखे बिना जिन भाई-बहनों ने शुद्ध भावना से अपना योगदान दिया उनके नाम कोई नहीं जानता। श्री मोदी ने अपनी पुस्तक 'संघर्षमां गुजरात' में संघर्ष के दौरान घटी घटनाओं का सुंदर चित्रण किया है। गुजरात के कोने-कोने से विस्तृत जानकारी एकत्र कर, ज्ञात-अज्ञात कार्यकर्ताओं के कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए गुजरात के संघर्ष का सत्य इतिहास लिखा है।

आपातस्थिति के बारे में कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, परंतु श्री मोदी ने इस पुस्तक में जो शैली अपनाई है वह मुझे किसी अन्य पुस्तक में नहीं दिखाई दी। मानव अधिकारों के हनन से व्याकुल हुए अनेक साधारण नागरिकों ने लोकतंत्र की पुनःस्थापना के लिए जंग लड़ी थी। गुजरात एवं गुजरात से बाहर यूरोप-अमेरिका में बसनेवाले इन साधारण व्यक्तियों की वीर गाथा का संघर्ष एक सत्यनिष्ठ व तेजस्वी नेता की कलम से लिखा जाना गुजरात के लिए सद्भाग्य की बात है। इतिहास की घटनाओं का दूर बैठकर आलेखन करनेवाले किसी इतिहासकार के बजाय उस इतिहास को रचने में जिसने सक्रिय भूमिका निभाई हो, ऐसे व्यक्ति की कलम से होनेवाला आलेखन अधिक जीवंत तथा प्रेरक होता है।

मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक हर घर में सोत्साह पढ़ी जाएगी तथा प्रत्येक पाठक को लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने की प्रेरणा प्राप्त होगी।

—चंद्रकांत दस

(सुप्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ)

★ ★ ★

'संघर्षमां गुजरात' श्री नरेंद्रभाई मोदी की प्रथम पुस्तक होने के बावजूद कई दृष्टि से सुंदर एवं सफल प्रकाशन है। गुजरात के संघर्ष के 'प्रथम पंक्ति के सिपाही' के रूप में इतनी बड़ी जिम्मेदारी को स्वीकार कर उसे इतने सफलतापूर्वक

निभाना जितनी अभिनंदनीय बात है उतनी ही अभिनंदनीय इस पुस्तक की लेखन-शैली भी है।

केवल लोकतंत्र की ही नहीं, वरन् स्वातंत्र्य की इस महत्त्वपूर्ण लड़ाई में अनेक छोटे-बड़े, ज्ञात-अज्ञात भाई-बहनों ने जिस देश-प्रेम, लोकतंत्र-प्रेम, वीरता, अडिगता, धैर्य, उत्साह, निर्भीकता, समयसूचकता, समझदारी, दूरदृष्टि इत्यादि का परिचय दिया है, उसका वास्तविक ज्ञान इस पुस्तक से होता है।

गुजरात की वर्तमान पीढ़ी को ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र के जाग्रत् प्रहरी जैसी आनेवाली पीढ़ियों के लिए भी यह पुस्तक प्रेरक सिद्ध होगी, यह विश्वास है।

—धीरूभाई देसाई

(पूर्व उपकुलपति, गुजरात विद्यापीठ)

★ ★ ★

‘संघर्षमां गुजरात’ पुस्तक मेरे हाथ में आते ही उसे एक ही बार में पढ़ जाने की उत्कंठा को मैं नहीं रोक पाया।

तथ्यों से समाधान करके भी पुस्तक को अधिक-से-अधिक सनसनीखेज बनाने की चल रही मनोवृत्ति से दूर रहते हुए शुद्ध तथ्यों के वास्तविक निरूपण ने आपकी इस कृति को और भी जीवंत बनाया है। संघर्ष का ही एक सक्रिय हिस्सा रह चुके व्यक्ति द्वारा लिखे जाने से इस पुस्तक का मूल्य कई गुना बढ़ जाता है।

—डॉ. राजेंद्र के. शाह

(पूर्व अध्यक्ष, लायंस क्लब ऑफ अहमदाबाद साउथ)

★ ★ ★

‘संघर्षमां गुजरात’ पुस्तक में आपातकाल के दौरान गुजरात में हुए भूमिगत संघर्ष का वर्णन है। श्री नरेंद्र मोदी की यह प्रथम पुस्तक है। किंतु उन्होंने जो भी लिखा है उसके वे स्वयं एक पात्र हैं, जिससे लेख में पूरी जीवंतता झलकती है। इतिहास का दर्जा दिया जा सके, ऐसी यह गाथा युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। भाई नरेंद्र मोदी की इस प्रथम कृति का हम स्वागत करते हैं।

—‘सौराष्ट्र समाचार’, २० फरवरी, १९७८

□□□



प्रभात प्रकाशन, दिल्ली

ISO 9001 : 2000 प्रकाशक

www.indianabooks.com